राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 12

शुक्रवार,

25 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। प्रश्नकाल। श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर जिला परिषद में स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यरत कर्मचारी

191. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जैसलमेर जिले में जिला परिषद के माध्यम से किन-किन स्वयं सेवी संस्थाओं (एन जी ओ) के कितने कर्मचारी किस-किस श्रेणी के कार्यरत हैं? श्रेणीवार, कर्मचारी के नामवार व कार्यरत, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 से मई, 2014 तक बी ए डी पी योजनान्तर्गत हुए कार्यों की वर्षवार, कार्यवार, लागतवार पूर्णता व अपूर्णता की स्थिति तथा बोर्डर लाइन से प्रत्येक कार्य की दूरी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सभी कार्यों में से ऐसे कितने कार्य हुए हैं जो कि बोर्डर लाइन से 0 से 30 किलोमीटर की परिधि से बाहर के क्षेत्र में किये गये हैं? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। जिला परिषद जैसलमेर में निर्मल भारत अभियान के तहत जिला स्वच्छता मिशन में स्वयंसेवी संस्था (एन जी ओ) सद्भावना सेवा एवं विकास समिति के माध्यम से निम्न कुल 02 कर्मचारी जाब बेसिस पर कार्यरत हैं :—

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

1. श्री स्वरूप कुमार भार्गव, मैन विद मशीन, व

2. श्री महेन्द्र कुमार बोहरा, ब्लाक समन्वयक, पंचायत समिति सांकड़ा।

इनके अतिरिक्त, जिला परिषद जैसलमेर में स्वयंसेवी संस्थाओं (एन जी ओ) के माध्यम से कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(2) जी हां। वर्ष 2009-10 से मई, 2014 तक बी ए डी पी योजनान्तर्गत हुए कार्यों की वर्षवार, कार्यवार, लागतवार, पूर्णता व अपूर्णता की स्थिति तथा बोर्डर लाइन से प्रत्येक कार्य की दूरी सहित समस्त कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' संलग्न है।

(3) बी ए डी पी योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 के बाद समस्त कार्य बोर्डर लाइन से 0 से 30 किलोमीटर की परिधि के अन्दर सम्पादित कराये गये हैं। अत: नियम परिधि से बाहर कोई कार्य नहीं कराया गया है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि जिला परिषद व अन्य किसी योजना में ठेका पद्धति या कोई पिछले दरवाजे से कोई एन जी ओ के माध्यम से प्राइवेट कर्मचारी लगे हुए हैं या नहीं? दूसरा निवेदन है कि जिला परिषद में इनके लगे हुए होंगे। कर्मचारी नहीं लगता तो जिला परिषद में रात को चौकीदार वहां कौन रहता है, कौन चौकीदारी करते हैं जिला परिषद की, जो कि बहुत बड़ा खजाना हमारा जिला परिषद है।

दूसरा है, क्रम संख्या-2 में प्रश्न का विस्तृत खुलासा उत्तर नहीं दिया हुआ है। मान्यवर, 2009-10 में किलोमीटर 0 से 20 किलोमीटर के कई काम हुए, केवल निजी परिवारों के कार्य हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम हुए हैं, वे निजी परिवारों के द्वारा हुए हैं। वे कार्य वहां चक प्लान भी है, वहां ढाणियां भी हैं, लेकिन उनमें केवल नाम के द्वारा लिया हुआ है फलां खां की ढाणी, फलां सिंह की ढाणी, फलाने राम की ढाणी, वह उन नामों से दिया हुआ है। क्या वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है? ऐसे काम हुए हैं जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं और बगैर दर्ज के, मेरा यह आरोप है कि निजी परिवारों को दिया हुआ है।

उसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें केवल यही काम किया हुआ है, बी ए डी पी में टीचर क्वार्टर या बाउंडरी वाल या डिग्गी निर्माण। क्या हमारे बोर्डर में यही काम हैं? डिग्गी निर्माण करवाना इंडिविजुअल परिवार की, बाउंडरी वाल बनवाना, या टीचर क्वार्टर करवाना, क्या स्कूल पूर्व में हैं वहां? वहां

(श्री छोटू सिंह)

निजी हैं, हुकम। तो कितने टीचर लगे हुए हैं? क्या स्कूल वहां अभी क्रियाशील हैं? अभी वहां मास्टर या टीचर हैं?

इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सभी स्वीकृतियां दी गई हैं, नाम ऐसे हैं जिनमें राजस्व ग्राम नहीं हैं। इसका जवाब दें मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो काम अनुमत हैं उनमें पीने का पानी, एप्रोच रोड, प्रशासनिक भवन, सड़क, पुलिया, इत्यादि, समस्त मूलभूत संरचना के कार्यों पर साठ प्रतिशत तक राशि व्यय की जा सकती है। वार्षिक आबंटन में 15 प्रतिशत राशि रखरखाव पर व्यय की जाती है।

कार्य करने की जो भी मैंने आपको सूची दी है, उस सूची में मैंने आपको सारे काम दिये हैं। 1245 काम 2009 से लेकर अब मई तक हुए हैं, उनमें 907 काम पूर्ण हो गये हैं, 314 काम अभी अपूर्ण हैं और 24 काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं।

प्रश्न जो था, आपका यह था कि आपने एन जी ओ के थ्रू किन लोगों को आपके यहां रखा है? तो मात्र दो लोगों को रखा है और वे दो लोग भी 1.10.2013 से नियुक्त हैं, और वे भी हमारे ही आदेश से हुआ कि अगर आपके पास कोई रिक्त पद है तो उन पदों को आप इस तरह से भर सकते हो, यह हमारे यहां से एक 20.11.12 का आदेश था, ''ACO/BDO may be higher block Co-ordinate against the vacant posts at block level on the job basis on prevailing rates and allowances." यह हमारे आदेश के तहत ही उन्होंने, जो हमारा 2012 का आदेश था, उसके तहत इन दो पदों पर उन्होंने एन जी ओ के माध्यम से लोगों को रखा है और वह भी जो केन्द्र सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके आधार पर उनको रखा है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): यह मैं भी मान गया कि दो ही कर्मचारी लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है साथ में कि वे तो केन्द्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से लगाये हैं। गाइड लाइंस के अलावा भी जिला परिषद में और कोई कर्मचारी लगे हुए हैं। नंबर-1।

दूसरा निवेदन है कि इस बी ए डी पी की योजना के द्वारा यूथ प्रोग्राम स्किल डवपलमेंट का कार्य है जिसका कोई आज तक अता-पता भी नहीं है। इस पूरी पुस्तिका में इसका नाम नहीं है। उसका कोई आज अता-पता नहीं है, वह भी काम हुआ है।

(श्री छोटू सिंह)

विगत पांच साल में कई कार्य हुए जो केवल व्यक्ति विशेष के हुए हैं जबकि राजस्व रिकार्ड में ये नहीं हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मंत्रीजी, कि विगत पांच साल, 2009 से लेकर 2014 तक का जो कार्य हुआ है, बी ए डी पी में सीमान्त काम होता है, बोर्डर लाइन से बीस किलोमीटर भी होता है, लेकिन इस पुस्तिका के हिसाब से कई ऐसे काम हैं जो गाइडलाइंस से हट कर हैं। उसके अलावा, मेरा आरोप है कि ये काम कुछ निजी परिवारों को दिये गये हैं। रिकार्ड में निजी परिवारों का रिकार्ड इसमें है, जिसका खुद का नाम लिखा हुआ है पर्सनल कि फलाना सिंह, फलाने खां, फलाना...।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न कीजिये आप।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): दूसरा, इसके साथ मेरा यह निवेदन है कि ऐसे करवाये गये काम में, जो बी ए डी पी के माध्यम से, मंत्रीजी, हुए हैं, लेकिन मेरा यह आरोप है कि बी ए डी पी के अलावा भी, दूसरी योजनाओं में भी उसी काम के पैसे उठाये गये हैं। मैं चाहता हूं कि विगत पांच वर्षों का, आपके माध्यम से, कि इस टोटल बी ए डी पी के पांच साल के काम की जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह बी ए डी पी के माध्यम से जो काम, यह वैसे योजना 93-94 से चल रही है और 93-94 से इसका काम चल रहा है, पहले इसमें गाइड लाइंस से 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक बोर्डर पर काम कराने का था बाद में इसमें 0 से 20 तक हुआ और बादमें 0 से 30 तक का काम हुआ। इसमें भी आबंटन है, बाड़मेर में 30 प्रतिशत खर्चा करोगे, बीकानेर में 25 प्रतिशत, गंगानगर में 15 प्रतिशत और जैसलमेर में 30 प्रतिशत। उसी के आधार पर नीचे प्रस्ताव बन कर आता है। जिला कलक्टर लेवल पर एक कमेटी रहती है, वह इसको स्वीकृत करती है। उसके बाद, चीफ सेक्रेटरी के यहां जयपुर में कमेटी है, वह उसको एप्रूव करती है। उसके बाद गृह विभाग को जाता है और गृह विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद ही इसका तखमीना और बाकी चीजें बनने के बाद काम शुरू होता है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री रमेश। आपने बटन नहीं दबाया क्या? इसीलिए कुछ गड़बड़ है।

श्री भंवर सिंह। आपने तो दबाया था न? कुछ गड़बड़ है, मैंने कल ही स्वीकार किया, ठीक हो रहा है। बैठो आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बीएडीपी के वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14, इन तीन सालों के विद्युतीकरण के जो कार्य हैं, बीकानेर जिले के विशेषकर, वे लम्बित चल रहे हैं और हालात ये हैं कि तीन-तीन सालों के सैकड़ों काम आज भी विद्युत विभाग के द्वारा नहीं करवाये गये हैं। बी ए डी पी के द्वारा पैसा ऊर्जा विभाग को ट्रांसफर करने के बावजूद क्षेत्र के काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं बी ए डी पी की अभी 2014-15 की मीटिंग थी, उसमें इसलिए बिजली के कार्य नहीं लिये गये क्योंकि पीछे के तीन सालों के बिजली के कार्य अभी पेंडिंग चल रहे हैं। तो मंत्री महोदय से मेरा निवेदन रहेगा कि एक तो बिजली के जो विद्युतीकरण के कार्य हैं सीमावर्ती क्षेत्र के, उन कार्यों को, सबसे ज्यादा उन कार्यों की आवश्यकता होती है और उसमें सबसे धीमी गति से वे कार्य हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, आप सवाल कीजिए ।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): उन कार्यों को करवाने के लिए कोई आदेश करवायें। कब तक करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए आप।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): यह निवेदन करना चाहूंगा। साथ में यह निवेदन करना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, बस। विराजिए, जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): दो शब्द।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अलग-अलग। जवाब दे रहे हैं वे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): बी ए डी पी की जो कमेटी है, उसमें जन-प्रतिनिधियों को हमेशा मेम्बर रखा गया है, जब से बी ए डी पी की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी 2014 में बी ए डी पी में सिर्फ जन-प्रतिनिधियों के लिखित में सुझाव लेने की बात की गई है। जबकि इससे पहले स्थानीय क्षेत्र की जो भी मांगें हैं, वे जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से ली जाती थीं, उन मांगों को जिला कलक्टर आगे मुख्य सचिव तक और आगे केन्द्र सरकार तक भेजते थे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि जन-प्रतिनिधियों की पुन: भागीदारी करवाने के लिए क्या सरकार सोच रखती है? उसका जवाब दें।

इसके अलावा निवेदन करना चाहूंगा कि..

श्री अध्यक्ष: यह नहीं, इतना लम्बा पूरक प्रश्न नहीं होता। आप विराजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): विद्युतीकरण के कार्य..

श्री अध्यक्ष: फिर कहेंगे कि समय बहुत हो गया। विराजिए आप। यह जवाब आ जाएगा। इसके बाद, मेवारामजी, आपका है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो 314 काम अभी भी पेंडिग हैं, 2009 से लेकर अब तक में, उसमें 71 काम विद्युत विभाग के हैं। अभी मैं एकदम चारों जिलों को तो अलग-अलग नहीं छांट पाया लेकिन यह है कि 11-12 के 6 काम अभी पेंडिंग हैं, 12-13 के 8 काम हैं और उसके बाद, 13-14 के 57 काम हैं, बिजली विभाग के। मैं 31 दिसम्बर 2014 तक इन सब कामों को पूरा कर दूंगा एक।

दूसरा यह है कि माननीय सदस्य ने कहा कि पहले एम एल एज इस कमेटी में होते थे। निश्चित रूप से अभी पिछले कुछ समय से एक आदेश के आधार पर हुआ। आज मैं फिर आश्वस्त करता हूं सदन को कि सारे जन प्रतिनिधि उस कमेटी में मेम्बर के रूप में रहकर अपने सुझाव देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन। एक और होगा विश्वनाथजी का। नहीं, मैं माफी चाहता हूं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बी ए डी पी बोर्डर एरिया के लिए सैंक्शन्ड है और बाड़मेर जिले में चार ब्लाक हैं, बाड़मेर, चौहटन, धोरीमन्ना और शिव। चार ब्लाकों में अब जो काम हो रहे हैं, बोर्डर के बिलकुल पास हो रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी 20 किलोमीटर की ही गाइड लाइन है, तो धोरीमन्ना ब्लाक शुरू ही 70 किलोमीटर पर होता है, तो वह तो बोर्डर पर नहीं है, वहां काम सैंक्शन हो रहे हैं और बाड़मेर ब्लाक में 20 किलोमीटर से आगे काम नहीं होता है। यह पिछले 6 साल से हो रहा है।

अध्यक्षजी, आपके मार्फत मंत्रीजी से कहलाना चाहूंगा कि जो ब्लाक चयनित हैं और पहले उनमें काम बोर्डर एरिया में हो रहे थे, उन ब्लाकों में काम स्वीकृत करेंगे ?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुल 14 ब्लाक हैं इन चार जिलों के। इनमें बाड़मेर जिले का शिव है, बाडमेर है, चौहटन है, धोरीमन्ना है। इन चार क्षेत्रों में पैसे का उपयोग हो सकता है। तो मैं सोचता हूं कि उसी दृष्टि से जो सूची मैंने सारे कामों की सदन में रखी है, उसमें ये सारे के सारे क्षेत्र कवर हैं।

जब कभी भी आपको लगे कि इसमें से, अभी जो आपकी मीटिंग होगी,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें आप अपने प्रस्ताव के साथ जिला कलक्टर की मीटिंग में जाएं, क्योंकि पहले बीच में कहा कि केवल आपसे राय लेंगे, आज मैंने फिर घोषणा की कि नहीं, आपकी उपस्थिति में उन प्रस्तावों को पास करके यहां चीफ सेक्रेटरी की कमेटी में भेजेंगे और उसके बाद हम गृह विभाग को भेजेंगे। आप जो भी सुझाव देंगे और जो हमें करने लायक होगा तो आप निश्चिंत रहें, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री विश्वनाथ। नहीं, बस, आप विराजिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। श्री विश्वनाथ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट..

श्री अध्यक्ष: इम्पोर्टेंट है लेकिन तीन पूरक प्रश्न से ज्यादा अलाउ नहीं करूंगा। सवाल लेने में 13 मिनट लग गए। आप विराजिए। कृपया विराजिए। विश्वनाथ।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, मेरे बीकानेर जिले का बी ए डी पी से सम्बन्धित मामला है। खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र भी पाकिस्तान बोर्डर पर है। माननीय मंत्री महोदय, उसमें बी ए डी पी का काम होता है। मैं जानना चाहूंगा, पिछले पांच साल में पेयजल में जितने भी कार्य हुए हैं, उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है और अनियमितताएं भी उसमें हुई हैं। काफी बार हमने विभाग को भी लिखा है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इसकी जांच कराने का विचार रखते हैं? या जो भी है, बताएं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एकदम आपको लिखकर देंगे किसी काम के बारे में, क्योंकि सारे कामों की जांच कराना तो सम्भव नहीं है। पर मैंने अब एक नई प्रक्रिया…

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): पेयजल सम्बन्धित सारे काम...

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइये, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। पूरक प्रश्न नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नई प्रक्रिया है, जो भी कोई जांच कराना चाहे…। एक सामान्य कागज पर कुछ भी लिखकर जाते हैं, आधे लोग बाद में, न वे मिलते हैं, न उनकी शिकायत मिलती है और हमारा इतना पैसा और समय खराब करते हैं। मैंने कहा कि पांच रुपये के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एफिडेबिट पर, जिसको भी जांच कराना हो, लिखकर दें, निश्चित जांच होगी और जांच के परिणाम से उस व्यक्ति को भी हम अवगत कराएंगे। आवश्यकता होगी तो उसको स्वयं को बुलाकर, उसकी व्यक्तिगत राय भी उसमें लेंगे, कि जो शिकायत की उसमें वह क्या कहना चाहता है।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

पाली जिले में बंद किये गये विद्यालय

192. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में पाली जिले में सरकार द्वारा कौन-कौन से विद्यालयों को किन-किन कारणों से बंद किया गया? उक्त विद्यालयों की छात्र संख्या कितनी-कितनी थी? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बंद किये गये विद्यालयों को पुन: शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय को एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भवन के अभाव में बंद किये गये विद्यालयों हेतु भूमि उपलब्ध कराने एवं उस पर विद्यालय भवन निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) जिला पाली में विगत पांच वर्षों में बंद किये गये विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-क पर तथा एकीकरण के कारण समायोजित किये विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है। उक्त बंद/मर्ज विद्यालयों की छात्र संख्या तथा कारणों का विवरण सम्बन्धित परिशिष्ट में सम्मिलित है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त बंद/समायोजित किये गये विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नजदीक के विद्यालयों में समायोजित किया गया। अत: उक्त बंद/मर्ज को पुन: शुरू करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। विद्यालय बंद/मर्ज कर दिये जाने के पश्चात उक्त विद्यालय अस्तित्व में ही नहीं हैं, तो भूमि आबंटन करवाकर भवन निर्माण करवाया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने आज से 6 महीने पहले, 6 विद्यालय बंद हो गये, उनकी सूची दी थी। उसमें आपको जानकारी दी थी कि तीन में भवन बने हुए हैं। हो सकता है, वे किसी सरकारी पैसे से नहीं बने हों, किसी दानदाता ने बनाये हों। फिर आपके विभाग ने पाली से रिपोर्ट मांगी तो तीन में से दो जगह भवन बने हुए थे, वहां आपने विद्यालय चालू कर दिए। आपकी सूची में वे विद्यालय आज बंद बता रहे हैं, जबकि वहां विद्यालय चालू हो गये, अभी पांच महीने पहले।

एक विद्यालय और है, सिंधियों की ढाणी। आपका ब्लाक शिक्षा अधिकारी है, उसने वहां बिना मौके देखे लिख दिया कि भवन नहीं है। फिर जिला शिक्षा अधिकारी ने एक और अधिकारी को डेप्यूट किया कि जाकर निरीक्षण करके आओ। उसने भी बिना मौका देखे लिख दिया, विद्यालय भवन नहीं है। फिर मैंने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को आग्रह किया कि एक बार आप देखकर आ जाओ। माननीय मंत्री महोदय, आपको आश्चर्य होगा, जिला शिक्षा अधिकारी वहां गयीं, देखा, भवन बना हुआ है, सरकारी पैसे से वहां रसोई घर बना हुआ है, बाथरूम बने हुए हैं। जिस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी कि भवन नहीं है, क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करोगे ? जहां भवन बना हुआ है, वहां वापस आप चालू करोगे?

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय मेरा आग्रह है कि बजरंगबाड़ी स्कूल जो आपकी सूची में है, वहां पर 155 बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने लिखा है कि नजदीकी विद्यालयों में उनको मर्ज किया। जहां आपके विभाग ने इसको विद्यालय को मर्ज किया है, वह वहां से 6 किलोमीटर दूर है। तो नजदीकी कैसे हुआ? यह जवाब दे दो मुझे आप।

वहां भी विद्यालय चल रहा था, सरकारी भवन नहीं था, विधायक कोष से अलग एक बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके अन्दर चल रहा था। शेखावत नगर और उमेजा कालोनी में जो विद्यालय चले थे, वहां की जनता के जन सहयोग से कोई मकान किराये पर लेकर, जनता उसका पैसा दे रही थी। ऐसा नहीं है कि कोई विद्यालय छतविहिन था।

मेरा आपसे आग्रह है, अगर कहीं जमीन उपलब्ध हो सकती है तो इस बात की रिपोर्ट आप वहां के जिला कलक्टर से मांगें और जिला कलक्टर मना लिख दें कि यहां भूमि उपलब्ध होना सम्भव नहीं है, उनको आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर 150-150 बच्चे पढ़ रहे हैं और 6 किलोमीटर दूर के

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

विद्यालय में आपने उसको मर्ज कर दिया। आप सोचो, प्राइमरी तक का बच्चा 6 किलोमीटर दूर पढ़ने जाएगा? चिमनपुरा है, वहां सारे के सारे एस टी बसते हैं, भील बस्ती है, सारी की सारी। शेखावत नगर जो आपने बंद किया, वहां नगर परिषद, पाली ने हाल ही में जमीन उपलब्ध करा दी। तो जहां नगर परिषद, पाली ने हाल ही में जमीन उपलब्ध करा दी, क्या वापस आप चालू करोगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह जवाब दिला दीजिए आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि गलत जानकारी दी गई है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस अधिकारी ने भी गलत जानकारी दी है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करके कार्यवाही की जाएगी।

दूसरा, आपने कहा कि कई भवन इस प्रकार के हैं, वहां भवन हैं पर उनको बंद कर दिया; तो ऐसे भवन जितने भी हैं, कोई बात नहीं, किसी से भी, ऐसे भवन की जितनी भी जानकारी आपके पास है, मुझे दे दीजिएगा, वहां निश्चित रूप से विद्यालय प्रारम्भ कर देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मंत्री महोदय, सिंधियों की ढाणी, जहां आपकी जिला शिक्षा अधिकारी खुद देखकर आईं, वहां बंद कर दिया। जबकि दो अधिकारियों ने बिना देखें आफिस में बैठकर रिपोर्ट दे दी, वहां कोई भवन नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): एक मिनट, साहब, जवाब दे दूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): मेरा जवाब आ जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो प्रश्न कर लिये आपने।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अजी, जवाब तो दे दूं। (व्यवधान) और आपने कहा कि यह जिला कलक्टर से रिपोर्ट मांग ली जाए, निश्चित रूप से जिला कलक्टर से रिपोर्ट ले लेंगे कि कहां-कहां भवन के लिये जमीन उपलब्ध है। भवनविहीन विद्यालय कोई भी पुन: प्रारम्भ करवाना है, तो कोई प्रस्ताव यदि प्राप्त होगा तो उसके गुणावगुण के आधार पर पुन: खोलने का निर्णय लिया

(श्री कालीचरण सराफ)

जाएगा। यदि पुन: खोला गया तो एस.एस.ए. के पास, हमारे पास पर्याप्त पैसा है, आप तो हमें जमीन बता देना। कलक्टर से भी रिपोर्ट ले लेंगे। वहां भवन बना कर पुन: विद्यालय चालू कर देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया, बजरंग बाड़ी विद्यालय जो आपकी सूची में दर्शाया गया है, छात्र संख्या बताई है 155 । मामूली छात्र नहीं हैं। जहां मर्ज किया, वह विद्यालय उससे छह किलोमीटर दूरी पर है। यह विद्यालय चल रहा था, विधायक कोष से बने सभा भवन में।

श्री अध्यक्ष: यह आप पहले कह चुके हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या दिक्कत है? बिल्डिंग तो है ना वहां पर। वहां 155 बच्चे हैं, माननीय मंत्री महोदय, 155 बच्चे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वहां का प्रपोजल बनाकर आप भिजवा दीजिये। वहां चालू कर देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आदेश करो आप तो, आज ही आदेश करो। 155 बच्चे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): वहां निजी भवन के लिए जमीन उपलब्ध होगी तो...।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अभी तो वहां सभा भवन में चल रहा था। बिल्डिंग तो है ही।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): हां, चालू करा देंगे वापस से। (व्यवधान) बिलकुल करा देंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): हां, तो आप चालू करवा दो। (व्यवधान) दो विद्यालय जो जन सहयोग से मकान किराये पर लेकर चल रहे थे, एक पूरा का पूरा एस.सी./एस.टी. बस्ती का है। सारे के सारे बच्चे एस.टी. के, और एक एस.सी. बस्ती का है। अगर मोहल्ले वाले जन सहयोग से किराया दे रहे हैं और आपके पास भवन है, भले ही वह किराये का भवन है, क्या दिक्कत है उसमें चलाने में?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैं बता रहा हूं ना, आप दे दीजिए, (व्यवधान) चालू करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आपने तो आदेश कर दिये थे छह महीने पहले। आपके अधिकारी नहीं मान रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ज्ञानजी, आप विराजिये। ज्ञानजी, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): छह महीने पहले आपने आदेश कर दिये थे, आपके अधिकारी ने आपके आदेश की पालना नहीं की। आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: ज्ञानजी, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): तीन बातें आपने कही हैं। एक तो जहां भवन उपलब्ध है और विद्यालय बंद कर दिये। मैं पूछूंगा कि जब यह भवन उपलब्ध है तो बंद क्यों कर दिये? उनके खिलाफ, यदि उचित कारण नहीं बताया तो उन अधिकरियों के खिलाफ में कार्यवाही करूंगा। नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: आसन को सम्बोधित कीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): दूसरा आपने कहा कि जहां भवन के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, जिला कलक्टर से बात करके और वहां भवन के लिए जमीन उपलब्ध होगी तो निश्चित रूप से वहां भवन बनवा दिया जाएगा।

तीसरा आपने कहा कि गलत जानकारी दी है, जिस अधिकारी ने भी गलत जानकारी दी है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल। (व्यवधान) नहीं, आप विराजिये। नो। नहीं, नहीं, यह यूं आमने-सामने। (व्यवधान) मैंने प्रहलाद गुंजल को पुकार लिया है, आप चैम्बर में मिल लीजिए। (व्यवधान) चेम्बर में मिल लीजिये। श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भवन-विहीन नये विद्यालयों के अलावा, पुराने शहरों में ऐसे कितने विद्यालय हैं जो किराये के भवनों में चल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ब्रजराजपुरा में मिडल स्कूल पचास साल से किराये पर चल रहा है। हमने उसको जमीन देकर, सरकारी भवन बनाने के बजाय, आज पचास साल, उसको डेढ़ किलोमीटर दूर सेकण्डरी स्कूल में मर्ज कर रहे हैं। इस बीच में तीन प्राइवेट स्कूल हैं। एक भी बच्चा उस सेकण्डरी स्कूल में नहीं जायेगा। इससे निजी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है? जहां पचास साल से किराया

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नामिनल है, पचास साल से स्कूल चल रहे हैं, हम उनको भी बंद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्री महोदय। इसके बाद, श्री मदन राठौड़।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): देखिये, भवन-विहीन विद्यालयों की मेरे पास जो सूचना है, कुल 334 विद्यालय इस प्रकार के हैं कि जहां भवन-विहीन विद्यालय हैं। इसीलिये उनको बंद किया है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): छात्र संख्या 200 से ज्यादा है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। इसके बाद, श्री किशनारामजी।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): 200 से ज्यादा हैं पर भवन तो चाहिए। भवन के लिए या तो आप जमीन उपलब्ध कराइये, या कलक्टर से मिलकर जमीन उपलब्ध कराइये। जहां जमीन उपलब्ध होगी, वहां भवन हम बना देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मेरे वहां पर बालिका विद्यालय है, जहां पर 146 बच्चियां पढ़ रही हैं, उसको भवन-विहीन बता दिया। वह भी आपने बंद कर दिया। ऐसे 136 का भलाना का विद्यालय, एस.सी. का, 136 बालक हैं। यह चाणोद का बालिका विद्यालय, 146 का है। ऐसे कुछ विद्यालय जो भवन-विहीन बताकर बंद कर दिये, इनको फिर से चालू करेंगे क्या? (व्यवधान) यह पाली जिले का ही प्रश्न है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां से, ... (व्यवधान) पाली जिले का ही बता रहा हूं। जहां-जहां भवन-विहीन विद्यालय हैं, संख्या पर्याप्त मात्रा में है, प्रपोजल यदि हमारे पास आएंगे, तो वहां जमीन देखकर, यदि जमीन उपलब्ध होगी...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, नहीं, वहां विद्यालय चल रहे थे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): एक बार स्थगित ही कर दो ना प्रश्न को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीचन्दजी, आप विराजिये। बाधा मत डालिये। (व्यवधान)

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): वहां भवन बनाकर विद्यालय प्रारम्भ कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, निवेदन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके पूरक प्रश्न का जवाब आ गया। दो पूरक प्रश्न अलाउ नहीं करुंगा, आप चैम्बर में मिल लीजिये। (व्यवधान) श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मेरे विजोवा के अन्दर राइको की ढाणी में, जोहड़ में आया हुआ है और वहां पर भवन भी बना हुआ है, वहां पर 35 बच्चे पढ़ रहे थे, उस स्कूल को बंद कर दिया। यह पूर्ववर्ती सरकार जो कहती है, सबको पढ़ाओ, इन्होंने पढ़ाने के नाम पर जो बैकवर्ड कास्ट की जाति है और जंगल में रहती है और वह विद्यालय जंगल में है, उस विद्यालय को बंद कर दिया और सर्व शिक्षा से छह महीने क्लासें चलवा कर परीक्षा दिलवाते हैं। जब उसमें नामिनेशन था तो फिर उस विद्यालय को बंद किया।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विजोवा के जोहड़ वाले स्कूल को वापस चालू किया जाए। भवन बना हुआ है, बच्चे पर्याप्त संख्या में हैं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें। (व्यवधान) विराजो, विराजो। मंत्रीजी का जवाब आ रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि भवन बना हुआ है, पर्याप्त संख्या में यदि विद्यार्थी हैं तो उनको पुन: प्रारम्भ कर देंगे। आप मेरे को सूची दे देना।

प्रश्न संख्या-193

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्री जगदीश नारायण।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास खोलने के मानदण्ड

194. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जगदीश नारायण)

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों हेतु छात्रावास खोलने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का बाहुल्य है? यदि हां, तो कब से एवं प्रति वर्ष उक्त छात्रों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में उक्त छात्रों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उप-तहसील आंधी में अनुसूचित जाति/ जनजाति छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है। (व्यवधान) इसी सन्दर्भ में है।

श्री अध्यक्ष: अभी बैठिये। (व्यवधान) नहीं, इसी सन्दर्भ में है, आप विराजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): मैं इसी सन्दर्भ में यह कहना चाह रहा हूं, आपसे कि यह क्वेश्चन पहले सदन में आ चुका है +++ किसी अन्य हमारे विधायक साथी को मौका मिलता।

श्री अध्यक्ष: आवाज आपकी पहुंच गई।

श्री रमेश (सपोटरा): ...(व्यवधान) आ चुका है यह क्वेश्चन पहले, इसी सत्र में आ चुका है।

राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) प्रदेश में विभाग द्वारा राजकीय बालक/बालिका छात्रावास खोलने के लिए राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम, 2012 के नियम 4 छात्रावास की स्थापना के लिए प्रतिमान में उल्लिखित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जाती है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की बाहुल्यता एवं प्रति वर्ष उनकी बढ़ोतरी की गणना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नहीं कराई जाती है और न ही इस प्रकार की गणना किसी अन्य विभाग द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराई जाती है।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उप-तहसील आंधी में 25 की स्वीकृत क्षमता का अनुदानित अनुसूचित जाति बालक छात्रावास संचालित है, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2013-14 में 25 छात्रों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया है। सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की उप-तहसील आंधी में वर्तमान में सरकारी छात्रावास खोलने का विचार नहीं रखती है, क्योंकि नवीन छात्रावास खोले जाने हेतु वर्तमान में अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं हैं।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसमें पूछा था कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों का बाहुल्य है। यदि हां, तो कब से एवं प्रति वर्ष उक्त छात्रों में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, मंत्रीजी बताएं। मंत्रीजी का जवाब मिला है, अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की बाहुल्यता एवं प्रति वर्ष उनकी बढ़ोतरी की गणना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नहीं कराई जाती है और न ही इस प्रकार की गणना किसी अन्य विभाग द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराई जाती है।'' माननीय मंत्री महोदय, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। यह गणना कौन करवाता है, कहां से सूचना आती है, मुझे वह सूचना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। जवाब दीजिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़): एक बात। दूसरा, माननीय महोदय, मेरा निवेदन है कि मुझे जो नियमों की प्रति उपलब्ध कराई गई है, उस नियमों की प्रति में नियम-4, छात्रावास की स्थापना के लिये प्रतिमान, जिसमें नम्बर-2, विद्यालय स्तर के नवीन छात्रावास कम से कम 50 की क्षमता के होंगे तथा महाविद्यालय स्तर के कन्या छात्रावास 75 की क्षमता के होंगे। मेरे यहां आंधी में अनुसूचित जाति छात्रावास, जो मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है, वह मात्र 25 की संख्या का है। अगर नया भी नहीं खोलें तो मुझे कम से कम 25 की बजाय 50 की संख्या तो उसमें कर दीजिए। इतना निवेदन तो मैं कर सकता हूं। इतना अधिकार तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों का बनता है।

(श्री जगदीश नारायण)

महोदय, अगर इन बच्चों को इतनी सी प्रेरणा नहीं मिल पायी तो गरीब बच्चों का क्या होगा, कैसे वे अध्ययन कर पाएंगे? यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला विषय जो जनसंख्या की गणना का इनका है, कितने विद्यार्थियों का है। मैंने अभी बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया है कि कितनी संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यह इस विभाग का नहीं है। और किसी विभाग के द्वारा संचालित है, कौनसा विभाग करता है, यह विषय मेरी जानकारी में नहीं है।

दूसरा, जहां तक 25 की क्षमता का है, जितने 25 आवेदन आये थे, सबको हमने इसमें प्रवेश दिया और अगर आवेदन अधिक आएंगे तो वहां की वित्तीय क्षमता और हास्टल में जितने कमरे हैं, कैपेसिटी है, उस सबके आधार पर जहां-जहां पर भी ऐसे विषय आते हैं, उनके ऊपर विचार करते हैं और वहां की उपलब्ध जितनी भी स्थितियां हैं, उनको विचार करके वहां की बढ़ोतरी के बारे में विचार किया जाता और निर्णय किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में भी जनजाति छात्राओं के लिए एक छात्रावास भवन की स्वीकृति हुई थी। कब तक इसका निर्माण कार्य करवा दिया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: जवाब दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): यह मूल प्रश्न जमवारामगढ़ की आंधी का था, तो उसकी तो जानकारी है। माननीय विधायक ने जो कहा है, मैं उसको नोट करके, जानकारी करके, आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि क्या स्थिति है और आपके कब तक होने का है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा। विषय तो जनजाति का ही है लेकिन आपका रेलेवेंट सवाल हो तो आप पूरक प्रश्न कीजिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि टी.एस.पी. क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के समाज कल्याण के छात्रावास हैं। वहां पर अन्य समाज की आबादी भी रहती है। तो समाज कल्याण का, सब समाज के लिए, सबके उत्थान के लिए

(श्री सुशील कटारा)

है। तो अन्य वर्ग के बच्चों को भी समाज कल्याण विभाग में अगर एडमिशन दिया जाता है तो एक अच्छा सामंजस्य बनेगा और गुणवत्ता भी आएगी। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि ऐसा सरकार विचार करती है क्या?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा विषय, सामाजिक समरसता का उठाया। विभाग इस विषय पर विचार कर रहा है कि जितने भी हमारे छात्रावास हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या देवनारायण योजना में जो बने हुए हैं, उन सबको, उनमें एक सामाजिक समरसता का भाव खड़ा हो, इसलिए मूल रूप से, निश्चित रूप में एक परसेंटेज, जो अधिक परसेंटेज हो वह जिस वर्ग के लिए हो, उस वर्ग के लोग रहें; बाकी भी वर्गों के लिए कुछ न कुछ प्रतिशत उसमें रहे, इसके बारे में विचार कर रहे हैं और जो अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि अभी निर्णय हुआ है, इसलिए उसकी जानकारी अभी नहीं दे पाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि यह जो छात्रावास खुले हुए हैं, उनमें जो चौकीदार और रसोइये लग रहे हैं, वे काफी संख्या में आपसे मिले भी हैं, उनको छह-सात महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। वे गरीब आदमी है। तो आप कब तक देने का विचार रखते हैं?

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): कुछ हमारे कांट्रेक्ट के ऊपर, जैसा कि आप माननीय सदस्या ने बताया है कि कांट्रेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, बीच में कुछ वित्तीय दिक्कतों के कारण विलम्ब हुआ था। उनकी कुछ जगह की हमने बजट सैंक्शन निकाल दी है, बाकी प्रक्रिया में हैं और बहुत जल्दी ही, जिनकी भी पेंडेंसी है, उन सबको हम क्लीयर करेंगे।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कितने दिन में?

श्री अध्यक्ष: बस, हो गया।

श्री अरुण चतुर्वेदी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जल्दी से जल्दी इसको करवाएंगे।

प्रश्न संख्या-195

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: धीरज गुर्जर। आप मेरे से चैम्बर में भी मिले थे और विभाग ने 18 हजार पृष्ठ का उत्तर बनने की बात कही है, इसलिए स्थगित किया है। लेकिन आप मेरे से चैम्बर में फिर मिल लीजिए। जो भी आपको जवाब चाहिए, वह 18 हजार का है कि नहीं, मैं देखकर आपको जवाब दिलवा दूंगा। आप मेरे से चैम्बर में मिल लीजिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसका तो जवाब दिलवा देंगे कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग इसका जवाब नहीं देना चाह रहा है।

श्री अध्यक्ष: वह देख लूंगा मैं। मैंने इसीलिए आपको अभी पुकारा है। आपने आकर कहा था।

श्रीमती कमसा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न में जो जानकारी मांगी है, उसकी तैयारी के लिए लगभग 14 लाख रुपया लगेगा और 21 लाख 60 हजार, यह तो पृष्ठ बनेंगे। अब इतनी बड़ी सूचना देना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठो। मैंने स्थगित इसीलिए किया था।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, इसके खंड तीन का जवाब दे सकते हैं क्या आप?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह सही है, मेरे पास यही प्ली लेकर आये थे कि इतना तो खर्चा होगा और इतने पृष्ठ बनेंगे। इसलिए मैंने इसको स्थगित किया है। इसका आकर इन्होंने कुछ एतराज किया था तो मैंने कहा कि आइए आप, आपके एतराज क्या हैं? उस हिसाब से इसका जवाब दिलवाएंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित मेरा भी बहुत अहम प्रश्न था, मैंने बटन भी दबाया था, मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा।

भोपालगढ़ में विद्यालयों हेतु स्वीकृत राशि

196. श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2013 तक किन-किन विद्यालयों में कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2013 तक राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत किए गए कार्यों एवं राशि का कार्यवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची मेरे को प्राप्त हो गई है लेकिन मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाह रही हूं कि लगभग एक करोड़ के विकास कार्य सर्व शिक्षा अभियान के तहत हुए हैं, इसमें आपका क्या क्राइटेरिया है? किस आधार पर यह आप सैंक्शन करते हैं, क्या बच्चों की संख्या देखी जाती है? क्या क्राइटेरिया है इसका? आप मुझे यह बतायें।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आर.टी.ई. एक्ट के अन्तर्गत जो भारत सरकार के नार्म्स हैं। 60 तक छात्र संख्या- 2 कक्षा कक्ष; 61 से 90 के मध्य छात्र संख्या- 3 कक्षा कक्ष; 91 से 120 के मध्य छात्र संख्या- 4 कक्षा कक्ष; 121 से 200 के मध्य छात्र संख्या- 5 कक्षा कक्ष; और 200 से अधिक छात्र संख्या- छात्र-शिक्षक अनुपात 40 के अनुसार कक्षा कक्ष, और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से पांच की छात्र संख्या के आधार पर उपरोक्तानुसार कक्षा कक्ष। कक्षा 6 से 8 हेतु कम से कम प्रति कक्षा 1 कक्षा कक्ष एवं छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार 35 पर एक कक्षा कक्ष।

इसी प्रकार से, प्रत्येक प्रधानाध्यापक हेतु एक कार्यालय, सह भंडार, सह-प्रधानाध्यापक कक्ष, विद्यालयों में बाधा-मुक्त पहुंच, विद्यालयों में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय, विद्यालयों में सभी बालकों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल, विद्यालयों में रसोई घर, विद्यालयों हेतु खेल के मैदान का विकास, विद्यालयों की सुरक्षा हेतु चार-दीवारी और फेन्सिंग। ये मापदंड हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न करेंगी क्या? दूसरा पूरक प्रश्न।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): इसमें क्या आप विधायकों की अनुशंसा पर भी रखते हैं क्या? और यह भी बतायें कि आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, उसमें विधायक पहले तो अपने कोटे से दे सकते थे, वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सरकार से यह भी कह सकते हैं कि आदर्श विद्या मंदिर में, यह सर्व शिक्षा के तहत पैसा अगर इन-इन स्कूलों में जरूरत नहीं है, फिर भी लग जाता है, तो आप उनको भी देने का विचार रखते हैं? और क्या विधायकों को भी छूट दे सकते हैं कि आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में हम भी कक्षा कक्ष बनाएं। वहां पर संख्या भी इतनी ज्यादा है कि हर स्कूल के अन्दर, जो विधान सभा क्षेत्र में एक स्कूल है, मेरे भोपालगढ़ के अन्दर एक है, लेकिन पिछली सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने द्वेषपूर्ण भावना रखते हुए, उन आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों में हम जो राशि देते थे, वह बंद की गई है। अब हम आपसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमें छूट दे देंगे क्या, उन आदर्श विद्या मंदिर स्कूलों के लिए विधायक कोष से कराने के लिए?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): देखिए, इस बार 303 करोड़ रुपये एस.एस.ए. के माध्यम से हम लोग खर्च कर रहे हैं। तो आपके पास ऐसी सूची हो कि जहां पर काम करवाना है, वह आप मेरे को दे दीजिए, तो आपके सब काम करवा दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंहजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में खड़े मत होइए। आप अपनी पैरवी कीजिए, आपका नम्बर आये तब। आपका हो गया न? (व्यवधान)

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): मेरा जवाब नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदर्श विद्या मंदिर वाला जवाब दो।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। श्रीचन्दजी, आप बैठिये। कृपया आप बैठिये। वह सब ठीक है, आप बैठिये। नहीं फिर मुझे, अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): ×××

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): आप आदर्श विद्या मंदिर का जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी इसका जवाब दे रहे हैं। आप सब शांत रहिए। सब शांत रहिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा):×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप हर बात में बीच में बिना अनुमति के खड़े हो जाते हैं। यह बरदाश्त नहीं किया जाएगा। आप अनुमति लेकर बोलिए। नहीं, माननीय गुलाबचन्दजी इसमें जवाब देना चाहते हैं। माननीय गुलाबचन्दजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पिछली सरकार ने आदर्श विद्या मंदिर, जो पहले हरेक अलग-अलग यूनिट थी और विधायकों को हर यूनिट में पैसा देने का अधिकार था, पिछली सरकार ने एक नियम बनाकर आदर्श विद्या मंदिर को एक यूनिट बना दिया पूरे राजस्थान का, जिसके 600 स्कूल हैं। वह फाइल हमारे पास चल रही है। बहुत जल्दी इस पर निर्णय करके, जो पुराना निर्णय था, उसको लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां, पूरक प्रश्न आपका।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह पूछना चाहूंगी, जैसे किन-किन विषयों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की? तो जिन विद्यालयों में पानी की व्यवस्था बिलकुल नहीं है, शून्य है, जो हैंडपम्प सूख गये हैं, या अभी तक कोई बिजली कनेक्शन नहीं है, सिंगल फेज बोरिंग है, तो आगे क्या कोई योजना ऐसी है कि विद्यालयों में पानी की सुविधा अवेलेबल करवायी जाएगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह जहां-जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, यह पी.एच.ई.डी. डिपार्टमेंट के द्वारा वहां पर पानी की व्यवस्था करवायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: हो गया। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, वैसे भी हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर थोड़ा कम होता जा रहा है और अभी हम प्राइमरी स्कूलों में और मिडल स्कूलों में यह जो विकास के कार्य करवाने के लिए, जो गुरुजन

(श्री शंकर सिंह)

पढ़ाने वाले हैं, उन्हीं को यह काम दे दिया जाता है। तो यह पद एक बहुत ही भ्रष्टाचार से मुक्त पद था।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये। आप सवाल कीजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मेरा निवेदन है कि विकास कार्य के काम किसी ग्राम पंचायत को दे दिया जाए, या और कोई एजेन्सी, पी.डब्ल्यू.डी. है, किसी को भी देकर उस कार्य को कराएं तो अच्छा रहेगा।

दूसरा, एक लाइन की बात और है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार अध्यापकों की बहुत कमी है। तो समायोजन करके जल्दी वहां पूर्ति करने की कृपा कराएं।

ब्यावर में वन विभाग की तरफ ज्यादा दूरियों पर स्कूल हैं। यह आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, जवाब दीजिये।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): मैंने मेरे शिक्षा विभाग की डिमांण्ड पर जब चर्चा हो रही थी तो मैंने आपको यह बताया कि एकीकरण और समानीकरण करने के बाद, जहां-जहां शिक्षकों की कमी है, हमारा प्रयास यह रहेगा कि 31 अगस्त तक सभी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक लगा दिये जाएंगे। मैं यह तो नहीं कहता कि सारे रिक्त स्थान भर देंगे, पर पर्याप्त संख्या में लगा देंगे।

यह जो आपने बताया कि टीचर्स को आप अन्य कामों में लगा देते हों, इसके लिये विद्यालय समितियां बनी हुई हैं, एस.एस.ए. के तहत एच.डी.एम.सी. के द्वारा ये सब काम कराये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आसीन्द से आने वाले माननीय विधायक। आखिरी पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): अध्यक्ष महोदयजी, मेरा जवाब माननीय मंत्री महोदय, गुलाबजी साहब ने दे दिया।

श्री अध्यक्ष: आप संतुष्ट हो।

श्री सुशील कटारा।

डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आबंटित गेहूं

197. श्री सुशील कटारा (चौरासी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है? यदि हां, तो कब से?

(2) जिला डूंगरपुर में कितने लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गेहूं आबंटित किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. के अलावा पात्र परिवारों को खाद्य सामग्री आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री हेमसिंह भड़ाना): (1) जी हां। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 दिनांक 2 अक्टूबर, 2013 से लागू है।

(2) जिला डूंगरपुर में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 50,718 अन्त्योदय, 1,58,567 बी.पी.एल. में और स्टेट बी.पी.एल. कुल 2,09,285 परिवारों हेतु गेहूं आबंटित किया गया है।

(3) जी हां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बी.पी.एल. एवं स्टेट बी.पी.एल. परिवारों के अलावा, अन्य पात्र परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जिला डूंगरपुर में योजनान्तर्गत चयनित व्यक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्रामीण	**आबादी 2011**	**रा.खा.सु.अ. में चयन**	**चयन प्रतिशत**	**मापदण्ड**	**अधिक चयन**
ग्रामीण	12,99,809	14,45,140	111.18	69.09	5,46,881
शहरी	88,743	56,602	63.78	53.00	9,550
योग	13,88,552	15,01,742	108.15	65.15	5,56,431

उक्त योजनान्तर्गत जिला डूंगरपुर में आबादी से भी अधिक किये गये चयन की समीक्षा की जाकर समस्त पात्र परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। सुशील कटारा।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मेरे पड़ोसी साथी, जैसलमेर से आने वालों ने जैसलमेर की जनसंख्या बढ़ाने की बात कही थी। और हमारा डूंगरपुर जिला छोटा है और माननीय मंत्री महोदय ने अभी जवाब दिया कि 50,718 अन्त्योदय में, 1,58,567 बी.पी.एल. में और स्टेट बी.पी.एल. कुल 2,09,285 को गेहूं आबंटित किया जा रहा है। मतलब पिछली सरकार ने वोट बढ़ाने के लिये डूंगरपुर जिले की जनसंख्या बढ़ा दी और आज प्रत्येक परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में चयन कर लिया गया। अभी ग्रामीण और शहरी का, डूंगरपुर जिले की आबादी का योग 13,88,552 है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयन में 15,01,742 परिवारों का चयन किया गया है। इनमें 5,56,431 परिवारों का अधिक चयन किया गया है। वे लोग हैं कहां? कहां से लाएंगे? हमारे डूंगरपुर जिले की जनसंख्या तो 13 लाख के आस-पास है। कल माननीय सदस्य कह रहे थे कि जैसलमेर बहुत बड़ा जिला है, जनसंख्या बढ़ाने की बात क्या, हमारे को तो घटानी पड़ेगी। पिछली सरकार ने वोट बढ़ाने के लिये ऐसा गलत चयन किया था।

मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि ऐसे जनसंख्या बढ़ाने वाले, गलत आंकड़ा पेश करने वाले अधिकारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है कि खाद्य सुरक्षा के अन्दर अधिक व्यक्तियों का पूरे राजस्थान में चयन हुआ है, लेकिन डूंगरपुर जिले के अन्दर 108 प्रतिशत अधिक हुआ है।

हमने 17.7.2014 को टास्क फोर्स कमेटी गठित कर दी है और वह कमेटी गठित करके, 4 अगस्त, 2014 को उसकी प्रथम बैठक प्रस्तावित है। उसके बाद जिला स्तर पर सभी कमेटियों का गठन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को, 6 महीने के अन्दर-अन्दर कमेटी पूरी रिपोर्ट करके, पात्र व्यक्तियों का चयन करेगी और पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न सुरक्षा उपलब्ध कराएगी।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2,09,285 परिवारों का चयन किया गया। अब आपने पात्र किसको माना और किसको अपात्र माना, इसका 6 महीने तक आप कमेटी का गठन करेंगे तो 6 महीने तक उन लोगों को राशन सामग्री नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी, 6 महीने से भी कम समय में, क्योंकि रोज हमको कहेंगे कि हमको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का गेहूं आबंटन नहीं हो रहा है, इसलिए जल्दी कार्यवाही करें। यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैंने तो आखिरी तिथि बताई है 6 महीने की, हो सकता है 2 महीने में कर दें हम। प्रयास यह है। अब चिन्ता का विषय है कि उस व्यक्ति को, जो कि अपेक्षित व्यक्ति है और उपेक्षित रह रहा है, उसको हमारी इस सरकार की मंशा है कि जल्दी से जल्दी उसको पात्रता का मिले। तो जल्दी ही यह कमेटी अपना निर्णय देगी।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। नहीं, आपने कर लिये, अब बैठिये। श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार द्वारा खाद्य व नागरिक आपूर्ति अधिनियम के तहत ए.पी.एल., बी.पी.एल और अंत्योदय परिवारों के अलावा, कई परिवारों को खाद्यान्न तेल उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें उपभोक्ताओं को सही मात्रा में और सही समय पर राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है। क्या मंत्रीजी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राशन डीलरों द्वारा की जा रही अव्यवस्थाओं को दूर करवाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि आये-दिन हमारे पास में हर ग्राम पंचायत स्तर पर शिकायतें आती हैं। तो इस पर आप कोई कार्यवाही करेंगे?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार द्वारा....

श्री अध्यक्ष: केवल एक प्रश्न करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): एक और है, साहब। राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राशन वितरण की दुकानें उपलब्ध हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम पांच से सात गांव हैं, जो कम से कम चार या पांच किलोमीटर की दूरी पर हैं। गांव के अन्दर ए.पी.एल., बी.पी.एल. परिवारों की महिलाएं साधन-सम्पन्न नहीं होती हैं तो चार किलोमीटर की दूरी उनके लिए बहुत ज्यादा होती है। आधा किलो शक्कर लेने के लिए उनको चार किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो माननीय मंत्रीजी, ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूर जो गांव स्थित हैं, क्या ऐसे गांवों के अन्दर राशन की दुकानें खोलने का विचार रखते हैं?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा सदस्या ने बताया कि बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. परिवारों

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

को पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिलता, इसकी मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि जैसे ही टास्क फोर्स कमेटी अपना काम चालू कर देगी, ..(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पुनरावृत्ति नहीं, पुनर्निरीक्षण।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): एक मिनट सुन लो। दूसरा इन्होंने कहा है कि राशन डीलर दुकान खोलने की, हमारे राशन की दुकान खोलने के मापदण्ड हैं। 500 राशन कार्ड या 2,000 यूनिट होने पर अगली दुकान प्रस्तावित होती है। वह दुकान हमने अपने भाषण में भी बताया था परसों, कट मोशन के बाद, निश्चित रूप से हम, 2,700 के लगभग ऐसी दुकानें हैं पूरे राजस्थान में और अगर कहीं दूरी ज्यादा है, ट्राइबल एरिये के अन्दर कहीं ज्यादा दूरी है, तो उस दूरी के भी मापदण्ड तय करने पर विचार कर रहे हैं।

दूसरा, इन्होंने कहा, ग्राम पंचायत स्तर पर, तो मैं सदन को आज जानकारी देना चाहता हूं, ग्राम पंचायत स्तर पर राशन डीलर के लिए, ग्राम पंचायत सरपंच, वहां का बी.एल.ओ., वहां का सेक्रेटरी और दो पंच की उपस्थिति में राशन पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री धीरज गुर्जर। जी, इसके बाद आपका।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को ग्रामीण पंचायत के अन्दर राशन वितरण का अधिकार मिल सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो जहाजपुर तहसील के रावतखेड़ा में कार्यरत डीलर, जो पार्षद पुत्र है, के खिलाफ नगरपालिका क्षेत्र में रहते हुए, रावतखेड़ा पंचायत में राशन वितरण के कार्य के खिलाफ शिकायत के बाद भी उसे क्यों नहीं हटाया गया है? क्या आप उसकी जांच करा कर कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय जहाजपुर से आने वाले सदस्य ने बहुत अच्छी बात रखी है। ग्रामीण स्तर का रहने वाला, ग्रामीण दुकान का आंबटन होगा, मेम्बर होगा। नगर पालिका क्षेत्र के अन्दर उपस्थित व्यक्ति, नगरपालिका क्षेत्र का राशन डीलर होगा, इस तरह की स्पेशल अगर आपके पास कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) एक मिनट सुनो। आप लिख कर दे देना, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): लिख कर देने की आवश्यकता नहीं है, सदन में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप सुन लो। (व्यवधान) नहीं, यह तो निवेदन कर रहे हैं। आप दिख रहे हो, बैठे-बैठे ही दिख रहे हो, ज्यादा बोलने से थोड़ी दिख रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): स्पेसिफिक। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): हां, स्पेसिफिक कह रहा हूं। आप विराजो, मैं बता रहा हूं।

माननीय जहाजपुर से आने वाले सदस्य ने जो बात बतायी है, जिस दुकानदार की बात बतायी है, अगर वह इस तरह का गलत आबंटन हुआ है तो सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, यह करो न।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत। यह आज का आखिरी पूरक प्रश्न है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि जो गरीब परिवार गांव में बसता है, वह गम्भीर बीमारी से ग्रसित है, चाहे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है। आये-दिन मौतें हो रही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए बी.पी.एल. बनाने का आपने कोई प्रावधान रखा है? या फिर जो ऐसी औरतें हैं जिनके कमाने वाला घर में था और उसकी डैथ हो गयी तो विधवा औरत है, बच्चों को पालन के लिए बी.पी.एल. में बनाने का है या मरीज के लिए, कोई स्पेशल गम्भीर बीमारियों के लिए, बी.पी.एल. में बनाने का कोटा रखा है या नहीं रखा है ?

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. में एक मापदण्ड तय है। उसमें बीमार है, या स्वस्थ है, इसका नहीं है। बाकी उसकी आर्थिक सम्पन्नता के आधार पर, बी.पी.एल. के मापदण्डों में अगर वह व्यक्ति पात्र है, स्टैंड करता है तो निश्चित रूप से चयन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर श्री राजकुमार।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): गम्भीर बीमारी के लिए।

श्री अध्यक्ष: बस, हो गया। पूरक प्रश्न एक ही है।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या-198

डाक्टर राजकुमार। एब्सेंट।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

श्री केसाराम चौधरी।

पैक्स व्यवस्थापकों को पेन्शन एवं अन्य परिलाभ

199. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) में पूर्व में कैडर से चयनित व्यवस्थापक किस विभाग के कर्मचारी हैं? क्या सेवानिवृत्ति पर इनको पेन्शन एवं अन्य परिलाभ देय हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि पैक्स व्यवस्थापक के सेवा नियम व शर्तें अधिनियम, 2001 के नियम 123 व 127 के अधिकार क्षेत्र में हैं? यदि हां, तो उन्हें पेन्शन एवं अन्य परिलाभ नहीं देने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री अजय सिंह): (1) ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स) में पूर्व के कैडर से चयनित व्यवस्थापक सम्बन्धित समिति के कर्मचारी हैं। पैक्स/लैम्पस के कर्मचारियों की चयन, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, 2008 के बिन्दु संख्या 29(1) के अनुसार उक्त कर्मचारियों को भविष्य निधि तथा विभाग के आदेश दिनांक 01.06.2010 के अनुसार ग्रेच्युटी देय है। पैक्स/लैम्पस के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, 2008 के बिन्दु संख्या 25 के अनुसार सेवानिवृत्त होने पर संचित उपार्जित अवकाश का भुगतान प्राप्त होता है। व्यवस्थापकीय सेवा नियमों में पेन्शन दिये जाने सम्बन्धी प्रावधान नहीं हैं, तथापि बैंकों के स्तर से भविष्य निधि पेन्शन लागू की गई है।

(2) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 123 तथा सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 39 के अन्तर्गत राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। समिति व्यवस्थापकों को सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि में जमा राशि का भुगतान, उपार्जित अवकाश का नकदीकरण तथा ग्रेच्युटी की सुविधा देय हैं। व्यवस्थापकीय सेवा नियमों में पेन्शन दिये जाने सम्बन्धी प्रावधान नहीं हैं, तथापि बैंकों के स्तर से भविष्य निधि पेन्शन लागू की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, सारी। आप विराजिये। पहला पूरक प्रश्न।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि यह कैडर से चयनित पैक्स के व्यवस्थापक हैं, इनकी तनख्वाह कितनी है? अल्प वेतन भोगी को आप पेन्शन देने का विचार रखते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान में जो इनकी वेतन श्रृंखला है, वह है 5200 से लेकर 20200 तक की ग्रेड। आपने पेन्शन का बताया, तो पेन्शन का माननीय रजिस्ट्रार महोदय द्वारा 2008 के अन्दर जो इनके सेवा नियम बनाये गये हैं, उनमें पेन्शन सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे बैंक्स हैं सी.सी.बी., उनके द्वारा पेन्शन की योजनाएं लागू की हुई हैं अपने जिले के स्तर पर। यदि किसी भी व्यवस्थापक ने उसको ओप्ट किया है, जो अगर उसमें शर्तें रखता है और उसने जो ओप्ट किया है, तो उसके बाकायदा अलग-अलग जिले-वाइज जमा हो रहा है और उसको पेन्शन दी जा रही है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको पेन्शन तो दी जाए, कैसे भी करके उनकी पेन्शन की व्यवस्था भी करें, मगर इनकी बदली करने की भी कोई न कोई व्यवस्था करें। बीस-बीस साल से एक ही जगह पर बैठे हैं और एक ही सोसायटी को चलाते हैं और घोटालों की भरमार लगाते हैं। तो इनकी ट्रांसफर करने की भी कोई न कोई व्यवस्था की जाए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, ये जो व्यवस्थापक हैं, ये समिति के कर्मचारी हैं, ये अभी हमारे विभाग के कोई राजकीय कर्मचारी नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत सरकार के समय भी बार-बार उन्होंने इस चीज का ज्ञापन दिया लेकिन उस समय भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सदन में जब बजटीय मांग का जवाब दे रहा था, उस समय भी मैंने कहा था कि इसका विश्लेषण किया जा रहा है। अभी व्यवस्थापकों की ओर से भी ज्ञापन दिया गया है। तो हम कुछ राज्यों के बारे में यह दिखवा रहे हैं, जैसे पंजाब में किस तरह का हो रहा है, हरियाणा में किस तरह का हो रहा है, हिमाचल में, गुजरात में किस तरह का हो

(श्री अजय सिंह)

रहा है और उनसे जो भी नतीजा आयेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि जिस तरह से वे कह रहे हैं कि नियमित कर दिया जाए, तो सरकार के ऊपर वित्तीय भार भी बहुत बढ़ेगा। तो इसके देख रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बने जिससे काम भी अच्छा हो। इस तरह की व्यवस्था, जो आप बार-बार कह रहे हैं कि उनका भी स्थानान्तरण हो, एक जगह पर ज्यादा ठहराव नहीं आये। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा विश्लेषण करके इसके ऊपर उचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंकों में फिक्स वेतन पर लगे हुए स्थायी कर्मचारियों की 2013 में वेतन बढ़ोतरी की गयी थी। वह उन पर लागू है या नहीं? इसके साथ ही, सहकारी बैंक कर्मचारियों का वेतन समझौते में वर्णित अन्य जो सुविधाएं हैं, वे लागू कर रहे हो या नहीं लागू कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैंने बताया कि जो भी 2008 के अन्दर इनके नियम बनाये गये हैं उसके अनुसार उनको सभी तरह के जो भी लाभ हैं उनको दिये जा रहे हैं। आप किस लाभ की बात कर रहे हैं, कौनसा उनको नहीं मिल रहा है ?

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा। आपका है, कि यह कमसाजी का है ?

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सहकारिता विभाग से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: हां हां। आपका नाम ले रहा हूं, वह बटन दिख रहा है मुझे। श्री हीरालाल। (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय मंत्री महोदय से सम्बन्धित है सहकारिता विभाग का। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जिन-जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने ऋण चुकाने के बाद भी ऋण दिया, ग्राम झिराना ...

श्री अध्यक्ष: यह अलग से सवाल है।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से

(श्री हीरालाल)

निवेदन है कि ग्राम झिराना और डोडवाणी में वहां के सी.सी. बैंक का जो मैनेजर है, उसने बिलकुल ऋण देने से मना कर दिया। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, आपका एक प्रश्न भी लगा हुआ है और अगर आप यह उसी के सम्बन्ध में बात कर रहे हैं, अगर माननीय सदस्य उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो इन्होंने प्रश्न लगाया था, अभी दो नम्बर आगे है।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से सम्बन्धित है मेरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जिन चार ग्राम सेवा सहकारी समितियों के ऋण देने की बात की है, उनको ऋण दे दिया गया है और मैं आपको बता भी दूं कि आपके वहां पर कुल 41 हैं, चार को और दे दिया, 45 ग्राम सेवा सहकारी समिति हैं उनको ऋण दे दिया गया है। और भी अगर कोई समस्या होगी, ये बता दें, दे दिया जायेगा।

श्री हीरालाल (निवाई): पीपलू उपखण्ड। (व्यवधान)... किसी को भी उन्होंने ऋण नहीं दिया। तो कृपया यह भी बताएं, पीपलू में किन-किन को दिया? जबकि ऋण चुका दिया, उसके बावजूद नहीं दिया।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने जो प्रश्न लगाया था उसमें चार का हवाला था, चारों को दे दिया गया है। और भी अगर ये बतायेंगे, और भी दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से नियुक्त व्यवस्थापकों को केन्द्रीय सहकारी बैंक पेन्शन कैसे देगा?

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत सहायक व्यवस्थापकों को नियुक्ति करने के आदेश फरमाये जा रहे हैं क्या?

तीसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम

(श्री पूरणमल सैनी)

से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बांटे जाने वाले लोन में राशि कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी? धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। बिराजिये।

(12.00 बजे)

यह व्यवस्था देने से पहले मैं एक बहुत गम्भीर निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि स्थगन किस समय दिया जाना चाहिए और किस विषय पर दिया जाना चाहिए। मैं लगातार देख रहा हूं कि स्थगन प्रस्तावों को यहां बोलने का माध्यम बनाया जा रहा है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव की अपनी किस तरह की व्यवस्था होती है, वह इस नियमावली में पढ़ लें और पढ़ने के बाद ही, वह कहीं नजदीक-नजदीक तो होना चाहिए, जो कारण हैं। कोई कारण ही नहीं और इसको बोलने का माध्यम बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं अब व्यवस्था में उन्हीं स्थगन प्रस्तावों को लूंगा जो हमारी नियमावली हैं, उसके इर्द-गिर्द कहीं हों। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अशोक, सदस्य की ओर से राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु लगाये जाने वाले सिंगल फेज ट्यूबवैल, निर्धारित मापदंडों के विपरीत लगाये गये हैं/लगाये जा रहे हैं, के सम्बन्ध में।
2. श्रीमती शकुन्तला रावत एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से सरिस्का अभयारण्य वन क्षेत्र का सीमांकन करने के सम्बन्ध में।
3. श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील मुख्यालय कोटड़ी एवं तहसील मुख्यालय जहाजपुर में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्री पूरणमल सैनी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विद्युत आपूर्ति मात्र 3-4 घंटे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
5. श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कोलायत की

(श्री अध्यक्ष)

देशनोक नगरपालिका क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 1,200 पात्र परिवारों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आबंटित राशि सम्बन्धित परिवारों के खातों में जमा नहीं करने, आवास निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से जिला चूरू के तारानगर में मौसम आधारित बीमा में कम्पनी द्वारा तापमान कम मापने एवं बीमा क्लेम जारी करने से पूर्व किसानों से वार्ता करने के सम्बन्ध में।

7. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में खेती कर रहे बाड़मेर के किसानों को लुटेरी गैंग द्वारा भयभीत करने तथा दिनांक 17.07.2014 को बायतू के एक किसान की मोहनगढ़ नहर में निर्मम हत्या करने के सम्बन्ध में।

8. श्री रमेश, सदस्य की ओर से दिनांक 24.07.2014 को बीकानेर सेन्ट्रल जेल के अन्दर दो गैंगों में हुई झड़प के दौरान फायरिंग एवं मारपीट में तीन कैदियों की मौत होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये। अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अशोक, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री धीरज गुर्जर, श्री पूरणमल सैनी, श्री भंवर सिंह, श्री सुखराम विश्नोई, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री रमेश को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

यह देखा आपने, इसमें से कुछ जिनको स्थगन प्रस्ताव के ईर्द-गिर्द माना जा सकता है, बाकी सब यहां पर बोलने के प्रयत्न हैं। आइंदा मैं स्थगन प्रस्ताव के जो विषय हैं, उसके अनुसार ही यहां व्यवस्था दूंगा।

माननीय मानिक चन्दजी, आपका स्थगन प्रस्ताव आया देर से, मैंने विषय सूची में नहीं लिया है। लेकिन आपका गम्भीर विषय है, वह स्थगन प्रस्ताव का कारण बन सकता है। इसलिए मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। यह मैं आपको कहता हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव है जिसमें सरकार की ओर से निवेदन आया है कि बीकानेर में जो कुछ जेल में घटना घटी है, उसके बारे में गृह मंत्रीजी एक बयान अपनी तरफ से देंगे। उसको भी मैं इस व्यवस्था में निकाल रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं:-

1. श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर कृषि उपज मंडी खोलने के सम्बन्ध में।
2. श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य बीज निगम के बारां स्थित संयंत्र में जमा गेहूं के बीज को प्रमाणित करवाये जाने के सम्बन्ध में।
3. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में ग्राम पंचायत मरौली के ग्राम नंगला माना को राजस्व ग्राम घोषित करने के उपरान्त भी रास्ता नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्या की ओर से जिला भरतपुर के खटौटी (नदबई) में स्वीकृत 132 जी.एस.एस. को शीघ्र चालू कराने के सम्बन्ध में।
5. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर में गैर-खातेदारी भूमि की खातेदारी दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।
6. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्या की ओर से राजसमंद एवं नाथद्वारा विधान सभा क्षेत्र में लगे माइनिंग उद्योग में स्थानीय नवयुवकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में।
7. श्री गोरधन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र धोद में फरवरी व मई माह में हुई ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान का मुआवजा देने के सम्बन्ध में।
8. श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाड़ा को विधि अध्ययन केन्द्र के रूप में बी सी आई, नई दिल्ली से मान्यता नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर में यू.आई.टी. बनाने के सम्बन्ध में।
10. श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की पेयजल समस्या का समाधान करने एवं जलदाय विभाग में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्रीमती गोलमा, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र लालसोट के बिजली विभाग में कार्यरत दो ठेकेदार फर्मों मै. डी.के. इलेक्ट्रिकल, गोकुलपुरा एवं राहुल इलेक्ट्रिकल्स, नगरियावास द्वारा किये गये कार्यों की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

12. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बाली मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची के माध्यम से:-

1. श्री श्रीराम भींचर, सदस्य द्वारा विधान सभा क्षेत्र मकराना में राशन कार्ड नहीं बनाये जाने तथा बनाये गये राशन कार्डों की त्रुटियों के सम्बन्ध में।

2. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंटालिया द्वारा 'रमसा' एस.सी.,/एस.टी. छात्रों की छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण एवं एस यू पी डब्ल्यू की राशि का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती अमृता मेघवाल, सदस्या द्वारा जालौर जिला मुख्यालय पर विधि महाविद्यालय एवं उपखण्ड सायला में महाविद्यालय के सम्बन्ध में।

4. श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य द्वारा वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में।

अब मैं निवेदन कर रहा हूं श्री अशोकजी को कि वे स्थगन प्रस्ताव पर बोलें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष: सारी। पहले वक्तव्य होगा। पहले वक्तव्य होगा। आप विराजें (व्यवधान) आप विराजिये पहले, सरकारी वक्तव्य आ रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सरकार वक्तव्य दे रही है (व्यवधान) सरकार पहल कर रही है। (व्यवधान)

श्री रमेश (सपोटरा): पहले हमारा होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पूरी घटना को देखते हुए सरकार पहल कर रही है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कल तो ये जोर-जोर से कह रहे थे कि वक्तव्य दें, ...(व्यवधान) आज सरकार वक्तव्य देने को तैयार है तो इनको सुनने में क्या तकलीफ हो रही है? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपकी भावना का आदर करके ...(व्यवधान).

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): क्या तकलीफ हो रही है? सुनो ना वक्तव्य। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सरकार की तरफ से मैं चलकर के, आप कोई विषय उठाते, उससे पहले ही सरकार स्वयं चाहती है, इस घटना को गम्भीर मानती है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अब क्या हो गया आपको सुनने में? (व्यवधान) कल तो मामला उठा रहे थे, ...(व्यवधान) आज आपको सुनने में जोर आ रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें एक तरह से सरकार ने जिस तरह की संवेदनशीलता का परिचय दिया ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): पहले हमें सुन लें ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें आप। (व्यवधान) सरकार का वक्तव्य देने का पहला अधिकार है ...(व्यवधान) और उस अधिकार का प्रयोग करते हुए, मैं माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया से कह रहा हूं कि वह अपना वक्तव्य दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप पहले हमें सुनें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर बहस नहीं होगी। (व्यवधान) बाद में हो जायेगी। (व्यवधान) इस वक्तव्य के बाद हो जायेगी। (व्यवधान) इस पर बहस नहीं होगी। नहीं, माननीय, विराजें आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप पहले सुन लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने वक्तव्य के लिए पुकार लिया, आप वक्तव्य सुनिये।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) सरकार सुओ मोटू वक्तव्य नहीं देती है क्या? (व्यवधान) सुओ मोटू वक्तव्य देने आई है सरकार। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लेकिन इसमें स्थगन प्रस्ताव है हमारी पार्टी का। (व्यवधान) इसलिए हमारी बात सुन कर आप वक्तव्य दें तो बेहतर होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव के पहले वक्तव्य देने का अधिकार सरकार का है। इसलिए आप विराज जायें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन को व्यवस्था देने का अधिकार है। (व्यवधान) आसन को व्यवस्था देने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: कोई जवाब नहीं होता है वक्तव्य पर। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। (व्यवधान) बैठ जाइये वक्तव्य आ रहा है, सरकार की ओर से वक्तव्य आ रहा है। (व्यवधान) सरकार की ओर से वक्तव्य आ रहा है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय ,इनकी मंशा हाउस चलाने की नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं। इसके बाद आप बोल लेना। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आपने अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस घटना को गम्भीरतम माना है, हमने आपके इस विषय को वास्तव में गम्भीर माना है और इसी कारण से हमने अपनी तरफ से, चला कर के, जो भी वस्तु-स्थिति है, वह आपके सामने रख रहा हूं। (व्यवधान) उसके बाद अगर आपको कोई लगे, कोई कमी-खामी रह गई, अगर आपको लगता है कि इसमें मैंने कोई कमी-खामी रखी है और आप इससे कुछ अधिक चाहते हैं, तो वक्तव्य के बाद आप अपने विषय में सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैं वस्तु-स्थिति, अब तक जो भी हम लोगों ने कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री):

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

समस्या का जो समाधान आप चाहते हैं, आप समस्या का समाधान चाहते हैं, या केवल उस पर बोलना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): समस्या का समाधान चाहते हैं, या बोलना चाहते हैं? जब सरकार अपनी तरफ से स्वयं चल कर के वक्तव्य दे रही है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बैठ जाइये एक मिनट। (व्यवधान) कीजिये आप, जितना आपको हल्ला करना है। कीजिये, बाधा डालिये विधान सभा की कार्यवाही में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अनुमति तो दी है, आपने, माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी है। (व्यवधान) आपने व्यवस्था दी है, माननीय अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। (व्यवधान) आपको हल्ला करना है तो कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो मिनट के लिए आपने अनुमति दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने अनुमति दी है, आपने अलाउ किया है।

श्री अध्यक्ष: पहले वक्तव्य आ जाये, फिर आपको जो कहना है कहिये। (व्यवधान) पहले वक्तव्य आ जाये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):: आपने अलाउ किया है, आसन से व्यवस्था दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पहले वक्तव्य आयेगा, अब कह दिया है आपको। (व्यवधान) मैंने गलती कर दी तो अब सुधार ली। (व्यवधान) मैंने गलती की, उसको स्वीकार लिया।

(आसन द्वारा इशारे से अंकित न करने के निर्देश)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं दूंगा। पहले वक्तव्य आयेगा, यह मेरी रूलिंग है। पहले वक्तव्य आ जाये। हल्ला करना है तो कीजिये। करो, करो, हल्ला करो।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) हां, सचेतक महोदय, करो हल्ला। (व्यवधान) बैठ जाओ आप। (व्यवधान) बैठ जाओ आप। (व्यवधान) रोज-रोज इस तरह करते हैं। ...(व्यवधान) बैठिये आप। (व्यवधान) शकुंतलाजी, आप बैठिये। (व्यवधान) आपको हल्ला करना है तो करो। (व्यवधान) नो, नो, विराज जाइये आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मैंने जो अभी रूलिंग दी है, उसकी पालना कीजिये। (व्यवधान) आप स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया, पहले वक्तव्य आयेगा। क्या कहना है आपको? (व्यवधान) अंकित नहीं हो किसी का। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं सुनेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको पहले वक्तव्य सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आ जाओ। आ जाओ। (व्यवधान) बाधा डालो।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: इतने महत्वपूर्ण विषय पर गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य देना चाह रहे हैं और आप इस तरह की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मैं इसको अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):: ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं वार्निंग देता हूं कि इस व्यवधान को जारी रखा तो मैं हाउस एडजोर्न करने को मजबूर होऊंगा, प्रतिपक्ष के बाधा डालने के कारण। (व्यवधान) आप बैठ जाइये। (व्यवधान) बैठिये अपने स्थान पर। (व्यवधान).

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप लगाइये नारे। (व्यवधान) पहले वक्तव्य आयेगा। (व्यवधान) पहले वक्तव्य आयेगा। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के बाधा डालने के कारण मैं सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12:13 बजे, 12.43 तक के लिए स्थगित हुई)

(12.43 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: एक बार और आपको नमस्कार। (व्यवधान) हां, बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर सेण्ट्रल जेल के अन्दर फायरिंग से कैदियों की मौत

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, अभी शुरू में आपने जो व्यवस्था दी, हमारा यह निवेदन है कि आज राजस्थान के अन्दर ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। कानून-व्यवस्था बिलकुल चौपट हो चुकी।

पीछे भी जो पहला सत्र था, उसमें भी मैंने सरकार से निवेदन किया था सीकर जेल के अन्दर हथियार गया था, माननीय अध्यक्ष महोदय। उस वक्त हमने निवेदन किया कि हम सबको मिलकर इसमें संवेदनशील होना चाहिए और पक्ष व प्रतिपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके का, जेल के अन्दर हथियार जाना, यह हम सबके लिए शर्मनाक बात है। सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि आपके राज के अन्दर मोबाइल गया था तो वह कौनसी अच्छी बात है? यह भी बहुत गलत बात है। कहीं न कहीं हमारी भी उसमें नेग्लिजेंस रही होगी। लेकिन आपके राज के अन्दर, इस राज के आने के बाद, सीकर जेल के अन्दर हथियार चला गया और हथियार जाने के बाद, हमने यह निवेदन किया सरकार से बार-बार कि इसमें पूरी सख्ती बरतें, उसकी पूरी जांच कराएं, कोई उच्च कमेटी बनाकर जांच कराएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ।

कल बीकानेर के अन्दर, पूरे राजस्थान के इतिहास में काला अक्षरों में लिखा जाएगा कि जेल के अन्दर कैदी सुरक्षित नहीं हैं। आपस में गैंगवार में

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

फायरिंग होती रही और फायरिंग होने से तीन कैदी मारे गये और तीन घायल हो गये। उसके बाद, सरकार फिर भी सचेत नहीं। आपने उस जेलर को, उस सुपरिंटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने के बाद रात को इनका प्रशासन, डी जी (जेल) वगैरह पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने केबाद, मैं कह रहा हूं कि वहां का जो सुपरिंटेंडेंट है, उस पर 120 के तहत हत्या का मामला चलाना चाहिए, उसको टर्मिनेट करना चाहिए। उसके जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।

इसलिए आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि आपने जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के तहत हम बोल लेंगे। फिर माननीय मंत्रीजी, उस पर वक्तव्य दे दें। हम आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं। (व्यवधान) इस माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, घटना की गम्भीरता को समझते हुए सरकार ने वक्तव्य देने की पहल की। इसके साथ ही, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि नीली किताब आपने दे रखी है जिसकी व्यवस्थाओं से यह सदन संचालित होता है। मैं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, आपका ध्यान नियमों के नियम 52 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाये हैं जो हमारे स्थगन प्रस्ताव हैं उन पर, कुछ निर्बन्धता लगायी है, क्लीयर रेस्ट्रिक्शन है। उसमें मैं 52 का खण्ड 4 पढ़ना चाहूंगा, ''प्रस्ताव द्वारा ऐसे विषय पर फिर चर्चा नहीं की जाएगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है।'' कल माननीय सदस्य ने उठाया।

फिर भी मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर था और आसन ने आज्ञा दे दी। सुओ मोटू प्रार्थना हमने की थी, आपके चेम्बर में सरकार की तरफ से हम लोगों ने आकर प्रार्थना की थी, ऐसी एक घटना हो गयी जो एक तरह से राजस्थान का पूरा इतिहास कलंकित करती है, शांतिप्रिय राजस्थान के लिए कलंक है, सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है हम सदन को अवगत कराना चाहते हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना इतनी सी है कि नियमों में अगर बात करो तो आज दुबारा इस चर्चा में यह विषय आ नहीं सकता, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके पास सर्वोपरि अधिकार हैं। रूल 307 के अन्तर्गत आप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले हमारा वक्तव्य हो जाय। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरी प्रार्थना है, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आपको सवाल करना हो, वक्तव्य के बाद जो शंकाएं आपके पास हों, उन एक-एक शंकाओं का निराकरण करने के लिए तैयार हैं। सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए तैयार है। गृह मंत्रीजी वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। इसलिए पहले वक्तव्य दिला दो, यह मेरी प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, कल टी वी के अन्दर चल रहा था, ई टी वी के अन्दर पट्टी आ रही थी कि कल की जो घटना है और जो घटना करने वाले लोग हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शांत रहिए।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): टी वी में यह चल रहा था कि सरकार के मंत्री जाकर इस गैंग से मिले थे। यह ई टी वी के अन्दर आ रहा था। यह ई टी वी के अन्दर आ रहा था। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): रामेश्वरजी, आप लाइव टेलीकास्ट कराकर आये हों? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): टी वी में क्या चलता है, किसके माध्यम से यह खबर आयी...(व्यवधान) आप गम्भीरता तो रखो। नेता प्रतिपक्ष, ऐसे कैसे बोल रहे हो कि टी वी में आया था, यह समाचार-पत्रों में आ रहा था? (व्यवधान) आपने कैसे मान लिया?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान की कानून-व्यवस्था...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप हत्यारों से मिले हुए हों। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप खुद भड़काते हैं। राजस्थान के शांतिपूर्ण माहौल को आप खुद भड़काते हैं। (व्यवधान) मैं समझता हूं, गम्भीर मामला है (व्यवधान) जो घटना हो गयी, सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार है। उस घटना का राजनीतिकरण करना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि सरकार के मंत्री मिले हैं। आप इसको प्रूव करके दिखाएं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या वक्तव्य की उम्मीद करते हैं? एक सरकार का मंत्री गैंगवार सदस्यों से जेल में जाकर मिलता है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(व्यवधान) तो फिर इनसे क्या उम्मीद करेंगे, सरकार से? ये क्या वक्तव्य देंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): विपक्ष के नेता, जिम्मेदार पद पर बैठे हों। इस तरह की घटना के अन्दर अपनी जिम्मेदारी को समझो आप। आप आग में घी डालना चाहते हैं। बिना आधार पर प्रतिपक्ष के नेता के मुंह से यह बात निकले। अध्यक्ष महोदय, नियमों में लिखा है, समाचार-पत्रों के आधार पर और इस तरह टेलीविजन, दूरदर्शन के समाचारों के आधार पर इस सदन में कोई बात नहीं की जा सकती। इसमें लिखा हुआ है। ये बिना मतलब हर कोई बात कह देंगे। वातावरण को खराब करना चाहते हैं ये, राजस्थान की शांति को भंग करना चाहते हैं ये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नियम हमने भी पढ़े हैं, नियम केवल आपने नहीं पढ़े। (व्यवधान) माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था आ गयी। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप ऐसी घटनाओं के दोषियों को बचाना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई बोले ही नहीं? सरकार कार्यवाही करेगी। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सरकार उनको कतई नहीं छोड़ेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आसन की दी हुई व्यवस्था को मानते हैं तो आसन की यह व्यवस्था है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है लेकिन प्रतिपक्ष दोषियों को बचाने के लिए जान-बूझकर सरकार का वक्तव्य यहां नहीं पढ़ने दे रहे हैं। यह क्या मखौल बना रखा है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब हमारे विचार आ जाएंगे, उसके बाद में आप जवाब दे देना। (व्यवधान) यह किताब आपने ही नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाया जाए। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगण अगर नहीं मानते हैं तो इनको बाहर निकालेंगे। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जेल में जेलर की हत्या हो गई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहे। माननीय गृह मंत्रीजी, आप विराजिए। (व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। घटना की जितनी निन्दा की जाए, वह कम है। वे शब्द नहीं मिल सकते कि जेल में जो घटना घटी उसका वर्णन किया जा सके। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ परिपाटियां हैं, कुछ उदाहरण हैं, मैं लोक सभा में भी रहा हूं, आप भी रहे हैं, चाहे कोई बोल रहा हो लेकिन जब सरकार आ जाए कि हम वक्तव्य देना चाहते हैं तो वे चुप हो जाते हैं क्योंकि सरकारी वक्तव्य एक मायने रखता है।

मैं इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, मैंने अगर शुरू में ही कह दिया कि दो मिनट, तो आप दो मिनट को ही पकड़े हुए हैं, दो मिनट, दो मिनट। मुझे यह अधिकार है कि वापस जो दो मिनट का है, उसका मैं निराकरण करता हूं, दो मिनट को शुद्ध करता हूं, संशोधित करता हूं और मैं वक्तव्य दिलाना चाहता हूं।

मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं, देखिये, पूरी कार्यवाही चलेगी, वक्तव्य के बाद जितने आपको अपने सवाल करने हैं, वह आपका अधिकार है, मैं करने दूंगा, लेकिन वक्तव्य सरकार का प्राथमिकता से आता है। यह वक्तव्य आ जाए तो अपन सारी कार्यवाही करेंगे और सारी कार्यवाही करने के बाद ही यहां से हाउस एडजोर्न होगा। इस मायने में मैं आप सबसे सहयोग चाहता हूं। उत्तेजनात्मक बातें हम आपस में नहीं करें। उत्तेजना की बातें दोनों तरफ से की जा सकती हैं, आरोप-प्रत्यारोप दोनों तरफ से हो सकते हैं। ला एण्ड आर्डर के आरोप-प्रत्यारोप तो हर विधान सभा में सत्ताधारी पार्टी पर लगते आये हैं। इसको मना नहीं किया जा सकता। लोक सभा में भी लगते आये हैं।

इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गुलाबजी का वक्तव्य हो जाए

(श्री अध्यक्ष)

और उसके बाद जितने सवाल आपको करने हों, माननीय सदस्यों को करने हों, और किसी को भी करने हों, तो वह करें उसमें मैं कहीं बाधा नहीं डालूंगा।

माननीय गुलाबजी। एक मिनट। विराजिये, विराजिये।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही, वह बिलकुल हमें मान्य है। हम यह निवेदन करना चाहेंगे, हमने यह निवेदन किया था कि हम पहले बता दें और उसके बाद में सरकार अपना वक्तव्य दे। हम बोलेंगे, हम हमारी बात इस फ्लोर पर रखेंगे, उसके बाद में कोई वक्तव्य दें तो अच्छा रहता।

श्री अध्यक्ष: पूरा अधिकार देंगे आपको बोलने का।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन आपने व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं और, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार का वक्तव्य आने के बाद, हमारे माननीय सदस्य जो भी उनसे कोई निवेदन करना चाहें...

श्री अध्यक्ष: आप सवाल पूछ सकते हैं, पूरा अधिकार है। मैं दूंगा न।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता ,प्रतिपक्ष): फिर सदन के अन्दर इस पर एक घंटा या उससे ज्यादा इस कानून-व्यवस्था के बारे में चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपन कर लेंगे। आप चार बजे बैठ रहे हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, चार बजे कार्य सलाहकार समिति की बैठक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कल गृह विभाग की डिमांड है, कानून-व्यवस्था पर है, पूरे दिन करो न कल।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपन ने मांगों में कार्य सलाहकार समिति में बिलकुल सोच-समझ कर यह तय किया था कि गृह विभाग की मांगों पर चर्चा हो, जो कल होने वाली है, आपको जितना समय चाहिए, मैं उसमें आप पर कोई समय की पाबंदी नहीं करूंगा, न आप पर करूंगा, न आपके सदस्यों पर करूंगा, जम कर बहस कीजिये। मुझे कोई एतराज नहीं होगा। आप अलग से करें, या कल गृह विभाग की मांगों पर बहस होने वाली है, तो वह पर्याप्त बोलने का पूरा समय आपको दूंगा। यह आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ऐसे बोलते हो न तो बहुत अच्छे लगते हो। आप ऐसा व्यवहार रखा करो।

श्री अध्यक्ष: मैं अच्छा लगता हूं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने मेरे जैसे शांतिप्रिय सदस्य के साथ, आपका जो क्रोध था...

श्री अध्यक्ष: आप अपनी वरिष्ठता से मुझे प्रभावित करते हैं और मैं हमेशा आपकी वरिष्ठता से प्रभावित होता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप विराजें, साहब। मेरे जैसे शांतिप्रिय, मैं शांतिप्रिय सदस्यों में से एक हूं। आपने जिस प्रकार से आज मुझे झिड़की दी है, वह असहनीय है मेरे लिए। आपने बिना कोई बात सुने ही, बिना कोई बात सुने ही, आसन का जो रौद्र रूप है...

श्री अध्यक्ष: अब विराजिये। रौद्र रूप मेरा खतम हो गया न। अब आप विराज जाइये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): शुरू तो आप रौद्र रूप से करते हैं।

श्री अध्यक्ष: कतई नहीं करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आज आप प्रोमिज करिये कि आइंदा नहीं करेंगे आप।

श्री अध्यक्ष: आइंदा नहीं करेंगे रौद्र रूप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इनको कप्तान साहब के नाम से जानते हैं इलाके में। ये शांतिप्रिय कप्तान साहब, ये धौलपुर के कप्तान साहब।

श्री अध्यक्ष: देखो, कप्तान साहब पुराने लेजिस्लेटर हैं और कप्तान साहब अपनी सारी स्थिति को जानते हैं। क्योंकि आज तक ये वक्तव्य देते आये हैं, ये गृह मंत्री के रूप में जब चाहते, तब विधान सभा में वक्तव्य देते थे। यह बात इनको आ गई।

इसलिए, माननीय गुलाबजी, अब आप अपना वक्तव्य दीजिये।

शासकीय वक्तव्य

बीकानेर सेण्ट्रल जेल के अन्दर फायरिंग से कैदियों की मौत

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो घटना घटी है, वह बहुत ही दुःखद है; अफसोसजनक और निन्दनीय भी है। इसमें मेरी राय कोई आपसे भिन्न नहीं है। सरकार और आप सब, दोनों मिलकर चाहते तो एक ही हैं कि जो घटना हुई है, उसमें जांच होकर लोगों को दण्ड मिले और भविष्य में घटना रिपीट नहीं हो,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसकी व्यवस्था हो। मैं उसी आधार पर जो कुछ हमने किया है, वह पढ़ देता हूं। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि इसमें यहां-यहां कमियां रह गईं, तो आप सुझाव देंगे तो उसके आधार पर भी, हम कोई रिजिड नहीं हैं। क्योंकि हम निश्चित रूप से इस घटना की निन्दा ही नहीं करते, इसकी सख्ती से कार्यवाही करेंगे, जो हमेशा के लिए एक सबक बनकर सामने आये। हमारी नीयत में कोई फर्क नहीं है। घटना घटी है, यह निश्चित है। जो कुछ भी मेरे पास जानकारी है, वह मैं आपके बीच में रख रहा हूं और उसके बाद भी आप किसी विषय पर और अपनी तरफ से जोड़ना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं।

दिनांक 24.7.2014 को लगभग 5.50 PM पर केन्द्रीय कारागार, बीकानेर में बन्द बन्दियों में झगड़ा, मारपीट और फायरिंग हुई। जय प्रकाश ऊर्फ जे पी जाट ने बलबीर बानूड़ा, जाति जाट, पर पिस्टल से फायर किया। बलबीर बानूड़ा की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। एक गोली आनन्द पाल सिंह राजपूत और एक गोली दूर खड़े बन्दी नेमीचन्द माली के भी लगी। फायर की आवाज सुनकर जेल के सुरक्षाकर्मी तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचे। घटना के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले अधिकारियों के नाम श्री केशव राम; सहायक जेलर; श्री इन्द्रसिंह सहायक जेलर; श्री महावीर प्रसाद, सहायक जेलर; श्री जोगेन्द्र, सहायक जेलर; श्री शैलेन्द्र, उप कारागृह हैं। घटना स्थल पर जब जेल का स्टाफ पहुंचा तो बलबीर बानूड़ा, जय प्रकाश, रामपाल, तीनों ही मृत पड़े थे। जयप्रकाश और रामपाल को आनन्द पाल और उसके साथियों द्वारा पत्थर और ईंटों, आदि से मारा गया।

पिस्टल जेल में कैसे पहुंची, यह भी जांच का विषय है लेकिन सी.सी.टी.वी. फुटेज देखने से 11.15 AM से 11.30 AM के बीच कुछ सामान जेल में दिया गया जो मृत रामपाल को पहुंचाया गया था। इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को 6.01 PM पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जेल अधीक्षक द्वारा सूचना दी गई। सूचना के उपरांत, पुलिस अधीक्षक बीकानेर, जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, वृत्ताधिकारी वृत्त सदर, थानाधिकारी पुलिस थाना बीछवाल, नाल मौके पर जेल में 6.20 PM पर पहुंचे।

घटना स्थल वार्ड नं. 5 और वार्ड नं. 6 के बीच का है तथा जेल नियमों के अनुसार इस समय बन्दियों को वहां नहीं होना चाहिए था। प्रथम दृष्टया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

प्रशासनिक शिथिलता के लिए अधीक्षक बीकानेर जेल, सुरेन्द्र सिंह शेखावत को निलम्बित किया गया है। अतिरिक्त महानिदेशक, जेल घटना की जांच के लिए बीकानेर में हैं।

झगड़े में बन्दी आनन्द पाल सिंह पुत्र श्री हुकम सिंह, जाति राजपूत, निवासी सांवराद पुलिस थाना जसवन्तगढ़ जिला नागौर व दण्डित बन्दी, श्री नेमीचन्द ऊर्फ नेमला पुत्र श्री आशाराम, निवासी गोकुलपुरा पुलिस थाना सदर जिला सीकर घायल हुए थे।

जिस समय 8.00 PM पर मुकदमा 131/14 धारा 302, 307, 323, 341, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता व 25 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर तफ्तीश वृत्ताधिकारी, वृत्त सदर, बीकानेर द्वारा की जा रही है।

इस घटनाक्रम में मृत हुए तीनों बन्दियों, बलबीर ऊर्फ बानूड़ा, बन्दी जयप्रकाश उर्फ जे पी, रामपाल का पोस्टमार्टम हो चुका है। बलबीर उर्फ बानूड़ा की लाश उसके परिजन को सुपुर्द की जा चुकी है तथा शेष दो मृतक बन्दियों की लाश भी उनके परिजन को सुपुर्द की गई है।

बीकानेर सेण्ट्रल जेल में वार्ड नं. 3 में शुभचरण गार्ड की ड्यूटी थी व वार्ड 6 में रणवीर सिंह प्रहरी की ड्यूटी थी। दोनों को निलम्बित कर दिया है। मोहम्मद सबीर हवलदार को भी निलम्बित कर दिया है। सम्भावना है कि इसके द्वारा यह हथियार अन्दर गया था। अभी तक यह जांच आ रही है। मैं सदन को आश्वस्त कर दूं कि यह सारा केस एस.ओ.जी. को सुपुर्द करेंगे और केवल यही नहीं, बाकी जो भी अधिकारी वहां अन्दर मौजूद थे और

(13.00 बजे)

जिनके पहुंचने में, अगर पत्थर से आदमी मार दे और सारा प्रशासन वहां लुंज-पुंज बैठा रहे, तो यह तो असहनीय घटना है। हो सकता है, ये तो ड्यूटी पर थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्यवाही हुई पर मैं स्वयं भी इससे संतुष्ट नहीं हूं। वे अधिकारी जो जेल प्रेमिसेस में उस समय थे और अगर उनके पहुंचने में 10 मिनट की भी देरी हुई तो क्यों हुई? उनके पास हथियार होते हुए भी उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? जब तक वे मरे नहीं, तब तक ये लोग पहुंचे क्यों नहीं ?ये कुछ ऐसे संदेह के विषय हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि निश्चित ही एस ओ जी इसकी जांच करके, जितना जल्दी से जल्दी हो, इसका खुलासा करे ताकि भविष्य में...।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वास्तव में जेल प्रशासन पर भी काला धब्बा है। यह जेल के अन्दर हथियार चला जाये और उस हथियार का उपयोग हो जाये और उससे भी निंदनीय यह है कि पत्थर वहां पर कहां से आये? ईंटें कहां से आई जिससे एक-दूसरे की मौत हो गई और दो लोग और मर गये? तो बाकी सारा प्रशासन कहां था? क्या कर रहा था? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा, दूर से खड़ा-खड़ा देख रहा था?

विषय की गम्भीरता को मैं स्वीकार करता हूं और मैं चाहूंगा, जो मेरे पास आफिसर्स हैं, उनमें से अच्छे से अच्छे आफिसर को भेजकर, इसकी जांच जितनी जल्दी से जल्दी हो सके और वह अधिकारी, छोटे-मोटे अधिकारियों को सस्पेंड करने से न मैं संतुष्ट हूं, न मैं उसको चाहता हूं। जो जिम्मेदार अधिकारी उस समय कैम्पस में थे और उनके देरी से पहुंचने के कारण से अगर यह घटना घटी और पुलिस ने और वहां की जो भी फोर्स थी, उसने किसी प्रकार का एक्शन नहीं किया तो सारे इसमें दोषी होंगे। निश्चित रूप से किसी को बचाने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता।

मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं कि वास्तव में इस प्रकार की घटना दुबारा राजस्थान की किसी जेल में न घटे, यह मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को स्वयं अपने ऊपर लेते हुए निश्चित रूप से मैं इसमें कठोर से कठोर कार्यवाही, जो मुझसे हो सकती है, वह करूंगा। आपके और कोई सुझाव हों तो आप दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप मेरा निवेदन तो सुन लीजिये। ऐसा है, गृह विभाग की मांगों पर हम कल डिस्कस करेंगे। इसलिए आप में से जितने भी सवाल पूछने हैं, जिस तरह का आप अपना वक्तव्य इस घटना से सम्बन्धित, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, इस घटना से सम्बन्धित आपके जितने भी सवाल होंगे, रखिये; जितना भी आप अपना वक्तव्य देना चाहें, उतना दीजिये। श्री रमेशजी, आपका इस पर स्थगन प्रस्ताव था, आप पहले बोल लीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): अध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में स्थगन प्रस्ताव में यह घटना भी थी, दो घटनाएं और भी इस सन्दर्भ में दी हुई थीं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, उन पर नहीं। वक्तव्य पर बोलिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): लेकिन हां, सबसे पहले, यह बात अभी कटारिया साहब ने भी स्वीकार की है कि एक तरफ मीटिंग कर रहा है और जेल के अन्दर गोली चल रही है, एक आदमी गोली से मर जाता है, बाकी दो आदमियों को पत्थरों से पीट-पीटकर मार दिया जाता है। तो पहली बात तो मैं यह पूछना

(श्री रमेश)

चाहूंगा मंत्री महोदय से कि सब जेलों में जो वार्ड होते हैं, अलग-अलग कैदी अलग-अलग वार्डों में थे, फिर एक साथ कैसे इकट्ठे हो गये? यह कौनसी व्यवस्था है और कैसे हुआ?

दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि जब प्रशासन को पता था कि आनन्दपाल गैंग और जय प्रकाश गैंग, जो राजू ठेठ, उसकी गैंग के दोनों आदमी, दोनों में खतरा है, आपस में झगड़े हैं, तो एक ही जेल में क्यों रखा?

तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है, महसूस ऐसा होता है कि जेल में प्रशासन मिला हुआ था, हथियार अन्दर कैसे पहुंचे? यह बड़ा सबसे महत्वपूर्ण है और एक चिंता का विषय है कि हथियार जेलों में पहुंच रहे हैं पूरे राजस्थान में। और ऐसी घटना है, इससे पहले भी सत्र में जो घटना हुई, हमने दोहराया। मैंने खुद ने करौली जिले का हवाला दिया। उस सत्र में अपनी बात भी रखी।

लेकिन यह समस्या यहां तक नहीं है कि आप उसको सस्पेंड कर देंगे, उसके खिलाफ कार्यवाही कर देंगे। उदयपुर, झाड़ोल में तीन कैदी भग जाते हैं और सुबह स्टाफ को पता लगता है। तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था है कि हथियारों का जखीरा अन्दर जा रहा है, और प्रशासन को पता है कि भई, इन दोनों गैंगों में झगड़ा है, उनको एक ही जगह रखा जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह सिस्टम जेलर, सुपरिंटेंडेंन्ट का नहीं है, यह सिस्टम ऊपर तक जुड़ा हुआ है। यह बड़े अधिकारी बच जाते हैं, छोटे अधिकारी को दण्ड दिलवाते हैं। तो आप यह बतायें कि ये जो सम्बन्धित अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कौनसी धारा में क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, आप बोलिये। (व्यवधान) नहीं, अलग-अलग नहीं। सारे सवाल आ जायें इस घटना के बारे में, फिर आप अपना जवाब दीजिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्षजी, इसमें तीन बड़ी-बड़ी बातें हैं। पहली बात तो जो बताई अभी रमेशजी ने कि आनन्दपाल गैंग की और राजू ठेठ गैंग की कुछ पुरानी रंजिश थी जो काफी समय से चल रही है और बानूड़ा नागौर जेल में था। उसको नागौर जेल से स्थानान्तरित करके बीकानेर पहुंचाया गया और उसके बाद ये लोग पहले ही यहां पर मौजूद थे। इस वक्तव्य में यह भी आया कि बानूड़ा ने खुद को खतरा बताया था, इसलिए उसको शिफ्ट किया। जिस आदमी को नागौर में खतरा है, उसको उससे ज्यादा खतरे वाली जगह बीकानेर के अन्दर शिफ्ट कर दिया, जहां पर मारने वाले आदमी उसकी ताक देख रहे थे।

(श्री धीरज गुर्जर)

दूसरी बात हथियार पहुंचने की है कि जेल के अन्दर भरी हुई पिस्टल पहुंच गई।

तीसरी बात है, शाम को 5.50 बजे की घटना बता रहे हैं और 6.01 बजे पर एस पी को सूचना करना बता रहे हैं। 11 मिनट के अन्दर बानूड़ा की हत्या भी हो गई। उसके बाद इन्होंने बोला कि तुरन्त वहां अधिकारी पहुंच गये थे। तुरन्त अगर अधिकारी पहुंच गये थे, दो मिनट में पहुंच गये, पांच मिनट में पहुंच गये। पांच मिनट के अन्दर दो आदमियों को पत्थरों से, ईंटों से पीट-पीटकर नहीं मारा जाता। घटना का कुल समय 5.50 से 6.01 बजे बताया है और 6.01 बजे एसपी को जानकारी दे दी। 11 मिनट के समय के अन्दर, बताइये, कि एक आदमी की बंदूक से हत्या हो गई और दो आदमियों को पीट-पीटकर मार दिया, तीन आदमी घायल हो गये। इसके अन्दर भी संदेह है। इसकी पूरी जांच कराई जाये कि ये जेल में कैसे पहुंचे? किसने बानूड़ा को शिफ्ट किया? कैसे क्या हुआ?

चौथी, जब बंदी बंद होते हैं, अपने-अपने वार्ड के अन्दर अलग-अलग रहते हैं और इस समय के पहले इनकी गिनती होकर, इनको अपने बैरक के अन्दर बंद कर दिया जाता है। क्यों इस दिन गिनती नहीं हुई, क्यों इनकी फाइल बनाकर अन्दर नहीं भेजी गई? कार्यवाही बड़े अधिकारी पर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। कौन बोलना चाहेगा?हां, बोलिये। (व्यवधान) शांत रहें। शांत रहें। सब सवाल आ जाने दीजिये। फिर जवाब होगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को अवगत कराना चाहूंगा..

श्री अध्यक्ष: रिपीट नहीं करें तो अच्छा होगा।

श्री भंवरसिंह (कोलायत):...यह इस गैंग का जो मुखिया है, उसे बीकानेर जेल में शिफ्ट करने के बाद, वह बीकानेर जेल में उसने अपना एक अलग रूतबा बना रखा था। उसकी पूरी गैंग के लोग वहां आराम से रह रहे थे। उनके पास कम से कम, बीकानेर जेल की जांच आप करायें, सैकड़ों मोबाइल बीकानेर की सेंट्रल जेल के अन्दर थे। उन सभी मोबाइलों को जब्त करके, उन मोबाइलों से इस गैंग के लोगों द्वारा किन-किन लोगों से, राजस्थान के किन-किन अधिकारियों से बात की गई? राजस्थान के किन-किन राजनैतिक पदों पर बैठे हुए लोगों से बात की गई?

निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि कल का जो घटनाक्रम है, यह कोई कल की अचानक घटना नहीं है, इसमें पूरी एक

(श्री भंवरसिंह)

योजना बनाई गई है और उस योजना के तहत यह घटनाक्रम हुआ है। इस साजिश में सिर्फ अन्दर ये चार लोग हैं, ये ही शामिल नहीं हैं। इसमे और भी काफी लोगों की भागीदारी है। आप निष्पक्ष जांच करवायें, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा।

इसमें एक बात और आई है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ई टी वी की या एक मीडिया की खबर का हवाला दिया है कि उसमें सरकार के कोई मंत्री हैं, वे सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम के दौरान जेल में उनसे मिलने गये थे। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा यह बात आई है कि यह बात झूठ है। ठीक है, यह बात झूठ हो सकती है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उस गैंग का जो मुखिया है, उसके मोबाइल नम्बर, उस मोबाइल नम्बर की आप जांच करवायें और आप एस ओ जी से या सी बी आई से इस कांड की जांच करवायें तो निश्चित रूप से इस घटनाक्रम में, राजस्थान का एक हार्डकोर अपराधी है, उस अपराधी ने बीकानेर की जेल में बैठकर पूरे राजस्थान में अपराध फैलाने का काम किया है और उन मोबाइल से सभी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।

तो निश्चित रूप से इस घटना में केवल कल के पांच बजे के घटनाक्रम को नहीं देखा जाये, बल्कि पिछले एक-डेढ़ महीने से जब से उस हार्डकोर अपराधी को बीकानेर जेल में शिफ्ट किया गया था, उसके द्वारा की गई तमाम गतिविधियों की जानकारी की पूरी जांच की जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप बोलेंगे क्या? बोलिये। वे बोल रहे हैं आपके। (व्यवधान) बैठिये। आप बोलिये पहले। क्षमा चाहता हूं, आप वरिष्ठ हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, मैं वरिष्ठ नहीं, साहब, कोई भी बोलें, मैं मना नहीं करता। मैं तो एक मिनट ही कहूंगा। बस, मेरा तो एक ही सवाल है।

जब सीकर की घटना हुई थी, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त, जब कोई घटना हो जाती है तब सरकार चेतती है और कार्यवाही करती है, अगर सीकर के बाद से ही प्रिकाशनरी स्टेप्स उठा लेते आप, सरकार उठा लेती, पुलिस उठा लेती, जेल प्रशासन उठा लेता तो शायद यह घटना बीकानेर वाली घटी नहीं होती। तब तो उसको सस्पेंड कर दिया। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि आपने सीकर के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया, वह बहाल भी हो गया। मैं गलत हो सकता हूं, आप करेक्ट कर दीजियेगा मुझको। Suspension is no punishment. आपने बहाल कर दिया। यदि नहीं किया है तो बड़ी अच्छी बात है, आप यहां

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उत्तर दे दीजिये। हो सकता है, मैं गलत होऊं, जो मैंने सुना है, वह मैं आपको बता रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि शासन में तो आप हैं, मैं तो शासन में हूं नहीं। तो वह कैसे बहाल हुआ?

अगर आपने सभी जेलों में, एक जेल की समस्या नहीं है, बीकानेर की घटना तो बहुत दुखद घटना है। आप इससे कैसे बचेंगे? नागौर से उसको वहीं भेज दिया, क्यों भेजा? किसके दबाव में भेजा? किसलिए भेजा? इन सब बातों के ऊपर प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। कहीं न कहीं, कुछ न कुछ, समथिंग इज फिशी। आपने वहां से भेज दिया उसको, स्कोर सैटल करने के लिए वहां पर।

सीकर की घटना के बाद अगर सरकार चेत जाती तो शायद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। इसके बारे में अगर आप जो भी आपने सीकर के बाद जो कदम उठायें, अगर उनके बारे में कुछ आप अवगत करा सकें तो आपकी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। हां, आप बोलिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, यह घटना बीकानेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान की जेलों में हो रही हैं। राजस्थान की जेलों में कुछ मुलजिम ऐसे हैं, जो छोटे मुलजिम होते हैं, कोई एक दिन के लिए, दो दिन के लिए उनकी पिटाई करते हैं और उनके घरों से पैसा मंगवाते हैं। मेरे करौली जिले में भी इस तरह की घटना अभी हुई है। वहां जो डकैत हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं...

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे निवेदन किया, इस घटना के बारे में ही बोलिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इस घटना के साथ-साथ ही, यह घटना जुड़ी हुई है, जेलों का ही मामला है। मैं आपके सामने जेलों का ही मामला रख रहा हूं। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जयपुर की जेल में भी ऐसी घटनाएं आये दिन होती रहती हैं।

श्री अध्यक्ष: कल डिस्कस कर लेना आप, विराजिए। मैंने कहा, इस घटना के बारे में आप बोलिए। आप बिराजिए।

हां, आप, नवीन पिलानियाजी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सेंसेटिव घटना है, जैसे माननीय सदस्य अभी बता रहे थे। यह सीरीज आफ गैंगवार और सीरीज आफ जेल मर्डर्स की एक परम्परा सी चालू हो रही है राजस्थान में।

यह बात बिलकुल सही है, अगर सही जांच सीकर की इंसिडेंट में हुई

(श्री नवीन पिलानिया)

होती, क्योंकि यह कान्सपेरेसी है; केवल मंत्री महोदय का यह कहना कि नेग्लिजेंस है, this is not a negligence. it is a criminal conspiracy, abetting to the murder. अगर यह चीज सीकर के मामले में होती तो बीकानेर की घटना नहीं होती।

केवल सस्पेंड करने से कुछ भी नहीं होगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, चाहे वह सी बी आई से अथवा अदरवाइज रिटायर्ड जज की एक कमेटी बने। क्योंकि एस.ओ.जी. वही विभाग है, पुलिस विभाग है, उसी महकमे के अधिकारी हैं, उससे स्पष्ट चीज निकल कर नहीं आएगी। यह भी हो सकता है कि केवल जेल प्रशासन के अलावा भी कुछ ऐसे लोग इस कान्सपेरेसी में मौजूद हों। माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया 5 बजकर 50 मिनट पर वे अधिकारी वहां पहुंचे और उन्हें वे मृत मिले। मेरा यह कहना है कि उस घटना को करने में कम से कम आधे घण्टे का समय लगा होगा। तब तक कोई वहां क्यों नहीं पहुंचा?

ये सारी बातें वे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, वरना यह गैंगवार और जेलों में जाकर के एक नई सीरीज आफ मर्डर जो है, राजस्थान में चालू होने जा रही है। इसके पीछे और लोग भी हो सकते हैं, कोई राजनीतिक व्यक्ति भी हो सकते हैं जो इस साजिश में शामिल हों। इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच या तो सी बी आई से हो या रिटायर्ड जज के द्वारा यह जांच हो। जितने भी अधिकारी हैं, इस कान्सरेसी में सबकी काल डिटेल्स निकलवाई जाए, कहीं महीनों की काल डिटेल्स निकलवाई जाए। नागौर जेल से, जहां से शिफ्ट हुए थे, वहां तक की काल डिटेल्स निकलवाई जाए और criminal conspiracy abetting to the murder के चार्जेज, जो दोषी पाये जाएं, उन पर क्रिमिनल चार्जेज बनाये जाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री डोटासरा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: इनको और बोल लेने दीजिए ना, आप बिराजिए, मैं आपसे निवेदन कर दूंगा तब जवाब दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद।

26 तारीख को एक घटना हुई थी सीकर जेल में इस तरीके से एक बंदी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

के गोली चलाई गई थी और सदन चल रहा था। हमने बात उठाई थी और माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया था और वह जवाब यह था कि मैं केवल जेल में बैठे सुपरिंटेंडेंट तक इसको सीमित नहीं रखूंगा, मैं इसको ऊपर यहां जो जयपुर में बैठे हैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करूंगा। मेरा यह निवेदन है कि आज तक किसी, यहां जयपुर में बैठे डी.जी. या ए.डी.जी. या डी.आई.जी., इस तरह के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर में जो कल घटना हुई इस घटना का जो षड्यंत्र रचा गया, वह जब यह सरकार 12 दिन तक बीकानेर सम्भाग के दौरे पर थी, उस वक्त यह षड्यंत्र रचा गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए यह छोटी बात नहीं है। (व्यवधान) मैंने आप पर थोड़े ही लगाया है। सुनो तो सही। जब बीकानेर सम्भाग के दौरे पर थी, तब ...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डोटासराजी, यह षड्यंत्र आपने रचा है। यह षड्यंत्र शायद आपके द्वारा ही रचा गया है। यह आपने रचा है षड्यंत्र। (व्यवधान) आप खुद रचते हैं ऐसे षड्यंत्र।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब सवाल यह उठता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय इस प्रकरण की न्यायिक जांच करवाएंगे? क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की सी बी आई या न्यायिक अधिकारी से जांच करवाएंगे कि कौन सरकार का अधिकारी या सरकार का मंत्री या कोई नुमाइंदा जन-प्रतिनिधि, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूं, जो इस गैंगवार के षड्यंत्र में शामिल हैं, क्या इसकी जांच करवाएंगे?

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो मंत्री महोदय ने पहले वक्तव्य दिया, उस पर भी कार्यवाही बतायें और आगे क्या करने जा रहे हैं, उस पर भी बतायें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए, सवाल आ गये। मैंने शुरू में कहा था। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): अध्यक्ष महोदय, पहले भी एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह आधारहीन है, केवल कल्पना के आधार पर। इनके पास में कोई सबूत है तो टेबल करें। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के पास कोई सबूत है तो टेबल करें।

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है, बैठिये आप। यह क्या है बार-बार? आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्यगण, मैंने शुरू में भी एक निवेदन किया था, बहुत ईमानदारी से कहा था कि उत्तेजनात्मक स्थिति पैदा नहीं हो, हमको वह भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए और उस तरह का कोई विषय भी नहीं आना चाहिए।

अब इस पर पर्याप्त सवाल आ चुके हैं। अब, गुलाबजी, जितने सवाल आयें, उनका जवाब दीजिए। फिर आगे के स्थगन प्रस्ताव के लिए मैं बोलूंगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने मन के कुछ संदेह प्रकट किये हैं। मैं सोचता हूं कि आज की प्रोसीडिंग्स में आप एक-एक वर्ड को एस.ओ.जी को देकर के इस सारे विषय में सब पहलुओं पर जांच करने में किसी को कोई एतराज नहीं है। आप चाहते हों कि किसी जज से कराये। अगर ठण्डे बस्ते में डालना हो, क्योंकि मेरा भी तीस साल का इस विधान सभा में अनुभव हैं। अगर किसी काम को ठण्डे बस्ते में डालना हो तो आप उसको न्यायिक जांच को सुपुर्द कर दो। जिसका न तो परिणाम कभी आया, न कभी रिजल्ट आया। अगर अपन रिजल्ट चाहते हैं तो आज की तारीख में राजस्थान की एस.ओ.जी की प्रतिष्ठा है। उसने ऐसे-ऐसे केसेज खोले हैं। उस पर यकीन तो आपको करना पड़ेगा। सारे कुएं में भांग नहीं पड़ी है, कुछ तो अच्छे लोग अभी तक भी बचे हुए हैं। हमको विश्वास और भरोसा करना चाहिए।

इसमें कुछ बिन्दु जो आपने उठाये हैं, वे वास्तव में गम्भीर लग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो यह है कि इसमें ये जो दो गैंग अलग-अलग थीं, एक बानूड़ा और आनंदपाल का यह वार्ड नम्बर-6 में था और जयपाल और रामपाल यह वार्ड नम्बर-5 में था। ये दोनों एक जगह कैसे आयें? इस समय में जब इनको अपने-अपने वार्ड में होना था ये यहां कैसे पहुंचे? और अगर यहां पहुंचे तो यहां बाहर खड़े हुए जो भी गार्ड थे, उन्होंने इसके बारे में क्या किया? कुछ पता नहीं है।

घटना के समय जो है, यह सीकर जेल का जो सुपरिंटेंडेंट है, वह अभी भी, आज की तारीख में भी सस्पेंड है।

क्या कार्यवाही की? जो आपने सवाल खड़ा किया, वहीं मैंने खड़ा किया कि घटना घटने के बाद कितना समय लगा? दोनों पत्थरबाजी चलती रही और हमारा सारा स्टाफ उसको दूर खड़ा होकर देखता रहा। इसकी जांच तो जो करेगा, वही इसके बारे में सही रिपोर्ट दे पाएगा लेकिन निश्चित रूप से, आखिर पत्थर से मारने की घटना एक मिनट में, दो मिनट में नहीं समाप्त हो सकती,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें समय जरूर लगा होगा। हमारी हथियार-सहित जो वहां फोर्स रहती है, उनका एक्शन क्या हुआ? अगर वे सब केवल डर के मारे ही भाग गये, तो उसके बारे में पता लगेगा कि आखिर इतना गैप क्यों हुआ? यह तो कलक्टर का आने का समय है, 6 बजकर 1 मिनट को उसको सूचना दी, एस.पी. को सूचना दी, वह पहुंचे 6.20 पर उनको 19 मिनट लगे। लेकिन घटना के बाद ये जो लोग वहां पहुंचे हैं, इनको कितना समय लगा और इस सारी घटना को होते हुए कितना समय लगा, उसके आधार पर ही इस जांच का जो स्वरूप है, वह आगे बढ़ेगा। मैं सोचता हूं कि इस समय के बाद बाहर में भी इनके जो भी एस.ओ.जी कर सकती है जांच के रूप में, जहां भी, जिस ढंग से भी, टेलीफोनिक काल के बारे में भी अगर कोई जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से उस ओर बढ़ेगी।

मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस जांच में किसी भी प्रकार की किसी को भी बचाने की कोई मंशा नहीं है। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन हम किसी बात को अच्छी हाइलाइट करने के लिए चाहे जिधर पत्थर फेंक कर के देखें मजा, यह स्वभाव अच्छा नहीं है। मेरिट पर डिस्कसन हो, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको पत्थर फेंकूं, आप मुझे पत्थर फेंकें, इससे समस्या समाधान नहीं होगा। हो सकता है, एक अच्छी न्यूज जरूर बन जाएगी लेकिन मैं चाहता हूं, भगवान के लिए, इस मन को मत रखो जो भी दोषी है, जिसने भी दोष किया है, घटना गम्भीर है, अगर कैम्पस में हथियार पहुंच जाए और शूट हो जाए तो समझ में आता है लेकिन आदमी को पत्थर से मार दें और वहां का सारा प्रशासन हाथ पर हाथ धरा हुआ बैठा रहे, तो फिर काहे का प्रशासन है? काहे की उसकी नौकरी है? किस बात के लिए वहां लगा हुआ है? तो इन सारी गम्भीर बातों को देखिये।

मैं आपकी जो भावना है, इसके सहित, एस ओ जी को पूरी वर्ड-टू-वर्ड देकर के एस ओ जी को पाबंद करेंगे कि समयबद्ध इसकी जांच करके जांच रिपोर्ट अगले सत्र में जब हम आयें तो हमारे साथ इसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए कि वास्तव में, इसमें दोषी कौन था और किसने इसका दोष किया।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक चांदना। (व्यवधान) नहीं, अब नहीं। नो-नो। बैठिये। No, no, I will not allow. नो-नो। आप बोल चुके हैं, I will not allow. (व्यवधान) माननीय प्रतिपक्ष के नेता, समझाइये न आप इनको। क्या इन्हीं का ठेका है बार-बार बोलने का? बोल लिये एक बार, बैठिये अब। श्री अशोक चांदना, अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलेंगे। आप बैठिये। इनका अंकित नहीं हो। इनकी आदत सी पड़ गई है। आप देखिये, पहले बोल चुके, आप बैठिये। हां, श्री अशोक

(श्री अध्यक्ष)

चांदना। श्री डोटासरा का एक भी शब्द अंकित नहीं हो, एक भी शब्द। आप भी बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़):×××

श्री अध्यक्ष: आपका शब्द नहीं जा रहा है, आप डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: इनका कंडक्ट देखिये आप। इतने गम्भीर विषय को ये किस तरह से डाइल्यूट कर रहे हैं। इतने गम्भीर विषय को किस तरह से डाइल्यूट कर रहे हैं, देखिये आप। इनका कंडक्ट देखिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले बोल लिये थे आप। बार-बार आपको नहीं दिया जा सकता। पहले बोल लिये थे आप, वे भी पहले बोल लिये थे। क्या मतलब है?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: इन्हीं का ठेका है क्या? आश्वासन आ गया।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता ,प्रतिपक्ष): ×××

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री सांवर लाल जाट। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांग। अपनी मांग रखें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-46 सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) की प्रस्तुति

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री सांवर लाल)

आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,80,33,25,000/- (उन्तीस अरब अस्सी करोड़ तैंतीस लाख पच्चीस हजार रुपये) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री ज्ञानदेव आहूजा। आप बहस प्रारम्भ कीजिये आज की।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विपक्ष के लोग हैं, पहले तो मैं बताऊं कि आज सिंचाई और इंदिरा गांधी नहर मांग संख्या-46 पर ...।

श्री अध्यक्ष: मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं। अध्यक्ष को विषय को इधर-उधर लेने का अधिकार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मांग स्वीकार होने के बाद हम यहां पर बैठेंगे और जो विषय आपके आये हैं, किसी भी तरह उन पर पूरा निर्णय लेने के बाद ही हाउस एडजोर्न करेंगे।

हां, अब बोलिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या-46 सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। विपक्ष जो इतना शोर कर रहा है। इतनी बड़ी हार के बाद भी उनको समझ नहीं आई है। अभी उनको समझ लेना बकाया है। इकबाल ने एक शेर लिखा है, मैं एक शेर से शुरू कर रहा हूं, 'इकबाल तेरे इश्क ने सब खम्भ दिये निकाल... टेढ़ापन, बांकापन ''इकबाल तेरे इश्क ने सब खम्भ दिये निकाल, मुद्दत से आरजू थी कि सीधा करे कोई। 'तो इन लोगों को बड़ी आरजू थी कि हमको सीधा करें, जनता ने इनको सीधा कर दिया। पूरी तरह से हार गये। मात्र दो सदस्य इनके आ गये, इसलिए विपक्ष का दर्जा भी मिला, नहीं तो विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिलता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिंचाई के साधन स्वाभाविक थे, प्राकृत थे, कोई कमी नहीं थी। पानी स्वाभाविक रूप से बरसता था। हम

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

लोग, पाकिस्तान से आने के बाद हमें दो मुरब्बा जमीन अलाट हुई श्रीगंगानगर में, चक 47 एफ, श्रीकरणपुर तहसील में। वहां पर एक समय था, जब एक-एक सप्ताह तक सूर्य के दर्शन नहीं होते थे, इतनी बरसात होती थी और कई बार इतनी बरसात होती थी कि हमारा एक कमरा सिर्फ पक्का था, बाकी कच्चे छप्पर थे, तो माताजी हमारी अपनी भाषा में गीत गाती थी, 'मुहिंजी भोगिया पोंगया जा भगवान,' यानी भगवान बचाओ, इतनी बरसात नहीं हो। यह मैंने बचपन में देखा, परन्तु अब बरसात कहां गई?

वहां नहरें आती थीं , गंग कैनाल से छोटी और बड़ी नहर और वे नहरें आज भी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंजाब, हरियाणा, सतलज-व्यास से वे नहरें आती हैं और जो बरसात होती थी, इस कारण से हमारे ऋषि-मुनियों ने साधु-संन्यासियों ने चातुर्मास का भी प्रावधान रखा। यानी लगातार चार महीने बरसात होती थी इस कारण से हमारे यहां कोई शादी-विवाह, शुभ कार्य नहीं होते थे, नदी-नालों के कारण। इतना पानी बहता था, इतना पानी बरसता था। हमारे मुनि, ऋषि मुनि, आज भी जैन मुनि, वैष्णव या सनातन मुनि, साधु, सन्यासी, चार्तुमास करते हैं। आज मुश्किल से बरसात एक-डेढ़ महीना, पन्द्रह दिन या बीस दिन की बरसात रह गई है। अब वह बरसात कहां गई?

बचपन में चौथी कक्षा में एक कविता हम लोगों ने पढ़ी, रिमझिम-रिमझिम पानी बरसा, जल के बिना न कोई तरसा। रिमझिम-रिमझिम पानी बरसा। भरे समुद्र ताल तलइया, उमड़ी उछली गंगा मइया। आज उत्तरांचल को छोड़कर, उत्तराखंड को छोड़कर, या उत्तराखंड से सम्बन्धित जो नदियां हैं, वहां तो बाढ़ है, बरसात है। क्यों हो रही है, क्योंकि वहां घने पेड़ है। हमारे में से बहुत सारे साथी वहां गये होंगे। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री गया हूं, वहां भारी हरियाली है, हरे पेड़ हैं। हरियाली से आच्छादित पेड़-पौधे हैं, देशी पेड़ है। देवदार, शीशम, नीम, सागवान और पीपल के पेड़ हैं, बड़े-बड़े पेड़ हैं। उस हरियाली के कारण, हरियाली से आच्छादित पेड़-पौधे हैं, उसके कारण से वहां बरसात होती है। इस बार भी वहां बाढ़ की नौबत आई और सरकार को लगातार वहां जनता को चेतावनी देनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए। पांच-पांच मिनट ही हैं आज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हमारे एरिया में पोखर, तालाब, झील, जोहड़, व परम्परागत बावड़ियां सूखी हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्यों सूखी हुई है, क्योंकि हमारी नदियों पर, हमारे पोखर, तालाब, झोहड़ पर तो अतिक्रमण

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

हुआ है। इसके बारे में आगे बोलूंगा। परन्तु सबसे बड़ा जो कारण है, वह है कि हमारे यहां देशी पेड़, पीपल, शीशम, सागवान, नीम, बड़, लेसुवे के, आम के, लगभग वे पेड़ लोगों ने काट दिये। हमारे मेवात में तो स्थिति यह है कि वहां के लोग पीपल के दुश्मन हैं, पीपल बचा ही नहीं। बड़ के पेड़ भी नहीं बचे और नीम बड़ा मुशिकल से, देशी पेड़ खतम हो गये। अलवर जैसा जिला जहां 52 डैम हैं, 200 चैक डैम, एनिकट हैं, वहां पर डैम खाली पड़े हैं। हमारे देशी पेड़ काट दिये गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक गलती सबसे बड़ी हुई, वह यह हुई कि नदी-नाले सूख गये, नदियों में पानी कम आ रहा है, जोहड़-तालाब सूख गये, आपातकाल इमरजेंसी लग गई। हम लोगों ने भुगता। मैं उसके बारे में और चर्चा नहीं करूंगा।

श्रीमती इंदिरा गांधी के 20 सूत्र थे और 4 सूत्र स्वर्गीय संजय गांधी के थे, उनमें एक सूत्र था, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ, भावना अच्छी है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, वन के अधिकारी पागल हो गये। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने के नाम पर। पेड़ लगा दिया यूकिलिप्टस का, सफेदे का, जो एक दलदल का पेड़ है। आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में दलदल को सुखाने के लिए इस पेड़ को ईजाद किया गया था । इसी प्रकार से, दूसरा पेड़ लगा, विदेशी बबूल। ताज्जुब यह है कि वन के अधिकारियों ने रेगिस्तान में भी, जहां पानी बहुत कम बरसता है, वहां भी, मारवाड़ में, मेवाड़ में, हमारी तरफ, सब तरफ, सफेदे के पेड़। सफेदे का पेड़ वह पेड़ है जो एक घण्टे में 6 लीटर पानी सोखता है, तब वह बड़ा ऊंचा होता है। विदेशी बबूल बरसात आने नहीं देता, बादल आने नहीं देता, बादल को बरसने नहीं देता। विदेशी बबूल ने पानी को सूखा दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह स्थिति हो गई, तो जो प्राकृतिक रूप से जो नदियां हैं, जिसके कारण हमारी समृद्धि होती है, हमारा विकास होता है, पानी बहता है, उन नदियों में पानी सूख गया। बारहमासी नदियां, मैंने अपने बचपन में देखीं, साबी नदी हमारे एरिया में बारहमासी बहती थी; बाणगंगा, गम्भीरी, लूणी, चम्बल, डावणी नदी। शायद चम्बल-यमुना में अब भी पानी लगातार चलता है। बाकी राजस्थान की नदियां लगभग सूख गयीं, क्योंकि देशी पेड़ खतम हो गये।

एक और घास आई जिसको अलग-अलग नाम से अलग-अलग जगह कहा जाता है, वह है कांग्रेसी घास, वह है अमेरिकन घास या विदेशी घास, जो

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

खुजली पैदा करती है। विदेशी पेड़ लग गये जिन्होंने पानी को सुखा दिया, घास लग गई जिसने पानी को सुखा दिया। नदियों में पानी आना कम हो गया। बारहमासी तो छोड़े छमासी नदियां।

साबी पर पुल बना है बहरोड़ और अलवर के बीच में। ऐसी बहुत सारी नदियों पर पुल बने हैं। मैं भावुकता के साथ कहना चाहता हूं, इस देश में हम नदियों को मां के रूप में देखते आये हैं और देखते हैं। गंगा मइया, जमुना मइया, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी मइया। इन नदियों पर जब से पुल बने हैं, मैं पिछले 20-25 साल से यह भी अनुभव कर रहा हूं कि जिस-जिस नदी पर पुल बना वहां पानी सूख गया। पुल तो बन गये, हमारे आवागमन के साधन हो गये, गाड़ी और मोटर से हम लोग लगातार जाते हैं, लेकिन नदी सूख गई। एक तो देशी पेड़ खतम हो गये, एक नदियों को हमने अपवित्र कर दिया।

पुल बनना ठीक था कि हमारे लिए आवागमन के साधन हों, लेकिन मेरा राजस्थान सरकार से कहना है, सरकार तो धर्मप्रतिष्ठा के नाम पर, उस नदी के किनारे कोई उस नदी का मंदिर नहीं बना सकती लेकिन अगर जनता को प्रेरित करें तो, मैं यह भावुकता के कारण नहीं कह रहा हूं, वैज्ञानिक कारणों से कह रहा हूं, विज्ञान के साथ धर्म जुड़ जाए। क्योंकि सारा हिन्दू दर्शन, सारी भारतीय संस्कृति विज्ञान है लेकिन उसको धर्म के साथ जोड़ा गया। उस नदी के किनारे उस नदी का एक मंदिर बना दिया जाए और गांव वालों को प्रेरित किया जाए, पूजा हो तो निश्चित रूप से पानी खूब बरसेगा और नदियां फिर से बारहमासी, छहमासी होंगी।

इसके साथ राजस्थान सरकार...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। अब तो कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जी ?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जरा बोलने दीजिए। वैसे भी सत्तारूढ पार्टी में आ गया हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने 10-12 मिनट ले लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे से बाहर पत्रकारों ने पूछा कि ज्ञानदेवजी, आजकल आप चुप क्यों हैं? मैंने एक उदाहरण दिया कि कोई नंदू तेली जाता था मोहल्ले में तेल बेचने, पहले तेल हाकर बेचते थे जैसे गांव-गांव दूध, तेल, इत्यादि, वह तेल बेचता था, जोर से चिल्लाता था, तेल लेओ जी तेल ,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

तेल लेओ जी तेल। चार-छह महीने वह गायब हो गया फिर एक बार मोहल्ले में गया तो किसी बहन ने पूछा, आप पहले आते थे, जोर-जोर से चिल्लाते थे, तेल लेओ जी तेल; अब आप कह रहे हो तेल लेओ जी तेल, तेल लेओ जी तेल। नंदू तेली भैया, आपको क्या हो गया? बोला, जी, मेरा ब्याह हो गया। यह आपको क्या हो गया, मेरा ब्याह हो गया। ब्याह का मतलब है, मैं सत्तारूढ़ पार्टी में हूं, पहले मैं अपोजिशन में था तो खूब हंगामा, जैसे आज अपोजिशन ने कर रखा था। सत्तारूढ़ पार्टी में हूं तो बहुत शांत चित्त होकर सुनना, देखना, कहना पड़ता है। हम हरेक बात हर बार नहीं कह सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नदियों के बारे में मैंने बताया, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के आदेश आये और साम्भर झील पर अतिक्रमण हो गया, रामगढ़ बांध पर अतिक्रमण हो गया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, तीन दिन में अमृत कुंज योजना हटाओ। रामगढ़ बांध के बारे में दिया। अतिक्रमण, जेडीए ने तलाई का गला घोट दिया। सिंचाई विभाग ने कई पत्र लिखे, पुलिस ने कभी नहीं सुनी, कानौता बांध के बारे में, रामगढ़ बांध के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय सुनें, इन बांधों पर पूरे राजस्थान में, सब जगह अतिक्रमण हुआ।

एक गलती और हुई, पूर्व सरकार ने सबसे बड़ी जो मिस्टेक की कि 29 विभाग पंचायतों को देंगे। पंचायतों स्ट्रोंग होनी चाहिए, पंचायत राज में ग्रामीण विकास होना चाहिए लेकिन बांध और एनिकट, चेकडैम, डैम, इनका जो मैटर दे दिया, माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि पंचायतों ने बांधों पर ध्यान नहीं दिया, बांध पर अतिक्रमण हो गये। अतिक्रमण इतने हो गये कि हमारे यहां, मेरे क्षेत्र में अतरिया बांध पर 2/3 जमीन पर कब्जा होकर, कब्जा होकर लोगों को प्लाट काट दिये, वहां बड़े-बड़े फार्म हाउस बन गये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कल का प्रश्न है, कल का प्रश्न है, कल लगा नहीं क्योंकि तीन, चार या पांच प्रश्न लग पाते हैं। धारिया बांध और मशीद बांध तिजारा में हैं। वहां पर दो कम्पनियों को सिटी लाइफ स्पेस को और वाई के डवल्पर्स को यू आई टी के सेक्रेटरी, उपस्थित नहीं हैं, नाम नहीं लूंगा, डिप्टी सेक्रेटरी, एक्स ईएन इर्रिगेशन, एक्स ईएन पी डब्ल्यू डी और बाकी सब अधिकारियों ने बाकायदा प्रस्ताव पास करके, 90-ई का सर्टिफिकेट देकर,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

इर्रिगेशन के तत्कालीन एक्स ईएन ने, नो-आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर, वहां पर डवलपर्स को बसा दिया। यह प्रश्न कल हमारे मामन यादव, माननीय विधायक, तिजारा ने लगाया था, जो नम्बर पर नहीं लग पाया। वहां पर प्रोजेक्ट बना दिया 90-ई का, इतना ही नहीं हुआ, उसकी शिकायत हुई। शिकायत पर ए.सी.डी. ने जांच की। ए.सी.डी. की जांच पर यह मैसर्स सिटी लाइफ स्पेस को धारिया मसीत बांध पर 90-ई में किया और यह दो, 192 और 193, तिजारा में एफ.आई.आर. लाज हुई। ए.सी.डी. ने जांच की, जांच में दोषी पाया, उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई। ए.सी.डी. की जांच के बाद, यह पूरा तथ्यात्मक है, उसमें समय लगेगा, कार्यवाही पुलिस और ये एफ.आई.आर. 192, 193 है। यह धारिया, मसीत बांध पर पूरा कब्जा हो गया। भिवाड़ी में डवलपर्स काम कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिये, कृपया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उनको कब्जा दे दिया। उनके खिलाफ ए.सी.डी. की कार्यवाही के बाद, कार्यवाही नहीं हो रही, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, अब बहुत, 20 मिनट दे दिये आपको। दूसरे भी तो हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हां, पांच मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: चालीस नाम हैं। विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दो मिनट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र का।

मेरे क्षेत्र में भी पिपरोली बांध और हंससरोवर, उन पर पूरा कब्जा हो गया। तिरिया पर कब्जा हो गया। शिकायत करने पर जांच हुई। एक ढाट कैनाल पर 13 करोड़ 40 लाख रुपये पूर्व सरकार ने दिये, तीन करोड़ भी नहीं लगे। वहीं से बजरी निकाली, वहीं से पत्थर निकाले। वही एक्स.ईएन. थे जिन्होंने भिवाड़ी में जमीन दी। तीन करोड़ का भी काम नहीं हुआ। दस करोड़ की, उसकी जांच होनी चाहिए, ढाट कैनाल की।

इसी प्रकार से एक विवाद चल रहा है। माननीय, मैं पूरी तैयारी करके लाया हूं, आप बोलने दें, कृपा करें। एक मिनट में, बस। एक विवाद चल रहा है, अलवर और भरतपुर का। स्टेट टाइम का फैसला, स्टेट टाइम का एग्रीमेंट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद में भी बात, जस की तस। अंग्रेजों के

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

टाइम का, स्टेट टाइम का एग्रीमेंट। मेरे क्षेत्र का हजारी बांध टूट गया, एनिकट टूट गये, उनको बनाने नहीं दे रहे। रूपारेल नदी का जो एग्रीमेंट है, वह स्टेट टाइम का, अंग्रेजों के टाइम का है, माननीय, उसको अब समाप्त करें। पुन: एक बार माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है, सरकार से निवेदन है, इस बारे में बैठ कर विचार-विमर्श करें, इस बारे में विचार करें और अलवर-भरतपुर का समझौता ठीक से करें।

एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुल मिलाकर के the average normal rainfall is expected in this year, to be 80 to 85%, which is reduced from 120%. Last year, majority of dams were dried. According to the official figures on the status of dams in Rajasthan, out of 274 dams with the capacity of above 4.25 mcm (million cubic meters.) हुआ उसमें कुल 173 बांध सूखे हैं और 99 पार्टली भरे हुए हैं और सिर्फ एक बांध फुल हुआ है। इसी प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, 450 dams with the capacity of less than 4.25 mcm (million cubic metres), उनमें से 395 dams are empty, 53 dams are partly filled and not one dams is fully filled. उनमें से एक भी बांध फुल नहीं है। पहले जो डैम्स थे, उन 274 में से एक बांध फुल है, 173 खाली हैं, 99 पार्टली हैं। जो 450 ऐसे बांध हैं, 4.25 मिलियन क्यूबिक मीटर वाले 395 डेम्स खाली हैं, 53 डैम्स पार्टली भरे हुए हैं और एक भी भरा हुआ नहीं है।

यह राजस्थान की जो स्थिति बनी है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो देशी पेड़ लगाएं और नदियों को पूजें और इसी प्रकार से, बांधों के अतिक्रमण को हटाएं, राजस्थान सरकार कार्यवाही करे। ऐसे बहुत सारे डैम हैं जो पंचायत को दे दिये गये हैं। मेरे यहां 52 डैम्स स्टेट टाइम के, मात्र 23 डैम्स इर्रिगेशन ने रखे हैं, बाकी डैम्स पंचायतों को दिये हैं। इसके विरोध में कार्यवाही हो और पंचायतों से हटा करके डैम वापस इर्रिगेशन सम्भाले, यह मेरा निवेदन है। पूरी तैयारी है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

सदन की कार्यवाही / घोषणा

दिनांक 25.7.14 के कतिपय विषयों को 26.7.14 की कार्य सूची में सम्मिलित करने विषयक

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण मुझे आपके सामने यह घोषणा करनी है कि आज स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था, तीसरे नम्बर पर प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख, पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि, वार्षिक प्रतिवेदन,

(श्री अध्यक्ष)

याचिकाओं का उपस्थापन, समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन, ये सब विषय कल सवेरे लिये जाएंगे, कल की सूची में सम्मिलित कर लिये जाएंगे। यह मैं आपको सूचित करता हूं। कल की पर्चियां भी नहीं खोली जाएंगी, जो हैं, वही चलेंगी। मैंने यह सारा कल के ऊपर स्थानान्तरित कर दिया है।

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ, प्रभारी मंत्री।

शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री भवानी सिंह राजावत, डिबेट को चालू रखेंगे।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम मांग संख्या 46-सिंचाई पर सार्थक चर्चा कर रहे हैं। सिंचाई हमारी खेती की जान है। सिंचाई से फसलें लहलहाती हैं। उसकी उपज से किसान के मुरझाये हुए चेहरे पर खुशहाली आती है। राजस्थानी कहावत है, 'तिवाई राणी, जींका माथा पर पाणी'। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना रही कि आजादी के इतने लम्बे अंतराल के बाद भी जितनी कृषि योग्य भूमि हमारी है, राज्य की, उसकी आधी भूमि भी सिंचित नहीं है। इसीलिए हमारी खेती रानी की जगह बारानी है। राजस्थान के लाखों हैक्टेयर में जो बारानी जमीन है। आज भी किसान बरसात के ऊपर निर्भर हैं। बरसात होती है तो मारवाड़ में, शेखावाटी में मोठ, ग्वार, बाजरी हो जाती है, बरसात नहीं होती है तो खाने के दाने भी नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 257 लाख हैक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जिसका आधा भाग भी सिंचित नहीं है, हालांकि सतह जल की उपलब्धता केवल 1.16 है, लेकिन हम पंजाब को देखें, पंजाब के पास खेती के लायक लगभग 7 करोड़ 90 लाख हैक्टेयर जमीन है, पंजाब ने उसमें से लगभग 4 करोड़ 20 लाख हैक्टेयर जमीन को आजादी के बाद सिंचित किया। बरसात के पानी को रोका। वहां तो पांच ही नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, राजस्थान में लगभग सौ नदियां हैं जिनमें 1.16 पानी उफन कर आता है, जब बरसात आती है। बाढ़ आ जाती है राजस्थान में। लेकिन इस पानी को हम रोक नहीं पाये। क्योंकि आजादी के बाद पचास साल तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस ने, न तो कांग्रेस का यह सोच रहा, न दृष्टिकोण रहा, इसीलिए यह बरसात का पानी नदी-नालों से बहता हुआ समुद्र में जाता रहा।

जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू बने, तो नीतियां बनने लगीं तो उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, पंडित जवाहर लाल नेहरू से कहा था कि भारत कृषि प्रधान देश है, 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, ऐसी नीति बनाओ कि खेती कैसे उन्नत हो, सूखे खेतों में पानी कैसे पहुंचे।तब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था, नहीं, मैं खेती को प्राथमिकता नहीं देना चाहता, मैं कल-कारखानों को प्राथमिकता देना चाहता हूं। कल-कारखानों को भी प्राथमिकता दो। ये भी आधुनिक भारत के मंदिर हैं जहां पर रोजगार मिलता है लेकिन जहां की

(श्री भवानी सिंह राजावत)

आबादी 80 प्रतिशत गांवों में रहती है, खेती देश की आत्मा है। उस खेती को प्राथमिकता देने का तय करना था। लेकिन कांग्रेस की इन नीतियों के कारण हिंदुस्तान की खेती का बेड़ागर्त होता चला गया। इजराइल के रेत के टीलों में खेती होने लगी, हिन्दुस्तान की जमीन बंजर होती चली गयी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कांग्रेस की नीतियों के कारण आज खेती बरबाद हो रही है, तबाह हो रही है। खेती को उन्नत करने के लिए, देश को खुशहाल करने के लिए, देश को हरा-भरा करने के लिए, जब वाजपेयीजी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई। लेकिन उसके बाद ज्यों ही कांग्रेस आयी, दस साल का इनका जो राज रहा, वाजपेयीजी के उन सपनों को, वाजपेयीजी की उन नीतियों को, वाजपेयीजी के उन विचारों को और कार्यक्रमों को, नदियों से जोड़ने के कार्यक्रम को कांग्रेस ने दस साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया।

अब आशा के रूप में नदियों से जोड़ने की योजना का ताना-बाना बुनने लगा है। देश के जन-नायक, देश के प्रधानमंत्री, माननीय नरेन्द्र मोदी आने वाले समय में नदियों को जोड़ने की योजना लागू करने पर विचार कर रहे हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी राजे ने हिन्दुस्तान में पहल की है, कदम आगे बढ़ाये हैं। 3400 करोड़ रुपये की योजना, राजस्थान में नदिया जुड़ेंगी। 3,400 करोड़ रुपए की प्रथम चरण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कालीसिंध और चम्बल जुड़ेंगी, बनास और चम्बल जुड़ेंगी और जब नदियां राजस्थान की जुड़ने लगेंगी तो पूरा राजस्थान पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हरा-भरा हो जाएगा। यह कदम उठाने का साहस किया तो वसुन्धराजी राजे ने किया। कांग्रेस के नेता यहां भाषण तो देते हैं लेकिन यथार्थ के धरातल पर राजस्थान के सूखे क्षेत्रों में पानी पहुंचे, इसके ऊपर राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने कभी विचार नहीं किया।

मैं साक्षी हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब नर्मदा का पानी पिछले कार्यकाल में वसुन्धराजी राजे सांचौर की धरती पर गुढामालानी, बाड़मेर तक लेकर आईं, जब दरवाजा खुला नहर का और नर्मदा का पानी कल-कल करता हुआ, जब बहता हुआ सांचौर की धरती पर आया तो तीन लाख लोग थे, 50 हजार महिलाएं थीं, कल-कल बहता हुआ पानी आया, लोगों की आंखों से खुशी

(श्री भवानी सिंह राजावत)

की अश्रु धारा बह उठी। महिलाएं कलश में पानी को लेकर, नर्मदा के पानी को लेकर, अपने घर पर पहुंचीं और पानी की पूजा की।

(13.54 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

पानी के महत्व को अगर किसी ने समझा है तो भारतीय जनता पार्टी ने समझा है, वसुन्धराजी राजे सिंधिया ने पानी के महत्व को समझा है। हिमालय का पानी जैसलमेर से नागौर आ जाएगा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। चार हजार करोड़ रुपये खर्च करके जैसलमेर से, चाहे पीने का पानी हो, वह नागौर तक लेकर आया तो कौन लेकर आया? राजस्थान की यशस्वी माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी राजे पानी को लेकर आईं। एक किलोमीटर भी पानी अगर कांग्रेस लेकर आयी हो, भग गये, यहां से चले गये। सामना करने का साहस नहीं है। उनको याद था कि आज सांवरलालजी जवाब देंगे, डर के मारे गीदड़ की तरह यहां से प्रतिपक्ष के लोग भग गये।

माननीय सभापति महोदया, राजस्थान में पानी बहुत है, यह 1.6 पानी बहुत है। अगर हम नदियों के पानी को रोकें और जब बैराज के 17 गेट खुलते हैं, जब माही के पूरे गेट खुलते हैं, जब बीसलपुर के पूरे गेट खुलते हैं, जब छोटे बांध पर चादरें चलती हैं और नालों से बहता हुआ पानी जब समुद्र की ओर जाता है तो आत्मा दुखती है, आत्मा रोती है कि हमारा हक का पानी है, इसको रोकने को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई? हुकूमत करने वाले लोग शुरू से अगर इस पर विचार करते तो राजस्थान में कहीं कमी नहीं रहती। अब आवश्यकता है, मैं माननीय मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि योजना ऐसी बनाओ कि राजस्थान की हर नदी पर बांध बने, एनिकट बनें तो राजस्थान का यह बहता हुआ पानी जो समुद्र में जाता है, यह पानी रुक जाए।

माननीय सभापति महोदया, चम्बल की धरती से तीसरी बार इस पवित्र सदन में मैं आया हूं। चम्बल का कमांड एरिया है, चम्बल का कमांड एरिया 4 लाख 65 हजार हैक्टेयर है, उसमें से लगभग 2 लाख 99 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होती है। यह चम्बल कमांड एरिये की देश को, इस कमांड एरिये की, इस बड़ी योजना को समर्पित किया 20 नवम्बर, 1960 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन उसके बाद 54 साल हो गये, माननीय सभापति महोदया, 54 साल में जो कमांड एरिया बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पानी की कमी

(श्री भवानी सिंह राजावत)

नहीं है, गांधी सागर अब भी इतना भरा हुआ है कि एक बूंद पानी नहीं हो तो भी पूरे कमांड, चम्बल के कमांड एरिया पर पानी फिर जाए; राणा प्रताप सागर में पानी है, गांधी सागर, जवाहर सागर में पानी है और इसलिए चम्बल का कमांड एरिया बढ़ाया जा सकता है, चम्बल का सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। हां, आजादी के बाद अगर पहल की किसी ने, तो वसुन्धराजी राजे ने पहल की। पिछले शासन में दायीं मुख्य नहर पर दो लिफ्ट योजनाएं बारापुरा, किशनपुरा, दस करोड़ की योजनाएं, नीति बदल दी, नियम बदल दिये, मेरे विधायक कोष से मैंने 1 करोड़ 60 लाख रुपए उस योजना में दस परसेंट जमा कराये हैं, और हजारों बीघा जमीन पर चम्बल का पानी फिरने लगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चम्बल का कमांड एरिया 2 लाख हैक्टेयर और बढ़ाया जाए ताकि बूंदी, बारां और कोटा का जो असिंचित क्षेत्र है, वह पूरा सिंचित हो जाए।

माननीय सभापति महोदया, चम्बल का जो नहरी तंत्र है, उस नहरी तंत्र में कई जगह विलायती बबूल उग गया है। टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। मैं आभारी हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी का जिन्होंने चम्बल के इस नहरी तंत्र के सुधार के लिए 75 करोड़ रुपये, दिए हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदया, अभी चम्बल के नहरी तंत्र के सुधार के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी योजना बनाओ कि चम्बल का पूरा जो नहरी तंत्र है, वह सुधरे।

माननीय सभापति महोदया, अंत में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की केवल एक-दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। कोटा को बाढ़ से बचाने के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पिछले शासन काल में 20 करोड़ की डाइवर्जन चैनल बनाई और उसके बाद डाइवर्जन चैनल की सैकण्ड फेज की योजना बनाई, उसका शिलान्यास भी किया, जो लगभग 21 करोड़ रुपये की योजना थी, कोटा को बाढ़ से बचाने के लिए और आनन्या डैम का जल स्तर बढ़ाकर, लगभग चालीस-पचास गांवों में सिंचाई का पानी उनको पर्याप्त मिले, उसके लिए, लेकिन आज मुझे कहते हुए दुःख होता है, वसुन्धराजी राजे ने तो अशोकजी गहलोत ने कहीं भी पत्थर लगाया तो उस पत्थर का काम शुरू करवाया, शिलान्यास किया था लेकिन काम शुरू करवाया, लेकिन कांग्रेस ने वसुन्धराजी ने जहां पर भी शिलान्यास किया, पांच साल तक उस काम को

(श्री भवानी सिंह राजावत)

फाइलों में बंद कर दिया। मेरी यह योजना थी 21 करोड़ की, कोटा को बाढ़ से बचाने की, आनन्या डैम का जल स्तर बढ़ाने की, इस योजना को कांग्रेस ने पांच साल तक ठंडे बस्ते में डाला है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो योजना है, इस योजना का काम शीघ्र शुरू करें।

मेरा मण्डाना का क्षेत्र है जो डार्क जोन है। चम्बल का पानी, माननीय सभापति महोदय, भीलवाड़ा जा रहा है, ढाई सौ किलोमीटर दूर और मेरा विधान सभा क्षेत्र का यह जो डार्क जोन है यह केवल 20 किलोमीटर है। मैं सरकार से

(14.00 बजे)

आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में यह जो बंजर जमीन है, यह जो डार्क जोन है, इसमें भी चम्बल का पानी लाएं, चम्बल की नहरें लाएं।

यही निवेदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करूंगा। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डा. प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे डाक्टर बना दिया।

श्री सभापति: इसमें डाक्टर लिखा हुआ है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं आभारी हूं कि लोग मुझे ...

श्री सभापति: अगर डाक्टर नहीं हैं तो इसमें हटा देते हैं। इसमें डाक्टर टाइप किया हुआ है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैं आभारी हूं कि लोग मुझे पढ़ा-लिखा समझ लेंगे।

श्री सभापति: चलिए, अच्छा है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मेरे साथ अन्याय कर दिया। कहीं धमाका हो जाता है तो 10-20 मिनट संतुलन बिगड़ जाता है।

श्री सभापति: आप भी कम धमाके नहीं हों। आप अच्छे से बोलो। समय का ध्यान रखियेगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदया, आपका प्रोटक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति: बिलकुल मिलेगा।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण मांग पर सदन में चर्चा हो रही है। अच्छा होता, इसके साथ पेयजल की चर्चा भी होती। दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों के मंत्री समान हैं। माननीय सभापति महोदया, जल प्रकृति की अमूल्य भेंट है, प्रकृति का दिया हुआ उपहार है और यह हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती और इसीलिये रहीमजी ने कहा–

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी बिना न ऊबरे, मानस मोती चून'।

माननीय सभापति महोदया, मैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता, सब सदस्य जानते हैं। आप मेवाड़ से आती हैं, पानी हर परिस्थिति में समाज के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है और पानी के संदर्भ में दादू दयाल की एक पंक्ति, जो मेवाड़ में प्रचलित है–

'दादू दास कही वाणी,
पीथल रे पाण रह्यो पानी।'

आप कहें तो मैं इसका अर्थ सदन में रख दूं? रहीमजी ने जिस पानी का जिक्र किया, उस पानी से प्रकृति पैदा होती है, जीवन पैदा होता है, और दादू दासजी ने जिस पानी का जिक्र किया, वह पानी इंसान के आत्म-सम्मान को बचाता है। एक समय जब हिनवाणी सूरज आत्म-समर्पण के रास्ते पर आ गया, तो पीथल के छंदों ने, मैं आज सुनी है सूरज रो बादल भी ओटा खोवलो; मैं आज सुनी है नाहरियो शिवालय र सागे सोवलो। हिन्दू संस्कृति के आत्म-सम्मान को, हिन्दू संस्कृति के पानी को बचाया है।

इसलिए माननीय सभापति महोदया, पानी की कोई कीमत नहीं। पानी उपहास की वस्तु नहीं, उपहार है, और उपहार का संरक्षण किया जाना चाहिये। जरूरत इस बात की है। यह परिकल्पना आज पैदा नहीं हुई। अभी रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जब सदन में चर्चा कर रहे थे, मेरे अलवर जिले में बांधों की संख्या 50 से ज्यादा है। माननीय सभापति महोदया, आप उन बांधों का इतिहास उठाकर देख लें, रियासतकालीन यह कल्पना थी कि धरती के सरफेस वाटर को किस तरह से रिजर्व टैंक में रोका जाए, उसका अधिकतम उपयोग करके मानव सभ्यता का विकास और धरती के पानी का पुनर्भरण किस प्रकार से किया जाए, यह कल्पना सदियों से चली आ रही है। लेकिन मैं आज बहुत

(श्री प्रहलाद गुंजल)

तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, मानव सभ्यता का विकास तेजी से हुआ और विकास की उस कल्पना में, विकास के उस भाग में हमारे अमूल्य संसाधन का जिस तरीके से दोहन किया, निश्चित विकास की जरूरत थी, लेकिन दोहन शोषण की सीमा तक चला गया और आज इस राजस्थान के तमाम जो रियासतकालीन तालाब थे, बड़े-बड़े शहरों के नजदीक थे, आबादियों में बदल गये और प्राकृतिक सरफेस जल जो आता था, अब शहरों में बाढ़ का कारण बन गया। डाइवर्जन चैनल्स की डिमांड होने लगी। बहुत चिन्ता का विषय है, माननीय सभापति महोदया।

इसीलिए मैं आज बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं ये आंकड़े साफ लिखे हैं हमारे बजट भाषण में, राजस्थान देश का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। हमारे पास कृषि भूमि, देश की कृषि भूमि की तुलना में 11 प्रतिशत; आबादी 5-6 प्रतिशत पशु धन 18-19 प्रतिशत, लेकिन देश की तुलना में हमारे पास पानी कितना है? जब तक इस पर चिन्ता नहीं करेंगे, माननीय सभापति महोदया, हम किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकते। देश की तुलना में हमारे पास पानी 1.16 प्रतिशत सरफेस जल और भूजल 1.10, माननीय सभापति महोदया, ये आंकड़े हम 50 साल से गिना रहे हैं। पिछले सदन में जब पानी पर चर्चा हुई थी, तब भी यही आंकड़े हमने गिनाये थे। आज से 10 साल पहले और आज भी हमारे प्रगति प्रतिवेदन की पुस्तक में यही आंकड़े हैं। हम इन आंकड़ों से न नीचे जा रहे हैं, न आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन आंकड़ों में एक सच्चाई है, जो हमको समझनी चाहिए, कि हमने 50 सालों में धरती के सरफेस वाटर को रोकने का कितना इन्तजाम किया और कितना हमने सिंचित क्षेत्र बढ़ाया, और न केवल सिंचित क्षेत्र बढ़ाया, धरती के पानी के पुनर्भरण का कितना इन्तजाम किया?

माननीय सभापति महोदया, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं हमारा सिंचित क्षेत्र का रकबा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। मैं जिस कोटा से आता हूं, आज से 50 साल पहले कोटा डैम से, कोटा बैराज से जितनी भूमि को सिंचित करने की कल्पना की गयी, आज उसमें सिल्टिंग की प्राब्लम के कारण 71,874 हैक्टेयर भूमि को डी-कमांड करने की ओर विभाग बढ़ रहा है। क्या यही हमारी पालिसी है?

मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि हम इन आंकड़ों को गिना तो रहे हैं, लेकिन हम चिन्ता नहीं कर रहे हैं। हमने इसके आगे एक आंकड़ा भी

(श्री प्रहलाद गुंजल)

दिया है कि 30 साल पहले भूगर्भीय जल का दोहन 35 प्रतिशत और आज 30 साल बाद भूजल के पुनर्भरण के आंकड़े नहीं, लेकिन भूगर्भीय जल के दोहन को जब हम 30 साल बाद देखते हैं, तो चार गुना 140 प्रतिशत तक पहुंच गया। कौन चिन्ता करेगा, माननीय सभापति महोदया? और इसी का परिणाम यह हुआ कि राजस्थान के 90 प्रतिशत से ज्यादा जो ब्लाक हैं, वे डार्क जोन में आ गये। हम लगातार यह चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। एक के बाद एक हमारा डार्क जोन बढ़ता चला जा रहा है। बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा, डार्क जोन में हम किसानों को कनेक्शन देंगे, एस.एफ.एस. योजना के तहत, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अगर राजस्थान के सारे ब्लाक लगातार डार्क जोन की स्थिति में आगे बढ़ते चले जायेंगे तो बिजली का कनेक्शन देकर हम उनके साथ न्याय नहीं कर पायेंगे।

पानी केवल राष्ट्रीय नहीं, अन्तरराष्ट्रीय समस्या है और सदियों से इस पर विचार हो रहा है। लगातार, पिछले पचास सालों से देश और दुनिया में इस बात की चर्चा है। यह गम्भीर संकेत सारी दुनिया समझ रही है कि अब जब भी विश्व युद्ध होगा तो पानी के कारण होगा। इतनी भयानक चुनौतियों के बाद, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं हमने सावधानी नहीं बरती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य की मुख्य मंत्रीजी को, हमने सदैव नदियों को, नदियां सदा नीरा रहे, उनका संरक्षण रहे, पानी बहता रहे, जीवन-दायिनी रहें, जैसे शरीर में ब्लड की धमनियां चलती हैं ऐसे देश में चलती रहें। मां कह कर पूजा, भावना संरक्षण की है, हमारी जीवन-दायिनी हैं, गंगा को मैया कहा, यमुना को मैया, चम्बल को मां चकरमण्यवतीं कह कर सम्मान किया। हमने इनके आधार पर राष्ट्रजीवन को मजबूत किया लेकिन, माननीय सभापति महोदया, लगातार जो देश में कांग्रेस की सरकारें रहीं, जल का दोहन तो हुआ, जल का संरक्षण नहीं हुआ।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने अपने बजट भाषण में पैरा नम्बर 47 पर, देर आये दुरुस्त आये, फोर-वाटर कांसेप्ट लागू किया और न केवल लागू किया, इस आइडिये को धरातल पर उतारने के लिए राजस्थान की सरकार आगे बढ़ गयी। राजस्थान का सबसे बड़े बेसिन मात्र चम्बल और माही बेसिन हैं जो राजस्थान को सरसब्ज कर सकते हैं। इन दोनों बेसिनों पर 35 करोड़ रुपये की योजनाएं मंजूर कीं और उन 35 करोड़ की योजनाओं में, माननीय सभापति महोदया, माही बेसिन पर 22 और चम्बल बेसिन पर 19 माइक्रो इर्रिगेशन टैंक, चैक डैम के काम शुरू कर दिये है।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

40-50 साल पहले ये नदियां, इनसे जुड़ने वाली नदियां सदा नीरा हुआ करती थीं। पानी केवल राष्ट्र, जीवन की जरूरत नहीं, केवल सिंचाई के लिए नहीं पशु धन के लिए भी आवश्यक, वनस्पति के लिए भी आवश्यक और मुख्य मंत्री जी का यह फोर-वाटर कांसेप्ट इन नदियों को सदा नीरा बना कर, इस राजस्थान के पशु धन और वनस्पति को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम है और एक बहुत अद्भुत प्रयास है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कन्क्लूड कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा राज्य की मुख्य मंत्रीजी को, इन्होंने सरकार में आते ही पहले प्राथमिकताएं तय कर दीं। जल है तो जीवन है, हम जल का प्रबन्ध करेंगे; बिजली विकास का आधार है, हम बिजली मुहैया करायेंगे। अब पानी, बिजली कोई लग्जरी नहीं, जरूरत हैं जीवन की और इसलिए उन्होंने आन्ध्र प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ बुलाये और तय किया कि हम इस सारे राजस्थान को किस तरीके से सरसब्ज कर सकते हैं; राजस्थान की धरती पर से बह कर जो सरफेस वाटर समुद्र में चला जाता है उसकी एक-एक बूंद पानी का उपयोग कर के किस तरीके से राजस्थान के समाज, जीवन को बदलने की परिकल्पना साकार कर सकते हैं। इसी के तहत, मुख्य मंत्रीजी ने दो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बनायीं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं, देर आये दुरुस्त आये, जो हमारे ऐतिहासिक कदम बढ़ रहे हैं, अब इनकी गति बढ़ जानी चाहिए। पार्वती नदी को रामगढ़ के पास रोक कर, चम्बल नदी को पार करा कर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर तक ले जाकर, जीवन स्तर को बदलने की महत्वाकांक्षी योजना है। पाचना से अलवर का जैत सागर और जयपुर के रामगढ़ तक, उस पर लिफ्ट से फीड होगा। जीवन में बदलाव आयेगा।

इतना ही नहीं, ब्रह्माणी नदी पर बांध की जो चर्चा लगातार कल भी क्वेश्चन के माध्यम से सदन में उठी, राज्य की मुख्य मंत्रीजी ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी, कालीसिंध नदी का कुछ पानी आर.पी.एस. में डाला जाए और आर.पी.एस. से ब्रह्माणी नदी पर बांध बना कर, 46 किलोमीटर लम्बी टर्मिनल बना कर, जयपुर के लोगों ने टर्मिनल देखी होगी, दौसा रोड़ पर एक किलोमीटर; 46 किलोमीटर की लम्बी टर्मिनल बना कर चम्बल, कालीसिंध का पानी बनास नदी में पहुंचाया जाए। अजमेर और जयपुर सम्भाग के लिए 100

(श्री प्रहलाद गुंजल)

साल की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जो भय दिख रहा है पानी की समस्या का जयपुर सम्भाग को, जो भय दिख रहा है अजमेर को, प्रकृति का संतुलन बदल गया, ऋतुएं बदल गयीं, पेड़-पौधे कटने के कारण पानी की लगातार गिरावट आ रही है औसत बरसात के अन्दर, उन चिंताओं पर विराम लगाने के लिए राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं मांग करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह पायलट प्रोजेक्ट केवल नदियों पर ही नहीं, अभी लाडपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने कोटा को बाढ़ से बचाने के लिए डाइवर्जन चैनल की मांग की, माननीय सभापति महोदया, जिस रोज डाइवर्जन चैनल की मांग हो रही थी, मेरा उस समय भी इनके साथ वैचारिक मतभेद था, मैने कहा था कि डाइवर्जन चैनल खोद कर आप पानी को ऐसी जगह पहुंचा दो, जो व्यर्थ बह कर समुद्र में चला जाए। जो डाइवर्जन चैनल, जिस इलाके से पानी आ रहा है उस इलाके के एक-एक गांव में वाटर टैंक बना कर, माइनर इर्रिगेशन डैम बना कर, उस इलाके के जीवन स्तर को सुधारने का गम्भीर प्रयास किया जाना चाहिए। मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, यह माही और चम्बल बेसिन में जो परियोजनाएं चल रही हैं, राजस्थान के छोटे-छोटे नदी-नालों पर भी ऐसे प्रोजेक्ट तैयार करके, समूचे राजस्थान को विकास के रास्ते पर पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया..

श्री सभापति: समअप करें, माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बस थोड़ी देर, माननीय सभापति महोदया।

श्री सभापति: थोड़ी देर क्या, बहुत देर हो गयी।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दो-तीन मिनट।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, पानी को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं जिस जगह से आता हूं चम्बल के इलाके से, चम्बल का बेसिन राजस्थान में सबसे बड़ा है और अब जो कुछ भी डवलपमेंट की गुंजाइश और जो कुछ भी उपयोग हो सकता है, वह चम्बल बेसिन का हो सकता है। इसलिए आज इस सदन में मैं राजस्थान के सिंचाई मंत्रीजी से मांग करना चाहता हूं, अब तक जो चम्बल बेसिन में परियोजनाएं स्थापित की जा सकीं, लाखों हैक्टेयर जमीन जिनसे सिंचित हो रही। हाड़ौती ही नहीं,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा सरसब्ज हो रहा है। 50 सालों में चम्बल पर आने वाले समय में योजनाएं प्रस्तावित हैं।

माननीय सभापति महोदय ,कितना पानी बह कर जाता होगा? इन तमाम प्रस्तावित और वर्तमान परियोजनाओं पर 3,010 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उपयोग हो रहा है, केवल 3,010 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, जिनमें प्रस्तावित योजनाएं हैं 25 साल की और आज वर्तमान में जो योजनाएं खड़ी हैं। अगर ईमानदारी से कालीसिंध, चम्बल, परवन, पार्वती, आहु, माही तमाम प्रकार की नदियां जो हाड़ौती से बह कर निकल रही हैं, उनके बहते हुए पानी का उपयोग किया जाए तो कम से कम बह कर निकलने वाला पानी चार-पांच हजार मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है। जितना उपयोग में है, प्रस्तावित सहित, उससे सवाया पानी बह कर समुद्र में जा रहा है।

जब कालीसिंध आती है तो, यह इर्रिगेशन के आंकड़े हैं, तीन लाख घन फीट पानी एक सैकण्ड में निकलता है; जब पार्वती आती है तो तीन लाख घन फीट पानी एक मिनट में निकलता है और जब चम्बल के 19 गेट खोल दिये जाते हैं तो देश की राजधानी में खतरे की घंटियां बज जाती हैं, यमुना के खतरे के निशान पर आने वाली यह चेतावनी दे दी जाती है। हाड़ौती की नदियां जब उफान पर आती हैं तो राजधानी में खतरे की घंटियां बजती हैं, खतरे के निशान के संकेत बज जाते हैं।

दुर्भाग्य है कि उस राजस्थान के जल को हम दिल्ली के निकट से समुद्र में पहुंचा रहे हैं और किनारे पर बैठा हुआ राजस्थान और राजस्थान की सुजलाम, सुफलाम शस्य श्यामलाम, राजस्थान की वह धरती सुजल से सुफल और शस्य श्यामलाम बनी, सुफल पैदा करने वाली है, हमारी राष्ट्रीय परिकल्पना हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीर तरीके से विचार किया जाना चाहिए। केवल दो मिनट लूंगा।

श्री सभापति: ओनली दो मिनट।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आखिरी मांग रखूंगा।

श्री सभापति: अब आखिरी एक मिनट है आपके पास। केवल एक मिनट।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, हां, मांग रखूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात कहिये, माननीय सदस्य।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, हाड़ौती की मांग रख रहा हूं।

श्री सभापति: शार्ट में।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): चम्बल से लाखों हैक्टेयर जमीन सिंचित होती है, वहां का जीवन बदल गया। आज चम्बल ही नहीं, मैं समझता हूं, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर नहरों में, माइनर्स में सिल्टिंग के कारण बहुत बड़ी समस्या है। डिसिल्टिंग का काम और नहरों को पक्का करने का काम, बहुत प्रायोरिटी का काम है। इसमें कोटा में 1274 करोड़ रुपये का काम चल रहा है, लेकिन इस काम में केवल 40 प्रतिशत माइनर्स को शामिल किया गया है। 100 प्रतिशत माइनर्स को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पीपल्दा क्षेत्र के अन्दर पानी को लिफ्ट करके टेल को पुनर्हरित करने की जो योजना बनी हुई है, उन तमाम योजनाओं की स्वीकृति की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आखिरी में कह रहा हूं। हमारे यहां सिंचाई विभाग में एक कानून प्रचलित है, बी सी रेशों, बेनिफिट: कास्ट, लागत: लाभ। जब कभी अंग्रेज हिन्दुस्तान में राज किया करते थे तो लागत का मुनाफा कमाने की बात करते थे। वह कानून आज भी चल रहा है। बस आखिरी बात कर रहा हूं। उस कानून में ट्राइबल एरिया में 100 रुपये लगेगा, 100 रुपया मुनाफा आ जाये तो लागू हो जायेगा, लेकिन इस राजस्थान के दूसरे हिस्से में जब तक 100 रुपये का 150 रुपया, लागत का डेढ़ गुना मुनाफा प्राप्त नहीं हो जायेगा तब तक कोई परियोजना नहीं बनेगी। इस अंग्रेजों के जमाने के कानून ने राजस्थान की सिंचाई नीति के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, जो ज्यादती की है, निश्चित रूप से इस पर पुनर्समीक्षा किये जाने की आवश्यकता है। यह बी सी रेशो कानून जो अंग्रेजों का है, इसको हटाये जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, ताखली बांध, और भी कई सारी जो बेहतरीन परियोजनाएं हैं, जिनको कालीसिंध, पार्वती से फीड किया जाना चाहिए, इन पर भी, माननीय मंत्री महोदय, मैं जब रामगंजमंडी से एम एल ए था, ताखली मंजूर हुई थी, 5 साल में काम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इस पर निश्चित रूप से सरकार को काम को आगे बढ़ाने की घोषणा करनी चाहिए।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि हमारे पास में अभी 30 और ऐसे माननीय सदस्य हैं जो अपने विचार सिंचाई के ऊपर रखना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और हम अपने विचारों को उसके ऊपर रखें, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखें। अगर हम 10 मिनट में अपनी बात को संक्षेप में कह सकें तो वह बहुत उत्तम रहेगा। क्योंकि हम सब लोग मिलकर, आखिरी में जो सदस्य रह जाते हैं उन सदस्यों को फिर टाइम नहीं मिलता है बोलने का। इसलिए मुझे आप सबसे यह कहना है कि समय सीमा का ध्यान रखें।

अगले सदस्य जो हैं, हमारे माननीय श्री सुरेन्द्र पाल सिंहजी।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अति महत्वपूर्ण जल, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जल है तो जीवन है और जल है तो कल है, यह केवल धारणा ही नहीं है, हमारे गुरुओं ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। सिख धर्म के गुरु गुरु नानक देवजी ने गुरु ग्रंथ साहब के अन्दर पानी के महत्व स्वीकार करते हुए कहा है, 'पहला पानी जीयो है जित हरया सब कोय, 'अर्थात् पानी से पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और पानी बरसने से वनस्पति है और संसार ही पानी के कारण है। इसलिए उन्होंने कहा, 'पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत'; 'जो पानी है, उन्होंने कहा, यह संसार का पिता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने पानी के महत्व को समझा। 2003-08 तक जब आप मुख्य मंत्री थीं, हरिके हैड से लेकर रामगढ़ तक 49-50 डिग्री के टेम्परेचर में पूरे नहरी क्षेत्र का दौरा किया। पूरे नहरी तंत्र की समस्याओं को देखा और उनको हल करने के प्रयास किये। पाकिस्तान पानी जा रहा था। गेटों की रिपेयर करायी, 7 करोड़ रुपये खर्च किये। जो पानी पाकिस्तान जाता था, वह आज एक बूंद भी पानी नहीं जा रहा है। केवल वसुंधरा राजेजी के और माननीय सांवरलालजी के प्रयासों से यह सम्भव हो पाया है।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, नहरों से सिल्ट निकालने के लिए विदेशों से मशीनें मंगाईं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि पिछली सरकार के समय में उनके अन्दर डीजल डालने की भी व्यवस्था नहीं की गयी और वे ठप पड़ी हैं।

मैं राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट में भी पानी के महत्व को स्वीकार करते हुए

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

नदियों को जोड़ने के लिए फोर-वाटर कंसेप्ट पर आधारित 'राजस्थान रिवर बेसिन आथोरिटी 'की जो रचना की है, इससे निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का भला होगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं मांग भी करता हूं, यमुना का पानी हमारे राजस्थान नहर में डाला जा सकता है और राजस्थान नहर 8 जिलों को प्रभावित करती है, मेरी यह मांग है माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय सिंचाई मंत्रीजी से कि यमुना के पानी के लिये डी पी आर बनायी जाये और यमुना का पानी अगर राजस्थान नहर में डाला जाये तो 8 जिलों को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदया, हमारा जो क्षेत्र है, उसके अन्दर पंजाब में जो 5 नदियां हैं, रावी, सतलुज, व्यास, झेलम और चिनाब, इनमें से दो पाकिस्तान के हिस्से चली गयीं और तीन नदियां हमारे देश के अन्दर, पंजाब में जो बहती हैं, वे हमारे हिस्से में पार्टिशन के बाद आयीं। इन सब नदियों पर डैम बनें, रणजीत सागर डैम बना, पौंग डैम बना, हरिके हैड वर्क्स बने। इन सबकी भराव क्षमता 17.17 मिलियन एकड़ फीट है। यानी जब पूरी बरसात हो, पूरे डैम भरे जायें तो 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी इनमें आता है और उसमें से, जो समझौते हुए, उसके अन्दर 8.6 हमारा हिस्सा तय हुआ। लेकिन यह दुर्भाग्य रहा कि 31 जुलाई, 1981 को शिवचरण माथुरजी ने इंदिराजी के दबाव में और उस समय दरबारा सिंहजी पंजाब के मुख्य मंत्री थे और भजनलालजी हरियाणा के मुख्य मंत्री थे, शिवचरणजी उस समय राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, वह .6 हमारा हिस्सा वहां छोड़ दिया। यह कहकर छोड़ दिया कि हमारा तंत्र अभी पूरा नहीं बना, जब तंत्र पूरा बन जायेगा तब हम पानी वापस ले लेंगे। दुर्भाग्य है कि वह .6 मिलियन एकड़ फीट पानी आज तक हम नहीं ले पाये।

माननीय सभापति महोदया, इसलिए मेरी सदन से अपील है कि वह .6 मिलियन एकड़ फीट पानी लेने के लिए हमें गम्भीरता से प्रयास करने चाहिए। वह कोई साधारण पैसा नहीं है। .6 का मतलब है 700 क्यूसेक्स और 1 क्यूसेक पानी से 1 करोड़ का उत्पादन होता है, 700 करोड़ रुपये के उत्पादन से हर वर्ष किसानों को वंचित होना पड़ रहा है। मेरा निवेदन है इस विषय पर, जो .6 मिलियन एकड़ फीट पानी हमें मिलता था और मिलना चाहिए, वह पानी हम वापस ले पायें तो यह राजस्थान के 8 जिलों के किसानों के लिए एक भागीरथी प्रयास होगा।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

माननीय सभापति महोदया, समय की पाबंदी है इसलिए, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, अपनी सीधी बातें, जो हमारे इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनकी ओर सदन का और माननीय मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। पंजाब से राजस्थान को जो पानी मिलता है, उसको मापने के लिए आज तक जो यंत्र लगे हुए हैं उसमें बहुत बड़ी त्रुटियां हैं। हमें पानी मिलता है गंग कैनाल के अन्दर 1,800 और वह दिखाते हैं 2,200 इसलिए हमारी मांग है कि आज इतनी आधुनिक प्रणालियां हैं, स्काडा सिस्टम है, हरिके हैड से लेकर के बालावाला हैड पर और जीरो हैड पर जहां राजस्थान के अन्दर पानी एंटर होता है, राजस्थान के अन्दर स्काडा सिस्टम लागू हो और एक-एक बूंद पानी नाप-तौल कर हमें मिले। पंजाब जो कहता है कि पानी ज्यादा है, हम कहते हैं कि पानी कम है, तो यह समस्या हमारी सदा के लिए खतम हो जाये।

माननीय सभापति महोदया, हमारी एक मांग और भी है। पंजाब सरकार से जो पानी हमें मिलता है, वह पंजाब सरकार के साथ रिलेशनशिप से मिलता है। उसमें पंजाब सरकार के अधिकारियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा जो अन्तरराज्यीय समझौता है, उसके अन्दर नहरों की रख-रखाव पंजाब करता है। वे हमसे बजट मांगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2009 से 2013 तक एक पैसा भी हमने पंजाब को नहीं दिया। इसलिए पंजाब के अधिकारी हमें सहयोग नहीं करते। समय पर अगर वह पैसा जाये तो हम हमेशा पंजाब से अच्छे सम्बन्धों से पानी ले सकते हैं। वह छोटी सी राशि है, कभी अस्सी लाख, कभी पचास लाख और यह कुल तीन-चार करोड़ रुपये हैं। हम सब एम एल एज ने भी लिखकर यहां के जो हमारे वित्त सचिव हैं, उनको दिया था लेकिन आज तक पैसा रिलीज नहीं हुआ। पंजाब जब नहरों में चलते-चलते पानी को कम करता है, हम जाते हैं तो पंजाब के अधिकारी कहते हैं कि पहले हमारा पैसा दो, फिर आपको पानी देंगे। छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, चलती नहरें पिट जाती है। मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से सरकार से कि छोटे से बजट के लिए इतना बड़ा नुकसान प्रदेश का नहीं होना चाहिए और पंजाब को समय पर और हर वर्ष जो रिपेयर का पैसा है, वह उसको टाइमली देना चाहिये।

मान्यवर, हमारे यहां जो पानी पंजाब से मिलता है, हैडवर्क्स पर हमारा नियंत्रण नहीं है। जो अंतरराज्यीय समझौता है, उसके अन्दर इसके जो पूरे हैड-वर्क्स हैं, उसका नियंत्रण बी बी एम बी के पास होना चाहिए, लेकिन वह पंजाब

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

के पास है। इसलिए पंजाब जो पानी देता है, उसकी उसके अन्दर दादागिरी चलती है। हम मांगते हैं पानी तो वह अपनी इच्छा से छोड़ता है। हम कहते हैं, नहर में पानी 1,800 है, वह कहते हैं कि 2,200 है। हमारी सदन के माध्यम से मांग है कि राजस्थान सरकार प्रयास करे। आज हमारी सरकार है केन्द्र में चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े लेकिन यह बी बी एम बी को हमारे हैडवर्क्स का नियंत्रण जब तक नहीं मिलेगा, राजस्थान को हमारे हिस्से का पानी पूरा नहीं मिल पायेगा।

मान्यवर, इसी तरह से हमने गंगानगर जिले में गंग कैनाल बना दी, हमने अपनी नहरें मजबूत कर लीं, हम खाले पक्के कर रहे हैं लेकिन पंजाब के अन्दर हमारी नहरों की स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है। फिरोजपुर फीडर बिलकुल टूटी हुई है, राजस्थान कैनाल बिलकुल टूटी हुई है। उन नहरों को जब तक हम दुरुस्त नहीं करायेंगे तब तक हम अपने हिस्से का पानी पूरा नहीं ले पायेंगे। इसलिए मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि पंजाब से एम ओ यू करके डी पी आर बनाई जाये और फिरोजपुर फीडर को भी ठीक किया जाये।

जीरो-टू-पैंतालीस आर डी जो उसका आल्टरनेटिव बन सकती है, महाराजा गंगा सिंहजी के समय की कैनाल है, आज जब पाकिस्तान पानी जाता है, उस पानी को रोकने के लिए उस जीरो-टू-पैंतालीस आर डी से पानी ले सकते हैं। हम उसको पक्की कर दें, कम से कम तीन महीने जब बरसात का पानी है, दो-तीन हजार क्यूसेक्स पानी एक्सट्रा मिल सकता है। इतना बड़ा लाभ हमारे यहां के लोगों को होगा, हमारे गंग कैनाल को होगा। छोटे से बजट के कारण, केवल पैंतालीस आर डी बुर्जिया, अगर जीरो-टू-पैंतालीस पक्की हो जाये, फिरोजपुर फीडर पक्की हो जाये, तो मैं समझता हूं कि यह पंजाब के साथ एम ओ यू करके राजस्थान सरकार इसको गम्भीरता से ले, डी पी आर बनाये और इसको पक्का करे ताकि किसानों का जीवन सुधर सके।

मान्यवर, यही नहीं, हमारे पंजाब की नहरें, उनमें उस वक्त पानी बहुत चोरी होता है, जब बरसात की कमी होती है तो पंजाब के लोग बरमे से पानी ले लेते हैं, पांच-पांच सौ क्यूसेक्स पानी चोरी हो जाता है। हम थाने में रपट लिखाने जाते हैं, हमारा अधिकारी, तो वहां के जो थानेदार हैं वे हमारी रपट नहीं लेते। मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से, एक मोबाइल सशक्त टीम बनाई जायें और वह टीम अपने दो-तीन गाडियां लेकर समय-समय पर नहरों पर जायें और जहां भी पानी की चोरी हों वहां प्रयास करे। अगर प्रयास कामयाब नहीं हो तो 156/3

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

के अन्दर थानों के अन्दर इस्तगासे करे और यह सारी चीजें रिकार्ड पर आ जाये तो पंजाब के सामने हमारा पक्ष रखने के लिए हमें उसके अन्दर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मैं मांग करता हूं कि यह मोबाइल टीमें वह जितनी भी, राजस्थान नहर है, गंग कैनाल है, सिद्धमुख कैनाल है, हरियाणा चोरी करता है, पंजाब चोरी करता है पानी, उसको रोकने के लिए यह मोबाइल टीमें बनाई जायें।

इसी तरह से एक बहुत बड़ा नुकसान हमें हो रहा है। 1980 में पंजाब में बाढ़ आ गई, पानी जा रहा, आगे और पीछे से। तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि जितनी भी हमारी पोंग डैम की और हमारे जो डैम्स हैं पंजाब में, उनकी भण्डार क्षमता है उसको 10 फीट खाली रखा जायेगा। जब वे ऊपर के 10 फीट पानी को खाली रखते हैं तो बहुत बड़ा हिस्सा पानी का वेस्ट जाता है। इसलिए हमारी मांग है कि 10 फीट पानी खाली रखने का जो नियम है, उसको बी बी एम बी के अन्दर उठाया जाये। इसके कारण आठ सौ से लेकर एक हजार क्यूसेक्स पानी का हर साल हमें नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी कीमत एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष है।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को भी, अब आप सांसद हैं, दिल्ली में हैं और हम भगवान से कामना करते हैं कि मानव संसाधन मंत्रालय जैसा आपको वहां जाकर विभाग मिले, तो आप अपने एक्सपीरिएंस से राजस्थान का कितना बड़ा फायदा कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक शुभ संकेत होगा। आपका तजुर्बा है, आपने खूब गंगानगर जिले में भ्रमण किया है, आपको राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से, सब स्टेटों से पानी के बारे में हमारी जो-जो समस्या है, उनका ज्ञान है। आपके एम पी बनने से हमें इस बात का भी बहुत बड़ा फायदा तो जरूर मिलेगा लेकिन हमारे इलाके के लोग जो आपने सेवा की है, आपको कभी भूलेंगे नहीं। जिस प्रकार आपने लगातार नहरों पर भ्रमण करके गंगानगर जिले के किसानों को राहत दी, वे लोग आज भी सांवरलाल, सांवरलाल, आपको जानते हैं।

दुर्भाग्य है कि पिछली बार कांग्रेस के सिंचाई मंत्री रहे और एक भी बार वे गंगानगर नहीं गये, एक बार भी। अब जिस सरकार के मंत्री एक बार भी अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करें, तो वह सरकार क्या किसानों के लिए कर सकेगी और उनकी क्या संवेदनशीलता होगी, यह इस बात का एक जीता-जागता उदाहरण है।

मान्यवर, हमारे यहां बरसात होती है तो जल कुम्भी, जिसको 'केली'

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

बोलते हैं, यह केली आ जाती है। इससे नहरों का सारे का सारा सिस्टम चाक हो जाता है। मेरा निवेदन है कि यह जो केली आती है, इसको रोकने के लिए मशीनें हैं, लेबर्स से वह निकलती नहीं, इसलिए मेकेनाइज्ड सिस्टम बनाया जाये और केली से जो नहरें तीन महीने प्रभावित रहती हैं, उसको रोका जाये।

इसी तरह, हमारी एक नहर है एच माइनर, वह पाकिस्तान की सीमा से निकलती है, उसके सीपेज का सारा पानी पाकिस्तान उठाता है। करोड़ों रुपयों की फसल लेता है। सदन के माध्यम से, मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सीमा से निकलती हुई एक नहर, इसको बी एस एफ के साथ सम्पर्क करके तुरन्त पक्का करवाया जाये। इससे एक तो हमारे किसान को फायदा होगा; दूसरा, हमारे इस छोटे से बजट के कारण पाकिस्तान जो लाभ उठा रहा है, उसका फायदा जो ले रहा है, इस नहर को पक्की न करने के कारण वह लाखों एकड़ में फसल हमारे पानी से पालता है। तो यह भी हमारी मांग है।

मान्यवर, इसी तरह से, मेरा एक निवेदन है कि हमारे यहां नहर के अन्दर बहुत बजट है, हमारे ए आई बी पी योजना है, उसमें 651 करोड़ रुपये का बजट पड़ा है, वह बजट 2016 तक खर्च होना चाहिये लेकिन अभी उसके अन्दर जितनी गति से बजट खर्च होना चाहिए, उस हिसाब से स्कीमें नहीं बन रही हैं। उसमें कभी छह बुर्जी हमारी एल एन जी की पड़ी है। अट्ठाइस बुर्जी फीडर की पड़ी है; हमारे नेतेवाला हैड, सुलेमान हैड, डाबला हैड, अमीनपुरा हैड, ये सारे हैड बकाया पड़े हैं। तो तुरन्त प्रभाव से डी पी आर बने और इसी वर्ष में इन हैडों का काम चालू हो।

माननीय सभापति महोदया, रिपोर्ट नहीं बनी, इसका एक कारण है, हमारे यहां जे ईएन नहीं हैं। जे ईएन तखमीना तैयार करता है और अगर तखमीना तैयार करने वाला, एस्टिमेट तैयार करने वाला अधिकारी ही नहीं होगा तो बताओ, स्कीम कैसे पूरी होगी? 70 परसेंट, 90 परसेंट जे ईएन की पोस्टें खाली है। मंत्रीजी से निवेदन है कि सरकार तुरन्त जे ईएन की पोस्टें हैं उनके अन्दर पोस्टिंग करे ताकि जो बजट हमारे पास है, उसका हम सदुपयोग कर सकें।

तीन बातें और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पंजाब के लुधियाना शहर से बहुत बड़ा सीवरेज का पानी हमारे नहरों में आता है, इतना गंदा पानी कि लोगों को कैंसर हो रहा है। एक ट्रेन बीकानेर चलती है उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। मेरा निवेदन है कि उसके अन्दर ट्रीटमेंट प्लांट

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने योजना मंजूर कर दी है, तुरन्त पंजाब के साथ बात करके ट्रीटमेंट प्लांट लगे और आठ जिले के लोगों को जो गंदा पानी पीना पड़ रहा है, उस गंदे पानी को किस तरह से हम स्वच्छ पानी लोगों को दे सकें, इसके लिए गम्भीरता से प्रयास किये जायें।

इसी तरह से, मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि गंग कैनाल के अन्दर, राजस्थान कैनाल की फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छी-अच्छी जमीनें, बगैर पानी के, अनकमाण्ड पड़ी हैं। (व्यवधान) दो मिनट में।

श्री सभापति: दो मिनट। सिर्फ दो मिनट।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): तीन मांगे हैं और कुछ सुझाव हैं। तीन-चार मिनट में।

श्री सभापति: तीन-चार नहीं, सिर्फ दो मिनट।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): मेरा निवेदन है मंत्रीजी से कि हमारे यहां जो पैचेज में टुकड़े पड़े हैं, इनको कमाण्ड किया जाये। आप पानी दो वहां, पीने के लिए पानी दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लिफ्ट के अन्दर जब आप नहरी पानी देते हैं और 800 रुपये प्रति हैक्टेयर ज्यादा खर्चा करते हों और शुरू के अन्दर बैठा किसान, वह पानी के लिए तरसता है। हमारे यहां जीवनदेसर गांव है, दस हजार एकड़ जमीन उसकी पड़ी है लेकिन वह आज तक कमाण्ड नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि ऐसे अच्छे-अच्छे टुकड़े पानी से वंचित हैं, अनकमाण्ड को खोलकर पानी देने के लिए करें।

सी ए डी आपके खाले बना रही है, आपको मैं कई दफा मिल चुका हूं, बाइस हजार कीमत है, अट्ठाइस हजार कीमत आ रही है, छह हजार का फर्क है। या तो सरकार इसको वहन करे वरना उसकी लैंथ कम करके इसको एडजस्ट कराये, एन ओ सी की आवश्यकता समाप्त करें, जिसके कारण से छोटे-छोटे खाले बनने वाले हैं, वे भी रुके पड़े हैं।

इसी तरह से, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वाटर यूजर्स एसोसिएशन बनी हुई है वह एकाधिकार में है। जिस तरह आपके पास में बैठे हुए मंत्रीजी, इनके यहां जैसे रिप्रजेंट करते हैं, वही हमारे यहां मनमर्जी से किसी का पानी काट देते हैं, मनमर्जी से किसी का पानी ज्यादा बांध देते हैं, सरकारी नियंत्रण नहीं है। मेरा निवेदन है कि बाराबंदी के लिए जो वाटर यूजर्स एसोसिएशन है, उसमें एक्स ईएन इन्वाल्व हो और उसके दस्तखतों के साथ बाराबंदी लागू करेंगे तो किसानों को जो बिना मतलब उससे परेशानी होती है, तो उस परेशानी को हम दूर कर पाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): लास्ट। सिंचाई में जो पिछली सरकार थी, उसमें बिजनेस एण्ड रूल्स में एक्स ईएन के जो पावर थे, एक्स ईएन के पावर के काम भी यहां आ गये। अगर छोटा सा 'पी' फार्म कराना है तो जयपुर आओ। इस काम के लिए अभी पिछले दिनों एक कमेटी और बना दी। इन छोटे -छोटे कामों के लिए किसानों की दो-दो साल से फाइलें पैंडिंग पड़ी हैं। मैं टेबल कर सकता हूं कि दो साल से एक छोटे से काम के लिए यहां जयपुर आएं तो आया नहीं जाता और यहां काम रुका पड़ा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप 'पी' फार्म पर लगा प्रतिबंध हटाएं। सरकार आप चलाते हो, जिसमें शिकायत है वह फाइल जब मर्जी आये, मंगा लो। वह तो आपका एकाधिकार है, लेकिन हर काम के लिए जयपुर आना पड़े, यह गलत है।

मेरा निवेदन है कि पीने के पानी के लिए जो जनता जल योजना है, उसमें दो सुझाव हैं। एक तो आपने सरकार को कहा है कि तुरन्त ठीक करो, मैं उसका स्वागत करता हूं, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसके अन्दर ये सरपंच नहीं चला पाएंगे। आप छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर, सेल्फ एड ग्रुप बना लो, जिन लड़कों ने आई टी आई की है उनको दे दो तो वे ठीक चला सकेंगे। लेकिन सरपंच, यहां पूछ लो, एक भी सरपंच जनता जल योजना को ठीक ढंग से नहीं चला सकता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर): इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बार सिंचाई के अन्दर बहुत अच्छा बजट दिया है, नहरों की मरम्मत के लिए, सिल्ट के लिए, सफाई के लिए और मैं खासतौर से सांवरजी का आभारी रहूंगा, हमेशा इनकी गंगानगर जिले पर और सिंचाई पर जितनी इनकी पकड़ थी, जितने अधिकारियों से इन्होंने काम कराए और जिस तरह से इन्होंने काम किया, हम इनके हमेशा ही आभारी रहेंगे। गंगानगर के किसानों की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से केन्द्र में भी आप अच्छा काम करेंगे।

सभापति महोदया, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती अनिताजी।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय सभापति महोदया, आज सिंचाई की बहुत महत्वपूर्ण मांग है। मांग संख्या 46, इस पर आपने बोलने का मौका दिया।

(श्रीमती अनीता)

सभापति महोदया, आपके द्वारा सदन को बताना चाहूंगी कि भरतपुर, जिस जिले से मैं आती हूं, उसका बहुत गौरवमय इतिहास रहा है। चाहे मुगल शासक रहे या अंग्रेज रहे, इस जिले को कभी भी जीता नहीं जा सका। यह पूरे देश में हमेशा अविजित रहा। एक यही ऐसी स्टेट थी जो कभी भी अंग्रेजों की गुलाम नहीं रही।

रियासतकाल से एक बहुत समृद्धशाली हमारा भरतपुर क्षेत्र रहा है। इस भरतपुर क्षेत्र में शुरू से ही पानी की, सिंचाई की, एक इस तरीके से व्यवस्था की गयी थी जिससे पूरे गांव के जो किसान रहते हैं उन सब किसानों में खुशहाली रहे, क्योंकि किसान खुशहाल तभी रह सकता है जब उसके खेत के लिए, उसकी सिंचाई के लिए पूरा पानी, जितनी उसकी आवश्यकता है, उतना पानी उसको मिल जाय। उसी समय से बहुत सारी व्यवस्थाएं की गयी थीं और आज 66 साल बाद मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि उन चीजों को भी, रियासतकाल में बांध, वगैरह बनाये गये थे, उन चीजों के रखरखाव को और उस पानी का हम सही तरीके से उपयोग करते और देखरेख करते तो आज जो पानी की परेशानी भरतपुर जिले में उत्पन्न हो रही है, वह नहीं होती।

मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, यह सदन के ध्यान में लाना चाहती हूं कि जो भरतपुर की संरचना है, क्योंकि जो पानी का काम है यह अपने आधार पर ढलान के हिसाब से जाता है, जैसी संरचना धरती की होती है उसी हिसाब से, पानी चलता जाता है; जो भरतपुर की संरचना है, वह इस प्रकार की है कि वह कटोरीनुमा है, वह नीचा है और बाकी और जिले हैं वे ऊंचाई पर हैं। इसलिए वहां से जितना बरसाती पानी चारों तरफ से आता था, वह भरतपुर जिले में आ जाता था और भरतपुर जिले में पीने के पानी की और सिंचाई की व्यवस्था इसी माध्यम से हुआ करती थी। क्योंकि बरसात का पानी अब दिन-दिन कम होता जा रहा है और रखरखाव नहीं होने की वजह से, बरसात नहीं होने की वजह से, जो हमारे डैम्स हैं, इनकी स्थिति भी दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर की पंचायत समिति नगर में जल संसाधन उपखण्ड संचालित है, उस उपखण्ड के अन्दर जे ईएन और ए ईएन नहीं हैं। इस उपखण्ड में सिंचाई विभाग के जे ईएन व ए ईएन नहीं होने से कोई काम नहीं होते, कामों में बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। हमारा जो क्षेत्र है,

(श्रीमती अनीता)

उसमें रूपारेल नदी का पानी अलवर से चलकर नगर तक आता है और सीकरी बांध में 28 कैनाल हैं, उन कैनालों द्वारा निकलकर जाता है और वह पानी नगर, कामां, डीग होते हुए भरतपुर की मोती झील तक जाता है। यह समझिए कि जिले के आधे विधान सभा क्षेत्र हैं उनके अन्दर यह पानी पीने के साथ-साथ सिंचाई का प्रबंध करते हुए जाता है। इस प्रकार इसकी संरचना बनायी हुई है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि स्टाफ नहीं है, मंत्रीजी स्टाफ लगाएं। स्टाफ लगाएंगे तभी सिंचाई के काम अच्छे हो पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है।

मेरे यहां पर नगर पंचायत समिति के अन्दर बांध है, उसके लिए बहुत सारी चीजें पहले भी मंत्रीजी को लिखी हैं कि उसमें कहां-कहां मरम्मत और जीर्णोद्धार चलेगा। अभी प्रश्न के माध्यम से भी यह बात सदन के बीच में आयी थी और मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया था। उसके लिए मैं मांग रखना चाहती हूं कि सीकरी डैम का 1,185 लाख रुपये का एक एस्टिमेट सरकार में पडा हुआ है। वह अब से नहीं, कांग्रेस के टाइम से पड़ा हुआ है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि इसको ध्यान दें और इतना पैसा सीकरी डैम के लिए दें।

जो बांधों की स्थिति है, उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी कि जो मेन लाइफलाइन है मेरे जिले की भी और मेरे विधान सभा क्षेत्र की, वह सीकरी बांध है। सीकरी बांध रूपारेल नदी की टेल है। रूपारेल नदी का पानी बरसात में जयसमंद से, वहां से इकट्ठा होकर सीकरी तक आ जाता है। रूपारेल नदी के ऊपर हमारे यहां कहावत ही है,'' चाहे डालो जितनी छितरी, जाय रहूंगी सीकरी''। रूपारेल नदी का जो पानी है उसको कितना भी बांधों से या और तरीके से रोकने की कोशिश करेंगे तो भी वह पानी सीकरी में किसी भी तरीके से पहुंचेगा, लेकिन उसकी क्षमता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है।

मैं यह कहना चाहती हूं जो रियासतकालीन बांध है, 1834 में इसका निर्माण किया गया और इसमें से 28 नहरें निकलती है। जो सीकरी बांध है, मुख्य रूप से इसको बनाने के पीछे कारण यह था कि भरतपुर की जिस प्रकार से संरचना थी, उसमें यह रहता था कि जब बरसात बहुत होती थी तो उसका पानी आता था, भरतपुर जिले में बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। बाढ़ की स्थिति में पानी का अच्छे से उपयोग हो सके, बाढ़ को रोकने का काम हो जाय और पानी का उपयोग भी अच्छा हो जाय, इसलिए बांध को उन्होंने 28 कैनालों में अलग-अलग बांध दिया कि जितना पानी आएगा, 28 जगह से निकलेगा और लगातार

(श्रीमती अनीता)

पूरे क्षेत्र के हर गांव में पेयजल और सिंचाई करता हुआ आगे बढ़कर निकल जाएगा।

मैं यह कहना चाहती हूं, इसकी लम्बाई बहुत है, इसकी लम्बाई 140.60 किलोमीटर है। यह रूपारेल की टेल है, यहां तक पानी आने में बहुत परेशानी होती है। इसके नवीनीकरण के लिए भी सरकार के पास प्रस्ताव, पिछली बार कांग्रेस का राज था, हमने प्रस्ताव वहां से भिजवाए, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी पीने के पानी की और भरतपुर की तरफ, सिंचाई की तरफ, किसानों की तरफ, कभी कोई ध्यान देने की कोशिश नहीं की। वे प्रस्ताव वैसे के वैसे पड़े हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहती हूं कि सीकरी बांध की रिपेयर और इसके नवीनीकरण के लिए 84 करोड़ के कार्य यहां प्रस्तावित हैं तो उन्हें भी मंजूर किया जाय ताकि सीकरी बांध का काम वहां पर हो सके।

जो सीकरी बांध है उस बांध में बहुत सारे लोगों ने एन्क्रोचमेंट कर रखा है। वहां पर बरसात नहीं हो रही है और जयसमंद से जो रूपारेल का पानी आना था, वह पानी अब बहुत सालों से कम होते-होते अब ना की श्रेणी में आ गया। एक समय ऐसा होता था, जब यह रूपारेल नदी हमारे क्षेत्र में चलती थी तो धान की फसल हुआ करती थी। इतना पानी हुआ करता था कि लोग वहां धान उगाया करते थे। लेकिन अब छोटे-छोटे अवैध एनिकट बनते गये, आज वहां पर बिना पानी की फसलों को बोना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र ऐसा है कि वहां जमीन सोखने की शक्ति नहीं रखती है कि जो पानी आ रहा है उसे सोख ले। वह पानी आता है, वह बहकर ही बाहर चला जाता है। सोखने की शक्ति नहीं, इसलिए बहुत कम मीठा पानी वहां उपलब्ध है, पीने को पानी नहीं है और सिंचाई के पानी की व्यवस्था की बात हम करते हैं तो हमें लगता है, हम कैसे अपने क्षेत्र के किसानों की व्यवस्था कर पाएंगे?

बहुत सारी चीजें होती हैं, यहां महंगाई पर बात चलती है, लेकिन हम इस चीज को महसूस करते हैं, हर आदमी, इस सदन में भी मेरे खयाल से 90 परसेंट लोग हैं जो किसान वर्ग से यहां चुन कर आते हैं और किसानों की सबसे बड़ी मांग होती है कि हम अपने खेत में फसल के लिए पानी दे सकें। पानी का हिसाब इस तरीके का है, एक तो स्टेटवाइज बहुत सारी नदियों की बात है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयीजी ने, जो पिछली सरकार थी, उस समय भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनायी थी पूरे देश में नदी से नदी जोड़ने की और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस बार जो वसुंधराजी की सरकार बनी है,

(श्रीमती अनीता)

सरकार ने अस्तित्व में आने के बाद, तुरन्त इस बात की घोषणा की कि राजस्थान के अन्दर भी जो नदियां हैं हम उनको जोड़ेंगे और नदियों को जोड़ने से जो फायदा मिलेगा, वह हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा होगा।

सभापति महोदया, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं कि सीकरी जो कैनाल सिस्टम है, वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण दशा में है। इसलिए उसकी मरम्मत हो।

इसके बाद जो हमारे क्षेत्र में डावक बांध पड़ता है, यह बांध रियासत कालीन बांध ही है और इसकी सीकरी बांध से भण्डार और चमारवाली तक भरता है। इसके 1996 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ के बाद आज तक, इसका नुकसान हुआ था, जो इसके बंध टूट गये थे, विंग वाल्स टूट गई थीं, वे बन नहीं पाई हैं। इसलिए उसके लिए भी सरकार ध्यान दे और उसकी यूएस और डीएस विंग वाल हैं वे बनाई जाएं।

उसके बाद हमारे क्षेत्र में एक डरावण्डा बांध आता है, यह बांध कैनाल हुसैपुर नई शाख और नकटी कैनाल से भरता है। इस बांध की कोई ब्रांच नहीं है। इसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 10 लाख रुपये की प्रस्तावित योजना है, उसमें करें।

एक मेन इश्यू है, वह इश्यू है, गुड़गांव कैनाल का पानी सीकरी बांध में लाना। यह एक ऐसा इश्यू है जो लगातार बहुत सारे वर्षों से चलता आ रहा है। क्योंकि रूपारेल में वर्षा बहुत कम होती है, इस माध्यम से सीकरी बांध में पानी की आवक कम हो गई। वर्षाकाल में जी एम सी चैन से पानी को हम लिफ्ट कराना चाहते हैं और लिफ्ट कराकर उसको सीकरी बांध जीरो पर डालने की योजना है जिसके बारे में मंत्रीजी ने प्रश्न के माध्यम से भी जवाब दिया था कि इसकी डी पी आर अगले महीने जो अगस्त आ रहा है उस अगस्त में डी पी आर बन जाएगी। मैं इस बात को समझती हूं और मंत्रीजी का भी लगता है कि यह सरकार किसानों की सरकार है, तो निश्चित रूप से हमारी यह डी पी आर बनने के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना को सैंक्शन करेगी। वहां के लोगों को बहुत ज्यादा इसमें, किसानों को फायदा मिलेगा और सबको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा।

सभापति महोदया, मैं एक बहुत अहम मुद्दा उठाना चाहती हूं कि यह जो रूपारेल नदी की बात अभी हमारे बड़े भाई ज्ञानदेव आहूजा जी, सदस्य, रामगढ़ वालों ने उठाई थी, उनका यह कहना था कि जो हिस्सा है उसको करें। मैं इस

(श्रीमती अनीता)

बात को कहना चाहती हूं कि जो रूपारेल नदी का भरतपुर का हिस्सा है, वह हिस्सा निश्चित रूप से हमेशा बरकरार रहना चाहिए। क्योंकि पानी पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होता, पानी एक ऐसी चीज है जिस पर सबका हक है और जिले-जिले के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं उन डिस्प्यूट्स को स्टेट को बैठ कर हल करना चाहिए। जो हमारे हिस्से का पानी है, वह बंध बनकर रुका हुआ है, वह हमारे हिस्से का पानी उसमें मिल जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सम-अप करें।

श्रीमती अनीता (नगर): एक लास्ट है। माननीय सभापति महोदया, एक विशेष मुद्दा है, उसी के बारे में बात करना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में यमुना जल समझौते में जो भरतपुर जिले का हमारा हिस्सा है, वह 1994 में तय हुआ था कि 1,281 क्यूसेक्स पानी हमारे भरतपुर जिले को मिलेगा। यह सिर्फ भरतपुर का है, 1,281 इसमें भरतपुर का हिस्सा था और हिस्से में वर्तमान में हम सिर्फ 800 क्यूसेक्स पानी उनसे ले पाने की क्षमता में हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जहां पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है और यह कहा भी गया है कि अगला विश्व युद्ध जो होने वाला है वह पानी के लिए होने वाला है, तो जो 1,281 क्यूसेक्स की हमारी मांग है, जो हमारे क्षेत्र के लिए तय हुआ है, वह 1,281 क्यूसेक्स का पानी लेने की क्षमता के लिए हमें वहां भण्डारण केन्द्र या जो भी व्यवस्थाएं हैं, वे हमको करनी चाहिए। अब हमारी सरकार आई है तो निश्चित रूप से उसको करें।

मैं यह कहना चाहती हूं कि इसमें जो 481 जल का उपयोग एक परियोजना है 175.44 करोड़ की, यह केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली से अनुमोदित है और इसका सर्वेक्षण कार्य भी हो रहा है, इसके एम ओ यू भी हो गये हैं। इसकी फाइनल डी पी आर 29.9.2011 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत हो गई है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको सैंक्शन करना चाहिए।

एक बात और कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार ने गुड़गांव कैनाल के ऊपर जो कैनाल्स बनाने के लिए बनाई थी, मेरी जानकारी में आया कि वह ऐसे एक ठेकेदार फर्म को दी गई जिनसे उन सब में दरारें आ गई और एक साल से वो काम चल नहीं पाया। तो वह भी बहुत बड़ा जांच का विषय है, उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें। हो गया आपका। बहुत समय हो गया।

श्रीमती अनीता (नगर): बस, एक लास्ट पाइंट। मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि 2004 में जो ओखला कैनाल से हमारे क्षेत्र में पानी आता था, तब 58.97 परसेंट पानी हमको मिलता था और वह धीरे-धीरे घटते-घटते वह 2013 में केवल 30 प्रतिशत पानी हमारे यहां आ रहा है।

श्री सभापति: आप बैठिये, माननीय सदस्या। आप लिखकर दे दीजिये अपनी बात, जो भी है, वह आप।

श्रीमती अनीता (नगर): मैं इस पर बहुत चिंता व्यक्त करना चाहती हूं और यह भी कहना चाहती हूं कि जो स्टेट्स में हमारी हिस्सेदारी है, उसके लिए, मंत्री जी सैण्टर में हमारी सरकार है, उसके लिए प्रयास करेंगे और जो हमारा 58 परसेंट 2004 में आता था, उसी स्थिति में वापस हमको पानी दिलाया जाएगा।

आपने मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंहजी।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़): माननीय सभापति महोदया, मांग संख्या 46 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

राजस्थान में सुराज संकल्प यात्रा निकलने के बाद जिस तरह से जनता ने जनादेश दिया, मुख्य मंत्री बनने के बाद आदरणीया वसुंधराजी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, जनता को पूरा विश्वास हुआ कि अब राजस्थान में अच्छे दिन आयेंगे। यही नहीं, लोक सभा में भी 25 में से 25 सीटें देकर जब देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी बने तो आम जनता को विश्वास हुआ कि मोदीजी और वसुंधराजी मिलकर अटलजी का जो नदियों को जोड़ने का सपना था, वह सपना पूरा होगा और आने वाले पांच साल में अच्छे दिन हमें देखने को मिलेंगे। सभापति महोदया, यही नहीं, हमारे सदन की नेता ने नदियां जोड़ने का जो प्रावधान है, वह पहले ही बजट में आदरणीया मुख्य मंत्री ने राजस्थान रिवर बेसिन अथोरिटी का गठन करके यह साफ मेसेज दिया है कि अब पांच साल बाद नहीं पहले वर्ष से ही नदियों को जोड़ने का कार्य प्रारम्भ करेंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए इस बजट में दो पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी रखा है। सभापति महोदया, चम्बल की सहायक नदी आहु और माही की सहायक नदी बुनाद, ये दो प्रोजेक्ट पर 35 करोड़ का प्रावधान कर आगामी बरसात से पहले इन प्रोजेक्ट का पूरा काम करने का काम हाथ में लिया है। इससे हम सब को विश्वास हुआ। सदन के सभी माननीय सदस्यों को भी विश्वास है और राजस्थान की जनता को भी भरोसा है कि वास्तव में अब आने वाले दिनों में

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

जो किसान के मन में इच्छा है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, हमें पूरा भरोसा है कि हमारी नेता इस काम को पूरा करेंगी।

आदरणीय मंत्री महोदय भी यहां विराजमान हैं, जब 2003 में सरकार बनी थी, हमारी सरकार को उससे पूर्व की सरकार ने कुछ लम्बित योजनाएं विरासत में दी थीं। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी 163 लम्बित योजनाएं अधूरी छोड़कर गये थे, उन 163 योजनाओं को हमारी सरकार ने 2003 से 2008 में पूरी कर जनता को पूरा फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। यही नहीं, 143 माइनर सिंचाई योजनाएं थीं जो अधूरी छोड़कर गये थे, उनको भी वसुंधरा जी की सरकार ने 2003 से 2008 के बीच में पूरा किया। सभापति महोदया, 7 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं थीं जो अधूरी छोड़कर गये थे, उनमें से 6 परियोजनाओं को वसुंधराजी की पहले वाली सरकार ने पूरा किया। लेकिन

(15.00 बजे)

आज आपके समक्ष मैं निवेदन करूंगा, आपको स्वयं को आश्चर्य होगा, आप स्वयं उस समय सांसद थीं उस क्षेत्र की और शायद आपको याद होगा, 2008 में मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक आगरिया फीडर और लिकी फीडर का भूमि पूजन हुआ था। उस कार्यक्रम की आप स्वयं गवाह हैं। मैं यह इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि इतनी योजनाएं वे अधूरी छोड़कर गये, 2003 में हमें विरासत में दीं, 2008 तक हमने पूरी कीं लेकिन मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में 2008 में ये दोनों योजनाएं स्वीकृत हुईं, इनका कार्य प्रारम्भ हुआ, 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था लेकिन बड़े दु:ख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि 2008 में जब सरकार बदली, 15 दिन के अन्दर इन दोनों फीडर का काम बंद कर दिया गया। वह केवल इसलिए कि सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के गांव के नाम से फीडर थी। वह फीडर केवल आगरिया फीडर नाम से थी लेकिन मनोहर सागर, जो सरदारगढ़ में बहुत बड़ा डैम, स्टेट टाइम का बना हुआ है, उस डैम को बनाने के लिए वह योजना बनाई गई थी।

इसी तरह, लिकी फीडर की योजना भी थी। पांच साल तक उन ठेकेदारों को वहां काम नहीं करने दिया। जब हमने अधिकारियों को पूछा, यह काम बंद क्यों हैं? तो उन्होंने कहा, साहब, ऊपर से दबाव है। शायद मैंने यह महसूस किया कि उस समय जो सदन के नेता थे और उस समय कुम्भलगढ़ से विधायक महोदय आते थे, वे गहलोत साहब के कांफिडेंस के नहीं थे। वैसे गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जनता का अहित किया लेकिन इस चुनाव में मेरा

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

हित करके चले गये। माननीय सभापति महोदया, आपसे निवेदन करूंगा, इन दोनों फीडरों से 40 गांवों के किसानों को फायदा होना था, उन 40 गांवों में 40 बूथ हैं, वहां 10 प्रतिशत मत भी कांग्रेस को नहीं मिला। जनता ने साफ बदला लिया, जो इस तरह भेदभाव से काम किया।

अब पुन: यहां सदन में बार-बार सुनने को मिलता है, सभापति महोदया, आप जानती हैं, मैं शांति से सुनता हूं, लेकिन यहां बार-बार यह कहा गया कि 60 दिन में सरकार ने क्या किया? लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद देना चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 60 दिन की योजना में दोनों फीडर को वापस लिया गया और आज की तारीख में वापस टेण्डर होकर वर्कआर्डर हो चुके और अतिशीघ्र ही इन दोनों फीडरों का काम प्रारम्भ होगा।

आगरिया फीडर के बारे में, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस समय उस फीडर का कार्य प्रारम्भ ही हुआ था, फीडर बनी, उसके बाद में कई काश्तकारों के एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं रहा। जब वह शिकायत हमारे सामने आई तो हमने किसानों को विश्वास दिलाया कि वापस रिवाइज्ड सैंक्शन निकलवाकर आपके खेतों में जाने के रास्ते बनाये जायेंगे, किसानों के खेत तक पानी भी पहुंचायेंगे, किसी किसान को यदि नुकसान भी हुआ है तो उसकी भरपाई हम सरकार से करायेंगे। 60 लाख रुपये की नई योजना बनकर आपके पास प्रस्तावित है, मुझे पूरा विश्वास है, स्वीकृति हो जायेगी और निश्चित तौर से जनता को पूरा लाभ होगा।

इसी तरह, माननीय सभापति महोदया, 2008 में कुम्भलगढ़ में एक बेडच का नाका स्वीकृत हुआ था। उससे भी 40 गांवों को फायदा होना था। मैं यहां नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि वे सदन के सदस्य नहीं हैं। वहां पर भी कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत बड़ा पत्थर लगाया, ग्रेनाइट का बड़ा पत्थर लगा हुआ है और यह मेसेज दिया गया था चुनाव में 2002 में कि यह योजना पूरी होने वाली है। मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने 2008 में स्वीकृति दी, लेकिन फोरेस्ट विभाग की क्लियरेंस नहीं आने की वजह से वह काम प्रारम्भ नहीं हो पाया। पांच साल निकल गये, लेकिन उस बेडच के नाके पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी तरह, केलवाड़ा में एक जौ का नाका है, वहां पर भी उनका पत्थर लगा हुआ है। सभापति महोदया, मुझे बड़ा दु:ख होता है, वे दोनों पत्थर रो-रोकर

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

कांग्रेस को बुला रहे हैं। जब मैं उस क्षेत्र से निकलता हूं तो उनको प्रणाम करके जाता हूं कि तुम रोओ मत, अब अच्छे दिन आये हैं, इन पांच सालों में दोनों डैम बनकर रहेंगे और किसानों को पूरा फायदा मिलेगा।

माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि बेडच के नाके में मुझे जानकारी मिली है कि वन विभाग से भी स्वीकृति अब आ चुकी है, लेकिन 2008 में वह आठ करोड़ रुपये का था, अब वह डैम 15 करोड़ रुपये का बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप नये सिरे से सर्वे करवाकर 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी करायेंगे।

यही नहीं सभापति महोदया, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। बीसलपुर डैम बनने के बाद, आप स्वयं वाकिफ हैं कि बीसलपुर के पानी का मेन स्रोत बनास नदी है और बनास नदी का उदगम स्थल कुम्भलगढ़ में वैरों के मठ से निकलता है। कुम्भलगढ़ से पानी आकर बीसलपुर में भरता है। लेकिन राजसमन्द जिले में इस बीसलपुर परियोजना की वजह से हम कैचमेंट एरिया के नाम से एनिकटों का निर्माण नहीं कर सकते। मात्र दो मीटर का एनिकट बना सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, इस पर आप पुनर्विचार करें, दो मीटर के एनिकट्स से पानी रुकता नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप इसमें यदि कुछ राहत देकर राजसमन्द जिले में इसमें थोड़ी छूट दी जाये ताकि हम दो मीटर नहीं, पांच मीटर तक के एनिकट्स का वहां निर्माण कर सकें। (व्यवधान) पूरे मेवाड़ में।

इसी तरह से, इस कैचमेंट एरिया की वजह से कुम्भलगढ़ में बड़गांव और बड़गुला, दो डैम हैं, जो रुके हुए हैं। यदि आप नियमों में थोड़ा संशोधन करोगे तो निश्चित तौर पर उन तालाबों को बनाया जा सकता है। मैं केवल राजसमन्द जिले ही नहीं, वास्तव में पूरे संभाग की बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदया, इसी तरह राजसमन्द जिले में, आप जानती हैं, महाराणा राजसिंह जी ने एक राजसमन्द झील बनाई। राजसमन्द झील में पानी की आवक कम होने की वजह से वह हमेशा खाली रहती है। देवास द्वितीय प्रोजेक्ट में माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने करीब 389 करोड़ 19 लाख रुपये दिये हैं। मैं उसके लिए तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार प्रकट करूंगा लेकिन निवेदन करूंगा कि इस देवास तृतीय और चतुर्थ चरण में राजसमन्द झील को जोड़ने का आप सर्वे का आदेश करें। यही नहीं, यह राजसमन्द झील देवास तृतीय और चतुर्थ चरण से भी जुड़

(श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़)

सकती है और प्रतापगढ़ जिले के जाखम डैम से भी पानी राजसमन्द में लाया जा सकता है एवं तीसरा, माही के पानी को भी राजसमन्द झील में लाने का प्रयास किया जाये।

मैं आपको इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज वह राजसमन्द झील ऐतिहासिक झील है। यदि वह भरी रहेगी तो ट्यूरिज्म में भी विकास होगा। राजसमन्द झील के नाम से राजसमन्द जिला बना है और आज उस झील में यदि इस योजना को हम कर पायेंगे तो हमें विश्वास है कि जनता का जो विश्वास था, सभापति महोदया, आपको पता है, चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने वहां घोषणा की थी कि हम राजसमन्द झील में पानी ला रहे हैं। जब अधिकारियों की बैठक में हमने पूछा तो उन्होंने कहा, वह कागजों में है। ऐसी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि तीन योजनाओं में जो भी आपको लगे, जो फीजिबल है, उस पर गौर फरमाकर राजसमन्द झील में भी पानी लाने का आप प्रयास करेंगे।

सभापति महोदया, निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में भी जो पूर्व में हमारी सरकार थी, मुझे याद है, माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की थी रेणनाका बांध, आप मंत्रीजी भी वहां पधारे थे, स्वीकृत हो गया था, टेण्डर होकर के वर्क आअर्डर हो गया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद उस योजना को रोक दिया गया।

ऐसी राजस्थान में कई योजनाएं हैं, जैसा मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया था, जो योजनाएं वे रोककर गये थे, अधूरी छोड़कर के गये थे, हमने 2003 से 2008 में उनको पूरी किया, लेकिन 2008 से 2013 के बीच में वे जिन-जिन योजनाओं को रोकना चाहते थे उन योजनाओं को रोका है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि पूर्व की हमारी सरकार में जितनी भी योजनाएं बनीं राजस्थान में और स्वीकृत हैं उन सबको आप हाथ में लेकर, उन सबकी स्वीकृतियां जारी कर, जनता को राहत देने का प्रयास करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री धनसिंहजी रावत।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 46 पर आपने मुझे चर्चा करने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदया, सिंचाई के क्षेत्र में हमारी लोकप्रिय मुख्य

(श्री धनसिंह रावत)

मंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत ही गम्भीरता से किसानों के हित में सोचकर के, आम जनता के हित में सोचकर के, राजस्थान में पहली बार फोर-वाटर कंसेप्ट सिस्टम के तहत दो पायलट प्रोजेक्ट जो प्रारम्भ किये हैं, उसमें एक पायलट प्रोजेक्ट मेरे बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र से है। इसके लिए मैं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और सम्माननीय सिंचाई मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

सम्माननीय सभापति महोदया, मेरे बांसवाड़ा में माही परियोजना, बांसवाड़ा के नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये का बजट जो रखा है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। माही परियोजना बांसवाड़ा जिले की एक लाइफलाइन है। माननीय सभापति महोदय ,माही बजाज सागर बांसवाड़ा ही नहीं, दक्षिण राजस्थान का यह एक बहुत बड़ा डेम है। हम यह भी सुनते हैं कि माही का पानी बांसवाड़ा के बाद राजस्थान के अन्य जिलों में भी लाया जाए, जालौर में लाया जाए और यहां के किसानों की, जो इनकी समस्या है, उसका समाधान किया जाए।

मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा से सम्बन्धित बात पर ही चर्चा करना चाहूंगा। माही परियोजना से लिफ्ट सिंचाई योजना बनाए जाने हेतु हमारी चार लिफ्ट स्कीमें प्रस्तावित हैं और यह सरकार के प्रस्तावित हैं। ये लिफ्ट स्कीमें हैं, अबापुरा-प्रथम, जो सवाई माता लिफ्ट के नाम से हैं, अबापुरा-द्वितीय, काकन-सेजा, दानपुर लिफ्ट योजना। ये प्रस्तावित योजनाएं माही भराव क्षेत्र से संचालित होंगी। माही भराव क्षेत्र के किनारे जो क्षेत्र असिंचित रह गये हैं, उन गांवों में लिफ्ट से पानी पहुंचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक अतिरिक्त जल, माही बांध भर जाने के पश्चात् जो आवक बनी रहती है, उससे उपलब्ध हो सकेगा। इन चार लिफ्ट योजनाओं के बन जाने से 7 हजार 800 हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा, जिससे लाभान्वित किसानों की संख्या लगभग 21 हजार से अधिक होगी। इन योजनाओं का विस्तृत सर्वे और डी पी आर बनाने के लिए तख़मीना 18.50 लाख का सरकार को प्रेषित किया गया है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। लिफ्ट योजनाओं में पूर्व का अनुभव यह रहा है कि जहां-जहां लिफ्ट योजनाएं बनती हैं, उन लिफ्ट योजनाओं में विद्युत बिल का पुनर्भरण नहीं होने से ज्यादातर लिफ्ट योजनाएं फेल हो जाती हैं।

(श्री धनसिंह रावत)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ट्राइबल इलाका है, टी.एस.पी. क्षेत्र है। यह आदिवासी बाहुल टी.एस.पी. क्षेत्र होने के नाते गरीब किसानों के पास औसतन जमीन भी एक या दो बीघा है। ऐसी अवस्था में इन लिफ्ट स्कीम को टी.ए.डी. विभाग से सहायता राशि मिलती रहे एवं इस आशय का एक एम ओ यू इस विभाग से निष्पादित होता है तो लिफ्ट सुचारु रूप से चल सकेंगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने बीकानेर-गजनेर लिफ्ट, कोलायत लिफ्ट, कंवर सेन लिफ्ट, फलौदी लिफ्ट, सावा लिफ्ट, आदि, इन लिफ्टों से सिंचाई हो रही है, उनका बिजली का बिल राज्य सरकार द्वारा भरा जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा और मांग भी करना चाहूंगा क्योंकि बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में ये जो लिफ्ट प्रस्तावित हैं, चारों लिफ्ट, हण्ड्रेड परसेंट इनके यूजर ट्राइबल हैं, आदिवासी इलाका और टी.एस.पी. क्षेत्र है, तो मैं चाहता हूं, मेरी मांग है कि इन लिफ्टों के सर्वे के लिए 18.25 लाख रुपये स्वीकृत किये जाएं और इसके संचालन की व्यवस्था सरकार अपने अधीन करे।

इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, अब तो आप दिल्ली जाओगे लेकिन जाते-जाते ऐसा कर जाओ कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता आपको हमेशा याद रखे। इसी के साथ मैं मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46-सिंचाई पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले से आता हूं और पाली जिले में भी बाली क्षेत्र से आता हूं। अधिकांश जोबाली क्षेत्र हैं, लगभग जवाई कैचमेंट एरिया में सम्मिलित है और जो भी अरावली के ऊपर बारिश होती है उस बारिश का सीधा पानी हमारे जवाई बांध में एकत्रित होता है, जो इस पूरे पश्चिमी राजस्थान में लगभग सबसे बड़ा बांध है, जो रियासत के स्टेट के, टाइम का बना हुआ है। इसके साथ ही पाली जिला का हेमावास जो बांध है, या सरदार समन्द जो बांध है, ये दूसरे और तीसरे नम्बर के बांध हैं जो

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

लगभग इस पूरे पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े बांधों से हजारों हैक्टेयर जमीन किसानों की सिंचित होती है। पिछले बीस-पच्चीस साल से जो मैं देख रहा हूं लगातार बारिश की कमी से मात्र चार- पांच साल लोगों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुआ है और नहीं तो, पच्चीस साल तक लोगों को बांध खाली मिले हैं।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जवाई और हेमावास जो बांध हैं, आज से दस पन्द्रह साल पहले जोधपुर तक पानी और जोधपुर के आसपास जो गांव और ढाणियां हैं वे भी मतलब जवाई और हेमावास से पानी पीते थे। जब से आई.जी.एन.पी. जोधपुर में आ गया है, जोधपुर के आसपास के जो गांव हैं, या जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जितने भी विधान सभा क्षेत्र हैं, अभी आई जी एन पी के तहत उनकी पानी की समस्या से उनको निजात हो गई। आज मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आ रहा हूं, अधिकांश एरिया मेरा कैचमेंट एरिया में है। मैं न ही तो वहां कोई नये बांध निर्माण कर सकता हूं और न ही मैं वहां एनिकट बना सकता हूं।

अब मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही कहना चाहूंगा कि आज हालत ऐसी है, हमारी इतनी बुरी स्थिति है कि जवाई कैचमेंट, जो नदी है, उसको अगर आप खोद दो तो मात्र दो फीट पर आपको ब्लैक ग्रैनाइट स्टोन मिलेगा, मात्र दो फुट की खुदाई में आपको कांकर मिलेगी और जितने भी गांव हैं आप देखना, उन सभी गांवों में जो इस नदी के सहारे बसे हुए हैं आज भी पीने के पानी के लिए, टैंकर की व्यवस्था के थ्रू उनको पानी पिलाया जा रहा है। गांवों की अगर हम आबादी देखें नाला, बेड़ा, चामडरी, बीजापुर, सहवाड़ी, भाटून, बन्धर, तो इनकी आबादी लगभग सात हजार, दस हजार और बारह हजार के लगभग है और इसके ऊपर जो पहाड़ी है, क्षेत्र में हमारे जो आदिवासी भाई गरासिया और भील रहते हैं, उनके पास कोई भी ऐसा सिंचाई का साधन नहीं है। जो भी पानी बहता है, ढाल है, ढाल से सीधा नदी से होकर जवाई जाता है।

मेरा आपसे इस मौके पर अनुरोध है कि हमारे जवाई कैचमेंट में हम एनिकट बनाना चाहते हैं नरेगा के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, तो हमको परमिशन बिलकुल नहीं दी जाती है और हालत ऐसी है कि हमको वहां पीने की और सिंचाई करने के लिए, किसानों को खेती करने के लिए, जो एक समय तीस-पैंतीस साल पहले हमारा क्षेत्र गोडवार क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता था, खेती सबसे अच्छी हमारे यहां मानी जाती थी, आज हालत यह है कि खेती शून्य हो

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

गयी है। लोगों के पास पानी नहीं है, कुओं में पानी नहीं है और लगातार जलस्तर गिरता जा रहा है, नीचे पत्थर हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पूरे कैचमेंट एरिया में हमको कम से कम दो मीटर के एनिकट बनाने की परमिशन दें। इस पूरे एरिया में हम इससे बड़े प्रभावित हैं।

दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जवाई पाइपलाइन योजना, मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 2003 और 2008 में पूरे जिले को इस योजना के तहत जोड़ा। लगभग 532 गांव और दस कस्बे इस योजना के तहत जोड़े गये हैं। इसके लिए लगभग 6-7 सौ करोड़ की योजना उन्होंने बनाई और 2008 के बजट अनाउंस मेंटस में उन्होंने सौ करोड़ रुपये देकर इस योजना का शुभारम्भ किया। कांग्रेस ने तीन साल तक इस योजना को ठंडे बस्ते में रखा। लास्ट में, चौथे और पांचवें साल में इस योजना में पैसे देकर थोड़ा बहुत काम हुआ। नहीं तो, आज पांच साल के बाद में ये पानी जैतारण तक पहुंचना चाहिए, गांवों और ढाणियों तक पहुंचना चाहिए, जो आज दिन तक पहुंच नहीं पाया। परन्तु इस मौके पर मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस बजट में 199 करोड़ का प्रावधान रखा, जो जैतारण तक पानी वहां पहुंचेगा।

मैं आपसे यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं कि इस पूरी योजना को अगर देखें आप, तो जवाई का पानी ठेठ जैतारण तक जा रहा है, जो लगभग दो सौ किलोमीटर है और जवाई का पानी हमारी बाली पंचायत समिति, देसूरी पंचायत समिति और रानी पंचायत समिति, जो मात्र चालीस किलोमीटर पर हैं, उसको आपने वंचित रख दिया। मैं चाहूंगा इस मौके पर कि इस जवाई परियोजना में हमको भी जोड़ा जाए, रानी पंचायत समिति जो आपने बाकी रखी है, देसूरी पंचायत समिति जो आपने बाकी रखी है और बाली, जो मात्र चालीस किलोमीटर पर है।

दूसरा, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें आज जो इसका 2100 एम सी एफ टी पानी रिजर्व रखा है और 2021 तक ये 2,800 एम सी एफ टी पानी इसका रिजर्व रखा गया है पेयजल के लिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मुझे इसका रिजर्व बढ़ाना नहीं है, मैं यह चाहता हूं कि 2,800 एम सी एफ टी के अन्दर ही इन तीनों पंचायत समितियों को जोड़ें क्योंकि बाली विधान सभा क्षेत्र में बिलकुल आधा तो जवाई के कैचमेंट एरिया में है; लगभग पन्द्रह ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी आज भी नगरपालिकाओं जैसी बड़ी आबादी है, जिनमें आज भी

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हम पानी से वंचित हैं, आज भी वहां टैंकर चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लगभग एक सौ पन्द्रह गांवों में हमारे वहां टैंकर चल रहे हैं। आज पीने के पानी की स्थिति इतनी बुरी है।

दूसरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो हमारा सिंचित एरिया है, इसमें सुमेरपुर की लगभग 25,800 हैक्टेयर जमीन है और आहोर की लगभग 12,845 हैक्टेयर जमीन है, लगभग 40 हजार हैक्टेयर जमीन इस जवाई से सिंचित है। हमेशा पानी के लिए जब भी आपके 40 फीट पानी, 45 फीट पानी आता है बांध में, तो हमेशा सिंचाई विभाग, पी एच ई डी और हमारे जनता के बीच में हमेशा स्थिति खराब रहती है। क्योंकि वह दो जिलों का मामला है, इसलिए कमिश्नर की अध्यक्षता में वहां मीटिंग ली जाती है। किसान यह चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमें मिले और किसान का हक भी है कि उसको पानी, तीन-चार सिंचाई मिलनी चाहिए और हमेशा हम भी चाहते हैं, हमको पेयजल के लिए पानी मिले।

मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि साही में, मैं इस मौके पर आपको और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार में आपने दस करोड़ रुपये खर्च करके साही बांध की ऊंचाई आपने ऊपर ली जिससे फालतू जो पानी गुजरात जा रहा था उसको आपने रोक कर और इस साही को ऊंचा लेने से हमको काफी इसका फायदा मिला। लगातार जवाई बांध पर हमेशा चालीस-पैंतालीस फीट, पचास फीट पानी कई सालों से, मतलब, पिछले पांच-सात साल से आ रहा है। इसका बहुत बड़ा काम साही बांध को ऊपर लेने से हुआहै। इसके ऊपर कालीबोर है, उसका भी यही काम है कि साही को भरना और साही से जवाई को भरना। उस कालीबोर की अगर आप नहर देखें आज, तो बिलकुल वे सिल्टेड हैं। उससे जो पानी साही के थ्रू आता है, वह बिलकुल ही बंद है और वह पानी खेतों में होते हुए, नदी में होकर, वापस गुजरात जा रहा है।

मैं आपसे इस मौके पर एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कोटड़ा साबरमती बेसिन है, उसमें पर्याप्त पानी है, जो हजारों क्यूसेक्स पानी गुजरात में बहकर जाता है। अगर उस पानी को आप टनल के माध्यम से, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सीधा साही में आ जाए और साही से जवाई को भरने के लिए। हमारे कोटड़ा बड़ा साबरमती बेसिन है, इसमें सैकड़ों क्यूसेक्स पानी गुजरात में बहकर जा रहा है। इस पानी को कैसे ही करके, हम टनल के माध्यम से और ग्रेविटेशनल है आपको कोई भी लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। उस पानी के होते हुए, आप साही के होते हुए, हमारे नाणा नदी होते हुए, जवाई में।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमारे किसानों की जो मांग है सिंचाई के लिए पानी की और हमारी जो मांग है, हमारे को जोड़ने की, हम पूरे जैतारण तक इस पूरे जिले को पानी पिलाने के लिए जो आपकी योजना है, इसको हम कैसे सक्सेस बनायें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गत वर्ष पूरे तीन महीने बारिश के बाद में जवाई बांध में मात्र तीस फीट पानी रहा। ये तो ठीक है कि आपने इस पेयजल योजना को जो आपने शुरू कर दी, पाइपलाइन योजना शुरू कर दी, इससे पानी छीजत नहीं होता है। जब खुली कैनाल चलती थी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 75 प्रतिशत पानी छीजत में जाता था, पर यह पाइपलाइन योजना के तहत आज जो आपने यह योजना शुरू की इससे पानी में छीजत बिलकुल खतम हो गया और आज बरसात भी नहीं हुई तो भी महीने भर का पानी, आज आपने पूरा बारह महीने पानी पिलाया तीस फीट पानी से।

तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप भविष्य में यह जवाई बांध, मैं समझता हूं, पूरे पाली जिले की लाइफलाइन है पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए। इसके भराव के लिए आप कोई न कोई योजना बनायें, इसके लिए कोई न कोई अधिकारी लगायें। यह मैं इस मौके पर आपसे चाहूंगा।

दूसरा, एक जो सांचौर से नर्मदा पानी जो आ रहा है, सिलू, अगर वहां से भी कोई पाइपलाइन के तहत इस जवाई बांध को जोड़ा जाए और उसमें अगर डेढ़ सौ क्यूसेक्स पानी अगर हम ज्यादा लेकर आ जाएं तो उससे भी हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

दूसरा, मंत्रीजी, आप अनुभवी व्यक्ति हैं, आप वास्तव में काम में विश्वास रखते हो और मुझे विश्वास है कि अगर आपके मन में यह बात बैठ जाए कि माही का पानी है, जो हमारे बांसवाड़ा-डूंगरपुर की लाइफलाइन बता रहे हैं, माही में इतना पानी है कि आज लगभग 7 एमसीएफटी पानी ही हमारे काम आता है, 23 एम सी एफ टी पानी गुजरात जाता है और वह खेड़ा और नडियाड जिले में जाता है। जहां तक मुझे मालूम है गुजरात गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट, के बीच में कोई समझौता हुआ कि जब नर्मदा का पानी नडियाड और खेड़ा में, दोनों आएगा, उस पानी को, मतलब माही के पानी को राजस्थान काम में ले सकता है। मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर खेड़ा और नडियाड में अगर नर्मदा का पानी, कैनाल का पानी आ गया हो, तो इस पानी को हम चाहें तो, मैं कह सकता हूं कि उदयपुर जिला, राजसमन्द और पाली जिला, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये पांच-सात जिले पानी की तरफ की, सिंचाई से और पीने के पानी से इन पांच-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

सात जिलों की समस्या हमेशा के लिए खतम हो सकती है। इन पर भी आप थोड़ा सा विचार करें। यह बहुत बड़ी परियोजना है। अगर ये काम होता है तो मैं समझता हूं कि पांच-छ: जिलों में हमेशा पीने के पानी से, और सिंचाई की तरफ से हमेशा कोई तकलीफ नहीं रहेगी। इस पर आप थोड़ा ध्यान दें।

दूसरा, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि…

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मेरे यहां जाइका के तहत...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। दो मिनट में अब आप समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे यहां रणकपुर बांध नाटाडा बांध, काना बांध, सेली बांध, यह 4-5 बांध जाइका के तहत चल रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद जाइका के तहत एक रिनोवेशन का प्रोग्राम है जिसमें नई नहरें भी बनती हैं, नई कैनाल; बांध का पूरा रेस्टोरेशन, ताकि जो सिंचाई पानी है उसको रोका जाए। मैं चाहूंगा कि एक बार आप वापस इसकी जांच कराएं, क्वालिटी काम हो। यह काम वापिस 20-25 साल, 30 साल तक होने वाला नहीं है।

इसके साथ ही, एक शिवनाथ सागर बांध है, जो बेड़ा में है, उसको भी जोड़ा जाए। आमलिया बांध कई साल से क्षतिग्रस्त पड़ा है। उससे 4 हजार बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। वह भरता भी नहीं है, लीकेज है, उसकी कैनाल भी बनी हुई नहीं है। एक सादरा की नाल, उसकी ऊंचाई भी बढ़ जाए, पानी रोका जाए, तो हजारों बीघा जमीन इससे पी सकती है।

2006 के बाद, बेड़ा में बांध था, वह क्षतिग्रस्त हो गया, जो एक पर्सनल बांध था। अभी लगभग वह इसकी सहमति पर आ गये हैं। वह बांध वापस बना नहीं, टूटने के बाद बना नहीं है। उस बांध के फूटने से, पूरे क्षेत्र में मीठा पानी था, पानी का लेवल ऊपर था, वह पानी पूरे क्षेत्र में खारा हो गया। सबकी इच्छा है कि उस बांध को गवर्नमेंट टेकओवर करे, बेड़ा में एक बांध उसी हाइट का बने। जवाई बांध से पहले वह बांध बना हुआ था, मैं चाहता हूं कि यह बांध वापस बने ताकि पूरे क्षेत्र को और आम आदमी को इसका फायदा मिले, भूजल स्तर भी बढ़े। यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि मीठी बांध, मेरे इलेक्शन में शायद आप भी पधारे थे, बाई-इलेक्शन में पधारे थे, मीठी बांध का बहुत बड़ा इश्यू है, जो मेरे क्षेत्र का है। यह लगभग 350 एमसीएफटी का बांध है। यह बांध ओवरफ्लो होने के बाद, लगभग सैकड़ों गांवों से यह नदी गुजरती है जिससे पानी का लेवल ऊपर बढ़ता है। मैं आपसे यह भी गुजारिश करूंगा कि इस बाँध के पुनर्भरण के लिए, 350 एम सी एफ टी का बांध है, पर यह मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा इश्यू है कि इससे मेरी भी जमीनें पीती हैं। इसको मेरे से जोड़कर लोग इस बांध की राजनीति करते हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसके पुनर्भरण के लिए, यह बांध भी जल्दी से भर जाए। हकीकत की बात है कि कई सालों से यह बांध भरता नहीं है, नदी चलती नहीं है। इस नदी के किनारे, इसके नीचे बसे हुए लोग हैं, बांध के ओवरफ्लो होने के बाद उसका रिचार्ज होता है, पीने के पानी के कुएं हैं वे वह रिचार्ज होते हैं। अगर इसके भी पुनर्भरण के बारे में आप सोचें, कोई स्कीम बनाएं तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री लादूरामजी।

श्री लादूराम (गुढामालानी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46-सिंचाई पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्रीजी बालोतरा की विजिट में जब पधारे थे तो बाड़मेर और जैसलमेर के सभी विधायक, हम उनके साथ मीटिंग में मौजूद थे। वहां उन्होंने यह डिक्लेयर किया था कि मैं हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना तो आने वाले टाइम में मैं राजस्थान की नदियों को जोड़ूंगा। मुझे पक्की उम्मीद है कि गंगा और उनकी सारी नदियों का पानी जो उत्तर प्रदेश और बिहार की लाखों एकड़ जमीन खराब करके बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उस पानी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अरावली की पहाड़ियों में सुरंग बनाकर, वह पानी राजस्थान की प्यासी धरती को जरूर देंगे। मुझे की उम्मीद है।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसा डिक्लियरेशन मारवाड़ की धरती पर किया, जहां लूणी, जवांई,

(श्री लादूराम)

सूखड़ी, इन नदियों में 50-60 साल पहले खूब पानी आता था, पर आज की तारीख में यह सारी नदियां सूखी पड़ी हैं।

इस मौके पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2003 से 08 तक, हमारी आदरणीया मुख्य मंत्री जब नर्मदा का मैटर आया था तो गुजरात स्टेट 1,600 करोड़ रुपये राजस्थान से पैसा मांग रहा था, वह सारा पेमेंट चुकाकर, हमारी आदरणीया मुख्य मंत्री और सांवरलालजी जाट साहब, इनके योगदान के कारण, हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी 2008 में सीलू गांव से नर्मदा का पानी गुजरात से हमारे राजस्थान में लाई थीं। सांचौर एरिया के सीलू गांव से वह पानी हमको दिया गया था। मेरे गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में 01 मार्च, 2008 को भालेटी जो नर्मदा नहर का टेल पाइंट है, वहां से वह पानी हमारे गुढामालानी विधान सभा क्षेत्र में मिला था।

इस बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि को-बेसिन स्टेट जो हैं, नर्मदा में पानी सरदार सरोवर बांध से आता है और सरदार सरोवर में पानी इंदिरा सागर बांध से आता है। सरदार सरोवर में 121 मीटर की हाइट से पानी राजस्थान को मिलता है। इसमें गुजरात और राजस्थान का शेयर है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने एक अवार्ड घोषित किया था। उसके तहत मैं कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश को 18.25 मिलियन एकड फीट, इस आबंटित पानी में से मध्य प्रदेश आज की तारीख में 9.44 मिलियन एकड़ फीट पानी यूज करता है, उसके यहां बचत अभी भी 8.81 मिलियन एकड़ पानी की है। गुजरात को 9 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला, उसमें से आज की तारीख में 4.8 मिलियन एकड़ फीट पानी ले रहा है। वहां भी 4.20 मिलियन एकड़ फीट पानी की बचत है। राजस्थान को सिर्फ .5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला है और .31 मिलियन एकड़ फीट पानी यूज ले लिया। बाकी ओनगोइंग स्कीम में .19 मिलियन एकड फीट पानी भी यूज हो जाएगा। महाराष्ट्र में .25 मिलियन एकड़ पानी। इस प्रकार कुल 28 मिलियन एकड़ फीट पानी नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अवार्ड घोषित किया था 1979 में।

सभापति महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह राजस्थान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि अपने को बहुत कम पानी मिला।राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिले के लिए यह पानी उपलब्ध हुआ है। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और सांवरलालजी जाट ने बहुत मेहनत की, जब फरवरी 2008 में यह पानी हमको मिला। राजस्थान का शेयर बहुत कम है।

इसके लिए फरवरी 2014 में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से मैं मिला था। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो पानी सरदार सरोवर डैम से समुद्र में फालतू

(श्री लादूराम)

बहकर चला जाता है, क्योंकि अमरकंठ की पहाड़ियों में जबरदस्त बरसात होती है और वह पानी फालतू समुद्र में जाता है। आप उस पानी का टेक्निकल एक्सपर्टस से सर्वे कराकर, एक्स्ट्रा पानी जो समुद्र में जा रहा है, वह राजस्थान में हमको दिलाइये। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए जलसंसाधन विभाग के प्रिसिंपल सेक्रेटरी, सांवरलालजी जाट, जलसंसाधन के सेक्रेटरी साहब, इन सबको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिये। उन्होंने एक टेक्निकल रिपोर्ट अभी तैयार की। मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग राजस्थान जयपुर ने एक्स्ट्रा वाटर जो समुद्र में बहकर जाता है, उनके पत्र संख्या 2753 दिनांक 23.5.2014 के द्वारा यह रिपोर्ट बताई कि सरदार सरोवर बांध से 31.5 क्यूसेक्स पानी, 1,110.814 क्यूसेक पानी समुद्र में फालतू बहकर चला जाता है। राजस्थान इस पानी को यूज करने के काबिल है। क्योंकि गुजरात में 4.20 मिलियन एकड़ फीट पानी की अभी आलरैडी बचत है, यह पानी अपने को मिले, इसके लिए मैंने अभी आदरणीया मुख्य मंत्रीजी और सांवरलालजी जाट को यह निवेदन किया कि इसकी डिटेल रिपोर्ट आप तैयार करवायें। क्योंकि वर्तमान में जो इस नहर की कैपेसिटी है, वह 73.5 क्यूसेक्स के बराबर है, उतना ही यह पानी 1,110 क्यूसेक्स इसमें समा सकता है। कोई भी इसमें एडिशनल नहर बनाने की जरूरत नहीं है। यह पानी अपने को जालौर और बाड़मेर जिले के लिये मिल सकता है।

इसके लिये आदरणीया सी.एम. साहब को और सांवरलालजी जाट, इन दोनों को यह रिपोर्ट भेजी है कि हमारे वहां बाड़मेर जिले में पींपराली गांव में साढ़े तीन सौ बीघा सरकारी जमीन उपलब्ध है। इसी प्रकार, सांचौर में भी हेमागढ़ा में साढ़े तीन सौ बीघा जमीन मौजूद है। इन दोनों जगह अगर आप रिजरवायर बना दें और रिजरवायर बनाकर एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप तैयार करावें तो इन दोनों जगह एक्स्ट्रा पानी जो समुद्र में बहकर जा रहा है, उस पानी को अपन बाड़मेर और जालौर जिले में अतिरिक्त गांवों में सिंचाई के लिये उपयोग में ले सकते हैं। मैं सांवरलालजी जाट साहब से निवेदन करूंगा कि आप इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके इस पानी को हमें उपलब्ध करावें।

साथ-साथ में मैं सांवरलालजी जाट को और आदरणीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि पिछले पांच साल के कांग्रेस राज में अप्रैल से जून तक गुजरात से पानी इस नर्मदा नहर में बंद कर दिया जाता था, परन्तु अब के अप्रैल से जून में यह पानी हमको मिला। इसके कारण सिंचाई और जलदाय

(श्री लादूराम)

योजनाओं के लिए एक्स्ट्रा पानी हमको मिला। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जल्द से जल्द तैयार करवा करके, जो एक्स्ट्रा पानी फालतू समुद्र में जा रहा है, उसको राजस्थान में जालौर और बाड़मेर जिलों को दिलवायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। माननीय सदस्या श्रीमती शिमला बावरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदया, मांग 46 पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया, पंजाब हरिके पत्तन से होते हुए जो इन्दिरा गांधी नहर हमारे राजस्थान की तरफ आती है, जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर, मोहनगढ़ और रामगढ़ तक जाती है, लाखों किसानों के खेतों को सिंचित करते हुए, लाखों गांवों और शहरों को यह पानी पिलाती है। सभापति महोदया, उसमें एक हमारी अनूपगढ़ शाखा भी निकलती है। अनूपगढ़ शाखा, हमारी इसमें से निकलती है बिरधावाली हैड से। सभापति महोदय, इस अनूपगढ़ शाखा पर मेरा अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र बसा हुआ है जो कि पूरा का पूरा इस अनूपगढ़ शाखा पर निर्भर करता है। मैं आपसे निवेदन करती हूं, सभापति महोदया, इसका जो रेग्यूलेशन बनता है वह हमेशा ही अधिकारी लापरवाही करते हैं। इसका रेग्यूलेशन ठीक तरह से नहीं बनाते। पहले तो इस तरह से रेग्यूलेशन बनाते हैं कि एक महीने का रेग्यूलेशन बना दिया और किसानों ने पूरी बिजाई कर ली और उसके बाद में अपनी मनमर्जी से रेग्यूलेशन बनाते हैं और किसानों को पानी नहीं देते। इसके कारण किसानों की फसलें जल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। फिर किसान परेशान होते हैं और समस्या आती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूं कि अनूपगढ़ शाखा का जो रेग्यूलेशन है, छह महीने का बनाया जाए ताकि किसान अपनी फसल को पूरा पका लेवें।

मैं आपसे यह भी निवेदन करती हूं, सभापति महोदया, इसमें से निकलने वाली एम डी, एच डी डी, के डी, जे एम, और जी एम, ये जो माइनरें हैं, जो बिलकुल टेल पर हैं, आज भी इन टेलों के ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा। बीस दिनों से किसान वहां पर धरने पर बैठे हैं। सभापति महोदया, मैं मंत्रीजी को निवेदन करती हूं कि वहां के अधिकारियों को और वहां के कर्मचारियों को तुरन्त आदेश दें कि वहां पर टेल पर पूरा पानी पहुंचाया जाए ताकि किसानों को वहां राहत मिले। सभापति महोदया, वहां यह भी है कि वहां टेलों के ऊपर सिर्फ

(श्रीमती शिमला बावरी)

किसान ही नहीं, वहां पर कई गांव भी बसे हुए हैं। वहां पर वाटर-वर्क्स बने हुए हैं। वहां पर एक भी बूंद पानी की उन वाटर-वर्क्स में नहीं जा रही। निजी डिग्गियां भी किसानों ने अपने खेतों में बनाई हुई हैं, उनमें भी पानी नहीं जा रहा है। इसलिए मंत्रीजी से निवेदन है कि इन टेलों पर पूरा पानी पहुंचाया जाए। कर्मचारियों को तुरन्त आदेश दें।

सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जो इन्दिरा गांधी नहर है, उसकी आज तक भी सफाई नहीं हुई। न ही अनूपगढ़ शाखा की सफाई हुई और न ही उसके नीचे निकलने वाली जो माइनरें हैं, उनमें सफाई हुई। तो मैं आपसे यह निवेदन करती हूं कि इनकी भी सफाई, बजट आया हुआ है, जब हमारी सरकार बनी तो मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी ने तुरन्त ही बजट की घोषणा भी कर दी थी। करोड़ों का बजट आया हुआ है लेकिन अभी तक अधिकारियों और कर्मचारियों ने आगे बजट वितरित नहीं किया। नहरों की तुरन्त सफाई करवाये जाने की सख्त जरुरत है और इनकी तुरन्त सफाई करवाई जाए।

सभापति महोदया, मेरा यह भी निवेदन है कि एक तरफ हमारे किसान जो पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और जो हमारी नहरों की सुविधा है, यह तो है ही, लेकिन एक बड़ी और भी हमारे समस्या आ रही है, पानी के होते हुए भी। अभी मेरे को फोन आया है कि जो बाढ़ आती है, हमारी घग्घर नदी, जो कि हनुमानगढ़, सूरतगढ़ से होते हुए, हमारे अनूपगढ़ के अन्दर से होते हुए पाकिस्तान की ओर पानी जाता है, बरसात का पानी होता है, लाखों क्यूसेक्स पानी पाकिस्तान की ओर जाता है। हमारा भारत पाकिस्तान को पैसा भी देता है और लाखों क्यूसेक्स पानी हमारा पाकिस्तान की ओर जाता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि अगर वह पानी हमारे यहां स्टाक कर लिया जाए, अगर ऐसा बांध बनाकर के वह पानी स्टाक कर लिया जाए तो लाखों किसानों को पानी की सुविधा हो सकती है और लाखों किसानों को पानी की सुविधा मिल सकती है। मैं निवेदन करती हूं कि इस पर भी सरकार जरूर ध्यान दे।

तीसरा मेरा यह है कि मेरे घड़साना के अन्दर चालीस हजार की आबादी है और वहां पर वाटर-वर्क्स बना हुआ है, आज से 20-30 साल पहले ,जो कि बहुत ही छोटा है। अब उस घड़साना मण्डी की संख्या बढ़ चुकी है, 15-20 बड़ी-बड़ी कालोनियां हैं।,उनमें पीने के लिये पानी नहीं पहुंच पाता। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करती हूं कि अधिकारियों ने 15-16 करोड़ की योजना की फाइल भी बनाकर मंत्रीजी के पास भेजी हुई है, मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगी कि

(श्रीमती शिमला बावरी)

मोगे की स्वीकृति दें, वाटर वर्क्स के मोगे की स्वीकृति दें ताकि वहां पर पानी ज्यादा से ज्यादा इस वाटर-वर्क्स में स्टाक हो नया वाटर-वर्क्स बने ताकि जनता की जो पेयजल की समस्या है, वह उनकी खतम हो। पेयजल की समस्या बहुत ही ज्यादा है। तो मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इस पर आप जरूर ध्यान दें।

सभापति महोदया, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या ने पांच मिनट में, पहली बार विधान सभा में सदस्य बनी हैं और पांच मिनट में सारगर्भित सारी बातें अपनी कहीं। मैं चाहती हूं कि और भी लोग इनसे प्रेरणा लें।

हमारे अगले सदस्य माननीय श्री बाबूलालजी वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): वे पांच मिनट इधर दे देना, साहब।

श्री सभापति: आप दस मिनट बोल देना तो भी चलेगा। पर दस मिनट ही बोलना, उससे ज्यादा मत लेना। (व्यवधान) इसलिये तो दस मिनट बोल रही हूं ना इनको, दस मिनट बोलें, बस।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 46 पर चर्चा चल रही है और पूरा सदन इस बात पर बहुत गहन चिंता कर रहा है कि सिंचाई की जो एक हमारी स्थिति है प्रदेश में, वह इतनी महत्वपूर्ण है कि और इस पर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें चूंकि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें इर्रिगेशन का हमारा बहुत बड़ा कंट्रिब्यूशन है और उसके लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किये हैं, उसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदया, जैसा कि राजस्थान प्रदेश के बारे में हम लोग चर्चा करें, राजस्थान एक बहुत ही देश का, यहां तक कि विश्व का बड़ा शुष्क और रेगिस्तानी प्रदेश है, लगभग 2/3 हिस्सा तो इसका रेगिस्तान का हिस्सा है, राजस्थान का। जहां तक सब सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पानी की राजस्थान में बहुत बड़ी कमी है और प्रदेश में पानी या देश में पानी या पृथ्वी पर जो पानी आता है, मानसून से आता है। इसके अलावा हमारे पास कोई सोर्स नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, आज प्रदेश में सिंचाई के जो सोर्सेज हैं, हमारे प्रदेश में किसान जो सिंचाई करते हैं, उसके चार तरीके हैं। सबसे पहले तो

(श्री बाबूलाल वर्मा)

वे कुएं और ट्यूबवैल्स के आधार पर अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। दूसरा पार्ट नहरों के द्वारा सिंचाई होती है और तीसरे तरीके से, छोटे-मोटे जो संसाधन, छोटे-मोटे तालाब हैं, इनके आधार पर हम लोग सिंचाई करते हैं। माननीय सभापति महोदया, प्रदेश में लगभग 68 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो कि ट्यूबवैल और कुओं पर आधारित है; 30 परसेंट हिस्सा ऐसा है जो कि नहरों पर आधारित है और 2 परसेंट हिस्सा जो कि दूसरे संसाधनों पर हमारा किसान निर्भर करता है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि हम लोग ट्यूबवैल और कुओं की बात करेंगे तो इसके लिए हमें जो हमारा जल स्तर घट रहा है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। यदि हमारा भूमिगत जल स्तर अच्छा होगा तो हम लोग इन ट्यूबवैल्स और कुओं से सिंचाई कर सकते हैं और यदि हम लोग नहरों की सिंचाई की बात करते हैं तो इसके लिए जो भी हमारे चैक डैम्स, जो हमारे डैम बने हुए हैं, उनमें भराव पूरा आना चाहिए पानी का, तब जाकर हम लोग इसकी बात करेंगे।

माननीय सभापति महोदया, जो भूमि का जल स्तर गिर रहा है उसका प्रमुख कारण है अति-दोहन। आज पानी का जो दोहन हो रहा है, वह आज बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। पानी का रिचार्ज बहुत कम हो पाता है। जो पानी मानसून से आता है, उससे हमारी धरती का वाटर लेवल बहुत कम रिचार्ज होता है। लेकिन जब दोहन हो रहा है तो दोहन दुगुनी मात्रा में हो रहा है और रिचार्ज डेढ़ गुनी मात्रा में होता है। यह हमारा बहुत बड़ा एक चिंता का कारण है। दूसरा, जो हमारा जल स्तर घट रहा है, उसका एक मुख्य कारण और है ग्लोबल वार्मिंग। इसके अन्दर यह मानकर चलिए कि आपके बरसात का कम होना, आबादी का बढ़ना, पेड़-पौधों का कटना, वनों का कम होना, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं, उनका पूरा उपयोग नहीं होना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भी हमारा यह जल स्तर यहां पर घट रहा है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में, हमारे देश में, किसान दो प्रकार के होते हैं। एक तो समृद्धशाली किसान हैं, जो आर्थिक स्थिति से थोड़े मजबूत किसान हैं, दूसरे किसान वे किसान हैं जो काफी गरीब और काफी कमजोर हैं। उनके पास जमीन का बहुत ही छोटा-छोटा हिस्सा है। फलस्वरूप, आज जिस चीज पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आज पानी के बारे में सब लोग चर्चा कर रहे हैं और पानी के बारे में, हमारा जमीन का स्तर जो घट रहा है, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से कहना

(श्री बाबूलाल वर्मा)

चाहता हूं। आज दो पड़ोसी खेती करते हैं। आज के रोज एक पड़ोसी ने अपने कुएं के अन्दर ड्रिलिंग करवाकर उसके ट्यूबवैल को गहरा करवाया, पानी निकला और पानी निकलने के बाद खुश होकर उसने काफी प्रसन्नता जाहिर की। माननीय सभापति महोदया, दूसरे दिन सुबह जो उसका गरीब पड़ोसी है, वह दौड़ा-दौड़ा उसके पास आया, उसने कहा कि मेरे कुएं का पानी सूख गया। ड्रिलिंग इस कुएं में हुआ और पानी सूखा दूसरे पड़ोसी के कुएं का। परिणाम स्वरूप, मजबूरी में, उसने खुद ने भी ड्रिलिंग करवाया और ड्रिलिंग करवाने के थोड़े समय बाद स्थिति ऐसी आयी कि दोनों कुओं का पानी सूख गया।

मैं आपके माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार अति-दोहन हो रहा है और अति-दोहन होने के बाद आज भूमि की जो स्थिति हो रही है, इसके लिए हमें निश्चित रूप से सोचने की आवश्यकता है और हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाए। चुनौती ऐसी कि जिसके लिए, मैं समझता हूं कि बहुत दीर्घकालीन योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। पानी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम लोग शार्ट-टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते और यदि शार्ट-टर्म प्लानिंग के आधार पर हम लोग चले तो मैं नहीं समझता कि इसका कोई परमानेंट इंतजाम होगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दूसरा जो हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है उसका जो महत्वपूर्ण प्रभाव हो रहा है, वाटर लेवल नीचे जाने से जो हमारे धरती के रसायन हैं वे धरती के रसायन काफी ऊपर आते हैं। जब धरती के अन्दर के रसायन जो कि बिलकुल धरती के गर्भ में रहते हैं, यदि वे ऊपर आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा पानी दूषित हो जाता है। माननीय सभापति महोदया, भूमि की जो उत्पादन क्षमता है, भूमि की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की जो कैपेसिटी है, वह मैं कहना चाहता हूं कि रसायन ऊपर आने से वह खतम हो जाती है, वह कम हो जाती है। इससे निश्चित रूप से हमारी कृषि की पैदावार में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।

माननीय सभापति महोदया, ऐसी स्थिति में आज आवश्यकता इस बात की है, आज हमें इसके लिए एक सार्थक प्रयास करने की जरूरत है और सार्थक प्रयास करेंगे तो आप मानकर चलिए कि सार्थक प्रयास, एक मैं यह कह सकता हूं कि आज हमें ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है कि ट्यूबवैल की आपकी गहराई कितनी होनी चाहिए। ट्यूबवेल की गहराई 400 फीट हम तय करें तो

(श्री बाबूलाल वर्मा)

मानकर चलिए कि 400 फीट तक ट्यूबवैल खुदना चाहिए। यदि 400 फीट का हम लोगों ने कानून बना दिया तो मान कर चलिए कि उससे नीचे का स्तर तो, हमें पानी का स्तर बराबर मिलेगा। यह आज हमें तय करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि जो हमारी फसलें हैं, उन फसलों का भी हमें एक साइकल बनाने की आवश्कता है। यदि हम लोगों ने फसलों का साइकल बनाया और फसलों का उत्पादन, जो हमारे पानी की अवेलेबिलिटी है, जो पानी की हमारी क्षमता है, जो हमारे पास उपलब्धता है, उसके हिसाब से हम लोग यदि फसलों का उत्पादन करें तो इससे निश्चित रूप से, मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं, धरती पर पानी का जो गिरता हुआ स्तर है, उसमें हम लोगों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, मैं अभी दीर्घकालीन योजना की बात कर रहा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान में सन् 1984 में, जो 237 ब्लाक्स थे उसमें मात्र 12 ब्लाक्स अति-दोहित थे। 237 में से सिर्फ 12 ब्लाक्स ही ऐसे थे जिनके अति-दोहन की स्थिति थी, लेकिन आज आपके माध्यम से कहते हुए हम लोगों को बड़ी चिंता करनी पड़ रही है कि आज की तारीख में यदि हम लोग इन ब्लाक्स की जो कि आज हमारे पास हैं, लगभग 249 ब्लाक्स में से पात्र 25 ब्लाक्स ही ऐसे रह गये हैं जो कि हमारे पास सेफ हैं। इतना ज्यादा हमारा अति-दोहन, 30 साल के अन्दर हमारा लगभग 90 परसेंट, जो पूरा धरती का ब्लाक था, वह अगर अति-दोहित हो गया तो आगे जाकर हमारी क्या स्थिति होगी? आगे जाकर हम लोग इस प्रदेश की स्थिति में कहां पर खड़े होंगे? इसके बारे में हमें चिंता करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, आंकड़े हमारे कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिये, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं आज औद्योगिकीकरण के खिलाफ नहीं हूं, इस देश में औद्योगिकीकरण होना चाहिए, इस प्रदेश में होना चाहिए क्योंकि वह हमारी तरक्की का सूचक है, लेकिन आज हमें इस बात पर भी सोचना पड़ेगा कि यह जो पानी हमारे पास है, उस पानी की हम लोग बचत कैसे करें, पानी को हम लोग किस सेक्टर में बचाकर, सिंचाई के लिए काम में ले सकें, इसके बारे में भी सोचने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता

(श्री बाबूलाल वर्मा)

हूं और मैं आपके माध्यम से एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा एक कम्प्यूटर होता है, उस कम्प्यूटर को बनाने के लिए 1,500 किलो पानी खर्च होता है। एक कम्प्यूटर बनने के लिए 1,500 किलो पानी खर्च होता है और एक चिप बनाने के लिए, जो कम्प्यूटर की चिप होती है, उसको बनाने के लिए 32 किलो पानी खर्च होता है। कैसी स्थिति है। औद्योगिकीकरण, इंवेस्टमेंट, ये सब चीजें होनी चाहिए लेकिन हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब हम लोग कोई उद्योग लगाते हैं तो उद्योग में जो पानी काम आता है, उसको पुन: शोधित करके, उसकी रि-साइक्लिंग करके, उसको शुद्ध बनाकर, उसको उद्योग में काम लें, इस चीज की हमें योजना बनानी चाहिए। इस चीज के लिए हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वे लोग अब इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वे लोग अपने प्लान में उस चीज को शामिल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। वह गरीब किसान पानी का इंतजाम नहीं कर सकता लेकिन एक उद्योगपति अपने उद्योग की प्रोडक्टिविटी को इस तरह तय करें कि उस पानी को बचा कर हम लोग उसको काम में ले सकें।

माननीय सभापति महोदया, मैं हाड़ौती सम्भाग से आता हूं, कोटा सम्भाग की बात मेरे से पहले दो, जैसी चर्चा चली कि दो धमके हो चुके और मुझे कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा है, प्रहलाद गुंजल साहब ने और भवानी सिंहजी राजावत साहब ने; अभी पीछे और भी बैठे हैं कोटा वाले। मेरा इसमें यही कहना है कि एग्रीकल्चर में, सिंचाई में गंगानगर और कोटा, यह बीकानेर सम्भाग और कोटा सम्भाग, दो बहुत ही महत्वपूर्ण सम्भाग है। कोटा सम्भाग में जो सिंचाई होती है सी.ए.डी. के द्वारा, बायीं मुख्य नहर और दाईं मुख्य नहर, ये महत्वपूर्ण नहरें हैं। मैं इसके मामले में कहना चाहता हूं और जो दायीं मुख्य नहर है, उसका थोड़ा भाग एम.पी. से लगा हुआ है और बायीं मुख्य नहर पूरे केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में और बूंदी विधान सभा क्षेत्र में आती है। एक लाख दो हैक्टेयर भूमि, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बूंदी जिले में आती है और उसमें मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि 1,274 करोड़ रुपये के बजट की बात चल रही थी, 56 हजार हैक्टेयर भूमि मेरे केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में उसका एरिया कमांड एरिया है।

(16.00 बजे)

सभापति महोदया, ये नहरें बननी थीं, 1960 और 1965 में इन नहरों का निर्माण हुआ और इतने सालों बाद, उन नहरों का कोई रि-प्लान करके डिजाइन नहीं किया गया, उसी कैपेसिटी में, उस टाइम हमारे पास कल्टिवेटेड एरिया मात्र

(श्री बाबूलाल वर्मा)

55 प्रतिशत था, उस टाइम, आज से 50-60 साल पहले, जब ये नहरें बनी थीं, लेकिन आज की तारीख में क्या स्थिति है? आज की तारीख में, आप लोगों ने देखा होगा, पेपरों में बार-बार आता है, टेल क्षेत्र को पानी नहीं मिल रहा है। टेल क्षेत्र के किसान बिना पानी के, बिना सिंचाई के...। अगर हैड पर कोई किसान है, उसको तीन बार पानी मिल जाता है लेकिन टेल क्षेत्र के किसानों को एक बार पानी पिलाने में पूरे डिपार्टमेंट को हमको हिलाना पड़ता है, पूरे डिपार्टमेंट को एक्सरसाइज करनी पड़ती है।

बहुत संक्षेप में बात कह रहा हूं। माननीय सभापति महोदया, पूरे हाड़ौती सम्भाग की बात है।

श्री सभापति: आपको हो गये दस मिनट से ज्यादा।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): आप हमेशा जब भी मैं बोलता हूं, आप सामने विराजते हो। आपसे पूरी उम्मीद रहती है कि कुछ बोलने का मौका दोगे।

श्री सभापति: फिर भी बहुत समय हो गया। अब सम-अप करें।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): हां, मैं सम-अप कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदया, यह जो नहर है, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो टेल क्षेत्र का एरिया है, सब हमारे सी.ए.डी. के अधिकारी यहां मौजूद हैं, नहरों में पानी की जो डिलिवरी होती है, पानी जितना ये लेते हैं, उससे दुगना पानी, उससे डेढ़ गुना पानी वेस्टेज होकर, यह मेज नदी के माध्यम से बहकर यह सीधा चम्बल में जाकर मिल जाता है। चम्बल नदी से पानी निकला और वापस चम्बल नदी में पानी मिल गया।

अभी बजट के टाइम भी यह चर्चा हुई, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि उस चम्बल का पानी, उस मेज नदी का पानी या तो रामगढ़ लाया जाए या फिर भरतपुर ले जाया जाए, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता लेकिन आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो पानी वेस्टेज होकर जा रहा है, जो पानी वहां से निकलकर वापस फालतू बह रहा है, जो अन-कमांड एरिया है और अन-कमांड एरिये में भी माननीय सभापति महोदया, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब माननीया मुख्य मंत्रीजी वहां केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र से गुजरी थीं, तो उन्होंने गेंडोली, उतराणा, ये कुछ ऐसी पंचायतें हैं, जहां आज की तारीख में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यदि हम लोग उस पूरे एरिये की देखें, तो मानकर चलिये कि मुश्किल से शून्य के बराबर है। उस एरिये की एग्रीकल्चर

(श्री बाबूलाल वर्मा)

प्रोडक्टिविटी नगण्य है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो एक्स्ट्रा पानी बह रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी वहां लीकेज होकर वापस चम्बल नदी में जा रहा है, उसके लिए अलग से कमाण्ड एरिया उसको बढ़ायें और उस कमांड एरिये को बढ़ाकर किसानों को लाभ पहुंचाएं।

माननीय सभापति महोदया, सम-अप कर रहा हूं। 2008 में चाखड़ बांध योजना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत की थी, मुझे खुशी है कि उस प्रोजेक्ट का काम दुबारा चालू हो गया है। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, मेरे लाखेरी में एक जिगजिग डैम बहुत बड़ा तालाब है, बहुत नेचुरल रिसोर्स है, उससे हम लोग नहरें बनाकर सिंचाई तो नहीं कर सकते, लेकिन आज उस तालाब के भरने से हमारे जो कुओं का वाटर लेवल है, जो कुओं का रिचार्ज होता है, वह काफी होता है। उसके प्राकृतिक सोर्सेज को बंद कर दिया गया है, उनके ऊपर अतिक्रमण हो गया है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि उस पर निश्चित रूप से इर्रिगेशन डिपार्टमेंट कोई योजना बनाए।

अन्त में, एक बहुत ही सार्थक सुझाव है मेरा, उसके लिये मैं निश्चित रूप से विभाग को कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदया यहां विराज रहे हैं। सी.ए.डी. एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास करोड़ों की मशीनरी है, करोड़ों के यंत्र, करोड़ों के सामान, सी.ए.डी डिपार्टमेंट ने खरीदकर रखे हुए हैं और मुझे इस बात को कहते हुए बड़ा दुःख है कि वहां के अधिकारी सिर्फ इस बात के लिए यह कहें कि आज उन मशीनों में हमारे पास तेल भराने के लिए पैसे नहीं हैं। यह कैसी विडम्बना है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं इस बात को। मतलब 50 करोड़ की मशीनरी आपने खरीदकर रखी हुई है और उसमें हम लोग 50 हजार का डीजल नहीं भरा सकते। आज कितनी गम्भीर समस्या है। आज हमें ड्रेनेज की सफाई करानी है, उस ड्रेनेज की सफाई कराने के लिए मात्र 50 हजार रुपये का खर्चा या 20 हजार रुपये का खर्चा, लेकिन करोड़ों की मशीन, चार-पांच मशीनें कोटा में खड़ी हुई हैं, लेकिन अधिकारी इस बात के लिए बेबस हैं कि हम लोग काम नहीं करा सकते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और विशेषकर सिंचाई मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम जहां ऐसी स्थिति हो, वहां ऐसी स्थिति पर विचार करें और कम से कम, छोटे-मोटे बचत को रिव्यू करके, ऐसी मशीनरी हमारे काम आएं जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

लास्ट में, एक पैरा और मैं आपके सामने कहता हूं।

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं कोई पैरा।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): नहीं, मैं सम-अप कर रहा हूं। बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है, सरकार के बजट की बात।

श्री सभापति: सारी बात इम्पोर्टेन्ट हैं। काफी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखनी है। आप लिखित में दे दीजिये हमें।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): सभापति महोदया, ...(व्यवधान) धमाका कुछ नहीं है, गुंजल साहब। मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आज की तारीख में जो जल है, जो पानी है, उस पानी का प्रबन्धन और वितरण, यह हमारे लिये सबसे बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, सबसे बड़े महत्व के पार्ट हैं ये और उसके लिए मैं आज कहना चाहता हूं कि जो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, सरकारी तंत्र के ऊपर हमारी या किसानों की जो एक निर्भरता होती है, यह सबसे बड़ा खतरनाक संकेत है। आज हम इस चीज को महसूस ही नहीं करते कि सरकार ने अरबों रुपये लगाकर नहरी तंत्र चला रखा है। आज जब किसानों से पिलाई की बात होती है, मैं आज उसको बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब हम लोग लाइट का बिल देते हैं, जब हम लोग पीने के पानी का बिल देते हैं तो मैं आज कहना चाहता हूं कि किसानों को कम से कम इस मामले में अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि पानी हम लोग उपजाऊ करते हैं, हम लोग कृषि पैदा करते हैं। तो उसके लिए प्रबन्धन और डिस्ट्रिब्यूशन का जो मैनेजमेंट है, यदि वह सुधरेगा तो मानकर चलिये कि हम सब लोग इस राजस्थान को बहुत आगे बढ़ा पाएंगे।

आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री कृष्णा कड़वा।

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): माननीय सभापति महोदया, आज मांग संख्या 46 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पानी की महत्ता के बारे में मेरे साथी विधायकों ने बताया, इसको मैं स्वीकार करता हूं। ज्यादातर बातें श्रीकरणपुर से आये मेरे माननीय साथी विधायक ने बताईं, उन बातों को रिपीट करके मैं सदन का वक्त खराब नहीं करना चाहता। एक बात रिपीट जरूर करना चाहूंगा कि जो हमारे आई.जी.एन.पी. में पंजाब से रसायनयुक्त पानी, सीवरेज का पानी जो आ रहा है, वह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है और इसको जितनी बार उठाया जाए, उतना कम है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा

(श्री कृष्णा कड़वा)

कि इस पर जितनी जल्दी कार्यवाही हो सके, इस पर करनी चाहिए। यह एक तरह से मानवता पर कलंक है कि हमें इतना गंदा पानी पीने को मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदया, आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व जब नहरें बनी थीं तो 25 बीघा को एक यूनिट मानकर, उस वक्त रास्तों, खालों और नाकों का निर्धारण किया गया था। जैसे-जैसे जोतें छोटी होती चली गयीं। किसानों के आपसी विवाद भी बढ़ते चले गये। काश्तकारों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण सिंचाई विभाग द्वारा राजस्थान सिंचाई अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत किया जाता है। इस सिंचाई अधिनियम में 25 बीघा में एक से अधिक काश्तकारों के होने पर सभी की भूमि तक सिंचाई पहुंचाने के लिये आन्तरिक आड़ के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है और न ही अतिरिक्त नाका स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई प्रावधान या गाइडलाइन इस सम्बन्ध में हैं। इस विभाग के अधिकारी काश्तकारों की इन समस्याओं का हल करने में असमर्थ हैं। उनके द्वारा लगाये गये नाकों के विरुद्ध काश्तकार न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय तक दावे या अपील करते हैं और अपने लाखों रुपये बरबाद करते हैं, वक्त भी बरबाद करते हैं, अत: इन नाकों या आड़ हेतु कानून में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक है और पानी की भराई के सम्बन्ध में भी आपस में भी लेन-देन में भी गाइडलाइन जरूरी हैं। मैं, सभापति महोदयाजी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तथ्यों को ध्यान में रखकर एक कमेटी गठित की जाए, जो इस नियम में जरूरी संशोधन कर सके।

इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि नहरों का जो बेड लेवल है, वो भी काफी गलत बना हुआ है, आगे तक पानी ढंग से पहुंच नहीं पाता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक आर.टी.पी. नहर, जो मुख्य नहर सार्दुल ब्रांच से निकलती है, यह 31 आर.डी. हैड से चालू होकर रतनपुरा तक होती है, इसके बेड लेवल में 31.98 तक का डिफरेंस है। इस नहर से करीब 1,600 एकड़ भूमि सिंचित होती है। इस नहर की लम्बाई लगभग सात किलोमीटर है तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस नहर को दोबारा बनाया जाए क्योंकि इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। यह नहर बैलेंस में भी नहीं चलती। तो मेरा अनुरोध है कि इसको बैलेंस में भी चलाया जाए।

एक मेरा अनुरोध आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से यह है कि जब

(श्री कृष्णा कड़वा)

60 वर्ष पहले नहरें आयी थीं, उस वक्त कुछ जमीनें ऊची थीं। इस वजह से उन जमीनों को असिंचित रख दिया गया था, उनकी बारी नहीं बांधी गयी थी। तो मेरा अनुरोध है कि ऐसी भूमियों को अब सिंचित भूमि में तब्दील किया जाए, क्योंकि अब किसानों ने इतने वर्षों में मेहनत करके उन जमीनों को समतल कर लिया है। ऐसी भूमियां बहुत हैं अब उनका व्यावसायिक उपयोग होने लगा है, जैसे बहुत से ईंट के भट्टे बन गये हैं, कालोनियां कट गयी हैं, गांव भी बड़े हो गये हैं। इसके अलावा अन्य उपयोग उन भूमियों के होने लगे हैं, उसका जो पानी है अगर मंत्रीजी सर्वे करवायें तो बहुत सा पानी निकल जायेगा और उस पानी का उपयोग हो नहीं रहा है तो जो आफिसर हैं, पटवारी है मिल कर उस पानी का ब्लैक कर रहे हैं या उसको अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों से उसके पैसे ऐंठ रहे हैं। तो उस पानी का सर्वे करवा कर असिंचित भूमि को उस पानी से सिंचित किया जा सकता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस बारे में भी जरूर-जरूर गौर किया जाए।

इसके अलावा, सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध है कि हमारे यहां मोगों की जो फिटिंग है, वह भी काफी जगह सही नहीं है उसमें भी बहुत से वाद-विवाद रोज-रोज होते रहते हैं। उसमें भी इंजीनियर के माध्यम से उनको इस तरह से ठीक करवाया जाए जिससे कि किसानों को एक बराबर पानी मिल सके।

सभापति महोदया, आपने मुझे वक्त दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे सिंचाई- मांग संख्या- 46 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदया, निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ शहर है और अजमेर में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसके ऊपर जो तारागढ़ का किला है, कहते हैं कि पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ऊंचाई वाला वह किला है और उस किले पर पुराने जमाने में किस तरह से पानी को लिफ्ट कर के सहेजने की व्यवस्था थी, उसका उदाहरण देना चाहूंगी। उस किले पर जो बावड़ियां और झालरे बने हुए हैं वे आज भी हमारे इंजीनियरों के लिए रिसर्च का विषय हैं। सबसे ऊंचा तारागढ़ किला और उसके ऊपर पानी की जितनी सुन्दर व्यवस्था है, उससे अच्छी, सुन्दर

(श्रीमती अनिता भदेल)

व्यवस्था और कहीं नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन करना चाहूंगी कि जिस तरह से पहाड़ियों की वैली में बसा होने और जल के संग्रहण के लिए और उसके बहने की जो सुन्दर व्यवस्था अजमेर में थी, उत्तर भारत में उससे सुन्दर व्यवस्था अजमेर के अतिरिक्त और कहीं नहीं थी।

जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, सीकर, कोटा जैसे आज के जो सम्भागीय स्तरीय जिले हैं, वे जिले जब कभी अस्तित्व में नहीं हुआ करते थे, तब अजमेर के तत्कालीन शासक बीसलदेव ने एक बीसला पाल का निर्माण कराया था। इतिहास में यदि हम जाते हैं, इतिहास को देखें तो मैं उल्लेख करना चाहूंगी, अंग्रेज लेखक कर्नल टाड की किताब से, उन्होंने लिखा है कि 1840 में Dr. R.H. Irvine say, "of water, the Visala Talab is a beautiful object." The celebrated Prithviraj Raso says that the Emperor… one day told the Ministers and others….a lake like Pushkar to be built there." जो बात उन्होंने कहीं, उसको मैं हिन्दी में भी कहना चाहूंगी, 'तब देखी नरेन अनुपठाम निर्झर गिरिन्द बन पूजस राम, बुलाए लिये मंत्री प्रधान सर रचो इंह पहुंकर समान, सरोवर की रचना करो पुष्कर के समान। राजा बीसलदेव ने यह बात कही और उसके बाद में उन्होंने इस बीसलपुर तालाब का निर्माण कराया। इस बीसलपुर पर चारों तरफ से घाट बने हुए थे। लोग कहते हैं कि इसके बीच में दो द्वीप हुआ करते थे, एक शिवलिंग और एक राजा का महल था। चारों तरफ, जब यह भर जाता था तो किनारों पर लगी हुई पुतलियां हवा के दबाव से फव्वारा छोड़ती थीं और उस फव्वारे से शिवलिंग का जलाभिषेक होता था। इतनी सुन्दर व्यवस्था उस समय की हुई थी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी और मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी, माननीया मुख्य मंत्रीजी का। मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह जो बीसला पाल तालाब है, वह बीसला पाल तालाब ब्रिटिश काल में फाइस नामक व्यक्ति ने फाय सागर तालाब बनाया, उसके बाद में अरणो राज ने आना सागर झील बनायी और विग्रह राज, जिनको बीसलदेव हम कहते हैं, उन्होंने बीसला तालाब बनाया। फाय सागर जब ओवरफ्लो होता है तो बाड़ी नदी के माध्यम से इसका जल आना सागर में आता है और आना सागर जब ओवरफ्लो होता है तो चैनल के माध्यम से बीसला तालाब तक यह पानी पहुंचता है।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि पिछले कुछ सालों में लेक कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत हमने आना सागर झील को सहेज कर रखने की कोशिश की और उसका परिणाम यह हुआ कि आज आना सागर झील की

(श्रीमती अनिता भदेल)

खूबसूरती, उसमें जो पानी भरा हुआ है, उसको देख कर के लगता है कि वास्तव में यह झील है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो स्थिति बीसला पाल की हुई है, उसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी।

बीसलपुर बांध, जिसका जिक्र अभी कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, जिसके पानी से तीन जिलों की प्यास बुझाते हैं, नागौर, अजमेर और जयपुर, बीसलपुर बांध के जल से इनकी पानी की प्यास बुझती है। इस बीसलपुर को बसाया भी उन्होंने ही था। सरस्वती नदी का उदगम स्थल यदि पुष्कर है तो लूणी नदी का उदगम स्थल कभी बीसला पाल रहा था।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जब नदियों को जोड़ने की बात कही है, मैं तो यह कहूंगी कि आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के सपने को हम सब साकार करना चाहते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बजट में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो नदियों को जोड़ने की बात कही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि हम इतना अरबों, खरबों रुपया लगा रहे हैं, आज की आवश्यकता को देखकर के, हमारे अजमेर जिले की सभी झीलें एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं, फाय सागर से आना सागर, आना सागर से बीसला पाल और बीसला पाल से हमारा खानपुरा का तालाब, खानपुरा से वीर का तालाब। तो ये एक-दूसरे से कनेक्टेड थे और ओवरफ्लो होने के बाद में पानी व्यर्थ नहीं बहता था, दूसरे तालाबों को भरते हुए पानी आगे बढ़ता था।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धराजी जब 2007 में अजमेर पधारी थीं तब उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये थे कि आना सागर और पाल बीसला झील की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा को ठीक करने के लिए डी.पी;आर. बनायी जाए, प्रोजेक्ट तैयार किये जाएं, और आने वाले समय में उन दोनों झीलों पर काम कराया जायेगा। दुर्भाग्य से पांच साल हमारे शासन के नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगी कि पिछली बार पूरे पांच साल अधिकारियों ने सिर्फ डी.पी.आर. बनाने और मीटिंग करने में ही समय व्यतीत किया।

एक जन हित याचिका दोनों झीलों के संदर्भ में हाई कोर्ट में गयी और हाई कोर्ट से यह निर्देश हुआ, कामन काज सोसायटी उसको लेकर गयी और उस कामन काज सोसायटी के माध्यम से जब जन हित याचिका लगी तो कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इन दोनों झीलों के पक्के निर्माण को रोका जाए। बार-बार इसके पक्के निर्माण, इसमें कौन-कौनसे पक्के निर्माण हुए, कौन-कौनसे खसरा नम्बर इसके अन्दर आते हैं, वे किस खातेदार के नाम हैं, वे निजी खातेदारी है या

(श्रीमती अनिता भदेल)

सरकारी खातेदारी में जड़ी हुई है, पूरे पांच साल यह कागजी रिकार्ड तैयार करने में अधिकारियों ने निकाल दिये। पिछले साल 2013 में जब हाई कोर्ट बहुत सख्त हुआ, तब नगर निगम ने साधारण सभा में एक प्रस्ताव पारित करके इसको नो-कंस्ट्रक्शन-जोन घोषित करने का प्रस्ताव पास किया।

लेकिन आज की स्थिति यदि हम देखें, तो पूरे बीछला पाल में चारों तरफ मकान बन गये हैं। वहां मकान बनने का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, वह यह हो रहा है कि आना सागर से पाल बीछला तक जो एस्केप चैनल बनी हुई थी और उसके माध्यम से बीछला पाल में जो पानी जाता था, वह बीछला पाल का पानी वहां ठहरता था और जब वह ओवरफ्लो होता था तो आगे जो एस्केप चैनल बनी हुई है उसके थ्रू वह खानपुरा तालाब में जाता था। माननीय सभापति महोदया, बीच के 5 सालों में अधिकारियों ने उस बीछला पाल में से ही एस्केप चैनल को निकाल दिया। उसको निकालने का दुष्परिणाम यह हुआ कि जैसे ही आना सागर की चादर चलती है और पानी ओवरफ्लो होकर के उस एस्केप चैनल के माध्यम से पहुंचता है, तो बीछला पाल के आगे जो बस्तियां बसी हुई हैं, वह बहुत पुरानी बस्तियां बसी हुई हैं, जिनको कच्ची बस्तियों के नाम से भी पुकारा जाता है, वह पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और लगभग 10 लाख की आबादी जो वहां रहती है, वह प्रभावित होती है। क्योंकि पहले बीछला पाल में पानी रुकता था लेकिन अब इसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वह पानी आगे बढ़ जाता है और आगे सारी बस्तियों को डुबोता हुआ, फिर कहीं खानपुरा के तालाब में पहुंचता है।

माननीय सभापति महोदया, दूसरी समस्या हमारी यह है कि नो-कंस्ट्रक्शन-जोन घोषित हो गया तो एक तरफ खातेदार परेशान हैं और इधर सरकार भी परेशान है। अधिकारियों की मौज इसलिए हो गयी है क्योंकि खातेदार गुपचुप तरीके से अधिकारियों से मिलीभगत करके वहां निर्माण कराना चाहता है। ऐसी स्थिति में, हमारे लिए बहुत ऊल-जलूल की स्थिति पैदा हो गयी है कि क्या करें और क्या नहीं करें।

इसलिए मेरा निवेदन है कि सिंचाई विभाग और नगर निगम यदि का-आर्डिनेट करके, उन होने वाले निर्माणों को रोककर, पानी वहां ठहराएंगे तो हमारी आगे की बस्तियां भी सुधर जायेंगी और साथ में, उस झील का जो दृश्य मैंने उल्लेख किया कि यह झील कितनी खूबसूरत थी और कैसी सुंदर व्यवस्था यहां थी, ब्रिटिश काल में भी इस झील की मरम्मत करायी गयी, इसके किनारों की

(श्रीमती अनिता भदेल)

मरम्मत करायी गयी; जहांगीर ने भी मरम्मत करायी। इतनी सुंदर यह झील थी कि जहांगीर के काल में भी इसकी मरम्मत हुई। लेकिन बाद के जो आक्रमणकारी आये, उन्होंने इस झील को बहुत तहस-नहस कर दिया।

माननीय सभापति महोदया, दूसरा, मैं बूढ़ा पुष्कर के बारे में माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने बूढ़ा पुष्कर के प्रोजेक्ट के लिए 38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली बार जब वे मुख्य मंत्री थीं तब उन्होंने घाटों का निर्माण कराया, मंदिर का निर्माण कराया, लेकिन इस बार जो 38 करोड़ रुपये रखे गये हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि उस पैसे का पूरा उपयोग हो और एक कैनाल बनायी जाये, क्योंकि होकरा और कानास में जो हमारी पहाड़ियों से पानी आता है बूढ़ा पुष्कर में, वह रास्तों में अतिक्रमण के कारण से कहीं न कहीं डाइवर्ट हो गया है। यदि हम प्रोपर तरीके से उसकी कैनाल बना देंगे तो वह सरोवर भी भरेगा और आने वाले श्रद्धालुओं को उससे राहत भी मिलेगी।

माननीय सभापति महोदया, तीसरा विषय मैं और कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री महोदय जब पूर्व में मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री जल संसाधन के, तो उन्होंने डिग्गी तालाब की सफाई का काम कराया था, शायद आपको याद नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी और उस डिग्गी तालाब के सफाई के कारण से वह इतना सुंदर तालाब बन गया था, लेकिन आज की स्थिति यह है कि उस सुंदर तालाब में से लोग अवैध रूप से पानी का दोहन करते हैं। कई लोगों ने परमानेंट पम्पसेट वहां लगा लिये हैं और वे पानी को बेचने का काम करते हैं। अगर सिंचाई विभाग उसकी देखरेख करे और जो अवैध कनेक्शन उसमें लगे हुए हैं, उनको तुरन्त हटाया जाये और उसकी मेंटीनेंस का काम भी हो।

माननीय सभापति महोदया, एक विषय और निवेदन करना चाहूंगी कि अजमेर में जो आना सागर झील है, वह झील लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के कारण आज की तारीख में नगर निगम के पास है, लेकिन नगर निगम के पास संसाधन नहीं होने के कारण से, जो भी नाले उसमें आकर के मिलते हैं, जो भी उसका कैचमेंट एरिया है, उन नालों में से गंदगी आती है। अगर उस झील के किनारे से हम निकल जायें तो देखने में तो वह बहुत खूबसूरत लगती है लेकिन जब कभी हम उस झील के किनारों से निकल कर जायेंगे तो इतनी बदबू उस झील में से आती है कि उसके पास से कोई निकलना नहीं चाहता। मेरा

(श्रीमती अनिता भदेल)

निवेदन है कि उस आना सागर झील को भी यदि बदबू-रहित बनाने में कुछ ना कुछ काम करेंगे तो शायद वह अजमेर के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा।

माननीय सभापति महोदया, एक खानपुरा तालाब की मैं बात करना चाहूंगी क्योंकि पूरा एस्केप चैनल से खानपुरा तालाब की तरफ पानी जाता है। खानपुरा तालाब के आसपास में सारे जो किसान हैं, वे खेती करते हैं। पिछली बार भी खानपुरा तालाब की जो पाल थी वह हट गयी थी उसके कारण से पूरी खेती बरबाद हो गयी थी, दो साल पहले जो बारिश आयी थी, उसमें। मेरा निवेदन है कि उस खानपुरा तालाब की पाल को भी हम ठीक करें और उसमें से जो किसान सिंचाई का पानी लेते हैं, उनकी हम प्रोपर व्यवस्था करायें। कई किसान उसके पेटे में भी कई बार अपनी फसल बो देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मेरी सीमा कहां तक है और आगे तक फसल बो देते हैं। तो नुकसान उनको होता है।

एक बार मैं पुन: माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि यह पाल बीछला जो झील है, मैं वापस उसको इसलिए कहना चाह रही हूं ताकि उनका ध्यान उस तरफ रहे, उसकी समस्या का कोई न कोई समाधान हम करें। जो निजी खातेदार हैं, उनको कहीं मुआवजा देकर के दूसरी जगह बसाने की यदि कोशिश करते हैं तो हम वापस उस बीछला पाल झील को उसी स्वरूप में लाकर के खड़ा कर देंगे जिस स्वरूप में उसको बनाया था।

आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीया श्रीमती सोना देवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मैं तो इतना मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अभी बोल रहे थे संगरिया से आने वाले माननीय सदस्य, उस समय शायद आपका ध्यान कम गया हो। यह जो सीवरेज का पानी पंजाब में जो डाल रहे हैं, पहले हरियाणा में सिरसा के पास में डाल रहे थे। उस समय रुकवाया था, वह गत्ता फैक्टरी बंद हुई है। अब दुबारा यह हुआ तो हैपेटाइटिस की महामारी की स्थिति तक पहुंच जाओगे। यह उसी में से पानी पी रहे हैं। थोड़ा-सा आप इस पर ध्यान दें। अब, ठीक है, वह तो मेरे को है कि इतना अभी समय नहीं बचा लेकिन यह वास्तव में समस्या है। लैटर्स आपको लिखने चाहिए। यह बनाइये, बिल्ड-अप करिये, मुख्य मंत्रीजी से पत्र लिखवायें।

दूसरा, यह बदबू वाले पानी का है, इर्रिगेशन एंड ड्रेनेज मैनुअल पढ़ा है

(श्री नरपत सिंह राजवी)

क्या आपने? इर्रिगेशन एंड ड्रेनेज मैनुअल, मेरे ख्याल से सवा सौ साल पहले बना है, जब गंग कैनाल और उस समय की स्टेट्स के बीच में हुआ था, उस समय बना था, 1864 का है। उसके बाद में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। आजकल आवश्यकताएं दूसरी हो गयी हैं। उसमें स्यूटेबल अमेंडमेंट करके, यह इर्रिगेटेबल जितना भी एरिया है, उसके अन्दर कोई भी उसको वायलेट करता है तो टेक एक्शन।

अब उसके अन्दर सीवरेज का पानी है? उसका भी मालिक सिंचाई विभाग है। आप अपने आपको काहे को पीछे मोड़ रहे हो। हर रोज पढ़ने को मिलता है कि आज यहां पर खेती हुई है और जा कौन रहा है, तहसीलदार जायेगा। तहसीलदार के पास कौनसा अधिकार है? इर्रिगेशन एंड ड्रेनेज मैनुअल को यदि आप इस्तेमाल करोगे तो 6 महीने तक की सज़ा कर सकता है आपका ए.ईएन. लेकिन कलक्टर नहीं कर पायेगा। वह हाथ की हाथ छूट जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट कराने की कोशिश करें, स्टडी करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीया सोना देवी।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदया, आपका धन्यवाद।

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जो हरिके बैराज बांध से राजस्थान कैनाल निकलती है, वहां पर काफी दिनों से आफिस बंद पड़ा है, जिस कारण से राज्य के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। वहां पर जो गेट बने हुए हैं, वे बहुत ही जर्जर हो गये हैं। वहां पर नये गेट बनाने के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी।

इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहूंगी कि जो गंग कैनाल है, जो गंगानगर से होते हुए आगे निकलती है, उस गंग नहर के लिए गंगानगर एरिये के लोग काफी चिंतित हैं। उसमें रोजाना ही पशु गिर जाते हैं। गंग नहर की तारबंदी नहीं होने के कारण उसमें पशु गिर जाते हैं, या बच्चे गिर जाते हैं। रोजाना इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

माननीय सभापति महोदया, जैसा कि अभी करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 3 महीने वर्षा के मौसम में यह कैली आती है, लेकिन 12 महीने ये लाशें भी आती हैं, पशु भी आते हैं। इसकी भी व्यवस्था की जाये। इस समस्या का भी समाधान किया जाये।

गंग नहर की तारबंदी की जाये और इंदिरा गांधी नहर की भी तारबंदी की जाये ताकि पानी की चोरी नहीं हो।

(श्रीमती सोना देवी)

माननीय सभापति महोदया, अभी करणपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां पंजाब में पानी की चोरी होती है। चोरी रोजाना रात को वहां होती है। आप देख लीजिये, रात को वहां पानी चोरी होता है। दिन में नहर में पानी पूरा रहता है और रात को पानी का लेवल उतर जाता है। यह जो चोरी पंजाब से हो रही है गंग नहर में और इंदिरा गांधी नहर में, इसकी भी रोकथाम के लिए कुछ करें।

माननीय सभापति महोदया, इसके साथ-साथ नहर की सफाई, नहर की सिल्ट निकालने के लिए पूरे स्टाफ की भी व्यवस्था करें।

जो पटवारी हैं, गेज रीडर हैं, बेलदार हैं, जे ईएन हैं, ए ईएन हैं, इतने पद रिक्त पड़े हैं। इन पदों को भी क्या आप भरने की मंशा रखते हैं? इन स्टाफ की भी आप तुरन्त पूरी भरपाई करें ।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो रेग्यूलेशन की मीटिंग होती है, हनुमानगढ़ में चीफ के यहां, उसमें हनुमानगढ़ और गंगानगर के माननीय सदस्यों को, जन- प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है। वहां पर उस मीटिंग में माननीय सदस्य योजना बनाकर कहते हैं कि चार में से दो में चलाया जाये। उस योजना के अकोर्डिंग चीफ जब वह रेग्यूलेशन नहीं रखते हैं तो फिर उस मीटिंग का क्या तुक हुआ? जब उनकी बात, सत्ता पक्ष वालों के जो जन-प्रतिनिधि थे उनकी बात नहीं मानी गई तो इन्होंने क्या किया कि चीफ को चेंज कर दिया। यह तो कोई सलूशन समस्या का नहीं हुआ न। चीफ चेंज करने से क्या हुआ? रेग्यूलेशन तो चेंज नहीं हुआ। चार में से दो में चलाया जाये, वह तो अब तक नहीं चला। माननीय मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहती हूं कि ओनली चीफ चेंज सरकार के करने से रेग्यूलेशन चेंज नहीं होता है। अगर रेग्यूलेशन की मीटिंग में जन-प्रतिनिधियों को बुलाया जाता है तो जन-प्रतिनिधियों की जो योजना है, चार में से दो में चलाने की, अगर वह कहते हैं तो चार में से दो में चलाया जाये तो वह होना चाहिये।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि रेग्यूलेशन को छह महीने में रखा जाये, जैसी कि अनूपगढ़ की माननीय सदस्या ने भी मांग रखी, ताकि रबी और खरीफ की फसल को ध्यान में रखते हुए उसको नुकसान न हो।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि गंगानगर सीमावर्ती क्षेत्र है, मिनिस्टर साहब से यह बात कोई छिपी हुई नहीं है, सरकार से भी बात छिपी हुई नहीं है कि गंगानगर सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र में, गंगानगर की

(श्रीमती सोना देवी)

जो गंग नहर है, उसके जो लास्ट में सीमा में आने वाले, टेलों पर आने वाले किसानों को आज तक पूरा पानी नहीं मिला। टेलों पर रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में कौनसे किसान आते हैं, जी बी एरिया के आते हैं, पी टी डी के आते हैं और एम के के आते हैं। समेजा नहर तो ऐसी नहर है कि किसी भी नहर का पानी अगर कम होता है तो सबसे पहले समेजा नहर को बंद कर दिया जाता है। यह कौनसा रूल है? मैं निवेदन मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि समेजा नहर को बंद क्यों कर दिया जाता है? इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो टेल पर बैठे हैं, उनका क्यूसेक पानी, जितना हिस्सा उनको मिलता है, उनको पूरा दिया जाये।

माननीय सभापति महोदया, जो खाटा माइनर है, पूर्ववर्ती सरकार ने भी घोषणा की थी कि खाटा माइनर में जो 6,250 बीघा जमीन पर काश्तकार बैठे हैं, जो ओनली कृषि पर डिपेंड हैं, जो कृषि पर डिपेंड हैं, वहां के लोग जो कृषि पर डिपेंड हैं, उनकी जो खाटा माइनर नहर है उसका सर्वे आज तक नहीं करवाया गया। आर्डर और घोषणाएं की गयीं, पूर्ववर्ती सरकार ने भी, उससे पूर्व सरकार ने भी घोषणाएं कीं लेकिन ओनली, खाली घोषणाएं करने से या सचिवालय में जो कई फाइलें पड़ी हैं, उनके नीचे वह जयपुर में हमारी खाटा माइनर की फाइल भी दबी पड़ी है। कृपया निवेदन है मंत्री महोदयजी से कि उस पर भी ध्यान करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सम-अप करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सूरतगढ़ ब्रांच के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी कि पूरी सूरतगढ़ ब्रांच का 1800 क्यूसेक्स पानी पूरा ब्रांच का पानी 1,800 क्यूसेक्स है और वहां की टेलों पर पानी 150 क्यूसेक्स पानी हर बार, आज तक कम दिया जा रहा है। इस पर आज तक किसी भी सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। कृपया इस पर भी ध्यान दें।

इसके साथ-साथ, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो किसान हैं, उनको क्यूसेक पानी, जितना उनको मिलना चाहिए, जितना हिस्से का पानी मिलना चाहिए, वह आज तक नहीं मिला।

इसके साथ-साथ, फसलों का भाव भी वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के अकोर्डिंग सरकार नहीं दे रही है। चौदहवीं विधान सभा का पिछला सत्र जब शुरू हुआ हुआ था तो सबसे पहले हमने मांग रखी थी कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के अकोर्डिंग हमारी तमाम फसलों का भाव दिया जाये, लेकिन इस पर हमें उत्तर

(श्रीमती सोना देवी)

यह आया सत्ता पक्ष से कि हमारी कौनसी सरकार है? तब लोक सभा चुनाव नहीं हुआ था, प्रथम सत्र में लोक सभा चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए उत्तर यह आया कि हमारी कौनसी सरकार है। अब तो लोक सभा चुनाव हो चुका, अब तो आपकी सरकार है। अत: वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के अकोर्डिंग समस्त फसलों का भाव दिया जाये।

यह मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि किसानों को पूरा पानी तो मिल नहीं रहा है और फसलों का भाव भी पूरा नहीं मिल रहा है और आज जयपुर के अन्दर जो धरने पर बैठे हैं 24 हजार विद्यार्थी मित्र, वे भी किसान के बेटे हैं। वे कोई और नहीं हैं, किसान के बेटे हैं।

श्री सभापति: समअप करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): ना डब्ल्यू टी ओ के अकोर्डिंग फसलों के भाव दिये जा रहे हैं, न पूरा क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, ना ही विद्यार्थी मित्रों को कोई स्थायी करने की बात कही जा रही है, ना ही उनको संतुष्टिदायक जवाब दिया जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि उनके अच्छे दिन कब आयेंगे? धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, श्रीमती द्रोपती।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदया, अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं टेबल करना चाह रहा था आपकी इजाजत से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत अपने वक्तव्य को टेबल करें।

(माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) द्वारा मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3A देखें।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 के अनुसार आपने मुझे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में इन्दिरा गांधी नहर की सफाई, मरम्मत करने की घोषणा, सेम समस्या के समाधान के लिए विशेष टीम, भाखड़ा नहर की 374 किलोमीटर सड़क को पक्का करने की घोषणा की है। नहर के बनने के बाद पहली बार उसकी मरम्मत करवाई जायेगी। इसे मेरे इलाके के किसान बरसों तक नहीं भूलेंगे।

(श्रीमती द्रोपती)

माननीय सभापति महोदया, इन्दिरा गांधी नहर 18500 क्यूसेक्स पानी क्षमता की नहर है, परन्तु नहर जर्जर है और सिल्ट से भरी हुई है, जगह-जगह से टूटी हुई है। नहर के दोनों साइडों में पेड़ उगे हुए हैं। जहां नहर का हैड बना हुआ है, वहां पर बहुत सारा जाड़ा, केली, कचरा, आदि पानी में फैला हुआ है, जिससे पानी का बहाव भी रुकता है और सिल्ट नहर में आने से नहर की चौड़ाई भी कम हो गई है। अब इसमें 9,000 क्यूसेक्स के लगभग पानी बहता है। पानी हमें 9,500 क्यूसेक्स हर रोज कम मिलता है। यह मामला बड़ा गम्भीर मामला है।

माननीय सभापति महोदया, इन्दिरा गांधी नहर जब से बनी है तब से आज तक किसी भी सरकार ने इसकी मरम्मत, सिल्ट निकालने व पूरा पानी राजस्थान को मिले, यह किसी ने नहीं सोचा। इसके लिए सिर्फ, और सिर्फ, सोचा तो सिर्फ माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी ने। उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय सभापति महोदया, इन्दिरा गांधी नहर के लिए मेरे कुछ यहां सुझाव हैं। नहर को पक्का व सिल्ट निकालने के लिए योग्य इंजीनियरों को लगायें, क्योंकि नहर का रिसाव रोकने से ही मेरे पीलेवा क्षेत्र की सेम की समस्या का समाधान हो सकता है। इस रिसाव को रोकें, इसके लिए बढ़िया सामग्री नहरों में लगे। इससे सेम की समस्या कम हो सकती है।

माननीय सभापति महोदया, पंजाब से नहरों में फैक्टरियों का केमिकल-युक्त पानी डाला जाता है जिससे गम्भीर बीमारियां राजस्थान में फैल रही हैं और फसलें भी खराब होती हैं। पीने का पानी भी दूषित होता है, क्योंकि यही पानी शहरों व गांवों में जलदाय विभाग की डिग्गियों तक पहुंचता है। कितना भी फिल्टर कर लो, केमिकल्स नहीं निकलते हैं। माननीय सभापति महोदया, पंजाब द्वारा फैक्टरियों का गंदा पानी नहर में डालने से रोकने का प्रयास राजस्थान सरकार को करना होगा।

इन्दिरा गांधी नहर से काश्तकारों को पूरा पानी नहीं मिलने से मजबूरन पानी की चोरी करनी पड़ती है। पानी की चोरी व नहरों की जर्जर अवस्था, भारी सिल्ट की वजह से पानी राजस्थान के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता है। इसके लिए हमें गम्भीरता से सोच कर कार्य करना होगा।

माननीय सभापति महोदया, काश्तकारों को पूरा पानी नहर व ब्रांच नहरों से नहीं मिलने पर भी आबियाना काश्तकारों को भरना पड़ता है। जिन

(श्रीमती द्रोपती)

काश्तकारों के खेत में ट्यूबवैल हैं, उन काश्तकारों से भी आबियाना लिया जाता है। इसे माफ करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, घाघर नदी का पानी जो पाकिस्तान जाता है, इसका मुआवजा भी हमें पाकिस्तान को देना पड़ता है। मुझसे पहले भी कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बताया है। इसको रोकने के लिए, इस पानी को सूरतगढ़ ब्रांच, नौरंगदेसर वितरिका, इसकी क्षमता 460 क्यूसेक्स है, सूरतगढ़ ब्रांच की क्षमता 1,850 क्यूसेक्स पानी है और अनूपगढ़ शाखा की क्षमता 2,350 क्यूसेक्स पानी की है, माननीय सभापति महोदया, इस घग्घर नदी का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़, नौरंगदेसर नहर ब्रांचों में डाल दिया जाये तो काश्तकारों के अच्छे दिन आने शुरू हो जायेंगे और हमारी मुख्य मंत्री यशस्वी और गुणवान

(16.39 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

होने से इस सारी समस्या का निदान जल्द होने की सम्भावना है। किसानों में उत्साह भी है कि हमारा कार्य सरकार करेगी तो माननीया मुख्य मंत्रीजी करेंगी। इनका हम तहेदिल से आभार भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46-सिंचाई व इंदिरा गांधी नहर पर आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

56 वर्ष पूर्व का सपना, आई जी एन पी का निर्माण, विकट परिस्थितियों से जूझकर, मानवीय प्रयास एवं कर्मचारियों के अथक प्रयास से मिली सफलता का ज्वलंत उदाहरण है। दुर्गम एवं जलविहीन रेगिस्तान क्षेत्र में नहर का निर्माण एक दुष्कर कार्य है। राजस्थान के इतिहास में 1 जनवरी, 1987 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर ने एक विशाल दुर्गम मरुस्थल को भेदते हुए 649 किलोमीटर लम्बी यात्रा पूरी की।

माननीय सभापति महोदय, आई जी एन पी में हमारा राजस्थान का जो हिस्सा है, पूरे पानी का 17.17 एमएएफ, इसमें 8.69 हमारे राजस्थान का हिस्सा है, पंजाब का 4.22 और हरियाणा का 3.50 I 52 परसेंट हिस्सा हमारे राजस्थान का है। इसके बावजूद भी राजस्थान को अंतिम छोर पर पानी नहीं मिल रहा है। सिंचाई के साथ-साथ, मैं कहना चाहूंगा, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। सिंचित क्षेत्र करीब 16.17 लाख हैक्टेयर है और 0.6 एमएएफ पानी आज भी

(श्री विश्वनाथ)

पंजाब हमारा यूज कर रहा है। यह बड़ी शर्म की बात है और हमारे लिए दुर्भाग्य भी है कि पंजाब हमारा पानी यूज कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, प्रथम चरण के लिए माननीय वसुन्धराजी ने आई जी एन पी की सफाई, इंदिरा गांधी नहर की सफाई व मरम्मत के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कहा है। मैं समझता हूं, इतनी बड़ी नहर के लिए माननीया वसुन्धराजी का विजन है, वह बहुत ही अच्छी बात है। नहर बहुत ही जर्जर हालत में है, नहर की साफ-सफाई, मरम्मत होना जरूरी है।

द्वितीय चरण के लिए माननीय वसुन्धराजी ने, 6 लिफ्ट परियोजनाओं के माध्यम से 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई होती है, इसके लिए ड्रिप व स्प्रिंक्लर सिस्टम के लिए करीब 1,500 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है, घोषणा की है, यह भी सराहनीय है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय अटलजी का जो सपना था नदियों को जोड़ने का, उस सपने को साकार करने के लिए माननीया वसुन्धराजी ने एक और अथक प्रयास किया है। नदियों को जोड़ने की राजस्थान में एक परियोजना माननीया वसुन्धरा जी लेकर आ रही हैं। इसके लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 31 जनवरी, 2011 को हमारी विधान सभा से जन लेखा समिति, उसमें 10-11 विधायक थे, हिमाचल से लेकर जैसलमेर तक इस आई जी एन पी नहर का दौरा किया, जिसमें मैं भी साथ था और करीब 68 बिन्दुओं पर जन लेखा समिति ने 86वां प्रतिवेदन भी इस विधान सभा में पेश किया, उसमें इन्होंने कई सुझाव दिये, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस पर किसी प्रकार का गौर नहीं फरमाया। मैं चाहूंगा कि जितने भी सुझाव हैं इस नहर के लिए बड़े उपयोगी हैं। हमारी माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी हैं, माननीय कटारियाजी हैं और हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं चाहूंगा, इन पर गौर फरमाएं और जितने भी सुझाव हैं, इनका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। इन सुझावों पर ध्यान देंगे तो नहर का सुदृढ़ीकरण होगा, अंतिम छोर पर पानी पहुंचेगा।

इस रिपोर्ट के दो-तीन बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। चंडीगढ़ में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, बी बी एम बी, उसमें हमारा जो प्रतिनिधित्व है, जो अन्तरराज्यीय समझौता हुआ था, उसमें सचिव का पद राजस्थान का होता है, लेकिन आज तक, 2007 से लेकर अब तक, किसी भी प्रकार का हमारा कोई

(श्री विश्वनाथ)

प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है। इस कमेटी ने भी सिफारिश की है। इससे हमारे पानी का जो पूरा हिस्सा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है।

जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है, उसके बारे में भी कमेटी ने सुझाव दिया था कि करीब 35 हजार क्यूसेक्स पानी पर-डे के हिसाब से वर्षा ऋतु में पाकिस्तान चला जाता है। इस पानी का संग्रहण करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए, जो कमेटी में सदस्य थे, उन्होंने सुझाव भी दिया था। पिछले 10 वर्षों का रिकार्ड हम देखें तो करीब 8.8 एमएएफ पानी पाकिस्तान गया है। इसके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा और मेरा सुझाव भी है कि जो हमारा हरिके बैराज है, उसमें हमारी अनूपगढ़ ब्रांच है, जो हमारी इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी कैनाल वहां से निकलती है, उसकी क्षमता है वह 18.5 हजार क्यूसेक्स की है और वर्तमान में जो हैड बने हुए हैं वे 15 हजार क्यूसेक्स के हिसाब से बने हुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि समिति ने सिफारिशकी है, वहां पर लिंक कैनाल बनाकर 3,500 क्यूसेक्स पानी हम और ले सकते हैं और जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसको हम डाइवर्ट करके इस नहर में डाल सकते हैं, जिससे अंतिम छोर पर पानी पहुंचे और पूरे पानी का राजस्थान में सदुपयोग कर सकें।

इसके अलावा, जो हमारे डिप्रेशन और एस्केप बने हुए हैं करीब 6 पूरी नहर में, उनमें भी पानी डालकर आसपास जो जमीन है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके माध्यम से 0.14 एमएएफ जल का संग्रहण किया जा सकता है।

मैं कहना चाहूंगा कि इतना पानी पाकिस्तान जा रहा है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, यदि इस कमेटी की सिफारिश को लागू करें, तो।

माननीय सभापति महोदय एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि पंजाब में लुधियाना से फैक्टरियों से अपशिष्ट आ रहे हैं, केमिकल्स आ रहे हैं। वे इस पानी में ही आते हैं, सतलुज नदी के माध्यम से हमारी इंदिरा गांधी कैनाल में आते हैं और वही पानी हमें इस पश्चिमी राजस्थान को पूरा पानी पीना पड़ता है। तो इससे काफी जलजनित बीमारियां होने की आशंका रहती है और कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी इससे होने की आशंका है। मैं चाहूंगा कि इसका भी कोई प्लान बने, माननीया वसुन्धराजी पंजाब सरकार से वार्ता करें। एक बार माननीया वसुन्धराजी ने हमें भेजा भी था, जिसमें आदरणीय करणपुर से आने वाले विधायक भी हमारे साथ थे, 10-11 विधायक हम गये थे, पंजाब मुख्य मंत्री से भी हम मिले थे। इसके लिए हम चाहेंगे कि यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या

(श्री विश्वनाथ)

है, सभी माननीय सदस्यों ने उठायी है, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दिल्ली सरकार में भी बैठेंगे, आप इस समस्या का समाधान करें।

माननीया मुख्य मंत्रीजी से मैं मांग करूंगा कि पोंग बांध में आज 10 फीट खाली रखा जाता है। 1988 में जब बाढ़ आयी थी, उसके अनुसार ही उन्होंने कहा कि 10 फीट खाली रखा जाय। हमारे कैचमेंट का पानी इसमें आता है और ऊपर की सतह में जितना पानी भरा जाता है, मैं समझता हूं कि यह पानी हमारे भी यूज आएगा। उसको भी पूरा भरा जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र है जो पूरा ही इस इंदिरा गांधी नहर पर डिपेंड है। अनूपगढ़ ब्रांच एक बहुत बड़ी लम्बी ब्रांच है। उसका अंतिम छोर खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र है। मैं कहना चाहूंगा कि खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र की भी सिंचाई, पेयजल व्यवस्था इस अनूपगढ़ ब्रांच से मिलती है। टेल का क्षेत्र है। हमारा पानी 365 हैड से ही करीब 500 के आसपास क्यूसेक्स लिया जाता है। इसमें हर वक्त 80 से 100 क्यूसेक्स पानी कम रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा, आज भी अनूपगढ़ ब्रांच चल रही है, अनूपगढ़ ब्रांच में के वाई डी नहर में करीब 408 क्यूसेक्स पानी होना चाहिए लेकिन 350 क्यूसेक्स पानी चल रहा है। इससे मेरे पूरे क्षेत्र की टेल पिट रही है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आप गम्भीरता से देखें। इस बार जब से सरकार बनी है, हर वक्त यही हो रहा है कि टेल के किसान पिट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय इसमें के जी डी, बी डी नहर भी हैं, उनका लेवल भी ऊंचा है और इसमें एक प्रावधान भी दिया गया है कि पूगल ब्रांच से के जी डी नहर को जोड़ दिया जाय तो समस्या का समाधान हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इसका बेड लेवल दिखाया जाय जिससे कि पानी टेल तक पहुंच सके।

पानी चोरी पर भी अंकुश लगना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि नहरों की मरम्मत हो, समय पर नहरों की डिसिल्टिंग हो और नहरों के रखरखाव के लिए, संचालन के लिए, जो स्टाफ की कमी है, उसको भी पूरा किया जाय।

अंत में, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। हमारे काश्तकारों की, गंगानगर रोड से छत्रगढ़ रोड पर जितने भी 61 गांव हैं, उन काश्तकारों की एक ही मांग है कि मेन कैनाल से उन सब को जोड़ते हुए, पेयजल और सिंचाई के लिए उन 61 गांवों को जोड़ा जाए।

(श्री विश्वनाथ)

आपने समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री ललित कुमारजी।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री ललित कुमार (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 पर आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सिंचाई का विश्व में सभी देशों के लिए आवश्यक और मजबूत तंत्र होना जरूरी है। सिंचाई के माध्यम से हर देश की कृषि और वहां का किसान मजबूत होता है। आज विश्व में देखें तो भारत की स्थिति कृषि में जिस आधारभूत ढांचे पर खड़ी हुई है, वह एक सिंचाई तंत्र है। भारत की जो इकोनोमी है, वह 70 प्रतिशत एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर हमारा सिंचाई पर डिपेंडेंट है। अगर सिंचाई तंत्र हमारा मजबूत होगा तो हमारा किसान और हमारी इकोनोमी और हमारी जी डी पी अपने आप ग्रोथ पर होगी। विश्व के यूरोप और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में इर्रिगेशन के माध्यम से कृषि पर विशेष फोकस दिया जाता है। हमें भी विश्व के अन्य देशों की तरह अपने देश में सिंचाई पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा और आपसी, जो हमारे स्टेट हैं, अन्य राज्य हैं, उनके सिंचाई तंत्र पर भी हमें राजस्थान के सिंचाई तंत्र से आपस में कम्पेरिजन करना होगा कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं।

आज हम इजरायल को देखें तो विश्व में बेस्ट वहां की सिंचाई तंत्र पालिसी है, वहां पर ड्रिप सिस्टम के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र तक पानी पहुंचाने का

(श्री ललित कुमार)

माध्यम है। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, हमारे यहां कई इलाकों में ड्रिपिंग सिस्टम पासिबल नहीं हो पाता है परन्तु कैनाल के माध्यम से हम प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इसी में पूरे भारतवर्ष में सबसे मजबूत तंत्र हमारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद भारत के अन्य राज्य और राजस्थान का नाम 14वें नम्बर पर आता है।

आजादी के बाद राजस्थान में कुछ कैनाल बनीं। विश्व की सबसे बड़ी कैनाल, इन्दिरा गांधी कैनाल, गंग कैनाल और हमारी हाड़ौती क्षेत्र में चम्बल पर पचास साल पहले बना हुआ जवाहर लाल नेहरू डैम, कोटा बैराज, आज उससे हमारे बारां जिले में और कोटा, बूंदी, झालावाड़ में लेफ्ट कैनाल और राइट कैनाल, दो कैनाल के माध्यम से पूरे क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने नदियों को जोड़कर, जो बड़े नाले हैं उनको जोड़कर, जो बेसिन फोर-वाटर कंसेप्ट का प्रावधान किया है, निर्णय लिया है, इससे नदियों का बेसिन आपस में जोड़कर, नदियों के पानी का डायवर्जन करके, पूरे पानी का यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान रिवर बेसिन अथोरिटी का गठन किया है। यह एक बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि आजादी के बाद राजस्थान में ऐसा कोई गठन सिंचाई के लिए नहीं हुआ जिससे नदियों को आपस में जोड़ा जा सके। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, अटल बिहारीजी वाजपेयी का यह एक सपना था जो पिछली यू पी ए सरकार ने दस साल से इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था।

इसी के सन्दर्भ में एक और पहल जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है कि राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत 60 उप-परियोजनाएं जो 2014-15 में पूर्ण होंगी, वे जापान इंटरनेशनल को-आपरेटिव एजेंसी, जी आई सी ए से लाभान्वित, एम ओ यू करने की घोषणा की है। यह भी हमारा एक सराहनीय कदम है। इससे पूरे राजस्थान की जो छोटी-छोटी लघु परियोजनाएं हैं उनको मदद मिलेगी।

अब मैं पूरे राजस्थान की जगह, अपने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बारां जिले में मेरा विधान सभा क्षेत्र सबसे बड़ा क्षेत्र है। माननीया

(श्री ललित कुमार)

मुख्य मंत्रीजी के पिछले 2003 से 2008 के कार्यकाल में मेरे क्षेत्र में चार प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हुईं। इनमें जो परियोजनाएं हुईं, उनमें सबसे पहले नारायणखेड़ा सिंचाई परियोजना, जो 2005 में स्वीकृत की गई और 2008 में पूरी हुई। इसकी लागत 808 लाख थी और इससे 900 हैक्टेयर भूमि सिंचित की गई। इसके बाद दूसरी मेरी बेरदा 2004 में पूर्ण हुई और इसकी लागत 51.45 लाख थी और इससे 118 हैक्टेयर कृषि भूमि आज सिंचित की जाती है। इसी के बाद, सीरिया लघु सिंचाई परियोजना, यह 2007 में स्वीकृत हुई और 2008-2009 तक पूरी होकर, यह 363 लाख की लागत से बनी और 172 हैक्टेयर भूमि आज सिंचित की जाती है। इसी प्रकार, सेमली फाटक 2007 में स्वीकृत हुई और 2009-10 में कुल लागत 1,015 लाख से पूर्ण हुई और 448 हैक्टेयर भूमि इससे सिंचित की जाती है। परन्तु इन चारों सिंचाई परियोजनाओं में आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन सिंचाई परियोजनाओं में कैनाल निकलनी चाहिए थीं, उनका जो पैसा था वह पैसा, हमारी सरकार दुर्भाग्यवश वापस नहीं आ पायी और उस पैसे का इसमें यूटिलाइजेशन होना था, वह नहीं हो सका और यह कार्य भी अधूरे पड़े हुए हैं। पिछले पांच साल में मेरे क्षेत्र में कोई किसी भी सिंचाई परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ और इन चारों सिंचाई परियोजनाओं की जो कैनाल हैं वे अधूरी पड़ी हुई हैं।

इसी में, मैं मेरे क्षेत्र की प्रस्तावित और स्वीकृत परियोजनाओं के बारे में आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले मेरी आहमदी लघु सिंचाई परियोजना है, यह सिंचाई परियोजना 635 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकेगी। इस परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति 2,892.65 लाख है। इसमें से 2,120.51 लाख की राशि वन विभाग के मांग पत्र अनुसार जमा करा दी गई है। वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि का आबंटन राजस्व विभाग द्वारा दिया गया है। अन्य 3.44 हैक्टेयर चरागाह भूमि को वन भूमि घोषित करने का प्रकरण जिला कलक्टर महोदय के माध्यम से राजस्व विभाग, जयपुर को भिजवाया जा चुका है। इसके बाद, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय से अंतिम स्वीकृति लेनी अभी बाकी है। पांच साल पहले 2007 में इसकी निविदा आमंत्रित की जा चुकी थी, इसकी राशि 271.48 लाख का कार्यादेश कर दिया गया था परन्तु वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की डिमांड शार्ट में ही रखना चाहूंगा। इस

(श्री ललित कुमार)

सिंचाई परियोजना में पिछले पांच साल में यह भी प्रगति नहीं हो पाई कि जो फोरेस्ट डिपार्टमेंट से एन.ओ.सी. आनी थी, वह भी नहीं आ पाई।

इसी तरह, मेरी हतयादि सिंचाई परियोजना भी फोरेस्ट विभाग की और मध्य प्रदेश की अन्तर-स्वीकृति के कारण लम्बित पड़ी हुई है। इससे 6,885 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। इसी प्रकार, राड़ी लघु सिंचाई परियोजना है, इससे 1,002 हैक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 2,392 लाख है और परियोजना की वन विभाग से स्वीकृति लम्बित है। इसी प्रकार, नेवली परियोजना से 614 हैक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। यह परियोजना भी वन विभाग से लम्बित है। ये मेरी चार सिंचाई परियोजनाएं कहीं न कहीं वन विभाग से स्वीकृति के कारण लम्बित हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे यहां से प्रयास करके, केन्द्र सरकार से एन ओ सी दिलाकर इनको आगे बढ़ायें।

(17.00 बजे)

इसी प्रकार, जाइका परियोजना, जो जापान की वित्तीय मदद से मेरे क्षेत्र में आज पोषित है, चल रही है और कई पूरी हो चुकी हैं, इसमें मोदरी लघु सिंचाई परियोजना, जिससे 421 हैक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है, इसकी मरम्मत का काम अभी चल रहा है परन्तु अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। इसलिए इसके लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा करें।

इसी प्रकार, नाहरगढ़ लघु सिंचाई परियोजना, कालीसौद सिंचाई परियोजना और खटका लघु सिंचाई परियोजनाएं भी वित्तीय स्वीकृति के कारण से लम्बित हैं।

इसी प्रकार, इकलेरा लघु सिंचाई परियोजना मेरे किशनगंज तहसील की 850 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करते हुए, आठ गांवों की कृषि भूमि को सिंचित करती है। इस पर 274 लाख रुपये का व्यय हो चुका है और कुल लागत 473 लाख रुपये की है। इसकी विशेष स्वीकृति दिलाते हुए इसको पूरा किया जाये।

मेरे विलासगढ़-भंवरगढ़-छतरपुरा लघु सिंचाई परियोजना, यह सिंचाई परियोजना 2001 से प्रारम्भ हो गई थी, अभी तक इस पर राशि 281 लाख का व्यय हो चुका है। परियोजना की कुल लागत 417 लाख रुपये है।

इनके अलावा कई अन्य सिंचाई परियोजनाएं हैं मेरे क्षेत्र की, विलासी मध्य सिंचाई परियोजना है, जो विलासी नदी पर किशनगंज में 20 गांवों को लाभान्वित करते हुए, 863 हैक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इस परियोजना

(श्री ललित कुमार)

का निर्माण वर्ष 1996 था। वर्तमान में नहरों की मरम्मत की आवश्यकता है और इस कार्य हेतु 995 लाख के प्रोजेक्ट तैयार कर विभाग को भिजवा दिये गये हैं, परन्तु स्वीकृति नहीं होने के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी हैं।

इसी प्रकार, उम्मेदसागर-रातई-गोपालपुरा में भी जापान से एम ओ यू करके, उनसे कार्य चल रहा है, परन्तु कहीं न कहीं इनमें वित्तीय स्वीकृति के अभाव में कार्य अटके हुए हैं।

इसी प्रकार, शाहबाद में कुन्नू एवं करई नदी पर आठ एनिकट का काम चल रहा है। इन आठ एनिकट्स की स्वीकृति लागत 24.48 लाख है जिसमें से उक्त पर 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, परन्तु बजट के अभाव में इनका काम अभी रोक दिया गया है।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जल संसाधन खण्ड तृतीय अक्टूबर, 2013 में स्वीकृत किया गया था। पहले बारां जिले के दूसरे खण्ड में मेरा किशनगंज-शाहबाद और पार्वती का क्षेत्र आता था, इसको तृतीय खण्ड बनाकर स्वीकृत किया गया है। इसमें छह उपखण्ड और एक एक्स ईएन व अन्य की पोस्ट स्वीकृत की गई हैं जिनमें से केवल एक एक्स ईएन मौजूद है, अन्य सभी पोस्ट खाली हैं, कनिष्ठ अभियन्ता, ड्राफ्टमैन, लिपिक के पद, सभी खाली हैं।

अत: मेरा आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरी सिंचाई परियोजनाओं की तरफ विशेष ध्यान देकर, मेरे क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। सिंचाई मंत्रीजी शायद हैं नहीं। मंत्रीजी के दूर-दूर तक कान होते हैं, सब जगह सुन लेंगे।

सिंचाई किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना सिंचाई के, बिना पानी के, आज के समय में किसान जिंदा नहीं रह सकता। जहां तक उसका खेत सिंचित नहीं हो, उसके लिए किसान हमेशा प्रयास करता है, चाहे कितना खर्चा लगे, किसान चाहता है कि मैं खुद के खर्चे पर अपनी जमीन को सिंचित करूं। उसके लिए निश्चित रूप से किसान प्रयास करता है। किसानों ने जो प्रयास किये हैं, मैं बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय ,किसानों ने

(श्री नरेन्द्र नागर)

लगभग 600-600, 800-800, फीट ड्रिलिंग कराकर, होल करवाये और उसके बाद में कहीं उनके पानी निकला दो इंच, डेढ़ इंच। उसके बाद फिर प्रयास किया किसान ने, फिर उसमें पानी निकला एक इंच, डेढ़ इंच। बहुत सी जगह तो ऐसी स्थिति आती है, माननीय सभापति महोदय, उस केसिंग को तुरन्त निकालना पड़ता है। केसिंग का पैसा भी किसानों का लगता है। तो इस प्रकार के हालात किसानों के हैं।

पिछले 2003 से 2008 में जब मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धरा राजेजी बनीं तो लोगों को अपेक्षा थी। किसानों की महत्वपूर्ण योजना बारां-झालावाड़-कोटा की परवन वृहद सिंचाई परियोजना थी। उसके लिए हमेशा उस संसदीय क्षेत्र में, जिसमें कोटा संसदीय क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा आता है, बहुत आन्दोलन हुए। किसानों ने हमेशा धरने-प्रदर्शन किये। वर्तमान की मुख्य मंत्री उस समय थीं, उन्होंने 650 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान रखकर सर्वे के निर्देश दिये और सर्वे का काम शुरू हुआ। उसके बाद, बहुत सारी आपत्तियां होती हैं, केन्द्र सरकार में फाइल जाती है, केन्द्र में यू पी ए की सरकार थी, माननीया मुख्य मंत्रीजी के प्रयास के बाद भी बहुत सारी एन ओ सी उस समय नहीं मिलीं। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार बनी और राजस्थान के साथ-साथ केन्द्र में भी यू पी ए सरकार बनी तो लोगों को यह अपेक्षा थी कि राजस्थान की सरकार और केन्द्र की सरकार, दोनों जगह एक ही सरकारें हैं और निश्चित रूप से यह वृहद सिंचाई परियोजना पूरी होगी।

राजस्थान में पिछली सरकार में, 2008 से 2013 में, इस राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, जिन्होंने जनता से वादा किया कि मैं जनता के बीच में, जब तक इस योजना का शिलान्यास नहीं करूंगा, जब तक इस काम को शुरू नहीं करूंगा, तब तक मैं जनता के बीच में नहीं आऊंगा। उन्होंने इसके लिए हमेशा प्रयास किये और ऐसा प्रयास किया, माननीय सभापति महोदय, चुनाव के जस्ट पहले, सरकार पांच साल तक सत्ता में रही और जब कुछ नहीं हुआ।

अब मैं, माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो स्वीकृतियां मिलीं, वह जैसे पर्यावरण विभाग की स्वीकृति 25.11.2011 को मिली, वन विभाग की सैद्धान्तिक स्वीकृति 7.8.2013 को मिली और प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 30.8.2013 को मिली और यह राशि स्वीकृत होनी थी 2,360.43 करोड़ रुपये और चौथी जो केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति थी, वह 19.9.2013 को मिली। भारत सरकार की स्वीकृति 10.12.2013 को जारी की गई।

(श्री नरेन्द्र नागर)

उसके बाद, आनन-फानन में, क्योंकि पर्यावरण के अलावा एक यह वन विभाग की स्वीकृति, इन्होंने जो स्वीकृति दी वह सैद्धान्तिक स्वीकृति दी थी; चूंकि सरकार को जनता के बीच में जाना था और उस क्षेत्र के मंत्री, पूर्व हो चुके थे उसी सरकार में, उनको जनता के बीच में जाना था और मुख्य मंत्रीजी उस समय अशोकजी गहलोत थे, हाड़ौती में जब भी वे गये, उनको जनता को जवाब देना था, उन्होंने केन्द्र से बुलाकर, राहुल गांधीजी से उस योजना का शिलान्यास करा दिया, जबकि वास्तव में शिलान्यास नहीं होना था।

भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और उसकी जानकारी चाही, तो सैद्धान्तिक स्वीकृति मिली, जबकि उसकी स्वीकृति नहीं मिली थी, और वर्तमान में भी स्थिति यह है। मैंने अतारांकित प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा तो यह सारी जानकारी मुझे मिली है और इसमें विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि 14.4.2014 को निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं और निश्चित रूप से माननीया वसुन्धराजी, वर्तमान की मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो शुरुआत की थी, उनके मन में दर्द था, उन्होंने वहां की स्थिति देखी थी। वर्तमान में राजस्थान और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, निश्चित रूप से यह पूरी होगी, पर मेरी एक चिंता है, क्योंकि जितनी देरी इसमें होगी, पहले 650 करोड़ रुपये की योजना थी, फिर 2,360.43 करोड़ की योजना और उसके बाद में इसमें जितनी देरी होगी, वास्तव में इतना पैसा लगेगा कि आगे जाकर कहीं दिक्कत खड़ी न हो जाये। क्योंकि सिंचाई के अलावा, दिनों-दिन जिस प्रकार की स्थिति, भूजल जितना गहरा जा रहा है, फ्लोराइडयुक्त पानी मिल रहा है। तो इससे सब गांवों की पेयजल की योजनाएं बनेंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप ध्यान देकर, जो भी इसमें, मैं नाम नहीं जानता, क्या इसमें कमियां हैं और क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, निश्चित रूप से आप ध्यान देकर, केन्द्र से बात करके, इसकी जल्दी शुरुआत की जाये, ताकि किसानों के मन में है कि अब तो दोनों सरकारें अपनी हैं और राजस्थान के अलावा, झालावाड़ जिले से मुख्य मंत्री हैं, निश्चित रूप से यह योजना पूरी होगी।

(श्री नरेन्द्र नागर)

इसके अलावा भी, अनेक योजनाएं मुख्य मंत्रीजी के बनने के बाद, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर की एक कम्पनी थी आंध्र प्रदेश की, उसको बुलाकर पायलट प्रोजेक्ट बनाये हैं और पूरे प्रदेश का सर्वे किया जा रहा है कि किस प्रकार से हम सिंचाई की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कमाण्ड एरिया होता है और उसमें जितने भी एनिकट बनाये जाते हैं, भराव क्षेत्र जो होता है जिस कमाण्ड का, उसमें एनिकटों की परमिशन नहीं दी जाती है। मध्य प्रदेश ने गांधी सागर बांध का जितना भी कैचमेंट एरिया है उसमें एनिकट बना रखे हैं। राजस्थान का जो डग विधान सभा क्षेत्र है उसकी सीमा आती है, उसमें जब एनिकट बनाने के प्रस्ताव भेजे गये तो डिपार्टमेंट के द्वारा यह कहकर उसको रोका गया कि ये कैचमेंट एरिया में आते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि कैचमेंट एरिया में आते हैं इससे भी निश्चित रूप से उस क्षेत्र को लाभ मिलता है। कैचमेंट एरिया होने के बावजूद एनिकट बनने चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पूराराम चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पानी के लिए जब पुराना जमाना था तो कोई राजा-महाराजा या गांव के ठाकुर अपने पीने के स्रोत के लिए गांव में कुआं खुदवाते थे। हमारे जोधपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा माननीय जसवंत सिंहजी ने जवाई बांध बनवाया था और एक मात्र पानी का स्रोत था। जवाई बांध का पानी, जो सई बांध बना हुआ है, उदयपुर से, वहां से होते हुए सुरंग से आता था। अब माननीय मंत्रीजी पता नहीं, बाहर चले गए, पानी कहां से आता है? हकीकत के अन्दर स्थिति यह है कि जवाई बांध में जो पानी आता है, उसकी अभी तक सफाई नहीं हुई है। इसके कारण जवाई बांध में पानी की आवक बहुत कम हो गई। एक मात्र पानी का स्रोत वह पश्चिमी राजस्थान में उस जमाने में था।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी जो हमारी योजना बनी थी जालौर-सिरोही और बाड़मेर में, वह थी माही-बजाज योजना।

(श्री पूराराम चौधरी)

एक जो पीने की पानी की योजना हमारी बनी थी, माननीया तत्कालीन और अभी भी मुख्य मंत्रीजी हैं, वसुंधरा राजेजी ने 2008 में सेलू के अन्दर उदघाटन करके, पूरे जालौर जिले को पीने का पानी नर्मदा से लाना था। लेकिन पिछली जो सरकार गई, उसमें कोई काम नहीं हुआ और वह योजना अभी तक आधी-अधूरी पड़ी है। उसमें तीन प्रोजेक्ट थे, एक ई.आर., एक डी.आर. और एक एफ.आर., जो तीनों भीनमाल-सांचौर से होते हुए भीनमाल, जयसिंहपुरा, रानीवाड़ा, आहोर और सांचौर विधान सभा क्षेत्र में और कुछ भाग सिरोही में भी था, वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक जो बहुत बड़ी योजना थी, 1996 में बनी थी। पूर्व में भी मैंने, तत्कालीन मुख्य मंत्री, स्वर्गीय श्री भैरोसिंहजी शेखावत साहब थे और इस सदन में अभी भी मेरे कई साथी मौजूद हैं, पहली बार 1996 में मैंने यह मामला उठाया था। 1996 में जो योजना बनी थी, वह गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में बनी थी, माही-बजाज परियोजना। उसमें कडाना बांध जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में है, जब नर्मदा का पानी उसमें आ जाएगा, उसके बाद में वह पानी जालौर, सिरोही, बाड़मेर और कुछ पाली में जाना था, यह योजना थी। राजस्थान के तत्कालीन इर्रिगेशन मिनिस्टर थे श्री नाथूराम जी मिर्धा और गुजरात के लॉ मिनिस्टर थे विद्याशंकरजी त्रिवेदी, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। माननीय सभापति महोदय, जब नर्मदा का पानी उसमें आ गया, नर्मदा की ऊंचाई भी सरकार ने इस बार बढ़ा दी, तो हमारे तीनों जिलों का जो मामला है और इस बार माननीया मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा भी की थी कि हम जालौर, बाड़मेर और सिरोही के लिए उस पानी को लाने की कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदय, अगर उसमें कुछ समझौते में गड़बड़ हैं तो कडाना बांध से हमारा पानी बिलकुल सरल आने की स्थिति में है, इसमें बहुत कम खर्चा है, कुछ पानी सई डैम में डाल दीजिए आप। सई से अपने आप आ जाएगा जवाई बांध में। जवाई के पास में ही सूकड़ी, सेलवाड़ा, बावडी, सिन्दड़ा और छोटे-छोटे और बांध बने हैं उन बांधों में आ जाएगा और उसके जरिए जो भी नदी किनारे के जो गांव हैं, उन नदी किनारों के गांवों से होते हुए, जितने भी हमारे पीने के पानी के पुराने स्रोत हैं।

आज स्थिति यह है, जालौर-सिरोही जिले में डार्क जोन पहले ही लगा हुआ है। पहले एक सर्वे आया था, एक किताब में मैंने पढ़ा था, तब उन्होंने, कहा

(श्री पूराराम चौधरी)

था कि सरस्वती नदी है जो लुप्त होकर के पश्चिमी राजस्थान से चली जा रही है। मैंने किसी से कहा कि कितने फीट तक है? उन्होंने कहा, 900 फीट। तो मैंने 900 फीट का एक ट्यूबवैल खुदवाया और 900 फीट में इतना खारा पानी आया कि उसका कोई हिसाब-किताब नहीं।

मतलब, वह सरस्वती मां तो शायद उससे भी आगे हो सकती है। लेकिन हमारे जो मेन सोर्सेज हैं, अगर वह माही नदी का पानी समझौते के अनुसार मांग रहे हैं, हम कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। यह 1966 का समझौता है। उसके बाद एक आयोग बैठा 1980 में, खोसला आयोग और 1985 के अन्दर यह समझौता हुआ, सब जगह जब नर्मदा का पानी आ जाएगा, कडाना बांध के अन्दर, तब हम जालौर, सिरोही और बाड़मेर को देंगे। यह हमारा समझौता है।

हमारे बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने एक अतारांकित प्रश्न भी लगाया था, उसमें आपके अधिकारियों ने जवाब बिलकुल गलत दिया है। कम से कम यह तो मत दो। 1996 के अन्दर, उसमें स्पष्ट लिखा था, उसमें 20 परसेंट हिस्सा, तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत थे और इर्रिगेशन मिनिस्टर देवी सिंहजी भाटी थे, उन्होंने कहा था, उसमें 20 परसेंट हिस्सा राजस्थान गवर्नमेंट तय करेगी, 40 परसेंट वर्ल्ड बैंक का मामला था और 40 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था। यह है पूरा मामला। आपके अधिकारियों ने जो जवाब माननीय सदस्य को दिया है, वह बहुत गलत दिया है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी से निवेदन है कि कम से कम जालौर और सिरोही के अन्दर एक सर्वे करने के लिए एक एस.ई. आफिस खोला जाए और एस.ई. आफिस खोलकर के, जो आगे की कार्यवाही है, वह करें।

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पब्बारामजी।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आपका बहुत-बहुत आभार।

पूर्ववर्ती सरकार पांच वर्ष तक रही। मेरे क्षेत्र में तीन लिफ्ट नहरें आती हैं, एक जम्बेश्वर लिफ्ट, दूसरी पोकरण लिफ्ट और तीसरी है कोलायत लिफ्ट, उसका कुछ हिस्सा हमारे यहां आता है, परन्तु वहां पर पीने का पानी भी नहीं आता था। हम आंदोलन करते थे, बड़ी मुश्किल से पानी देते थे, दो-तीन महीने

(श्री पब्बाराम)

में देते थे और पीने का पानी मिल जाता था। इस मौजूदा सरकार के आने के बाद माननीया वसुंधराजी ने उन नहरों की सुध ली और उनके अन्दर पानी छोड़ा और वहां के कृषकों ने खेती की। जब खेती का सैकड़ों क्विंटल गेहूं और अन्य अनाज उनके खेत और खलिहानों से उनके घर अंगना के अन्दर जाने लगा, उन्होंने हज़ारों हजार दुआएं इस सरकार को दी और मिशन 25 सफल हुआ। उसका जीती-जागती मिसाल आपके सामने है; माननीय मंत्रीजी विराजमान हैं, ये भी मिशन 25 का हिस्सा है।

अकाल की छाया इस समय हमारे क्षेत्र में मंडरा रही है। वहां आज भी बरसात नहीं हुई है।

ये तीनों लिफ्टें 31-31 किलोमीटर की हैं। मैं जम्बेश्वर लिफ्ट की बात करता हूं। इसके सात पम्पिंग स्टेशन हैं, सात में तीन में पानी आता है और चार तक पानी पहुंचता है। चार से पांच तक की, लिफ्ट तक नहर चलाने की जो लाइन थी इलेक्ट्रिसिटी की, वह बीच में चोरी हो गयी। माननीय मंत्रीजी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह चार से पांच के बीच की जो लाइन-बिजली की, इसको पुन: डलवाया जाए ताकि यह पांच तक जाय और छह तक पहुंच जाय पानी। इस कनेक्शन को पुन: चालू किया जाय।

हमारे उस जम्बेश्वर लिफ्ट में 75 क्यूसेक्स पानी दे रखा है। जितना रकबा सिंचित होता है, उस रकबे के हिसाब से, माननीय सभापति महोदय, पानी बहुत कम है। इसके अन्दर विभिन्न डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं भरला, बाप, खाकूरी और अजेरी डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब बनी हुई हैं, माइनर्स बने हुए हैं। माइनर्स के अन्दर से सिल्ट निकालनी है, बाकी सिल्ट भी निकली हुई है। माननीय सभापति महोदय, यदि मंत्रीजी इनके अन्दर पानी छोड़ने की व्यवस्था कर देंगे तो दस हजार हेक्टेयर जमीन पानी पीने लगेगी। वहां की जमीन सोना उगलेगी और वहां के कृषक आपको याद करेंगे। बहुत याद आओगे आप, इसमें कोई शक नहीं है।

पम्पिंग स्टेशन 6 और 7 पर मशीनें नहीं लगी हुई हैं। उनके ऊपर भी मशीनें लगाई जाएं और जो चोरी हुई कनेक्शन की लाइन है, पुन: शुरू की जाय। ये मेरा विशेष आग्रह है।

पानी टेल तक पहुंचाने का श्रम करावें और सारी सिल्ट निकलवा कर फव्वारा पद्धति खेती चालू करवायें ताकि पानी का भी बहुत कम उपयोग हो और अधिक रकबा सिंचित हो। मैं अधिक पानी की आपूर्ति का आपसे आग्रह

(श्री पब्बाराम)

करता हूं कि पानी ज्यादा छोड़ा जाय। 75 क्यूसेक्स पानी इतनी लिफ्ट में, इतने क्षेत्र में सात पम्पिंग स्टेशन हैं, बहुत कम हैं।

इसी प्रकार से जय नारायण व्यास पोकरण लिफ्ट है, यह भी 31 किलोमीटर की है और पम्पिंग स्टेशन तीन तक पानी आता है। 31 किलोमीटर में से 11 किलोमीटर तक पानी पहुंचता है और 20 किलोमीटर अब भी वंचित है। जहां पर आबादी और खेत हैं, वे आज भी वंचित हैं।

आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, मैं आग्रह करता हूं मंत्री जी से कि आगे इस पांच नम्बर पम्पिंग स्टेशन तक पानी ले जाएं और बीच में जो सिल्ट है बड़ी मात्रा में, टिब्बा आ गया, उसको बाहर निकालने का श्रम करें। बाकी जो निर्माण होना है उसको भी पूरा करवायें।

पम्पिंग स्टेशन तीन हैं, यहां तक बिजली आती है और वह आती है जम्बेश्वर लिफ्ट से। जम्बेश्वर लिफ्ट के पम्पिंग स्टेशन एक से चल करके 27 किलोमीटर लंबी लाइन आती है। माननीय मंत्री महोदय से मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब पांच किलोमीटर, छह किलोमीटर दूरी पर जो सौर ऊर्जा से बनी हुई बिजली और 220 का अपना जी एस एस है वह 6 किलोमीटर ही दूर है, तो 27 किलोमीटर की उस लाइन को हटा करके, उसका मैटेरियल किसी अन्य कनेक्शन में काम में लिया जाए और सिर्फ किलोमीटर वह दे दिया जाए ताकि निर्बाध रूप से वह बिजली भी वहां पर चलती रहे और पम्पिंग स्टेशन भी चलता रहे।

इसी प्रकार से, खिदरत तक आने वाली एक कोलायत लिफ्ट है, इसमें दो डिस्ट्रिब्यूटरी और कुछ माइनर्स हैं, कोलायत लिफ्ट भी 31 किलोमीटर है जो बीकानेर क्षेत्र में आकर के रुक जाती है परन्तु आगे डिस्ट्रिब्यूटरी हैं वह हमारे क्षेत्र में आती हैं। दो डिस्ट्रिब्यूटरी आती हैं, बाकी माइनर्स आती है इसमें खिदरत डिस्ट्रीब्यूट्री है, वह 31 किलोमीटर तक बनी हुई है परन्तु वहां पर पानी मात्र सोलह किलोमीटर तक आता है अंतिम छोर तक पानी लाने हेतु यह व्यवस्था करायी जाए, मंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से माननीय सभापतिजी, कि पीछे से दोनों वितरिकाओं और एक अन्य माइनर के जो निर्धारित पानी है वो पूरा पानी छोड़ें क्योंकि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ जमीन है तो उस जमीन में बहुत बड़ी उपज होगी और अकाल के समय में जब वहां पर एक भी बूंद पानी अभी तक पड़ा नहीं है ऊपर आसमान से, लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी नहर की तरफ देख रहे हैं ,तो नहर के अन्दर से तो थोड़ी राहत उनको पहुंचायी जाए। ऐसा मेरा निवेदन है।

(श्री पब्बाराम)

इसमें कुम्हेर और कुमारी डिस्ट्रिब्यूटरी और माइनर हैं और साथ में ही खिदरत डिस्ट्रिब्यूटरी है, इस खिदरत डिस्ट्रिब्यूटरी में सोलह किलोमीटर और डिस्ट्रिब्यूटरी बनने का प्रस्ताव था परन्तु वह अभी तक बन नहीं पायी है। वह बने, न बने, परन्तु जितनी बन चुकी है 31 किलोमीटर, उसके अन्दर तो पानी टेल तक छोड़ा जाए।

माननीय मंत्री महोदय से मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि इस 31 किलोमीटर के पास में ये द्वितीय फेज में बनी हुई लिफ्टें हैं, इनके पास-पास में सड़कें आती हैं, वे चालीस साल पहले सड़कें बनीं। उनके ऊपर आवागमन से, वह सड़क है कि टिब्बा है, कुछ पता नहीं चलता; आ-जा नहीं सकते। तो अभी माननीया वसुन्धराजी ने अपने बजट भाषण में यह तय किया है कि इसको पी डब्ल्यू डी में देकर के इनका पुनरुद्धार कराया जाएगा। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि ये आप ठीक करवायें और एक सात किलोमीटर अतिरिक्त करने का करें ताकि पचास गांव जोधपुर और फलौदी से जुड़ जाएं। खिदरत वितरिका के पास-पास में सात किलोमीटर अतिरिक्त सैंक्शन दे दी जाए, ताकि वह पूरे पचास के पचास गांव उसमें जुड़ जाएं और वह रोड बन जाए। पचास गांवों के लिए वह लाइफलाइन होगी। सभी लोग आ-जा सकेंगे, वहां पर रिश्तेदारियां हैं, और फलौदी और जोधपुर से जुड़ जाएंगे। यह मैं निवेदन करता हूं।

एक बार पुन: आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति: श्री देवेन्द्र कटारा।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और डूंगरपुर की जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

सिंचाई विभाग के तहत डूंगरपुर जिला तीन खण्डों में विभाजित है और तीनों खण्ड डूंगरपुर सीमा क्षेत्र में ही पड़ते हैं लेकिन तीनों खण्डों के ऊपर अधीक्षण कार्यालय जो स्थापित है, वह डूंगरपुर मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर उदयपुर में संचालित हो रहा है। डूंगरपुर जब कार्यक्षेत्र है तो अधीक्षण अभियंता का कार्यालय उदयपुर में संचालित होना, वास्तव में, डूंगरपुर जिले की सिंचाई की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, डूंगरपुर जिले में सिंचाई परियोजना जो चल रही है, उसको ठीक करने के लिए और क्षेत्र में बांधों का

(श्री देवेन्द्र कटारा)

रखरखाव, नहरों का रखरखाव, आदि सब कामों के लिए वास्तव में एक बाधा उत्पन्न हो रही है और बहुत बड़ा भारी-भरकम बजट हमारा उदयपुर से डूंगरपुर आने-जाने में खर्च होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब पर्याप्त भवन है डूंगरपुर में अधीक्षण अभियंता कार्यालय संचालित करने के लिए, तो उदयपुर में जो अधीक्षण अभियंता कार्यालय, डूंगरपुर के नाम से संचालित है, उस कार्यालय को आप घोषणा करें कि डूंगरपुर मुख्यालय पर अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, वहां स्थानांतरित कर, वहां संचालित किया जाए।

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर में अभी चार बांध बने हुए हैं। वे चारों बांध भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने हैं। सोम कमला का बांध हो, चाहे मेवाड़ा बांध हो, चाहे लापापड़रा का बांध हो, ये सारे के सारे बांध भैरोंसिंहजी के शासन में, माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी के शासन में बने हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में डूंगरपुर जिले की सिंचाई से सम्बन्धित बहुत बड़ी मुरादें पूरी हुई हैं लेकिन पचादरी जो शासन आया कांग्रेस का, उन्होंने हर परियोजना को अधूरा छोड़ा। माननीय मंत्री महोदय, मेवाड़ा सिंचाई परियोजना के मामले में बताना चाहूंगा कि मेवाड़ा सिंचाई परियोजना के तहत बांध से दायीं और बायीं दोनों नहरें निकलीं, जिसको गुजरात सीमा तक बनाना था लेकिन पचादरी सरकार ने आधी अधूरी नहर का निर्माण किया और आज तक उस बांध के पानी से जो किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, वह पूरा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेवाड़ा सिंचाई परियोजना की जो दायीं और बायीं नहरें हैं, इन दोनों नहरों का गुजरात सीमा तक विस्तार किया जाए। इसके लिए विस्तार से कार्ययोजना बनाई जाए।

माननीय मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मेवाड़ा सिंचाई परियोजना के तहत जो बांध बना है वह बांध दो मीटर और ऊंचा बढ़ा दिया जाता है और लिफ्ट इर्रिगेशन, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पूरे क्षेत्र में नीचे ढलान वाली जमीन है वह तो सिंचित होती है लेकिन जो पठारी इलाका है, वहां पर बांध का पानी पहुंचाने के लिए दो मीटर बांध की ऊचाई बढ़ाते हुए, लिफ्ट परियोजना के माध्यम से मानमाता और गलंधर तक लिफ्ट के जरिये पानी पहुंचाया जाता है तो डूंगरपुर विधान सभा की आधी आबादी उससे सिंचित होगी, लाभान्वित होगी।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

माननीय मंत्री महोदय, एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि झापादरा बांध हम बनाएंगे, लेकिन घोषणा ही रही, अभी तक कुछ किया नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, झापादरा बांध एक ऐसा बांध है जहां पर बहुत ही कम लागत में आठ पंचायतों को इस पानी से लाभ मिलेगा। झापादरा बांध जो डूंगरपुर मुख्यालय से 12 किमी. की दूरी पर स्थित क्षेत्र में पानी बहने का एक नाका है, उस नाके को बांधकर उस क्षेत्र की जनता को लाभ दिया जा सकता है।

माननीय मंत्री महोदय, भारतीय जनता पार्टी के शासन में सोम फीडर की योजना शुरू की थी लेकिन वह भी अभी तक अधूरी है, पूरा काम नहीं हुआ; जो काम हुआ है वह अभी जर्जर हालत में है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं, सोम फीडर के पानी को भी डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में लाने के लिए सोम फीडर की मरम्मत कराई जाए, उसके लिए विशेष तौर से घोषणा की जाए।

दूसरा एक और निवेदन करना चाहता हूं। सबसे बड़ी डूंगरपुर जिले की परियोजना, सोम कमला परियोजना, जो माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे उस दरमियान शुरू हुई थी। पूरी परियोजना को पांच साल बनने में लगे। उसमें भी सोम कमला बांध का पानी, जरिये पाइप, डूंगरपुर शहर तक लाने का प्रावधान था, वह आज तक अधूरा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर विशेष तौर से कार्य योजना बनाकर जरिये पाइप लाइन, क्योंकि बांध का पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होकर गुजरात की ओर बहता है, वहां का पानी अगर डूंगरपुर नगर कुंभ तक पहुंचा दिया जाता है तो पेयजल की बहुत बड़ी किल्लत है, वह भी खतम हो जाएगी।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे और निवेदन करना चाह रहा हूं कि वास्तव में, डूंगरपुर जिला एक ऐसा जिला है जो पूरी तरह से पहाड़ी है। वहां पर कई सारे नदी और नाले बहते हैं लेकिन आज तक नदी-नालों का न तो सर्वे हुआ, न ही इस पर कहां एनिकट बनेगा, कहां बांध बनेगा, इस बारे में आज तक न तो कोई विस्तृत सर्वे कर तखमीना तैयार किया गया है।

माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर की जनता ने जरिये विभाग आपके पास मेवाड़ा सिंचाई परियोजना से लिफ्ट इर्रिगेशन के माध्यम से सिंचाई व्यवस्था कराने के लिए भी प्रस्ताव भेज रखा है, झापादरा का भी प्रस्ताव भेज रखा है, दायीं, और बायीं मेवाड़ा सिंचाई

(श्री देवेन्द्र कटारा)

परियोजना की दोनों नहरें हैं, उसकी मरम्मत करना और विस्तार करना, यह भी आपके सामने, सरकार के सामने प्रस्ताव भेज रखे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करके, उस पर विस्तृत कार्य योजना तैयार करके, अगर उसको पूरी तरह से क्षेत्र में लागू कर दिया जाता है तो क्षेत्र की जनता की गरीबी मिटेगी, भुखमरी मिटेगी। वहां की छोटी-छोटी जोत हैं, काश्तकार है, वह उस क्षेत्र में लाभान्वित होगा।

दूसरा एक और, कि डूंगरपुर जिला पूरी तरह से, मेक्जिमम क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, वहां पर डार्क जोन के नाम से जाना जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं डार्क जोन से बाहर निकालने के लिए वहां छोटी-छोटी सिंचाई परियोजनाएं हैं, छोटे-छोटे बांध हैं, उन बांधों को निर्मित किया जाता है, निश्चित ही वहां की धरती में जो भूजल है उसका स्तर ऊंचा आएगा और वहां के किसानों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और डूंगरपुर की जनता की समस्याओं को सदन में रखने का अवसर दिया, मैं डूंगरपुर की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

अंत में, मेरे कट-मोशन के पांच प्रस्ताव हैं, इनको पढ़ना चाहता हूं।

1. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मेवाड़ा सिंचाई परियोजना की दायीं व बायीं नहरों का निर्माण, गुजरात की सीमा तक, पूर्ण कराने तथा टूटी नहरों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में;

2. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित मेवाड़ा बांध की ऊंचाई दो मीटर बढ़ाते हुए लिफ्ट के माध्यम से सूखे क्षेत्र को सिंचित करने के सम्बन्ध में;

3. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सभी नदियों व नालों का सर्वे कराकर बांध व एनिकटों के निर्माण हेतु तखमीने बनाकर स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में।

4. डूंगरपुर जिले में सोम फीडर का सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में;

5.विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में झापादरा बांध का निर्माण कराने के सम्बन्ध में विस्तृत से तखमीना और सर्वे कराकर स्वीकृत कराने के सम्बन्ध में।

सभापति महोदय, अंत में, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम सं. 6)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को मध्याह्न पश्चात 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 2014 एवं शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त, 2014 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

1. औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014;
2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014;
3. कारखाना (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014;
4. शिक्षु (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2014

पर विचार एवं पारण।

यह कार्य गुरुवार, दिनांक 31 जुलाई, 2014 को।

शुक्रवार, दिनांक 01 अगस्त 2014 को-

राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार।

श्री सभापति: सरकारी मुख्य सचेतक यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री हीरालाल नागर।

(श्री सभापति)

(अनुपस्थित)

श्री संजीव कुमार।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय सभापति महोदय, आज विधान सभा में किसानों से जुडी हुई मांग संख्या 46-सिंचाई पर चर्चा चल रही है। किसानों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं भी इस चर्चा में अपने आपको शामिल करते हुए मेरे निर्वाचन क्षेत्र की सिंचाई सम्बन्धी कुछ समस्याओं की ओर सदन का एवं माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बजट में हमारे क्षेत्र के लिए सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में जो शेष बचे खाले थे, उनके निर्माण के लिए 115 करोड़ रुपये और अमरसिंह सब-ब्रांच सिस्टम में शेष बचे खाले थे, उनके निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, जिसका इलाके की जीवनदायिनी के रूप में 1979 में शुभारम्भ हुआ और सन् 2002 में इस इलाके को पानी दिया जाने लगा,लेकिन मुझे यह कहते हुए थोड़ी पीड़ा है कि इलाके के 1993 से लेकर 1998 तक तत्कालीन जन प्रतिनिधि की हठधर्मिता एवं उनकी किसान-विरोधी नीतियों के चलते जो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का मूल स्वरूप था, जो सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का रासलाना वितरिका का मूल अलाइनमेंट था, उसके साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई। जिसकी वजह से मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 14 गांवों को सिंचाई सुविधा से वंचित कर दिया गया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गांव घोटड़ा पट्टा, घोटड़ा खालसा, मुड़ेरना, किकराली, रामपुरा, मुढंरिया बड़ा, डूंगरसिंहपुरा, जिगासरी बड़ी, जिगासरी छोटी, अलायला, श्योरा टाडा, मालकस एवं भाडी, ये ऐसे गांव हैं जो कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से बहुत बड़ी आशा लगाये हुए थेलेकिन इन गांवों को सिंचाई सुविधा से उस समय वंचित कर दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन 14 गांवों का सर्वे करवाकर, इन गांवों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना से जोड़ कर, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि इन 14 गांवों के किसानों का जीवन खुशहाल हो सके।

(श्री संजीव कुमार)

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का जो मूल स्वरूप था, जिस मूल नक्शे को, जिस मूल अलाइनमेंट को लेकर के सिद्धमुख परियोजना को लागू किया गया, उससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं, जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र का गांव रतनपुरा, उसकी 295 हैक्टेयर भूमि, ग्राम मौजाना, उसकी 83 हेक्टेयर भूमि और ग्राम डाबड़ी उसकी 1140 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा से वंचित कर दी गई। ये जो गांव हैं, ये हरियाणा सीमा से चिपकते हुए गांव हैं। इनकी जमीन पूरी समतल एवं उपजाऊ होने के बावजूद भी जो सर्वे उस समय किया गया, जो अधिकारियों द्वारा सर्वे करवाया गया, निश्चित रूप से उसमें त्रुटि थी। उस सर्वे में यह कहा गया, एफ.एस.एल. से इन गांवों को ऊंचा माना गया। लेकिन निश्चित तौर से यह गांव सिंचाई के योग्य हैं, इनकी भूमि समतल है, भूमि उपजाऊ है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ये तीन गांव डाबड़ी, मौजाना और रतनपुरा, ये जो गांव हरियाणा सीमा से चिपकते हैं, कृपया आप दुबारा इनका अधिकारियों से सर्वे करवायें, इंजीनियर्स से इनका सर्वे करवायें ताकि इन गांवों को सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से पानी दिलवाया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, हमारे सिद्धमुख सिंचाई परियोजना क्षेत्र के कुछ गांव हैं, उन गांवों में एक अभियान चलाया गया; एक फरवरी, 2014 से लेकर 04 फरवरी, 2014 तक नहरी विभाग की जो भूमि है, नहर की सीमा क्षेत्र की जो भूमि होती है, उससे अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है, निश्चित तौर से इस अभियान के तहत नहर की सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर के सिद्धमुख सिंचाई परियोजना के ये गांव हैं, ग्राम भीरानी, सागड़ा, झांसल, गढ़ी छानी, बेर, अमरपुरा और सुरतपुरा, इन गांवों के किसानों की जो भूमि नहर की सीमा क्षेत्र से बाहर थी, उन किसानों की जो खातेदारी भूमि थी, उसमें सिंचाई के लिये ट्यूबवेल बने हुए थे, मकान बने हुए थे, किसानों की फसलें थीं, तो इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में इन अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते और इन अधिकारियों की जिद्दी के चलते, खातेदारी जमीन से किसानों के ट्यूबवेल तोड़ दिये गये, उसमें जे.सी.बी. चलाई गई। किसानों के मकान तोड़े गये और किसानों की फसल को नष्ट कर दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें और जो किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाये गये, उन मुकदमों को वापस लिया जाए और जो किसानों के टयूबवेल तोड़ दिये गये, किसानों की फसलें

(श्री संजीव कुमार)

खराब की गईं, मकान तोड़े गये, उनको उचित मुआवजा दिलवाने की आप कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर से हमारे इलाके में अमरसिंह सब-ब्रांच और सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, इन दोनों परियोजनाओं का पानी आता है। लगातार हम देख रहे हैं कि हम लोग हरियाणा से अमरसिंह सब-ब्रांच में और सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में सिंचाई का पूरा पानी नहीं ले पाते। हमारी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना जो 565 क्यूसेक्स की सिंचाई परियोजना है, उसमें 565 की एवज में केवल सवा तीन सौ क्यूसेक्स पानी एक बार में छोड़ा जाता है। इसी तरह से, अमरसिंह सब-ब्रांच में भी हरियाणा हमें पूरा पानी नहीं दे रहा। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप उच्च स्तर पर वार्ता करके, सरकार स्तर पर वार्ता करके, अमरसिंह सब-ब्रांच में और सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में किसानों को हमारे हिस्से का पूरा पानी दिलवाएं। इसके लिए उच्च स्तर पर आप प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में कुछ काम बकाया हैं। जो हमारी वितिरिकाएं हैं, जो कुछ माइनर्स हैं, उनके हैड पर हैड रेग्यूलेटर और क्रास रेग्यूलेटर बनाने का काम अभी बाकी पड़ा हुआ है। कुछ हैड रेग्यूलेटर और क्रास रेग्यूलेटर इन वितिरिकाओं के हैड पर स्वीकृत भी हैं। उनका काम चालू करवाना अभी बाकी है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख सिंचाई परियोजना की वितिरिकाओं की, उनकी माइनर्स की हेड पर हैड रेग्यूलेटर एवं कोस रेग्यूलेटर के निर्माण का कार्य जल्दी स्वीकृत करके इस काम को चालू करवाया जाए।

इसके साथ-साथ, अमरसिंह सब-ब्रांच के प्रारम्भिक बिन्दु, जो हरियाणा से पानी आता है, उसमें जीरो आर डी पर, क्योंकि यह पानी हमें जिस गेज के द्वारा पानी निर्धारित करके हमारे को देते हैं, निश्चित तौर पर वह गेज पट्टियां त्रुटिपूर्ण हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के इस जमाने में नई तकनीक के साथ कम्प्यूटरीकृत गेज वहां पर स्थापित किया जाए ताकि हमारे राजस्थान को, हमारी इस परियोजना को हरियाणा का पूरा पानी दिला सकें।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी अमरसिंह सब-ब्रांच और उसकी जो भी सहायक वितरिकाएं हैं और इसके अलावा सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, उसकी मुख्य नहर और जो वितरिकाएं हैं, उनमें सिल्ट निकालने के लिये, उनकी नहरों की सफाई के लिये बजट का प्रावधान किया

(श्री संजीव कुमार)

जाए ताकि डि-सिल्टिंग का काम पूरा होने के उपरान्त टेल के किसानों को पूरा पानी हमारे इलाके में मिल सके।

अमरसिंह सब-ब्रांच में और इसकी सहायक नहरों के जो गेट बने हुए हैं, जिससे कि पानी प्रवाहित किया जाता है, ये पुराने जमाने के बने हुए हैं और इनकी हालत बहुत जर्जर है। तो इन हेड के जो जर्जर गेट हैं, इनको बदलने के लिए और इनकी मरम्मत के लिए भी उचित बजट का प्रावधान किया जाए ताकि इन गेटों को बदलवा कर नये और लेटेस्ट गेट वहां पर स्थापित किये जा सकें।

माननीय सभापति महोदय, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का कमाण्ड-अनकमाण्ड एरिया सर्वे का काम, जो लम्बे समय से बकाया है, उस काम को पूरा करवाया जाए।

विभिन्न वितरिकाओं में और माइनर्स में मोगे लगाने का काम भी अभी बकाया है। तो इस काम को भी जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए ताकि किसान को इस परियोजना से सिंचाई का पूरा लाभ मिल सके।

इसके अलावा, हमारी सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में अनेक वितरिकाएं और अनेक माइनरें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उनकी मरम्मत करवाना अति-आवश्यक है ताकि टेल के किसानों को पूरा पानी दिया जा सके। तो इन क्षतिग्रस्त नहरों को, माइनर्स को और वितरिकाओं की मरम्मत का काम किया जाए।

सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में अभी तक बाराबंदी लागू नहीं होने से आपस में किसानों के झगड़े बढ़ते हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में बाराबंदी का काम पूरा किया जाए।

निश्चित तौर से हमारे क्षेत्र में सिद्धमुख सिंचाई परियोजना और अमरसिंह सब-ब्रांच, इन दो सिस्टम से पानी हमारे लगता है। लेकिन भादरा में केवल एक खण्ड कार्यालय, केवल एक एक्स.ईएन. कार्यालय कार्यरत है। ऐसी स्थिति में इन नहरों का रख-रखाव करना और उसकी पूरी मानिटरिंग करना, उस काम को चलाने के लिए निश्चित तौर से एक खण्ड कार्यालय की और आवश्यकता है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भादरा के अन्दर सिंचाई विभाग का एक दूसरा खण्ड कार्यालय खोला जाए।

जो वर्तमान में एक एक्स.ईएन. कार्यालय कार्यरत है, उसमें भी ए.ईएन., जे.ईएन. और अन्य कर्मचारियों की बहुत कमी है। उसमें ए.ईएन., जे.ईएन. के पद सारे रिक्त पड़े हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी ए.ईएन. और जे.ईएन. के पद इस

(श्री संजीव कुमार)

खण्ड में भरवाएं ताकि नहरों के रख-रखाव का काम पूरा किया जा सके। निश्चित तौर से हम देखते हैं कि सिंचाई की इन परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए, इनकी देखभाल के लिए आज हमारे भादरा क्षेत्र में, या कहीं भी हम जाकर के देखें, तो जो भी सहायक कर्मचारी होते हैं, आपके यहां बेलदार के पद सारे खाली पड़े हैं, आपके यहां गेज-रीडर के सारे पद खाली पड़े हैं। हमारे पास मेट के सारे पद और सहायक कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो रिक्त पद हैं और ये जो छोटे कर्मचारियों के पद खाली हैं, इनको जल्दी से जल्दी भरवाने का या नई नियुक्तियां करवाने का आप काम करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने जो बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कैलाश भंसाली।

(अनुपस्थित)

श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 46 पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान विश्व में अधिकतम शुष्क एवं रेगिस्तानी प्रदेशों में है। भारत की आत्मा गांवों में रहती है और वह है किसान। राजस्थान का किसान आज 52 परसेंट खेती पर निर्भर है। राजस्थान में सिंचाई के चार प्रकार के स्रोत हैं जिनमें नहर, तालाब, कुएं और नलकूप के माध्यम से सिंचाई होती है।

प्रदेश में पानी की हमेशा कमी रही है और पानी का महत्व आज बताने की जरूरत नहीं है। पानी का महत्व किसी प्यासे से पूछिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारे अपने बच्चों को पानी की कमी और अधिक विकट होने की पूरी सम्भावना है। जालौर जिला मरुस्थलीय जिला है। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी राजे ने नदियों से नदियों को जोड़ने का जो काम हाथ में लिया है और इसमें बजट में भी घोषणा हुई है, मैं आपके माध्यम से आदरणीया मुख्य मंत्रीजी एवं मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह मांग कर रहा हूं, जालौर जिले में खेती के लिए माही का पानी दिलाने का मैं

(श्री नारायण सिंह देवल)

अनुरोध करता हूं। माही नदी का उदगम विध्याचल पर्वत से होता है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 13,452 वर्ग मील है। इस नदी पर बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना बनी हुई है, गुजरात राज्य में कडाणा बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर का जल भराव क्षमता 9.142 टी.एम.सी. है। गुजरात में कडाणा बांध के निर्माण के समय इस क्षेत्र में कई धार्मिक मंदिर डूब क्षेत्र में आने के कारण विवाद हो गया और 1966 में अंतरराज्यीय समझौते के तहत कडाणा बांध की ऊंचाई कम करने का निर्णय लिया गया और इसके जल को माही बजाज सागर में संग्रहण करने का कार्य किया गया। इसकी मात्रा 40 टी.एम.सी. रखी गई और कमजोर मानसून होने के कारण, 7 टी.एम.सी. अतिरिक्त जल भंडारण का प्रावधान भी किया गया। इस प्रकार माही बजाज सागर बांध की कुल भराव क्षमता 56.142 टी.एम.सी. है जिसमें से 40 टी.एम.सी. पानी गुजरात हेतु और 16.142 टी.एम.सी. राजस्थान हेतु रिजर्व रखा गया। वर्ष 1966 में गुजरात व राजस्थान के मध्य एक समझौता तय हुआ कि गुजरात में नर्मदा का पानी प्राप्त होने के बाद, माही-बजाज में गुजरात के हिस्से का 40 टी.एम.सी. पानी का उपयोग राजस्थान द्वारा किया जाएगा। अब गुजरात में नर्मदा का पानी, माननीय सभापति महोदय, पहुंच चुका है।

कडाणा और माही बांध के निर्माण से वर्षों पूर्व केन्द्र सरकार द्वारा खोसला कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी ने पश्चिमी राजस्थान जिसमें जालौर जिला आता है, को पानी देने की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत भी की।

माही-बजाज सागर का जल स्तर 285 मीटर पर है। माही बेसिन से अनास तथा सोम नदियां एवं साबरमती बेसिन की वाकल, पायरी, साबरमती और सई नदियों पर स्टोरज डैम बनाकर 259 किलोमीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से डूंगरपुर जिले के टिमरोआ गांव से ग्रेविटी फ्लो के माध्यम से जालौर जिले की तहसील भीनमाल के ग्राम विशाला तक यह पानी आ सकता है। विशाला ग्राम की समुद्र तल से ऊंचाई 94.50 मीटर है एवं डूंगरपुर के टिमरोआ ग्राम की समुद्र तल से ऊंचाई 130.50 मीटर है। जल प्रवाह ग्रेविटी फ्लो से यह हो सकता है। इस संदर्भ में हमारी जब पूर्व में सरकार थी तो, माननीय सभापति महोदय, 2005 में माही मुख्य अभियंता ने भी इसकी अनुशंसा की थी। जालौर जिले में यह पानी आने से छह लाख एकड़ में सिंचाई हो सकती है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी एवं मंत्रीजी से निवेदन

(श्री नारायण सिंह देवल)

करना चाहूंगा कि माही-बजाज योजना की डी.पी.आर. तैयार कराने का आदेश दिलायें और वित्तीय संसाधन मुहैया करवाने का भी मैं अनुरोध करता हूं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला में है, इस पर सुंधा-माता का पहाड़ भी है और इस पहाड़ से निकलने वाला पानी गुजरात में जाता है। स्थानीय किसानों की हमेशा ही यह मांग रहती है कि इस बहाव क्षेत्र में छोटे-छोटे एनिकट बने और इन नदियों के अन्दर बेस स्लो (Base Slow) का निर्माण किया जाए जिससे कुओं का वाटर लेवल बढ़ सके एवं किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। राज्य सरकार की हमेशा ही यह मंशा है कि एनिकट बनें और एनिकट निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है, परन्तु यहां पर एक टी.ए.सी. कमेटी द्वारा समय पर इसका अनुमोदन नहीं करने के कारण यह एनिकट नहीं बन पाते हैं। इन एनिकट्स की स्वीकृति जारी करने हेतु एक ऐसे अधिकारी को अधिकृत किया जाए ताकि एनिकट निर्माण की स्वीकृति समय पर हो सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी पहाडियां हैं और यह पहाड़ियां वन विभाग में आती हैं। अगर हम इन पहाड़ियों में दो-दो मीटर के चैक-डेम बनाये तो निश्चित तौर से वाटर लेवल भी ऊपर आएगा और उन वन क्षेत्रों के अन्दर जो जंगली जानवर रहते हैं उनको भी पानी की सुविधा मिल पाएगी, परन्तु दुर्भाग्य के साथ में कहना चाहूंगा कि वन विभाग द्वारा इसके ऊपर समय पर एन.ओ.सी. जारी नहीं करने के कारण यह काम नहीं हो पाता है।

मेरे से पहले भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात रखी, हमारे यहां पर पीने के पानी का जो एक ई.आर. प्रोजेक्ट चल रहा है वह हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय में स्वीकृत हुआ था, परन्तु दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। यह इस काम को, जो टेंडर हुआ उसमें 36 महीने का समय था, इसमें से, माननीय सभापति महोदय, दस महीने निकल चुके हैं परन्तु काम बहुत ही स्लो चल रहा है। ई.आर. प्रोजेक्ट का स्टोरेज, फिल्टर प्लांट, पम्प हाउस और जी.एस.एस. का काम सांचौर के पालड़ी गांव में होना चाहिए। जमीन आबंटन की फाइल राजस्व विभाग सचिवालय में लम्बित है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि जमीन आबंटन तुरंत करवाया जाए ताकि यह काम समय पर हो सके और इस प्रोजेक्ट में जिन गांवों के अन्दर एस.एल.आर. टंकियां स्वीकृत नहीं हुई हैं, वे टंकियां भी स्वीकृत की जाए।

(श्री नारायण सिंह देवल)

दूसरा प्रोजेक्ट, पीने के पानी का डी.आर. प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें कई ऐसे पंचायत हैडक्वार्टस हैं जिनमें एस.एल.आर. टंकियां स्वीकृत नहीं हुई है और हमारे क्षेत्र में कई लोग ढाणियों और खेतों में रहते हैं तो एस.एल.आर. टंकी नहीं बनने के कारण वह पानी उनको नहीं मिल पाएगा।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राज़ी का बास बांध है जो पिछले कई सालों से टूटा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाला पानी इस बांध में रोका जाता है और टूटने से आस-पास के कई गांवों का जल स्तर नीचे चला गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करवा कर, भौतिक सत्यापन कर, इस कार्य को किया जाए। इस बांध के निर्माण हेतु करीब 5-6 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।

(18.00 बजे)

मैं आशा करता हूं, माननीय मंत्री महोदय इसके ऊपर ध्यान देकर यह कार्य तुरन्त करवाएंगे।

हमारे जालौर जिले में कनिष्ठ अभियन्ता के 11 पद स्वीकृत हैं और उसमें खाली एक ही कनिष्ठ अभियन्ता है और 10 पद रिक्त हैं। इस कारण से सिंचाई विभाग का काम समय पर नहीं होता है।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर आज जो सदन में चर्चा है, उसमें अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण के दो पेज में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए, गंग नहर के लिए, भाखड़ा नहर के लिए, अमरसिंह सब-ब्रांच के लिए ऐसी घोषणाएं की हैं कि तीन साल में उनके डी.पी.आर. बनाये जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, सरकार का कार्यकाल पांच साल होता है और आप यदि तीन साल प्रोजेक्ट बनाने में ही लगाएंगे, मेरा निवेदन है कि उनको क्रियान्वित करने का समय तो दो साल ही बचेगा।

सभापति महोदय, मैं अर्ज करता हूं कि आई.जी.एन.पी. योजना, मैं बजट कोट कर रहा हूं, पैरा 50-'अगले तीन वर्षों में इंदिरा गांधी नहर-प्रथम चरण की नहरों सफाई और मरम्मत के साथ-साथ एक्सटेंशन, रिनोवेशन एण्ड मोडर्नाइजेशन के कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

(श्री मानिक चन्द सुराना)

तैयार करने के लिए मैं आवश्यक प्रावधान कर रही हूं।'' आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगी और तीन साल की अवधि आप ले रहे हैं कि तीन साल में पूरा होगा। हम अभी 2014-15 में चल रहे हैं, सभापति महोदय, तो तीन साल का मतलब है, 2017-18 तक तो प्रोजेक्ट तैयार होगा, और दिसम्बर, 2018 तक सरकार का कार्यकाल है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अपने डी.पी.आर. बनाने के लिए, चाहे वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रथम चरण है, चाहे वह गंग नगर का चरण है और चाहे वह सिद्धमुख नहर है, अमरसिंह सब-ब्रांच है और भाखड़ा नहर प्रणाली है, आपने घोषणाएं की हैं, सिद्धमुख नहर में 23,822 हैक्टेयर में 115 करोड़ से, अमरसिंह सब-ब्रांच में 11,720 हेक्टेयर में 55 करोड़ से, भाखड़ा नहर प्रणाली की जहां नहरें पक्की बन चुकी हैं, उसके एक लाख 13 हजार हैक्टेयर में 451 करोड़ से, पर यह तो, सभापति महोदय, प्रोजेक्ट बन रहा है। प्रोजेक्ट के लिए तो, ठीक है, आपने जो भी 10-20-25 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया होगा, वह अलग बात है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर, जिसके बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कहा है, आई.जी.एन.पी. योजना के प्रथम चरण का निर्माण हुए भी अब 50 साल हो चुके हैं, 1958 में शुरू हुई, माननीय सभापति महोदय, इन नहरों की सफाई व पुनरुद्धार तथा लिफ्ट नहर क्षेत्रों में विशेषकर बूंद-बूंद व फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जाना आवश्यक है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी के भाषण में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के ही प्रावधान हैं और हमको बड़ा सपना भी दिखाया गया है। करीब 2 लाख हैक्टेयर में, उस सबको मिलाकर, भाखड़ा को मिलाकर, गंग नहर को मिलाकर, सिद्धमुख नहर को मिलाकर, आप प्रोजेक्ट बनाएंगे और उनका मोडर्नाइजेशन करेंगे और उसका रिनोवेशन, एक्सटेंशन सब कुछ करेंगे, पर तीन साल हमको क्या मिलेगा? प्रश्न यह है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह पंजाब-हरियाणा में से जो आती है हमारे यहां, इस नहर का पानी पीने लायक नहीं है और इसमें जहर आ रहा है पंजाब की फैक्टरियों से, हरियाणा की फैक्टरियों से। पूरे बजट में कहीं आपका ध्यान, सरकार का ध्यान इस बात पर नहीं है कि हम इंदिरा गांधी नहर के जल को स्वच्छ करके और उसके बाद में, जहां यह प्रवेश करती है राजस्थान में, उसके बाद आपको स्वच्छ पानी देंगे।

श्री सभापति: सेंट्रल कम्पेंडियम पर जो इश्यूज पेंडिंग हैं, उसमें राजस्थान सरकार द्वारा यह स्पष्ट मेंशंड है, पेंडिंग इश्यूज विद दी गवर्नमेंट आफ इंडिया। कम्पेंडियम 2013-14 में यह मेंशंड है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 2013-14 में ये होने हैं क्या, सभापति महोदय? 14-13 में होने हैं क्या?

श्री सभापति: कम्पेंडियम में मेंशंड है, पेंडिंग इश्यूज विद दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें यह बिलकुल स्पष्ट मेंशंड है जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, 8.60 एम.ए.एफ. का मामला कितने वर्षों से पेंडिंग है? मामले पेंडिंग होने से कोई रिजल्ट नहीं आता। आप पेंडिंग जो इश्यूज हैं, भारत सरकार के यहां पर आपके, आप कहें तो सही कि हम साल भर में निपटाएंगे। आखिर तो सरकार ऊपर भी अपनी है। माननीय नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में सरकार है, जिन्होंने कहा है कि कछुए की गति से नहीं, देश में विकास करना है तो घोड़े की टाप के मुकाबले विकास करना पड़ेगा।

आप खाली फिगरों को ध्यान न रखें, आप जो हकीकत है नीचे, उसको ध्यान रखें कि गंदा पानी आ रहा है, खेत-खेत में गंदा पानी जा रहा है, सेकण्ड स्टेज में गंदा पानी जा रहा है। उस पानी को स्वच्छ करने का, बड़े-बड़े चीफ इंजीनियर और बड़े-बड़े आई.ए.एस., प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय विराजे हैं, फुर्सत नहीं है किसी को। आप जो इस राजस्थान की सेवा कर रहे थे, पता नहीं, क्या सोचकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आपको दिल्ली भिजवा दिया, अन्यथा यह राजस्थान आपके अनुभव के आधार पर कुछ उम्मीद कर सकता था। जो आपका पिछला अनुभव है, 2003-2008 में, उस अनुभव का संचय ज्ञान और संचय अनुभव, यह राजस्थान को मिलता और हमारी नहरों की प्रणालियों में मूलभूत फर्क पड़ता।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान लिफ्ट नहरों की सिंचाई प्रणाली है, मैं माननीय मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह मेरे पास 14 मई का है, जब तीन ग्रुप में से एक ग्रुप लूणकरणसर लिफ्ट में चलाया गया, मेरे पास वह कागज है, माननीय मंत्रीजी, और उस कागज के नीचे, अन्त में नोट है, नोट में, ''यह विद्युत आपूर्ति में व्यवधान तथा प्राकृतिक/तकनीकी व्यवधान के कारण पानी में कमी होने पर उसकी भरपाई सम्भव नहीं होगी। इनके नियमों में, सभापति महोदय, यह लिखा हुआ है कि बिजली की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कमी से यदि नहर न चले तो जिनकी बारियां आएंगी, वे बारियां मरेंगी और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, वह युग बीत गया, जब इस तरह की बातें चलती थीं।

माननीय मंत्री महोदय, आप विद्युत को देखिये, विद्युत विभाग में स्टैंडर्ड आफ परफोर्मेंस बना हुआ है कि यदि आप बिजली काटते हैं तो रिकार्ड करनी पड़ेगी और 132 पर रिकार्ड हो जाएगा कि कितने मिनट गयी, कब गयी और वापस कब आयी, आपके इस नहर में आप कौनसे काश्तकार को पानी देते हैं और किसको नहीं देते हैं। आपके नियमों में कोई प्रावधान नहीं है कि आप उसका रिकार्ड बनावें और जब नियमों में प्रावधान ही नहीं है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि लिफ्ट नहरें तो बिजली से ही चलेंगी और बिजली का पुख्ता इन्तजाम, माननीय मंत्री महोदय, आपको करना पड़ेगा।

चार जगह लिफ्ट हैं और मलकीसर में जो लिफ्ट है, माननीय मंत्री महोदय, मलकीसर की लिफ्ट में एक ही पोल पर दोनों लाइनें चल रही हैं। सरकार की ऐसी क्या गरीबी है कि जिसका एस्टिमेट 40 लाख रुपये का है और मलकीसर बिक्री का महत्वपूर्ण बिक्री का स्थान है, पहला राजियासर, फिर मलकीसर, फिर खारा, फिर भुसंगसर, तो आप 40 लाख रुपये खर्च करके और उस बिजली की लाइन को तत्काल नहीं बना सकते? और दोनों तरफ से जो लाइन आ रही है, उसको दस फीट-बारह फीट की दूरी पर नहीं बना सकते? ताकि मलकीसर में कभी डिस्टर्बेंस न हो बिजली का और एक तरफ से जाए तो दूसरी तरफ आ जाए।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विद्युत आपूर्ति का मसला लिफ्ट नहर में आपको, माननीय मंत्रीजी, समाधान करना पड़ेगा और अपने नियमों में यह बात हटानी पड़ेगी कि विद्युत आपूर्ति के कारण यदि पानी नहीं मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

मैं तो यहां तक अर्ज करता हूं, आखिर आप हमको कितना पानी दे रहे हैं? मात्र 500 क्यूसेक्स पानी दे रहे हैं और हर नहर का, सभापति महोदय, क्यूसेक्स फिक्स्ड है। मैं दो-चार पढ़ कर सुनाता हूं, सीधे मोगे बुर्जी 63 से 76 - 8 क्यूसेक्स, फुलेजी माइनर-27 क्यूसेक्स, मेगाणा वितरिका-29 क्यूसेक्स, चारणा वितरिका प्रणाली-39 क्यूसेक्स, फूलदेसर माइनर-7 क्यूसेक्स। जितनी नहरें हैं, उन सब का अलग-अलग माप तय है।

मंत्रीजी, आपने जो व्यवस्थाएं नीचे कर रखी हैं, आज लूणकरणसर का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किसान चौपट है। खरीफ की फसल देखेगा नहीं, ध्यान कर लीजियेगा। क्योंकि एक तो जहां 8 ए.ईएन. लगने हैं आपने तीन ए.ईएन. लगा रखे हैं; जहां 15 जूनियर इंजीनियर लगने हैं जूनियर इंजीनियर जीरो है। कौन रखवाली करेगा, नहरों की प्रणालियां कैसे चलेंगी? आपने क्यों 8 और पन्द्रह का स्टैंडर्ड बना रखा है? आपके पद हैं, पद खाली हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन पदों को भरें और जिस तरीके से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने चार महीने में 73 हजार पद भरने की बात कही है, आप भी उसी पैटर्न पर, आपकी जो वैकेंसीज हैं, उन वैकेंसीज को भरने का काम करें और इस बात को देखें।

मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि किसान की बारी है और नियम यह कहता है कि बारी पिट गयी तो मिलेगी नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह क्लोजेज हटाइये ताकि आपकी जिम्मेदारी बने और सिंचाई विभाग का ए.ईएन. और जे.ईएन. इस बात का रिकार्ड बनाये कि किस किसान के खेत में पानी लगा और किस के खेत में नहीं लगा, ताकि यदि पानी का बहाव लिफ्ट में या पूरे इन्दिरा गांधी नहर में सही होता है तो आप जिनकी बारियां बंट चुकी हैं, उनको उसी के नैक्स्ट मंडे को या नेक्स्ट ट्यूजडे को, जो भी उनकी बारी है, उसमें आप पानी देने का काम करें।

मेरा निवेदन है कि यह सुधार आप लिफ्ट में नहीं करते हैं तो यह लूणकरणसर लिफ्ट तो फर्स्ट स्टेज की लिफ्ट है, श्रीमान्, छह लिफ्टें द्वितीय स्टेज की हैं जिनमें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि तीन लाख हेक्टेयर में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम से, छह लिफ्टों में तीन लाख हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ करेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, अब मैं यह भी नहीं जानता हूं कि पता नहीं, आप कितने दिन रहेंगे और कितने दिन नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं यह भी नहीं मानता कि आपको राजस्थान में ही रखा जायेगा क्योंकि आप लोक सभा के सदस्य हो गये हैं, फिर भी डिपार्टमेंट में एक कंटिन्यूटी होती है, जो भी माननीय सिंचाई मंत्री बनें, मैं उनसे अर्ज करूंगा कि किसान की बारी चलती है तो यह सुनिश्चित करिये कि आपकी नहर प्रणाली में जितना क्यूसेक्स पानी जिस नहर में, माइनर में जाना है, उतना क्यूसेक्स पानी जाए।

सभापति महोदय ...

श्री सभापति: Sir, you running out of time now. There are 15 more people now. You would like to conclude now.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापतिजी, मैं दो-तीन मिनट में बात को खतम करूंगा।

श्री सभापति: हां।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बात को लम्बा करने की मेरी आदत भी नहीं है और आप समझें कि मैं कुछ असंदर्भित बात कह रहा हूं तो मैं उसको बिलकुल कट शार्ट करता हूं।

मेरा निवेदन यह है, माननीय मंत्री महोदय, जितना क्षेत्र नहर क्षेत्र में है राजस्थान में, उससे ज्यादा बड़ा क्षेत्र ट्यूबवैल के क्षेत्र में है, उससे ज्यादा बड़ा क्षेत्र ट्यूबवेल में सिंचित है और ट्यूबवैल में जो सिंचित है वह विद्युत पर आधारित है। हमारी लिफ्ट नहर भी विद्युत पर आधारित है। इसलिए मेरा निवेदन यह होगा कि न सिर्फ लूणकरणसर लिफ्ट, बल्कि जो भी दूसरी लिफ्टें हैं, बांगणसर लिफ्ट, कोलायत लिफ्ट, गजनेर लिफ्ट, इन सारी लिफ्टों में आप घूमने का काम करें और यह जो ड्रिप और फव्वारा लगना है उसका तामझाम और आधारभूत ढांचा तैयार है कि नहीं, इसको भी आप देखें। क्योंकि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी बात पैरा 49 से लगा कर पैरा 55 तक, दो पेज में कही हैं, मेरा आपसे भी निवेदन होगा कि आप उनको दोबारा पढ़ें और आपके चीफ इंजीनियर और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कहें कि इनको पढ़ें।

आप हमको डी.पी.आर. का जो लोलीपोप दे रहे हैं, उस लोलीपोप की सीमा को तीन साल नहीं, आप दिसम्बर, 15 वे वो डी.पी.आर. को तैयार करवाएं ताकि तीन साल का समय आपकी सरकार के पास उनको क्रियान्वित करने का बचे और आपके कार्यकाल में ही आप जो बड़ी डी.पी.आर. बनायेंगे, वे आपके कार्यकाल में ही क्रियान्वित होंगी। मुझे मालूम है कि इस सरकार का कार्यकाल पांच साल नहीं दस साल है। मैटर्स को पोस्टपोन मत करिये, मैटर्स में गति लाइये और जो काम आपको तीन साल में करना है, उसको दो साल में सम्पन्न करके हमारे किसानों को राहत देने का काम करें।

सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गोतम लाल मीणा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जाखम बांध की जो नहरें हैं, वे 25 से 30 साल पुरानी हैं और उनमें टूट-फूट होने से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। हैड पर

(श्री गोतमलाल)

जो पानी है वह काश्तकार को मिलता है, उनको ज्यादा मिलता है, उनका खेत सीपेज हो रहा है और टेल तक किसानों को पानी नहीं मिलता है।

पिछली कांग्रेस सरकार ने बजट घोषणा पत्र में घोषणा की थी पचास करोड़ रुपये की और वहां पर पत्थर भी लगवा दिये। जब मैंने अधिकारी से पूछा कि भाई, यह पचास करोड़ रुपये कहां लगे हैं तो उन्होंने कहा, खाली तीन करोड़ रुपये दिये हैं। तीन करोड़ रुपये देकर के वहां चुनाव के समय उन्होंने वाहवाही लूट ली, लेकिन हकीकत यह है कि नहरों की हालत बिलकुल खराब है, वहां काश्तकार को पानी मिल नहीं रहा है। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कांग्रेस वालों ने तो नहीं दिया लेकिन आप पैसा देकर के जो नहर है उनका नवीनीकरण करावें।

साथ ही, माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार, उन्होंने बीस एनिकट का सर्वे करवाकर उनका एस्टिमेट मंगवाया है। साथ ही, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उनके अलावा भी मैंने आपको दस-बारह एनिकट और दिये हैं, उनको स्वीकृत करवाएं।

जहां पर जाखम का पानी पहुंचता है, वहां पर उन काश्तकारों को पानी मिले।

आपने मुझे समय दिया और मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, आपका पहले भी बहुत-बहुत ध्यान रहा है और माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी आभार जिन्होंने हमारे बीस एनिकट स्वीकृत कराये हैं और, मंत्रीजी, बारह एनिकट आप और करवा दें तो आपका भी बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, आपने मुझे समय दिया।

श्री सभापति: श्री हमीरसिंहजी भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

आजादी के 60 साल बाद देश में ज्यादा समय तक कांग्रेस का शासन रहा। तब गांव, गरीब और ढाणियों की तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं था। 1977 में स्वर्गीय आदरणीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, हर गांव में प्राइमरी स्कूल से लगाकर काम-के-बदले अनाज योजना, अंत्योदय योजना गांव और ढाणी तक लागू कीं।

माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधान मंत्री बने तो एक नीति

(श्री हमीरसिंह भायल)

के तहत पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और गांव और ढाणी तक एक सड़क योजना बनायी। उसके तहत प्रदेश के भी गांव और ढाणी तक, छोटे कस्बे भी जुड़े। उनका जो अधूरा सपना इस रेगिस्तान के लिए नदियों को जोड़ने का था, वह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, परम आदरणीया वसुन्धरा राजेजी ने इस 2014-15 के बजट में नदियां जोड़ने का जो सपना पूरा किया है, बजट में जो प्रावधान किया है इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

2003 में जब राजस्थान की मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी बनीं तो राजस्थान में पीने के पानी के लिए दीर्घकालीन योजना बनायी। इसमें बीसलपुर, उम्मेद सागर, खडबधवा योजना, पोखरण-फलसूंड-बालोतरा योजना बनीं और उनमें कार्य भी हुआ परन्तु पांच साल का शासन कांग्रेस का आने के बाद वे योजनाएं वहां की वहां ठप पड़ रहीं। मेरे उम्मेद सागर-धवा और पोखरण-फलसूंड योजना में कोई तरह का कार्य नहीं हुआ। अभी वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पीने के पानी के लिए एक योजना में 28 गांवों तक पानी पहुंच गया है। पोकरण-फलसूंड योजना में धन की कमी थी, तो हम सब विधायक आदरणीय मंत्रीजी से मिले, आदरणीया मुख्य मंत्रीजी से मिले तो उसमें धन का प्रावधान किया। अब वापस वह योजना चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, सरदार सरोवर गुजरात में जो डैम है, उसमें राजस्थान का हिस्सा पूर्व में भी था लेकिन ज्यादा समय कांग्रेस की सरकार रहने के बाद भी, उसमें हिस्से के पैसे नहीं देने की वजह से, 2003 में आदरणीया वसुंधराजी मुख्य मंत्री बनीं तो नर्मदा का पानी भी बाड़मेर, जालौर में पहुंचा।

माननीय सभापति महोदय, हमारे मरुधरा की लूणी नदी, हम इसको गंगा भी कहें, ब्यावर और बर से जो निकलती थी, वह बिलाड़ा, बालोतरा, सिन्धरी, नगर, गुढामालानी और गांधल जो रालतरा के नाम से जाना जाता है, वहां सावन और भादवे में लूणी नदी जब बहती थी तो 30 किलोमीटर इधर और 30 किलोमीटर उधर कुओं का जो जल स्तर था, वह ऊपर था। लाखों बीघे में वहां खेती होती थी। आज वह बिलकुल बर से लगाकर के गांधल तक सारी खेती खतम हो गयी है। वहां पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ता है। यह स्थिति हमारी बनी है।

माननीय सभापति महोदय, लूणी नदी में 1977 में एक लूणी बेसिन योजना बनी थी आदरणीय भैरोंसिंह साहब के नेतृत्व में। अभी भी आदरणीया मुख्य मंत्री से और आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस लूणी नदी में यमुना

(श्री हमीरसिंह भायल)

का पानी अगर अजमेर के पास से डाला जाये तो हमारे मारवाड़ में गांधल तक जो रेगिस्तान है, यह हरा-भरा हो सकता है और यहां खुशहाली आ सकती है। किसान जो आज मुरझाया हुआ है, वापस उनमें एक नई जागृति आ सकती है।

माननीय सभापति महोदय, अब मेरे विधान सभा क्षेत्र की छोटी-मोटी मांग करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिवाना में छोटे-मोटे कोई 10 बांध बने हुए हैं। बाड़मेर जिले में ए.ईएन. से लगाकर 4 जे.ईएन. और मिस्त्री से लगाकर सारी पोस्टें थीं। आज एक चपरासी भी इस पूरे जिले में इस विभाग का लगा हुआ नहीं है। 8 बांध बने हुए हैं, मेली है, मुबारी है, बागुंडा है, नग्गा है, पेलवाड़ा है, सेला है, मवड़ी है, इनकी देखरेख और मरम्मत तो क्या, एक चपरासी भी वहां नहीं है। इनकी सम्भाल लेने वाला भी कोई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि नर्मदा का विस्तार सिवाना विधान सभा क्षेत्र में खेती के लिए, किसानों के लिए हो और इसका सिवाना तक पानी पहुंचे, समदड़ी एरिया तक पानी पहुंचे। सुराज संकल्प यात्रा में माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारी थीं, उस समय में एक बांध के लिए निवेदन ग्रामीण जन ने किया था। उसके लिए माननीया मुख्य मंत्री जी ने फरमाया था।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि प्राचीन महादेवजी का मंदिर सिन्धरी में गोयनेश्वर, गोयना पहाड़ पर है। वहां के रावत स्वर्गीय गुलाब सिंहजी ने थारपारकर और देशी नस्ल की हजारों गायों का पालन करने के लिए अपनी जागीरी में से 1,200 एकड़ जमीन गायों के लिए जमीन डोनेट की। आज भी वहां हजारों गायें हैं। वहां अगर बांध बन जाये तो गायों के लिए हरा चारा और पानी की सुविधा हो जाये। वहां गायों का भी रखरखाव हो और जो घोषणा की हुई है, वह भी सार्थक हो। किसानों के लिए भी सुविधा हो और पूज्य गुलाब सिंहजी ने जो सपना संजोया था, वह भी पूरा हो।

माननीय सभापति महोदय, नर्मदा का विस्तार हो और ये जितने भी रिक्त पद पड़े हैं, ये भरने की आवश्यकता है।

भाकलड़ा बेल्ट जो 48 गांवों का है वहां फोरेस्ट क्षेत्र है, वहां भी छोटे-छोटे एनिकट, एरिया में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनें, जल जमीन में उतरे तो किसान खुशहाल हों।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री शैतान सिंहजी।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा निवेदन इस मांग में सिंचाई से सम्बन्धित है। मैं तो आपकी मार्फत मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे जिले में पोकरण के पास रामदेवरा में बाबा रामदेवजी का मंदिर है, तीर्थ स्थल है और यहां विराजमान सभी लोग उनमें बहुत आस्था रखते हैं। हमारी मुख्य मंत्री महोदया 9 तारीख को विधायक दल की मीटिंग करने के बाद 10 तारीख को वहां दर्शन करने गयी थीं। उसके बाद सरकार का गठन हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, वहां एक बहुत बड़ा तालाब है रामदेवरा में। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने लिखित में भी दिया है, जो पोकरण लिफ्ट योजना है, पोकरण-फलसूंड-सिवाना-बालोतरा इसमें आउटलेट दिया है, तो उस पाइपलाइन से रामदेवरा के तालाब को जोड़ने का अनुरोध करता हूं। उस कचहरी में मुख्य मंत्री महोदया ने भी उन लोगों से वादा किया था। वह तालाब अमूमन सूखा रहता है। उस तालाब पर लगभग-लगभग मेले में तो प्रति दिन 5 से 7 लाख लोग आते हैं। वहां उस तालाब के चारों तरफ ट्यूबवेल खुदे हुए हैं और वह तालाब भरा हुआ होता है तभी वेटयूबवैल रिचार्ज होते हैं। आउटलेट है, पानी कई बार जब अधिक आता है तो उसको छोड़ने की व्यवस्था है। इस तालाब के लिए लगभग डेढ़-दो किलोमीटर की लाइन है और मैंने बनाकर के तखमीना दिया हुआ है, 55 लाख की लागत है। रामदेवरा के उस राम सरोवर को उस लाइन से जोड़ें। यह मेरा विशेष निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि नहरी क्षेत्र है मेरा नाचना बेल्ट, पोकरण विधान सभा का। नाचना में इर्रिगेशन विभाग के जो इंजीनियर बैठते थे, एक तो 28वां खंड और एक 24वां खंड, 28वां खंड जो नाचना था उसको अधिकारियों की मिलीभगत से उठाकर फलौदी कर दिया। काश्तकार अपनी बारी, बंधी के लिए भी नाचना से फलौदी आते हैं। यह अच्छी व्यवस्था नहीं है। खंड किसलिए बनते हैं? वहां इर्रिगेशन के लिए हैं। सिंचाई का सबसे ज्यादा क्षेत्र नाचना में है तो वह नाचना का डिविजन है और वह फलौदी में है। वहां बार-बार दिक्कत आती है। किसान वहां बार-बार आते हैं। मैंने 3 बार लिखकर दे दिया है। एक तो नाचना 28वां खंड और भीखमपुर से 24वां खंड, वह भी नाचना में आ गया, जबकि वह भीखमपुर था। उसको भीखमपुर भेजा जाये। ताकि किसान क्यों आयें फलौदी। यह डिविजन किसानों

(श्री शैतानसिंह)

के लिए बनते हैं, गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए नहीं बनते हैं। ये तीन खंड हैं, एक निर्माण खंड है, एक 24वां खंड एक 28वां खंड। ये तीनों ही खंड वापस अपने स्थान पर भेजें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा क्षेत्र टेल पर है। जैसलमेर जिला इस आई जी एन पी के अंतिम छोर पर है। जिनको मुरब्बे अलाट किये गये हैं, जिन्होंने खातेदारियां ली हैं। जो किसान वहां खेती के लिए जाता है, पानी नहर में उनके यहां नहीं पहुंचे और उनकी आंखों में खून के आंसू आयें ऐसी स्थिति नहीं बने। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि टेल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जल वितरण के नियम के अनुसार ऐसा प्रावधान है कि नहर पहले टेल से शुरू हो, सिंचाई का काम पहले टेल से शुरू किया जाये, लेकिन इसमें सिस्टम यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, नहर के पूरे के पूरे तंत्र में यही हो रहा है। पीछे पंजाब में भी यही हो रहा है। पंजाब से जब राजस्थान में प्रवेश करती है तो राजस्थान में जो जिले पहले लगते हैं, वे ज्यादा पानी ले लेते हैं। लेकिन होना ऐसा नहीं चाहिए। पहले टेल को पानी दें, फिर सप्लाई शुरू होती है। यह जल वितरण का नियम है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह जल वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करें, अधिकारी लगाये जायें।

दूसरी बात, नहर में अवैध काश्त हो रही है, इसको रोकने के लिए कोई न कोई पुख्ता व्यवस्था की जाये। इसके लिए वहां स्थानीय कमेटियां बनाई जायें, उनमें सरकार के अधिकारी साथ रहें और उस अवैध काश्त को रोका जाये। हमारे यहां क्षेत्र में ऐसे मामले भी हैं कि स्टे मिल जाते हैं हमें। पैसे देकर लोग स्टे लाते हैं। पांच सौ रुपये की रसीद कटाई है और फार्म भरा है, आपकी स्पेशल के लिए दरख्वास्त लगी है, उसमें किसी राजनीतिक दबाव से हो जाता है। पिछली गवर्नमेंट के ये राजनीतिक कारनामे हैं। उनको राजनीतिक शह थी और उनकी बारी बंद हो गई। जो काश्तकार नहीं, उसकी खातेदारी नहीं, वहां अलाटमेंट नहीं, फिर भी उनकी बारियां चालू हो गईं। ऐसी बारियां बंद की जायें ताकि अवैध काश्त नहीं हो।

हमारे उस क्षेत्र में एस के जी नहर है, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की सैकण्ड चरण की एस के जी नहर है उसकी क्षमता 100 क्यूसेक्स है, जबकि नहर में 60 क्यूसेक्स पानी छोड़ते ही पानी ओवरफ्लो हो जाता है। उसकी डिजाइन ही इस टाइप की है। मेरा विशेष निवेदन है कि उसकी डिजाइन को आप वापस

(श्री शैतानसिंह)

देखें और उसका दुरुस्तीकरण करें। उसकी बनावट तो 100 क्यूसेक्स पानी की और 60-70 में वह ओवरफ्लो हो जाती है। तो टेल को पानी मिलता ही नहीं है। यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि एस के जी का संधारण करके वापस उसको सुनिश्चित करें और किसानों को पानी मिले।

सभी डिविजनों में मैंने एक्स ईएन से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास छह ए ईएन्स की पोस्ट हैं मगर एक ए ईएन है; जे ईएन हैं लगभग 12-13 जिनमें मात्र 1 जे ईएन है। इससे नहर की व्यवस्था सुनिश्चित हो नहीं सकती। इसलिए स्टाफ भी दिया जाये। करोड़ों-करोड़ों, अरबों-अरबों रुपये लगाकर अपन ने नहर बना दी, उस नहर की व्यवस्था सुचारू नहीं होती है तो किसानों को उसका बेनिफिट नहीं होता है। फिर जिसको जैसा मौका लगता है, साइफन से अवैध काश्त कर लेते हैं। कई ऐसे करते हैं। इनको रोका जाये।

हमारे उस क्षेत्र में मेनोक माइनर, बोडाना माइनर, तालरिया माइनर, ये रेत से भरी पड़ी हैं। इनको साफ कराकर पानी छुड़वाया जाये।

60 दिन की कार्य योजना में हमारी पोकरण लिफ्ट कैनाल और जम्भेश्वर, जैसा माननीय सदस्य पब्बारामजी ने बताया था, उसमें कनेक्शन होने की स्थिति हो गई। इसमें लाइनें चोरी हो गई थीं। तो फव्वारा सिस्टम से तत्काल कनेक्शन करवाकर उसको भी चालू करवाया जाये।

बारी-बंदी को आप थोड़ा ठीक करें और सब किसानों को पानी दें, किसानों को पानी मिले। अभी तो ठीक है, काश्त शुरू नहीं हुई है, काश्त शुरू होते ही लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं। हम आगे एक्स ईएन, ए ईएन, अधिकारियों को कहते हैं, कई जगह अधिकारी ही नहीं हैं तो मंत्रीजी के पास आते हैं। हमारे क्षेत्र में बारी बंदी को सुनिश्चित करके सभी को पानी मिले, शिकायत नहीं आये। यही कहना है, जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री कन्हैयालाल।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय ,मुझे मांग संख्या 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

अटलजी का जो सपना था नदियां जोड़ने का, उसके लिए सबसे पहले हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और माननीय मंत्री महोदय ने इस बजट के अन्दर ब्रह्माणी नदी को बनास में डालने का प्रावधान किया है, सर्वे के लिए बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।

(श्री कन्हैयालाल)

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि ब्रह्माणी नदी के साथ ही, चम्बल का जो पानी बेकार बहकर चला जाता है और कोटा के अन्दर भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, उसको भी बनास में डाला जाये क्योंकि ब्रह्माणी नदी से पूरा पानी जो बीसलपुर डैम बना हुआ है, उसमें नहीं आ पायेगा। वह तभी भर पायेगा जब चम्बल का पानी इसमें डलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनास नदी पर पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बीसलपुर बांध बना हुआ है जिसकी क्षमता 38 टी एम सी है, अभी पिछले आठ से दस साल में एवरेज केवल 16 टी एम सी पानी ही इस बांध में आया है। यह बांध हमारे राजस्थान की 25 परसेंट जनता को पेयजल उपलब्ध करवाता है। पूरे जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अजमेर पूरा जिला, टोंक जिला और नागौर जिले के भी सांभर, नावां, आदि को इससे पेयजल की व्यवस्था होती है। साथ ही, टोंक जिले की लगभग 82 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी इसी बांध से होती है। माननीय सभापति महोदय, 2020 में जब पेयजल व्यवस्था के लिए पूरी क्षमता से चलेगा, तब केवल 50 परसेंट पानी ही बीसलपुर बांध से मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चम्बल का पानी भी बीसलपुर बांध में डाला जाये जिससे हमारे पेयजल की पूरी व्यवस्था हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इस बांध के मूल स्वरूप में 70 परसेंट पानी सिंचाई के लिए था और 30 परसेंट पानी पेयजल के लिए था। बाकी बाद में इसको बदल कर 30 परसेंट पानी तो सिंचाई के लिए रख दिया और 70 परसेंट पानी पेयजल के लिए रख दिया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस बांध में जब चम्बल का पानी आयेगा तो मेरे जिले के जो छोटे बांध हैं, टोडी सागर, मासी बांध, चांदसेन, लामासिंह, किरावल सागर, बनोठ सागर है, बांध भरने के बाद जो ओवरफ्लो पानी होगा, इनमें डाला जाये। यहां पहले भी काफी बड़े आंदोलन हमारे जिले के किसानों ने किये हैं। अगर यह पानी हमारे इन बांधों में डलता है तो लगभग एक से डेढ़ लाख हेक्टेयर जमीन एक्स्ट्रा इर्रिगेट होगी जिससे हमारे पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इर्रिगेशन वर्क्स की टाइम पर मानिटरिंग नहीं होती है। इसके लिए भी आप एक कार्य योजना बनायें जिससे जो बांध और नहरें बनती हैं, वे समय पर पूरी हों। जैसे

(श्री कन्हैयालाल)

आज टेण्डर हो गया और वह दस साल तक पूरी नहीं होती है, पांच साल पूरी नहीं होती है तो उसकी लागत जाते-जाते पांच साल में, दस साल में दुगनी, तिगुनी हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूं जिस तरह से मध्य प्रदेश में मैं काफी काम देखकर आया हूं, वहां पर टाइम बाउण्ड प्रोग्राम देते हैं कि इतने टाइम में यह काम होना चाहिए, हर मंथ वहां पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में इर्रिगेशन सेक्रेटरी हैं, वे हर महीने की पांच तारीख को मानिटरिंग करते हैं, इस दौरान क्या प्रोग्रेस रही है, उसी तरह की मानिटरिंग यहां पर भी हो जिससे समय पर हमारी भी परियोजनाएं पूर्ण हो सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे छोटे-छोटे बांध पंचायतों को दे चुके हैं, 200 हैक्टेयर के बांधों को वापस सिंचाई विभाग में लिया जाये जिससे उनका रखरखाव जो नहीं कर पा रहे हैं, मेंटीनेंस बिलकुल जीरो है तो उनका भी सिंचाई विभाग से पूर्ण मेंटीनेंस हो सके।

मैं ज्यादा आपसे नहीं कह पाऊंगा बाकी यह ब्रह्माणी नदी और चम्बल नदी अगर बनास में डालकर बीसलपुर बांध में दी जाती है तो इससे जो रेवेन्यू होगी, पूरे पेयजल और डेढ़ लाख हैक्टेयर जमीन जो इर्रिगेट होगी, उससे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि दो साल में इसकी पूरी इन्कम पूरी राजस्थान सरकार को मिल जायेगी। इसलिए यशस्वी मुख्य मंत्रीजी से और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस योजना को जल्दी से जल्दी लागू करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपने मौका दिया।

श्री सभापति: श्री जय नारायण।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): मैं चूरू जिले में कुम्भाराम लिफ्ट सिंचाई योजना, जो तारानगर, राजगढ़ और सरदारशहर के गांवों में सिंचाई की महत्ती योजना है, उसके ऊपर जिक्र करना चाहता हूं। आपकी इजाजत से मैं विवरण देना चाहता हूं कि यह नहर शुरू में 2,40,000 हैक्टयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनी और चूरू जिले की तीन तहसीलों में इसका लाभ मिलने वाला था। बननी शुरू हो गई, कुछ काम बढ़ा, पर बाकी अधूरा पड़ा। इसी दौरान सन् 2005 में इस नहर से सिंचाई एरिया को काफी घटा दिया गया, 2 लाख 40 में से 1 लाख 38 हजार हैक्टेयर जमीन घटा दी। इतनी घटाने से, जो सिंचाई के लिए उपयुक्त होती थी, वह भी कम थी, फिर भी इसमें से और कम करने के कारण से उसमें 42 परसेंट ही सिंचाई के लिए पानी बचा है, 58 परसेंट काट दिया गया है। यह कटौती, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका

(श्री जय नारायण पूनियां)

कोई रेशो नहीं है कि क्यों काट दी गयी। इंदिरा गांधी नहर से 2 लाख 96 हजार हेक्टेयर जमीन काटी गयी है, उसके हिसाब से सारी जगह से थोड़ा-थोड़ा हिस्सा काटना इनको महसूस हुआ, तो 1 लाख 38 हजार सिर्फ तारानगर सिंचाई योजना से काट दिया? बाकी बचा 1 लाख 58 हजार पूरी इंदिरा गांधी नहर योजना में बांटा गया। बहुत बड़ा रेशो तारानगर तहसील से काटा गया है, यह इर्रेशनल कटौती की गयी है। इसके ऊपर दुबारा मंत्री महोदय अपने हिसाब से जोड़कर या हिसाब करके, सही ढंग से नपवाकर, इस कटे हुए एरिया को वापस जोड़ा जाय। काफी एरिया कटा है, काफी गांव कटे हैं।

कटने के बावजूद एक खतरा और हो गया। सन् 2005 में यह कटौती हुई, फिर इस नहर में से 2008 और 2009 में तारानगर माइनर, मेरासर माइनर, बिल्लू माइनर, हीरवास माइनर, सरदारशहर माइनर, डूंगरपुरा माइनर, 6 माइनर्स की स्वीकृति देकर इसके टेण्डर काल किये गये। इसमें किसी बाधा से आचार संहिता के लगने से ये स्टाप कर दिये गये। आचार संहिता हटने के बाद इनका निर्माण किया जाएगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि यह बंद किया गया काम आज तक बंद पड़ा है, कोई निर्माण शुरू नहीं किया गया, 5-6 साल हो गये, इस काम को दुबारा चालू करना जरूरी है। निर्माण कार्य जितना अधूरा पड़ा है, वह अब चालू किया जाय, इस बजट के

(18.42 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

अन्दर ही चालू किया जाय। बजट में लेकर ये माइनर्स पूरे किये जाएं ताकि जल्दी से जल्दी इस नहर का बाकी बचा काम पूरा हो सके।

इस नहर में दूसरी चीज यह हुई कि मुख्य नहर बन गयी, कुछ डिस्ट्रिब्यूटरी बन गईं, कुछ माइनर्स भी बन गईं लेकिन अफसोस की बात है कि खेत तक पानी नहीं पहुंचा। किसी भी खेत के लिए जो नालियां बनायी जाती हैं, वे नहीं बनायी गयीं। किसी भी खेत में सिंचाई नहीं हो सकती। बताया गया कि आप कच्ची नालियां बनाओ। धोरों वाली रेतीली जमीन, जिसके अन्दर पानी बहना बड़ा मुश्किल होता है, नाली बगैर वह चल ही नहीं सकती, सिंचाई हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थिति में, कच्ची नालियां बनाने वाली बात वहां न निभ पाएगी और न ऐसा हो सकता है।

इसके लिए क्या हुआ कि कच्ची नालियां बनाना शुरू किया, किसानों ने सीधा इंजन चलाकर, अपनी पाइपलाइन डालकर, पानी सीधा खेतों में पहुंचाने

(श्री जय नारायण पूनियां)

का काम किया तो उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर, पता नहीं, कितने तो केस दर्ज किये गये, उनके इंजन वगैरह उठा लिये, उनके पाइप काट ले गये। लेकिन आखिर में किसानों के दबाव में आकर यह कहना पड़ा कि आप अपने-अपने खेतों में सिंचाई करो और इंजन चलाकर यह काम करो, लेकिन यह तो फिर भी गैर कानूनी है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि खेत तक पानी पहुंचे। यह सबसे बड़ी समस्या है कि खेत तक पानी नहीं पहुंचे तो सिंचाई कैसे होगी? खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नालियां बनाओ, चाहे फव्वारा सिस्टम, डिग्गी बनाओ। डिग्गी बनाने के अन्दर एक बात और है कि पैसा बचाने के चक्कर में सामूहिक डिग्गियां न बना दी जाएं। उसमें झगड़े होंगे, पूरा पानी नहीं ले पाएंगे किसान लोग। इसलिए प्रत्येक खेत में डिग्गी बनायी जाय।

डिग्गी बनाकर फव्वारा सिस्टम अच्छी तरह से लागू किया जा सकता है, या नालियां बनाकर उस हिसाब से खेतों की सिंचाई की जा सकती है। ये नालियां अभी तक खेतों के अन्दर नहीं बनी हैं। यह काम भी अधूरा पड़ा है। अधूरे काम को इसी बजट में लिया जाय। माननीय मंत्रीजी, यह अपनी पार्टी के घोषणा-पत्र में भी है। इसलिए इसको बनाना हमारा धर्म बनता है और यह काम पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि यह काम पूरा करके आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जमीन जो काटी गयी है, जमीन जो हटायी गयी है, उसको वापस जुड़वाने का काम करें।

एक चीज और भी है कि जो हमारा पानी है चूरू जिले के लिए यमुना नदी का ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो मिनट और हैं आपके।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): एक ही है। मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल बोलिए आप।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर): यमुना नदी के जल बंटवारे में चूरू और झुंझुनूं जिले के लिए भी बहुत बड़ी राशि उपलब्ध हुई है, जिसके अन्दर 35-36 गांव राजगढ़ तहसील के चूरू जिले में आते हैं और बाकी हिस्सा झुंझुनूं जिले में आता है। इस नहर को जब से, जवाहरलाल नेहरू फीडर नहर सिंचाई योजना से यह फाइल अभी तक बंद पड़ी है। मंत्री महोदय, इसको

(श्री जय नारायण पूनियां)

खोलकर जरूर देखें और इसमें कार्यवाही शुरू करें। वह पानी मामूली नहीं है, उसके अन्दर 1,900 क्यूसेक्स के लगभग पानी है जो बड़ी मात्रा है। वहां इलाके के अन्दर पीने के पानी की समस्या है और वहां पानी खेतों को सींचने के लिए जरूरी है। अकाल पड़ते रहते हैं, बारिश बहुत कम होती है। यह पशुधन के लिए और किसानों के लिए, चारे का, अनाज का भण्डार बनेगा इस नहर से। चूरू जिले के लिए इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती। एक तो यह नहर बने, कुम्भाराम लिफ्ट सिंचाई योजना और दूसरा, यमुना नदी के जल बंटवारे का हिस्सा हमारे चूरू जिले के लिए आये। इन आधारों पर हम डवलपमेंट कर सकते हैं, वरना चूरू जिला मरुस्थलीय क्षेत्र है और मरुस्थलीय क्षेत्र के अन्दर किसी प्रकार की हमको मदद नहीं मिलती। वहां हरियाणा से पशु-चारा लाते हैं, अनाज भी वहीं से हमको लाना पड़ता है। इन चीजों से छुटकारा मिलेगा और चूरू जिले को इससे लाभ होगा।

अब मैं इन बातों के अलावा एक बात और कहना चाहता हूं, वह यह है कि इसके अन्दर थोड़ा ही काम बचा है, खेत तक पानी पहुंचाना बाकी है। इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाकर, यह प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट है, अच्छा लाभदायक प्रोजेक्ट है। इसके अन्दर जितनी राशि लगी है उसका फायदा, कैसे रिटर्न हो, इसके लिए खेतों तक पानी पहुंचाने का मैं आग्रह करता हूं। मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और इसका कुछ न कुछ प्रबंध करके, तैयार करके इसको चालू करवाएंगे। कई दिनों से रुका हुआ काम है, 6-7 साल से वहां पर एक भी पैसा नहीं लगा। इतनी बड़ी पाबंदी लगाकर छोड़ दिया। पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया था। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इसको देखकर चालू करवाएंगे।

आपने जो मुझे बोलने के लिए टाइम दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी का सिंचाई के लिए, इस अच्छे और किसान हक में दिये गये इस बजट में आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद में दो-तीन बातों पर, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

1988 के अन्दर पंजाब सहित अन्य राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी, जबरदस्त बाढ़ आयी। उस समय तक हमारे पोंग डैम के अन्दर और भाखड़ा

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

डैम के अन्दर पूरी क्षमता से पानी भरा जाता था। बाढ़ की वजह से, जब हमारे पूरे डैम भर गये और ऐसी स्थिति बन गयी, आपातकालीन स्थिति के अन्दर पौंग डैम के जब गेट खोले गये तो पंजाब के अन्दर एक जबरदस्त तबाही का वातावरण बना, बहुत गांवों में बाढ़ की स्थिति बनी, बहुत गांव डूब गये, काफी क्षति हुई। इससे पंजाब के किसानों में रोष व्याप्त था। आम जन परेशान और गुस्से में था। एक जन-आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने हिंसक रूप लिया। उसके हिंसक रूप लेने से, हमारे एक बड़े अधिकारी को शायद जान गंवानी पड़ी। उसी बात को लेकर, उस भय को लेकर, पंजाब सरकार ने निर्णय किया कि पोंग डैम और भाखड़ा डैम का पानी 10-10 फीट ऊपर से कम रखा जाए। 1,400 क्यूसेक्स हमारे पोंग डैम की जो पानी के लेवल की कैपेसिटी थी उसको घटाकर....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीजी का जवाब आकर, मांग पारित होने तक बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की स्वीकृति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): तब 10 फीट पोंग डैम का पानी घटा, 10 फीट भाखड़ा डैम का पानी घटा। जब ऊपर के हिस्से का 10 फीट पानी घट गया तो राजस्थान के हिस्से का, या जो पोंग डैम में हमारा हिस्सा था, जो हमें किसानों को मिलने वाला पानी था, उससे करीब 0.8 एम ए एफ के करीब पानी कम हो गया। इतना बड़ा हिस्सा यह कम हो गया और 0.6 एम ए एफ पानी हमें पहले से ही पंजाब सरकार द्वारा कम दिया जा रहा है। तो यह पानी की यह बड़ी स्थिति बनी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के सभी सदस्यों की ओर से राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

और हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि पंजाब सरकार से बात कर, यह जो हमारे 1,390 फीट का लक्ष्य निर्धारित कर उस डैम में पानी की भराव क्षमता का रखा था उसको 10 फीट पानी दुबारा बढ़ाने की व्यवस्था करें। क्योंकि आपातकालीन स्थिति बहुत समय बाद में इस तरह की आती है और उस तरह से अगर इसको छोड़ते हैं तो 0.58 एम ए एफ का मतलब एक लाख एकड़ नहीं, बल्कि डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में पानी और लगा सकते हैं। इतने पानी की आज राजस्थान को कमी हो रही है, इससे हमारे राजस्थान की जो इन्दिरा गांधी नहर है, उसके अन्दर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। इसलिए राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार से बात करके इस भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करे। यह किसानों के लिए एक विशेष रूप से पैकेज होगा जो शायद किसान कभी नहीं भूल पायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिके बैराज से लेकर मसीतावाली हैड तक पूरी की पूरी इन्दिरा गांधी नहर टूट चुकी हैं। उसके अन्दर पानी लेने की क्षमता नहीं रही। 10-11 हजार पानी चलता है तो उसके अन्दर सारी की सारी सीपेज शुरू हो जाती है और उसकी हालत बहुत दयनीय है। पिछली बार जब माननीया मुख्य मंत्रीजी, वसुंधराजी पिछले टाइम पर नहर के दौरे पर वहां पधारी थीं तो उसके पुनरुद्धार के लिए बजट मंजूर किया, इसके नव-निर्माण की जरूरत समझी और उसे लेकर पास किया। लेकिन उसके बाद में सरकार चली गई और पिछली सरकार पांच साल तक यों ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रही। हम सब उसकी तरफ देखते रहे कि कब हमारा यह काम होगा लेकिन वह काम नहीं हुआ। इसलिए हरिके से लेकर मसीतावाली हैड तक का जो इन्दिरा गांधी नहर का फीडर है, उसके पुनर्निर्माण की जरूरत है। इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा, जो हमारे पानी का वितरण है, आज जिस तरह से हमारे बीकानेर कमिश्नर इस रेग्यूलेशन को लागू करते हैं, जो वरीयता क्रम है उसको सभी इंजीनियर्स, चीफ इंजीनियर्स बैठकर बीकानेर में कमिश्नर महोदय के यहां जारी किया जाता है, लेकिन जो यह वरीयता क्रम बनता है, इसमें जिस तरह की किसान को जरूरत है और जिस क्षेत्र में पानी की जरूरत है, उस ढंग से वरीयता क्रम लागू नहीं हो पाता। बीकानेर से वरीयता क्रम बनने से, हमारे जो नहर के बैलेंस का पानी है, या अन्य कोई छोटी-मोटी नहरें हैं, वे पिटती रहती हैं और उससे किसान को नुकसान होता है। अत: हमारी विशेष रूप से आपके माध्यम से सरकार से विनती रहेगी कि हमारा वरीयता क्रम वापस नोहर, हनुमानगढ़ को दिया जाए ताकि किसानों को इससे राहत मिल सके।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह का हमारा काम चल रहा है और जिस तरह की नहरों की बारियां चल रही हैं, आप जब तीन में से एक पानी की बात करते हैं, ग्रुप जब तय होते हैं, या चार में से दो पानी देने की बात करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि किसी किसान को पूरा पानी नहीं मिलता। पानी उसको जब साढ़े आठ दिन की बारी के बाद में, 17वें, 18वें दिन पानी मिलना चाहिए अगर तीन में से एक का ग्रुप देते हैं पर 24-25 दिन से पहले कभी भी किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचता। खासकर जब तीन में से एक पानी होता है तब तो बिलकुल ही नहीं मिलता। चार में से दो में निश्चित रूप से दो-तीन दिन किसानों के पिटते हैं। इसमें आप जिस दिन, आज सोमवार की बारी जिस किसी किसान की है और अगर वह बारी उसी दिन से तय हो गई तो वह बारी जरूर पड़ती है। तो यह भी एक ध्यान देने की जरूरत है। सिंचाई विभाग इस ओर ध्यान देकर इस बात को निश्चित करें कि किसान के खेत में पूरा पानी उसी दिन से मिले, जिस दिन उसकी बारी चालू हो।

हमारे 243 आर डी, जो बरिधवाल हैड है, उससे लेकर 415 तक के बीच के हैड हैं, ज्यादा नहीं, मुश्किल से 400 क्यूसेक्स के करीब पानी वहां खर्च होता होगा हमारी छोटी माइनर और सीधे मोघों के अन्दर, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि 243 से जब नहर का पानी निकलता है लेकिन 415 पर पूरा पोंड नहीं बनने की वजह से हमारे 20 गांवों को उसमें नुकसान होता है। वहां किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता। यह भी देखने वाली बात है।

कंवरसेन लिफ्ट के ऊपर जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, वह बड़ी दयनीय है। कंवरसेन के अन्दर कोई भी वरीयता क्रम ठीक ढंग से नहीं चलता। चाहे हमारे फुलोजी माइनर हो, चाहे हमारी मीरचन्द माइनर हो या अन्य हमारे सीधे मोघे हों, चाहे 0 से 34 तक के हमारे बीच के मोघे हों, किसी के अन्दर भी वरियता क्रम से कोई पानी नहीं मिलता और बड़ा असंतुलित वरीयता क्रम चलता है। वहां जब माननीया मुख्य मंत्रीजी स्वयं पधारी थीं तब इस बात का वहां के किसानों ने कहा भी था, उसको लेकर इस पर चर्चा भी हुई थी, पर थोड़ा बहुत वरीयता क्रम ठीक हुआ। जहां तक सिल्ट निकालने का, डिसिल्टिंग का, नहरों का सवाल था, वह डिसिल्टिंग का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्योंकि जे.ईएन. वहां पर हैं नहीं। बस, एक मिनट में बात खतम करूंगा।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल एक मिनट। दो मिनट बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): धन्यवाद। वह डिसिल्टिंग का काम, जे.ईएन. नहीं होने की वजह से यह कहते हैं कि हमारे जे.ईएन. नहीं हैं, इसलिए हमारा एस्टिमेट नहीं बना। तो सारी नहरें, चाहे वे भाखड़ा की हों, या इंदिरा गांधी नहर की हों, डिसिल्टिंग का काम निश्चित रूप से सरकार के निर्देशानुसार जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

इसके अलावा, सबसे महत्वपूर्ण एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। बरिधवाल हैड से अनूपगढ़ की तरफ जो शाखा निकलती है, उसके पानी का इतना जबरदस्त रिसाव होता है, बड़ा दबाव उस पर रहता है। जिससे हमारे जो गांव हैं, उन गांवों में बड़ी भारी सेम की समस्या हो चुकी है, इसलिए अनूपगढ़ ब्रांच के अन्दर, पूरी की पूरी उसकी लाइनिंग को दुबारा बदलने की, या जो भी इंजीनियर समझें, उसके बारे में अपनी कोई विशेष राय नहीं है, जो हमारे इतने इंजीनियर हैं वे उस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे बड़े काबिल आफिसर्स हैं, वे ही यह बात तय करें कि इस सेम की समस्या का हल कैसे होगा। उसके लिए भी प्रयास किया जाए। सूरतगढ़ क्षेत्र की समस्या है, उसके लिए जरूर कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि उस क्षेत्र की समस्या का हल हो सके।

सूरतगढ़ ब्रांच साढ़े अठारह क्यूसेक्स की नहर है और साढ़े पन्द्रह क्यूसेक्स से ऊपर कभी ज्यादा पानी नहीं लेती। इसलिए सूरतगढ़ ब्रांच को निश्चित रूप से ठीक कराने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, जो पानी नापने के यंत्र लगे हैं, उनके अन्दर थोड़ी सी सिल्ट आ जाए, या थोड़ा बहुत घास-कचरा भी उसके आस-पास भी कहीं हो जाए, पानी के बहाव क्षेत्र के अन्दर, तो उसमें पूरा गेज नहीं आता। इसलिए इसको चुस्त-दुरुस्त करने की जरूरत है।

इसके अलावा, भाखड़ा की जो नहरें हैं, यह सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर आती हैं, उनको पक्का करने के साथ-साथ उनकी सिल्ट निकालने के अलावा, जो उसके अन्दर चोरियां होती हैं और टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता, उसको भी विशेष रूप से देखने की जरूरत है। टेल फीड करना अति आवश्यक है। भाखड़ा के अन्दर खासकर टेल में चोरी होती है। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री ओटारामजी।

(अनुपस्थित)

श्री शंकर लालजी शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज मांग संख्या 46 के ऊपर हमारी मांग रखने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सिंचाई विभाग के लिए आज मांग है। मैं जब अपना नाम हमारे मुख्य सचेतक महोदय से लिखवाने गया कि क्या आज हमें बोलने का मौका दोगे? तो हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने कहा कि आप क्या बोलोगे? यह वाकई में सही है कि इस ढूंढाड़ एरिया में और वह भी दौसा क्षेत्र में सिंचाई के लिए क्या मांगें, कहां से मांगें, किस एरिया से मांगें? कौनसी जगह बची है? उसके लिए आज

(19.00 बजे)

हमारी हालत तो यह हो चुकी कि रियासत काल में दौसा क्षेत्र जयपुर रियासत के अधीन था। रामगढ़ बांध बना, रामगढ़ नहरें बनीं और रामगढ़ नहर के कारण दौसा क्षेत्र के गेटोलाव बांध, सैंतल बांध, झिलमिल बांध, सूरजपुरा बांध, उनके अन्दर पानी गया। वर्षा के अन्दर, गत साल 50 प्रतिशत अधिक बरसात थी लेकिन इस रामगढ़ बांध का ऐसा गला दबा कि एक बूंद पानी नहीं आया। हाई कोर्ट, पूरा प्रशासन लगा कि आखिर यह पानी गया तो गया कहां? जहां 1981 के अन्दर एशियाड हुआ, आज उसकी हालत कैसे हो गई कि उसके अन्दर दो बूंद पानी नहीं मिल रहा? उसी का नतीजा है कि आज हमारे यहां भी सिंचाई के लिए पानी मिलता था, वह वहां से नहीं मिल रहा है। आज हालत यह है कि जो नहरें हमारे लिए बनाई गई थी, गेटोलाव बाँध जो अपने आपमें दौसा का एक तरह से पुष्कर कहलाता है, वहां पानी जाया करता था। पानी की नहरें बंद हो गई तो सिंचाई विभाग ने भी अपनी आंखें मूंद ली। नहरों की मरम्मत कौन करे, कौन देखरेख करे ?और नतीजा निकला कि उनकी टूट फूट और वह भी लोगों के अतिक्रमण का शिकार होने लग गई। मैं तो मंत्री महोदय से यही कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारी उन नहरों की मरम्मत के लिए तो थोड़ा बहुत पैसा दे दें तो हमारी आस्था का केन्द्र गेटोलाव बांध है, जिसको हम

(श्री शंकर लाल शर्मा)

पुष्कर की तरह मानते हैं, उसके अन्दर पानी जायेगा तो हमारे कुछ तो सिंचाई और कुछ हमारी आस्था बची रहेगी।

साथ ही, सिंचाई विभाग में गत सरकार ने ईसरदा बांध से दौसा को पानी देने के लिए 530 करोड़ रुपये सैंक्शन किये, 10 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग को दे भी दिये लेकिन वह 10 करोड़ रुपया लेप्स हो गया, एक रुपया काम में नहीं लिया गया। एक साइड में दौसा की हालत यह है कि केवल मात्र पानी, पानी, पानी, पानी, मांग-मांग कर हमारी जनता दु:खी है, सिंचाई की बात तो छोड़ो, आज हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है और दूसरी साइड में हमारा सिंचाई विभाग है, जिसको 10 करोड़ रुपया दिया गया कि आप इसका सर्वे कराकर बांध का काम चालू करें। वह पैसा लेप्स हो गया।

आदरणीय हमारी मुख्य मंत्री साहिबा ने अभी 530 करोड़ रुपये फिर सैंक्शन किये हैं। हमें खुशी है कि दौसा के लिए, ईसरदा डैम के लिए, दिये हैं। उन्होंने पांच करोड़ रुपये सैंक्शन किये और डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि अभी तो हमें एक करोड़ रुपयों की ही जरूरत है। कारण, क्योंकि उनको कोई काम नहीं करना। हम अधिकारियों के पास जाकर बात करते हैं तो अधिकारी कह रहे हैं कि क्या करें, वहां का एसई. काम ही नहीं करना चाह रहा। अफसोस है कि एक साइड में पानी की समस्या है, चारों तरफ सिंचाई की समस्या है, बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकारी कह रहे हैं कि हम क्या करें इस पैसे का? हम काम करना नहीं चालू कर रहे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके द्वारा यही कहना चाहूंगा कि रियासत काल के अन्दर कम से कम भी, आज वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पर हम अखबारों में पढ़ते हैं, जे डी ए ने प्लानिंग की है, 5x5 का एक छोटा सा नमूना बनाकर वाटर हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं। हमारे पास में सिंचाई करने के लिए सबसे बड़ा काम था भूजल, भूजल की हालत यह हो गई कि फ्लोराइड और खारा पानी। अगर वह हम खेती में डाल भी दें तो हमारे को बरसात के अन्दर जो पैदावार होती है, वह पानी अगर डाल दिया जाये तो बरसाती फसल से हम और चले जायेंगे।

आज हार्वेस्टिंग के नाम पर कम से कम हमारे बुजुर्ग, हमारे रियासतकालीन, जो अपने आप में टेक्निकल तो नहीं थे, अपने आप में इतने इंजीनियर तो नहीं थे लेकिन उन्होंने दौसा के अन्दर 200 बावड़ियां बनाईं। वह भी एक हार्वेस्टिंग सिस्टम था। बावड़ियों के पास में बहुत बड़े कुएं बनाये और

(श्री शंकर लाल शर्मा)

उन कुओं के द्वारा, बरसात का पानी अपने आप में वाटर हार्वेस्टिंग का काम करता था, भूजल को सुधारता था, भूजल के पानी को ऊपर उठाता था।

आज हमारी वे बावड़िया केवल मात्र धरोहर के नाम पर रह गईं। कोई तो कहता है कि ये किसके विभाग में आयेंगी? कोई कहता है कि ये केवल दर्शनीय रह गईं, धरोहर बनकर रह गईं। अगर आज उनका जीर्णोद्धार करवाकर, हमारा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्हीं के द्वारा लागू किया जाये तो भी हम हमारे इस भूजल को सुरक्षित रख सकते हैं, भूजल को हम बढ़ा सकते हैं और यह जो खारा पानी हमें मिल रहा है, उसके कारण से हमारे को थोड़ा बहुत मीठा पानी भी मिल सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं है क्योंकि सिंचाई विभाग से मांगने के लिए क्या है? अगर आप मौका देंगे, थोड़ा बहुत भी मांगने के लिए, हमारे पास में यह धरोहर ही है। आपको ध्यान है, हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी बावड़ियां बनाईं, उनके कारण आज जैसे आभानेरी की बावड़ियां हैं, आज भाण्डारेज की बावड़ियां हैं, कम से कम हमारे बुजुर्गों के कारण हमारे यहां विदेशी पैसा, फोरेन करेंसी इतनी आ रही है, वहां देखने के लिए आ रहे हैं। केवल मात्र वह धरोहर उसके काम आ रही है।

साथ ही, अगर आप फिर भी समय दें, मैं तो हाथ जोड़कर मंत्री महोदय से यही कहूंगा कि हमें चाहिये पानी, पानी, पानी, पानी। मैं आपके द्वारा, मुख्य मंत्री साहिबा से एक ही उम्मीद है, आखिरी, कि अगर वाकई नदियों को जोड़ दिया जायेगा तो हमारे को जीने की राह मिल जायेगी और हमारे दौसा की बचत हो जायेगी वरना तो हम बोरी-बिस्तर लेकर आपके एरिया में हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत लाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको खूब-खूब आभार।

मान्यवर, बांसवाड़ा जिले में माही सागर नाम का डैम बना है, वह गुजरात और राजस्थान राज्य के सहयोग से निर्मित हुआ है। यह दोनों राज्यों के अनुबंध से राज्य के मध्य 1966 में इस बांध का निर्माण हुआ है जिसके द्वारा अभी 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। इसके बावजूद 15,000 हेक्टेयर जमीन अभी भी वंचित है।

अत: मेरा यह आग्रह है, माननीय अध्यक्ष महोदयजी, सिंचाई विभाग की

(श्री नवनीत लाल)

मांग संख्या 46 पर बहस आज दिनांक 25 जुलाई, 2014 को चल रही है, इसमें विधान सभा क्षेत्र घाटोल में दिनांक 27/28 अप्रैल, 2006 को बांसवाड़ा जिले में माननीय मुख्य मंत्री महोदया, वसुन्धरा राजेजी ने रात्रि विश्राम करके, आमलीखेड़ा गांव में रहकर, बांसवाड़ा के आगमन के दौरान जनजातीय क्षेत्र की तहसील घाटोल, तहसील बांसवाड़ा एवं तहसील पीपलखूंट, जिला प्रतापगढ़ की नहरों की योजना के सम्बन्ध में घोषणा की थी।

मान्यवर, माही विभाग के अधिकारियों द्वारा भूंगड़ा कैनाल की आर डी जीरो से 19.80 किलोमीटर भूंगड़ा नहर के अन्तर्गत पानी पहुंचाये जाने की योजना बनाई गई थी जिसमें 7,011 हैक्टेयर भूमि 16 गांवों की और 69.75 करोड़ रुपये लागत की योजना बनी थी।

मान्यवर, इसी प्रकार पीपलखूंट नहर, माही डैम के दायीं तरफ नहर निकालने का सर्वे हो चुका है किन्तु माही विभाग अधिकारियों द्वारा सिंचाई योजना विचाराधीन पड़ी है। इस योजना में 6,048 हैक्टेयर भूमि 16 गांवों की, 112.48 करोड़ रुपयों की योजना स्वीकृत हुई है। उक्त फाइल को निकालकर माही डैम की दायीं कैनाल की सर्वे किये गये अनुसार पीपलखूंट नहर कार्य प्रारम्भ किया जाये। गांव तामटिया नाल, चौकी, दलदल, केलामेला मोरीदाता, मोवडीखेड़ा, धारणा, मोरवरनियां, तलाईपाड़ा, नाल, पीपलखुर्द, उगमणापड़ा, जेथलिया, सिकलीपाडा, सोभनिया से तीन धारी छतरी तक इस नहर का सर्वे हो चुका हैं। लेकिन वह कागजात की फाइल गत सरकार द्वारा दबा दी गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी हाई लेवल कैनाल जो 140 किलोमीटर लम्बी है एवं बांसवाड़ा जिले के भागोदरा एवं कुशलगढ़ टेल तक असिंचित क्षेत्र के किसानों को सुविधा देने हेतु निर्माण करना है।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि उक्त तीनों नहर योजनाओं की कार्यवाही प्रारम्भ कर तहसील घाटोल व तहसील भागोदरा, जिला बांसवाड़ा एवं तहसील पीपलखुर्द, जिला प्रतापगढ़ के किसानों को राहत दिलाई जाए। यह मेरा आग्रह है।

मान्यवर, अभी माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा माही डैम की जो टूटी हुई नहरें हैं, जर्जर, उन नहरों की मरम्मत के लिए 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति की बजट में घोषणा की गई है। हमारे वहां के किसानों और हमारे पूरे बांसवाड़ा जिले की जनता की यह मांग है माही विभाग को यथावत रखने बाबत। अध्यक्ष महोदयजी, बांसवाड़ा जिले में माही के पूरे पानी का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में बांसवाड़ा जिले में 2.25 लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई

(श्री नवनीत लाल)

अभी नहीं हो पा रही है। असिंचित क्षेत्र में पानी का समुचित उपयोग करने के लिए माही परियोजना के मुख्य अभियंता का पद, जो गत सरकार द्वारा तोड़ दिया गया है, उसे वापस यथावत रखा जाना आवश्यक है, ताकि जिले के किसानों को माही डैम के पानी का लाभ बराबर मिल सके। यह मेरा आपसे आग्रह है।

मान्यवर, माही डैम के ऊपर यह विधान सभा क्षेत्र घाटोल दो जिलों में पड़ता है, जिसमें प्रतापगढ़ की पीपलखुर्द तहसील इसी विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है और वह पूरा क्षेत्र सूखा है। उस सूखे एरिये में वहां की जनता की यह मांग है कि गांव पृथ्वीपुरा में बडलीखेड़ा में वेव नाम का नाला है, उस नाले पर सिंचाई विभाग द्वारा तालाब बनाने का सर्वे हो चुका है लेकिन अभी तक वह तालाब बनाने की योजना प्रारम्भ नहीं हुई है। इसी तरह से, ग्राम डूमलावाणी में मौकाटोक नाम का नाला बह रहा है, वहां पर सर्वे कराई जाए और वहां छोटा तालाब बनाया जाए। इसी तरह से, गांव जामली में उमरियापाड़ा नाम का जो नाला बह रहा है, उस नाले पर सर्वे कराई जाकर छोटे डैम बनाए जाएं तो वहां तालाब के पानी से जो रिसाव होगा, इससे नालों में पानी रहेगा, कुओं में पानी रहेगा, हैंडपम्पों में रहेगा। आज की तारीख में जानवर पशु सब प्यास से मर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। इसलिए वहां ऐसे छोटे डैम बना दिये जाएं तो इससे पानी का रिसाव होगा और वहां के व्यक्ति का पानी आधार बनेगा।

मान्यवर, एक मिनट...

श्री अध्यक्ष: दो मिनट दिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): ग्राम केशरपुरा पंचायत के गांव हैं, रतनागिरी, ठीकरिया, केशरपुरा, राणों की हरवर, हिंगोतों की हरवर, इन गांवों में अभी पानी पीने की तकलीफ है। वहां पर उप जिला अधिकारी, प्रतापगढ़ को मैंने निवेदन किया था और तहसीलदार साहब को भी कहा गया था कि वहां पानी के टैंकर लगाने की व्यवस्था करें लेकिन वहां टैंकरों की व्यवस्था नहीं हुई। वहां पानी की बड़ी किल्लत है। नल योजना भी बनी हुई है लेकिन विद्युत के अभाव में यह नल योजना सूखी पड़ी है। इसलिए वहां पानी की दिक्कत है। मेरा आग्रह है, विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी इसका कह करके उसकी व्यवस्था कराई जाए तो वह नल योजना शुरू रहे, ताकि पेयजल व्यवस्था सही हो सके।

आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद और माननीया मुख्य मंत्रीजी

(श्री नवनीत लाल)

के द्वारा 20 करोड़ रुपया नहरों की मरम्मत के लिए दिया गया है जिसके लिए उनका खूब-खूब आदर और धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कल्याण सिंह।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 46-सिंचाई और इंदिरा गांधी नहर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब-जब भी सरकार बनी, मेवाड़ जिसके साथ रहा उसी की सरकार बनी है। यह इतिहास गवाह है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बनास नदी, कुंभलगढ़ वैरा के मठ से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहीं से बनास नदी का बहाव है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में होते हुए, रेलमगरा होते हुए, माथरी कुंडा होते हुए, टोंक होते हुए, वहां पर यह बीसलपुर बांध बना है।

सूचना

ऊटवाल (रामगढ़) में कावड़ियों पर हमला

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पोइंट आफ इन्फोर्मेशन। यह बहुत जरूरी सूचना है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऊटवाल गांव में कावड़िये, जो गंगा जल ला रहे थे हरिद्वार से शिवजी पर चढ़ाने के लिए, मंदिर में बैठे हुए थे ऊटवाल गांव में, वहां पर मेवों ने, मुसलमानों ने हमला बोल दिया। पांच लोग घायल हो गये हैं, कुछ लोगों को साधारण चोटें आई हैं, पांच लोग गम्भीर हैं जो मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ हास्पिटल से अलवर रेफर हुए हैं। इसी प्रकार से, इन मेव और मुसलमानों ने पहले जैन मुनियों पर भी फिरोजपुर के पास हमला किया था।

ये आदतन अपराधी हैं और एस.पी. साहब से बात हुई, वे घेराबंदी कर रहे हैं लेकिन बहुत बड़ी संख्या, पूरे गांव के लोगों ने हमला किया है। वहां हिन्दू भी इकट्ठे हो गए चार-पांच सौ, मेरे समझाने पर हमारे कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र के चार-पांच सौ लोगों को मैंने वापस करवाया ताकि कोई दंगा नहीं हो। वे वापस रामगढ़ पहुंचे हैं।

इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कार्यवाही चाहिए और जवाब चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय गुलाबजी ने सुन लिया है। आप रेस्पांड कर रहे हैं क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही मुझे इसकी जानकारी मिली, मैंने एस.पी. से बात की है। वास्तव में, घटना हुई है लेकिन पुलिस ने भी कार्यवाही करके दो लोगों को पकड़ लिया है और तीन और मुलजिम हैं, इनको शाम तक पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कल्याण सिंहजी, आप जारी करें।

मांग संख्या 46 पर विचार

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): बनास नदी पर बीसलपुर बांध बना हुआ है। उस बांध की वजह से मेवाड़ के लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि बीसलपुर के बांध का कैचमेंट एरिया आता है मेवाड़ क्षेत्र, तो वहां पर दो मीटर से ज्यादा ऊंचे एनिकट नहीं बनाए जा सकते हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रोक को हटाई जाए, क्योंकि मेवाड़ क्षेत्र एक पहाड़ी इलाका है और मेरा विधान सभा क्षेत्र और कुंभलगढ़ विधान सभा क्षेत्र से इस तरफ से पानी बनास में आता है और उस तरफ का अरावली का पानी मारवाड़ और गुजरात की तरफ जाता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि बजट में अभी उदयपुर के लिए प्रावधान किया गया है, देवास दूसरे फेज के लिए 379 करोड़ रुपये। माननीय हमारे पंचायती राज मंत्रीजी विराजमान हैं, इनकी कर्म-स्थली जरूर उदयपुर है लेकिन इनकी जन्म-स्थली देलवाड़ा है, तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन है कि थोड़ा-बहुत आप नाथद्वारा क्षेत्र के लिए और राजसमन्द क्षेत्र के लिए इस बजट में प्रावधान कराये। ताकि नाथद्वारा क्षेत्र और राजसमन्द क्षेत्र भी आपके ही हैं, आपके उसी में आता है क्योंकि आपकी जन्म-स्थली देलवाड़ा है और देलवाड़ा में ही पैदा हुए हैं आप।

श्री अध्यक्ष: मेरा भी रहा है राजसमन्द क्षेत्र।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट में तो प्रावधान नहीं किया लेकिन इसमें आप व्यवस्था करायें ताकि देवास थर्ड और फोर्थ फेज का पानी बाघेरी का नाका या नन्दसमंद में डाला जा सके। हमने इसकी सर्वे भी करायी है। यह पानी, देवास थर्ड और फोर्थ फेज का पानी ग्रेविटी के आधार पर आएगा, या तो 42 किलोमीटर

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

उसकी टनल बनेगी या फिर पाइप लाइन के थ्रू पानी इसमें आ सकता है। यह हमने दिखवाया है।

तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि आप खुद भी मेवाड़ से ही आते हैं और आपने मेवाड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान के कोने-कोने से, जहां से भी आपकी इच्छा हुई, वहां से आप चुनाव लड़े हो और जीते हो, यह भी इतिहास गवाही दे रहा है, तो आप भी इसमें थोड़ी वकालात करवाएं और माननीय मंत्री महोदय को मैं मेरी तरफ से निवेदन करता हूं।

रहा सवाल यह बनास नदी है इस बनास नदी की हालत इतनी खराब है, यह बिलकुल ही सूख चुकी है। अभी-अभी नेशनल वाटर डवलपमेंट अथोरिटी से अध्ययन करवाया था, इस बनास बेसिन में पानी की बहुत ज्यादा कमी है, लगभग तीन हजार मिलियन घन मीटर पानी की कमी बताई है। तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि ये बनास नदी एक रीढ़ की हड्डी है, मेवाड़ से लगा कर पूरा बीसलपुर और आगे तक यह जा रहा है तो इस पर ध्यान दिया जाए और छोटे-मोटे एनिकट और हमारे ऊपर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत आश्वासन दें कि ये दो मीटर का बैन हटा कर, कम से कम पांच मीटर, दस मीटर के अगर एनिकट बन जाएंगे तो वे भरे रहेंगे। क्योंकि हमारा तो पहाड़ी इलाका है, समतल है नहीं; समतल थोड़ा बहुत एरिया है रेलमगरा और वहां हमारी जमीन है। जब 1977 में हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय वहां से, राजसमन्द से विधायक थे तो आपके उस एरिया में उस टाइम कपास की खेती, गेहूं की खेती और इतनी खेती होती थी और बैलगाड़ियों से फतहनगर मंडी में वहां से माल जाता था और अनाज वहां से जाता था रेलमगरा से लेकिन आज उलटी स्थिति हो गयी है, वहां फतहनगर से माल अब काश्तकारों को खाने के लिए लाना पड़ रहा है। यह स्थिति हो गयी है और पूरी बनास सूख चुकी है।

और तो और, अभी पूर्व सरकार ने इस रेती का ठेका दिला कर सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या, कंडिशन लगाई, एक तो वे खड्डे नहीं कर सकते हैं, समतलीकरण करना पड़ता है ठेकेदार को और दूसरी तरफ रास्ता बनाना पड़ता है, लेकिन जे सी बी लगा कर रेती का दोहन किया जा रहा है। दुनिया भर का इस बनास नदी का कैचमेंट बिगाड़ दिया। अगर आप खुद जाकर उसकी विडियोग्राफी करायें और देखें तो इतने बड़े-बड़े खड्डे वहां पड़ गये हैं। तो मेरा तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि इस बनास नदी पर रेती पर

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

तो बिलकुल रोक लगायी जाए और लोकल जो हाइकोर्ट की रोक के बावजूद भी वहां से रात में ट्रकें भर-भर कर वहां से जा रही हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको तत्काल बंद कराया जाए और इस बनास नदी को बचाया जाए।

रहा सवाल, मेरे वहां विधान सभा क्षेत्र में बाघेरी का नाका पेयजल योजना एक बनी है। तत्कालीन प्रधान मंत्री, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की देन से 128 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं पेयजल के लिए और दो सौ गांवों को ग्रेविटी से वहां से पानी जाता है और वह स्कीम चल रही है लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वहां राजनीतीकरण किया है। वहां जहां-जहां कांग्रेस के वोट मिले हैं वहां-वहां ये स्कीम की टंकियां बनाईं, वहां-वहां उनको पानी पिलाया है, लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि आप 2003 से 2008 में स्वयं उस विभाग के मंत्री रहे हैं और हमारी लोकप्रिय माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धरा जी भी वहां आयतों की धूणी वहां उस गुरु पूर्णिमा के दिन आप पधारी थीं और उस बाघेरी की योजना का आपके करकमलों द्वारा उदघाटन किया गया था लेकिन आज स्थिति यह है कि जहां-जहां बी जे पी के वोट हैं, वहां-वहां वे गांव सब छूट गये हैं। तो मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र के जो बचे हुए गांव हैं, बाघेरी से उन गांवों को जोड़ा जाए और उनको पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

रहा सवाल, उसके बाद में नन्दसमन्द बांध बना हुआ है, नन्दसमन्द बांध के नीचे ढीली तालाब है, भराई तालाब है, सांसेरा तालाब है और माताजी का खेड़ा तालाब है। यह पूरा लिंक राइट कैनाल है और नन्दसमन्द की राइट कैनाल पूरी खस्ता हालत में है, पूरी टूटी हुई है और इतना पानी सीपेज हो रहा है कि टेल तक काश्तकारों के लिए पानी नहीं जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका सुदृढ़ीकरण कराया जाए, नन्दसमन्द कैनाल का। इस नन्दसमन्द कैनाल तालाब पर केवल नाथद्वारा ही नहीं है, रेलमगरा ही नहीं है, अपितु पूरे राजसमन्द वाले भी पानी वहीं से, नन्दसमन्द से पीते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बागेरी डेम को पेयजल की जो योजना है उसको दो या तीन फीट ऊपर उठायी जाए ताकि कम से कम पानी की तो व्यवस्था की जाए या एक माण्डक परियोजना है, हमने कितनी बार सर्वे करवाया वहां की माण्डक परियोजना पेयजल के लिए। अगर वह स्कीम, अगर आप सर्वे करो और उस स्कीम को आप

(श्री कल्याणसिंह चौहान)

स्वीकृत कराते हैं तो बहुत सारा एरिये में उससे पानी की व्यवस्था की जा सकती है।

मेरा आपसे एक और निवेदन है कि यह चिकलवास बांध जो बना हुआ है, चिकलवास बांध की माइनर, कैनाल और धोरे, उनको टेल तक पक्का किया जाएं ताकि जो पानी बचा हुआ है उसको टेल तक पहुंचाने में व्यवस्था की जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को तो खूब सारी बातें हैं लेकिन आपका इशारा मेरी तरफ है, तो अधिक समय आपका नहीं लेना चाहता हूं, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करता हूं कि अगर ये बाघेरी के जो बचे हुए गांव हैं वो सब जुड जाएं और एक यह माण्डक की पेयजल योजना बन जाए, जिससे यह पानी की व्यवस्था पूरी सुचारु रूप से की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। कह चुके आप।

श्री कल्याणसिंह चौहान (नाथद्वारा): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या ने लिखित मेज पर अपना वक्तव्य रखा है इसको स्वीकार किया जाता है यह रिकार्ड का पार्ट बनाया जाए।

(माननीय सदस्य (चित्तौड़गढ़) द्वारा श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' के मांग संख्या 46 सदन पटल पर रखा गया सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य (लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-3B देखें)

श्री गोपीचन्दजी।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्य 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका मेरी ओर से, आसपुर की जनता की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस धरा का विधायक हूं जहां पर आज से तीन सौ वर्ष पूर्व भगवान मावजी महाराज ने इस धरती पर अवतार लिया था, जो बेणेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आज राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तीन राज्यों के जन-जन का आस्था का केन्द्र है। मैं वहां से विधायक हूं।

मैं हमारी अपनी मुख्य मंत्री महोदया के चरणों में कोटि शत नमन करता हूं कि आपने मुझे, एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक काश्तकार का बेटा था, वह गुलाबजी भाई साहब के माध्यम से मुझे एक विधायक बनने का अवसर जो दिया, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

साथ में, मैं हमारे वर्तमान और पूर्व में जो मंत्री महोदय रहे थे, सांवर लालजी जाट साहब, उनको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि पिछले टाइम में आपने हमारे आसपुर विधान सभा क्षेत्र में 61 गावों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 41 करोड़ रुपये देकर के 61 गांवों को जो पानी पिलाया था जिसके लिए मैं उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं।

साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि 113 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र आसपुर के ऐसे हैं जो फ्लोराइड-युक्त गांव हैं। आज वह एरिया हमारा इतना फ्लोराइड-युक्त है कि चालीस से पचास साल में उनकी उम्र सौ साल की दिखने लगती है और वह फ्लोराइड से उनका शरीर टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उनको भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था आपके माध्यम से हो, ताकि उनकी उम्र दस से पन्द्रह साल बढ़ सकती है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

रही बात दूसरी, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे आसपुर विधान सभा क्षेत्र में सोम कमला अम्बा परियोजना जो बनी हुई है, आज तीस-चालीस वर्ष हो गये वहां पर पूर्व में जो नहरें बनी थीं वे आज बिलकुल जर्जर अवस्था में हैं और सारा पानी सीपेज होकर, काश्तकारों की जो कृषि भूमि है वो सीपेज से बिलकुल नष्ट हो चुकी है और काश्तकार हमारा बहुत दुःखी हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन नहरों का नवीनीकरण किया जाए और जो छोटे धोरें हैं, छोटी माइनर हैं, उनको गुजरात पैटर्न के अनुसार पाइप लाइन से भी पानी सप्लाई किया जाए तो वहां पर उन काश्तकारों की सीपेज से जो जमीन खराब हो रही है, उसमें उनको बहुत कुछ सहायता मिलेगी, जो टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है वह पानी भी पहुंचेगा और पूरी जमीन के अन्दर कृषि उत्पादन बढ़ेगा। वहां का काश्तकार बहुत कुछ आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकता है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सोमकमला की जितनी भी नहरे जर्जर अवस्था में है, खराब हो चुकी है उनका आप नवीनीकरण कराने की कृपा करें।

रही बात तीसरी, आसपुरा विधान सभा क्षेत्र 20 पंचायतें डूंगरपुर जिले की आती है। उसमें पहाड़ी एरिया है। वहां पर जल का स्त्रोत कुछ भी नहीं है, उनके लिए मैंने मंत्री महोदय से सुबह निवेदन किया था। उस क्षेत्र में तीन जगह एनिकट बनने के स्थान हैं। यदि वहां पर आपके द्वारा एक मांडवा खापड़ा, एक डोंजा और आसेला, तीन पंचायतों के अन्दर एनिकट बनाए जाएं, तो उस क्षेत्र

(श्री गोपी चन्द मीणा)

के अन्दर पेयजल की समस्या का समाधान हो सकता है और सिंचाई भी उस क्षेत्र के लोगों की हो सकती है। इसलिए इनके बारे में भी जिक्र करूंगा महोदय से।

एक हमारे निठाउवा। ऐसा क्षेत्र है जिसके पास में से माही की नहर निकल रही है लेकिन वहां का ऊंचा भाग है जिसकी वजह से उस क्षेत्र के लोगों को इस सिंचाई का पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए जाखम नदी के अन्दर एक पातरावाला करके स्थान है, वहां पर एनिकट बनाया जाए, जिसकी वजह से वहां की तीन पंचायतों के गांवों के लोगों को पेयजल की सुविधा भी हो जाए और सिंचाई की व्यवस्था भी हो सकती है।

मंत्री महोदय से मैं और भी निवेदन करूंगा कि हमारे आसपुर विधान सभा क्षेत्र में देवला करके एक ग्राम पंचायत है, वहां पर लिफ्ट लगाई जाए ताकि आसपास का वहां का क्षेत्र बिलकुल सूखा एरिया है, वहां पर भी उन पंचायतों के अन्दर सिंचाई का स्रोत बन सकता है और उन लोगों को भी पानी मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, हमारे उस क्षेत्र में 3 से 4 लिफ्ट दें ताकि हमारा पूरा आसपुर कवर हो सकता है।

मैं आसपुरा के बारे में मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, गुलाबजी भाईसाहब से कहूंगा, राठौड़ साहब से भी कहूंगा कि हमारे उस क्षेत्र में आप विशेषकर ध्यान देकर, आसपुर की जनता को किसी न किसी प्रकार से विकसित करके, इनकी समस्या का समाधान कराने में आपकी भूमिका रहे, इस प्रकार का मैं आपसे निवेदन करता हूं।

आसपुर में एक सोमकमला परियोजना है, वहां पर आज की तारीख में जितने भी अधिकारियों के क्वार्टर हैं, सब वहीं बने हैं लेकिन एक्स ईएन साहब डूंगरपुर बैठते हैं। जिसकी वजह से हमारी जनता को सीधे 60 किमी. की दूरी तय करके डूंगरपुर जाना पड़ता है। जबकि डूंगरपुर जिले में दूसरी कोई भी परियोजना नहीं है, सिर्फ आसपुर है। तो एक्स ईएन का आफिस आसपुर में लगाया जाए तो हमारे क्षेत्र के लोगों को सीधी सुविधा मिल सकती है।

अब मैं एक निवेदन करना चाह रहा था कि राजा जयसिंह द्वारा 1731 में जयसमंद झील का निर्माण किया गया था। पिछले कई वर्षों से जयसमन्द झील भरी नहीं जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र में, हमारे उधर जैसे जाखम नदी का पानी वेस्टेज जाता है, उस पानी को बांधकर इस जयसमन्द झील में डाला जाए ताकि जयसमन्द झील

(श्री गोपी चन्द मीणा)

भर सकती है। इस झील के भरने से सलूम्बर, सराड़ा, मावली, भिंडर, वल्लभनगर, उदयपुर, इन सभी क्षेत्रों में पानी जाएगा। पूरे मेवाड के अन्दर इस झील का पानी पहुंच सकता है। इसलिए मैं इसके बारे में भी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस झील को भरने के लिए भी, आप इसके बारे में हमें लाभान्वित करें और इस झील को भरने के लिए आपका ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं।

मंत्री महोदय से सारी बातों का यह निवेदन करता हुआ, आशा नहीं, बल्कि मुझे विश्वास है कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया और आप सब मिलकर हमारे डूंगरपुर-बासंवाड़ा की जितनी भी पेयजल की समस्याएं हैं, उन सबको आपके द्वारा सुलझाया जायेगा, ताकि उस क्षेत्र की जनता को इन सारी बातों का लाभ मिले, हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।

यही बात कहता हुआ उपस्थित सभी इस सदन में माननीय सदस्यगण के चरणों में नमन करता हुआ, मेरी बात को विराम देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी। शोर्ट में बोलिए, आप शोर्ट में बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिलकुल शोर्ट में।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बहुत शोर्ट में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 46-सिंचाई और इंदिरा गांधी नहर सहित मांग पर मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे क्षेत्र के दो बांध जो फूटे हुए पड़े थे आपने 2003 से 2008 में उन बांधों का जिस तरह से निर्माण किया, 1998 से 2003 तक मैं विधायक था, उस समय कांग्रेस सरकार से पूछा कि यह चिरपटियां बांध बन सकता है कि नहीं, तो मेरे प्रश्न के जवाब में दिया था कि हमने मिट्टी का परीक्षण कराया और यह बांध कभी बन नहीं सकता। उस मिट्टी का परीक्षण कराने में जो पैसे खर्च किये और उन्होंने बिलकुल मना कर दिया था; उस बांध को आपने बनाकर मेरे क्षेत्र की जनता को राहत दी है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): दूसरी बात, धारिया बांध भी आपने बनाकर पूरा कर दिया था । बनते ही 2007 में बरसात इतनी जोरदार हुई कि वह क्षतिग्रस्त हो गया और जगह-जगह से फूट गया। उस फूटे हुए बांध को आपने उसी वक्त 7 करोड़ रुपये स्वीकृत करके उसका पुन: निर्माण करने की

(श्री केसाराम चौधरी)

पूरी कोशिश की थी परन्तु 2008 में अपनी सरकार चली गई। कांग्रेस ने पांच साल में उस बांध पर एक रुपया भी खर्च नहीं किया और जाते-जाते 21 करोड़ रुपये की बजट में घोषणा करके चले गए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आप, आपके द्वारा मेरे क्षेत्र में जो दोनों बांध बरसों से नहीं बन रहे थे, आपने बनाकर दिये, चिरपटिया बांध तो आपके उद् घाटन के लिए इंतजार कर रहा है, आप जब भी पधारे उसका उद् घाटन करें; धारिया बांध के लिए भी बजट में 21 करोड़ की कांग्रेस ने घोषणा की थी, उनको करने की इच्छा नहीं थी, मगर मुझे विश्वास है कि आप उस बांध की स्वीकृति जारी करेंगे। यही आपके मार्फत निवेदन करता हूं।

आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार।धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर। आपका जब नाम पुकारा तो आप थे नहीं। लेकिन शोर्ट में आप भी अपनी बात कहिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मय से माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने इस बजट में फोर वाटर कंसेप्ट योजना के द्वारा नदियों का संरक्षण और डिटेल सर्वे करवाकर हमारी नदियां सदा नीरा रहें, जहां पर आवश्यकता हो वहां पर हम इन नदियों का पानी पहुंचा सकें, यह प्रयत्न किया।

मैं हाड़ौती से आया हूं, हाड़ौती एक ऐसा क्षेत्र है जहां मध्य प्रदेश से बहकर आने वाली नदियां, चाहे वह पार्वती हो, परवन हो, कालीसिंध हो, उजाड़ हो या चम्बल हो, इन नदियों का अथाह पानी बहकर बरसात ऋतु में व्यर्थ जाता है । हम 65 साल बाद भी इन नदियों को बांधकर, इनका पानी रोककर, इनके पानी का उपयोग नहीं कर पाए। आज सदन में जिस तरह की व्यथा माननीय सदस्य बता रहे थे, चाहे वह बनास का बेसिन हो, चाहे मारवाड़ का क्षेत्र हो, चाहे अलवर का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों को, अगर हमारी सोच में परिवर्तन आए और इन नदियों को जोड़कर, हम अगर इस क्षेत्र की नदियों को बांधकर, पानी का उपयोग कर सकें, तो इतना पानी व्यर्थ बहकर जाता है कि पूरे राजस्थान को हम पिला दें और सिंचाई कर दें तब भी इन नदियों में बचेगा। ऐसी स्थिति होते हुए भी हम आज उन नदियों कों नहीं बांध पा रहे।

माननीया हमारी मुख्य मंत्री जब यह पूर्व के कार्यकाल के समय आईं, उन्होंने एक योजना बनाई, परवन नदी पर एक बड़ा डैम बनाने की योजना। वह

(श्री हीरालाल नागर)

डैम की योजना उनका सपना था। उन्होंने परवन प्रोजेक्ट को बनाकर केन्द्र में भेजा। वहां से स्वीकृत होने के बाद, एक पर्यावरण की स्वीकृति भी हो गई वहां की । समस्त स्वीकृतियों के बाद वह परवन डैम इस इंतजार में है कि हम उसका निर्माण चालू करें। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि अगर हमने उस परवन डैम का निर्माण शीघ्र चालू नहीं किया, आने वाले समय में इस तरह हो सकता है कि कोई हमारी दरों में परिवर्तन आ जाए।

जिस तरह से आज यह बी.सी. रेशो के कारण जो हमारी योजनाएं हैं, इतने साल बाद भी, हम इस रेशो के पानी के लिए तरस रहे हैं और बी.सी. रेशो के कारण हमारी कई परियोजनाओं को केन्द्र के द्वारा इसलिए स्वीकृति नहीं मिलती कि उनके लाभकारी मूल्य के द्वारा हम उनको बनाने के लिए नहीं कर पाते। पानी में कितना भी खर्चा कर दें, लेकिन कम पड़ेगा हमें इन योजनाओं पर। क्योंकि पानी को रोकने पर जो भी खर्चा होगा, आज हम देखते हैं कि सीवरेज पानी का ट्रीटमेंट करके उसकी रिसाइक्लिंग पर हम खर्चा कर रहे हैं। वह खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। तो फिर नदियों पर रोक कर, उन पर अगर बांध बनाकर, हम उनका उपयोग करते हैं, इसमें रिलेक्सेशन दिया जाना चाहिए।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि बी.सी. रेशो की जो कंडिशन है, आज के परिप्रेक्ष्य में, पानी के लिए जब विश्व युद्ध होने जैसी बातें होती हैं, इसमें रिलेक्सेशन हो और केन्द्र सरकार को भी प्रस्ताव यहां से पारित करके भेजें कि इन पर रिलेक्सेशन राजस्थान को, विशेषकर इस बी.सी. रेशो के द्वारा जो हमारे प्रोजेक्ट अटक जाते हैं, उन पर रियायत मिले। क्योंकि राजस्थान एक विशेष तौर से, दुनिया में हमारे देश में जो हमारा प्रतिशत पानी का है, वह विशेषकर हमें रियायत मिलनी चाहिए।

इसी तरह से हमारी जो अन्य योजनाएं हैं, जैसे हमारी कालीसिंध, भवरांसा का डैम है, उस पर भी, आज प्रथम चरण का निर्माण हो गया, द्वितीय चरण के निर्माण के लिए अब इंतजार कर रहा है। केवल 3.25 मीटर की ऊंचाई बढ़ा कर, उसकी सारी स्वीकृतियां कम्प्लीट हैं। प्रथम चरण के निर्माण में, उसकी चाहे तकनीकी स्वीकृति हो, उसकी नींव हों, या निर्माण के लिए इंजीनियरिंग का जो भी कारण था, वह सब पूरा होने के बाद, वह केवल इसी कारण से उसको रोका हुआ है। उसमें पावर प्रोडक्शन भी होगा और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा, पेयजल के लिए भी पानी मिलेगा। तो मैं यह भी मांग करता हूं कि उस

(श्री हीरालाल नागर)

द्वितीय चरण का जो हमारा निर्माण का काम है, उसकी भी स्वीकृति शीघ्र निकले और वह चालू हो।

हमारी 60 साल पहले जो चम्बल की नहरें बनकर तैयार हुई थीं, उन चम्बल की नहरों में एक प्रावधान था, चम्बल से निकलने वाली दायीं मुख्य नहर में एक लिफ्ट योजना के द्वारा 36 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रावधान था। उन 36 हजार हैक्टेयर में से हम मात्र अभी तक 17 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित कर पाये हैं। अभी भी वहां की 16 हजार हैक्टेयर भूमि लिफ्ट के द्वारा सिंचित होना बाकी है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगते हुए, जब लाडपुरा में माननीय भवानीसिंहजी ने पूर्व के कार्यकाल में अपने विधान सभा क्षेत्र की योजनाओं को स्वीकृत करवाया, जैसे ही मेरा सांगोद विधान सभा क्षेत्र प्रारम्भ हुआ, उनकी वे लिफ्ट योजनाएं वहां आ करके रुक गईं, क्योंकि उस समय के वहां के जो विधायक थे, उन्होंने उसमें जो अपना पैसा देना था, वह नहीं दिया, योगदान नहीं करने से। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन योजनाओं को उसी तर्ज पर, मेरे क्षेत्र के चार और पांच का जो ब्लाक बना हुआ है और उसके मानचित्र में भी वह दर्शाया हुआ है, उन गांवों को शामिल करते हुए लिफ्ट परियोजना स्वीकृत की जाए। उसके लिए आवश्यकता पड़ती है और अगर जन-सहभागिता की जरूरत पड़ती है तो मैं जिस तरह से लाडपुरा की योजनाओं पर पांच प्रतिशत विधायक कोष का विशेष रिलेक्सेशन देते हुए योजना स्वीकृत की गई थी, मैं भी अपने विधायक कोष से पांच प्रतिशत राशि देते हुए, उन योजनाओं के लिए जन-सहभागिता में यहां देने की घोषणा करता हूं। इसी आधार पर उन योजनाओं को चालू किया जाना चाहिए।

आज हम वहां ट्यूबवैल खोदकर बिजली से, भारी जो सरकार की सब्सिडी मिलती है, उससे वहां हम पानी लिफ्ट कर रहे हैं। अगर यहां की इन योजनाओं को, चाहे वह हमारा भवरांसा डैम हो, चाहे पनवन हो, चाहे यह लिफ्ट योजना हो, चाहे मेरे क्षेत्र की दांता और आवां, इत्यादि के ये जो छोटे प्रोजेक्ट हैं, इन सभी पर प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो हम बिजली भी बनाएंगे और बिजली के द्वारा जो हमारी सब्सिडी देते हैं, इन्डाइरेक्ट में जो खर्चा होता है, एक हजार रुपये फुट का ट्यूबवेल किसान खुदाता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद भी उसको पानी नहीं मिलता, एक-एक खेत में तीन-तीन ट्यूबवैल खुदाने पर मजबूर होता है; अगर इन परियोजनाओं को हमारे क्षेत्र में लागू किया जाता है तो वह खेत

(श्री हीरालाल नागर)

भी सरसब्ज होगा और आने वाले समय में हम विद्युत की बचत भी कर पाएंगे और बहुत बड़ा लाभ हमारे इस प्रदेश को होगा। वहां से जो पानी बचेगा...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): एक हमारी महती परियोजना थी, के.पी.सी. लिंक परियोजना, उस के.पी.सी. लिंक परियोजना पर भी माननीया वसुंधरा जी के कार्यकाल में एक बहुत विचार किया गया था, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ। उसे भी शुरू किया जाता है और बनास में लाकर के डाला जाता है तो बहुत बड़ा राजस्थान प्रदेश को लाभ होगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए आप।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्षजी, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अब मैं श्री सांवरलाल जाट, जल संसाधन मंत्री महोदय को वाद-विवाद का उत्तर देने के लिये आमंत्रित करता हूं।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में सिंचाई और इंदिरा गांधी नहर मांग पर चर्चा हुई। 281 के लगभग कटौती प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये, विश्वास दिलाता हूं कि 1-2 दिन में उनके पास उनके उत्तर पहुंच जाएंगे।

इसके अलावा, जिन माननीय सदस्यों ने आज इस डिबेट में भाग लिया, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये, मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इस विभाग के लिए उपयोगी होंगे, काश्तकारों के लिए उपयोगी होंगे, आपके भाषण को अक्षरश: पढ़कर, उनमें से छांट कर और निश्चित रूप से उन पर राज्य सरकार एक्शन लेगी। मैं आपको यह भरोसा दिलवाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जल ही जीवन है। इस दुनिया के अन्दर जल कहीं बनाया नहीं जा सकता। आज बरसात नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो सब तरफ लोग-बाग बहुत परेशान हैं। हम भी चर्चा कर रहे हैं। हर जगह सिंचाई, पीने के पानी का संकट जिस प्रकार से हो रहा है, यह हम सबके लिए चिंता का विषय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के चालीस वर्ष पहले इस प्रकार की

(श्री सांवर लाल)

व्यवस्था नहीं थी। अगर धरती में खोद के कोई कुआं बनाता था तो वह बैल-जोड़ी से, ऊंट से, इनसे पानी निकालता था। बहुत कम निकलता था। बरसात का पानी धरती में जाता है, रिचार्ज ज्यादा होता था। आज हालत यह है कि ज्यादातर जोन हमारे हैं, ब्लाक्स, वे सारे के सारे ड्राई हैं, अति-दोहित हैं। यह संकट निश्चित रूप से आने वाले समय में होगा। इसलिए हमको इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश, दस प्रतिशत एरिया हमारे पास है, जबकि जनसंख्या 5.5 प्रतिशत है। पानी का अगर हिसाब लगाएं तो सतही जल 1.16 प्रतिशत और भू-जल 1.7 प्रतिशत है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। भू-जल के रिचार्ज का प्रतिशत कम है। दोहन सवा सौ प्रतिशत के लगभग हो रहा है, रिचार्ज का, सारा कंसिडर करने के बाद। राज्य में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता औसतन 660 घन मीटर है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए निरन्तर उपयोग से कम होती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, सतही जल की उपलब्धता हमारे यहां पर 16.05 बी.सी.एम.; इण्टर-स्टेट जो समझौते हैं, उन समझौतों के तहत हमको 17.88 बी.सी.एम. जल आबंटित है। इस जल में अगर अलग-अलग हम देखना चाहें तो रावी-व्यास, राजस्थान को अंतरराज्यीय जल आबंटन निम्न प्रकार है, 13.71 बी.सी.एम.; चम्बल से 1.97 बी.सी.एम., माही से 0.46 बी.सी.एम.; नर्मदा से 0.62 बी.सी.एम.; यमुना से 1.12 बी.सी.एम., और कुल 17.88 बी.सी.एम.। इनमें भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतरराज्यीय जो समझौते हैं, उनकी पालना समय-समय पर नहीं होने के कारण हर जगह हम परेशानी के अन्दर हैं।

अगर माही से शुरुआत करें तो हमारा गुजरात से जो समझौता हुआ था, उसमें यह था कि जब गुजरात के अन्दर नर्मदा का पानी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में काम में लिया जाएगा इर्रिगेशन का, उसके बाद में माही पर गुजरात का हक नहीं होगा और राजस्थान को सरेण्डर किया जाएगा। राजस्थान, इसकी कैपिटल कास्ट जो गुजरात के हिस्से की है, वह दे देगा। कई बार हमने पूर्ववर्ती, पहले वाली जो सरकार थी, माननीय वसुंधराजी की, वसुंधराजी ने बहुत चिंता की कि इंटरस्टेट समझौते, जो भी राजस्थान के हक के हैं, वे सब अक्षरशः लागू होने चाहिए। उन्होंने हर स्टेट को इस समझौते को लागू करने के लिए, समय-समय पर पत्र भी लिखे। हमने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी स्टडी करवाई, हमारे अधिकारियों को भेजा। हमने यह प्रूव करने का प्रयास किया कि आपके यहां अब पानी

(श्री सांवर लाल)

नर्मदा का आ रहा है, उससे इर्रिगेशन हो रही है। पर अभी तक हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

इसी प्रकार, हमारा जो इन्दिरा गांधी नहर में 8.6 पानी है, पंजाब में एक बार प्राब्लम हुई थी, इस वजह से 0.6 पानी तत्कालीन मुख्य मंत्री हमारे थे, उन्होंने यह कहकर सरेण्डर कर दिया कि राजस्थान की नहरों की क्षमताएं नहीं हैं, इसलिए हम इस पानी का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके बाद हमने कई बार यह चिट्ठियां लिख दीं, पर इसकी पालना नहीं हो रही है।

अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता प्रकट की कि जो पानी आ रहा है, उसमें गन्दा पानी आ रहा है। इसके बारे में भी माननीया वसुन्धराजी के समय पंजाब इस बात से एग्री कर गया कि हम यहां पर फिल्टर प्लांट बनाएंगे, लुधियाना के आस-पास और जो पानी गंदा आ रहा है उसको फिल्टर करके उसमें डाला जाएगा। परन्तु आज तक इसकी पालना नहीं हो रही है। पांच साल तो बीच में सरकार बदल गई और उसके बाद में इस इश्यू के ऊपर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। तो बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमको अभी भी उस स्थिति के अन्दर, उस गन्दे पानी से मुक्ति नहीं मिली है।

पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी बहुत चिंतित हैं इस बारे में। पहले भी इनके कार्यकाल के अन्दर नर्मदा का पानी राजस्थान में आया, पहली बार वसुन्धराजी के प्रयास से आया और इन्होंने पूरा का पूरा, यह सिस्टम है नर्मदा का, स्प्रिंकलर सिस्टम से इर्रिगेशन करने का लागू किया इसके लिए हम मुख्य मंत्रीजी के बहुत-बहुत आभारी हैं कि आज नर्मदा के पानी से, हमारे उस एरिये के अन्दर, स्प्रिंकलर सिस्टम से ज्यादा से ज्यादा इर्रिगेटेड होकर ज्यादा लोगों को लाभ मिला है।

पंजाब से भी अपने हिस्से का पानी लेने के लिए अभी कई माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की। सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दस फीट खाली पोंग और भाखड़ा को रखा जाता है। एक बार जब पंजाब में यह स्थिति हुई तो उसके बाद फैसला लिया और आज भी यह दस-दस फीट खाली रखा जाता है। यह भी हमारे लिए एक समस्या है कि राजस्थान में, अगर यह पूरा भरा जाए तो हमारे हिस्से का पानी हमको मिले, हमारे एरिये में पानी आये। पर अभी तक हमारी बात को कंसिडर नहीं किया। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उस समय भी कई चिट्ठियां लिखीं, प्रयास किया और मैं विश्वास दिलाना

(श्री सांवर लाल)

चाहता हूं कि अब भी हमारी मुख्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से प्रयास करेंगी और प्रयास करके इन्टर-स्टेट जो समझौते हैं, इसमें यह यमुना का भी है, यमुना का पानी भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल रहा है, झुन्झुनूं में पानी नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीजों के ऊपर आपस में प्रयास करके और इसको लागू करवाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया वसुन्धराजी ने, उस टाइम में पाली जिले के लोगों को चिंता थी और चिंता यह थी कि हमारे जवाई में पानी कम आता है, बरसात कम होने से या किसी कारण से तो अगर यह जवाई, यह सही डैम ऊंचा कर दिया जाए, इसकी क्षमता बढ़ा दी जाए और इसकी टन्नल से जो पानी आता है हमारे इस जवाई में डाल दिया जाए, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने उसी टाइम पर दस-पन्द्रह करोड़ रुपए सैंक्शन करके दिये और आज सही का पानी जो है, यहां पर आपका सीधा जवाई के अन्दर आ रहा है। इससे पाली जिले को बहुत बड़ी राहत मिली है।

इसी प्रकार, इस बार भी सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की कि इसका पुनर्भरण किस प्रकार से किया जाए, तो इस बारे में भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने एक कमेटी बनाने की घोषणा की है। वह कमेटी जो सुझाव देगी तो उसके बाद में, निश्चित रूप से, हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जवाई के पुनर्भरण के लिए भी कोई आवश्यकता होगी तो वे कदम उठाए जाएंगे।

अभी माननीय सदस्य ने कहा ढहारिया बांध के सम्बन्ध में। अब हमने उस टाइम में सैंक्शन कर दिया था पर आप जानते हो कि राज बदलते ही यह फैसले जो जन हित के होते हैं उन फैसलों की चिंता नहीं करते हुए, राजनीतिक दृष्टिकोण जो अपनाया जाता है, उससे आम आदमी परेशान होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बारे में भी हम विचार करेंगे और निश्चित रूप से माननीया मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में लाकर, इस दिशा के अन्दर जो हो सकता है वह करने का प्रयास करेंगे।

इसी प्रकार से अजमेर जिले में पाल-बीसला ...(व्यवधान) नो-कंस्ट्रक्शन जोन में ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। डिग्गी-तालाब में अवैध दोहन को हम रोकेंगे। बूढा पुष्कर में पानी की आवक के लिए आवक बनायी जाएगी और इसमें जितना भी पैसा लगेगा, वह निश्चित रूप से इसका प्रावधान किया हुआ है। तो यह भी बूढा पुष्कर में जो धार्मिक भावना लोगों की है, उस भावना को

(श्री सांवर लाल)

मेनटेन करना मुख्य मंत्रीजी की प्रायोरिटी में है। पहले भी मुख्य मंत्रीजी ने बूढा पुष्कर में घाट, वगैरह का निर्माण सब समाजों के, करवाकर काफी अच्छा काम किया है। लोगों का आजकल आस्था का केन्द्र बना हुआ है।

इसी प्रकार, ब्यावर के अन्दर स्टेट टाइम से, बहुत पुरानी देवाता फीडर है। वह फीडर भी मिट्टी, सिल्ट जमा होने से ऊंची तल की हो गयी है। तो इसमें भी सात करोड़ रुपये के लगभग लगेंगे। उसको भी हम ठीक करवाकर व्यवस्था सही करेंगे।

दूसरा, कई माननीय सदस्यों की एक चिंता यहां पर आयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक रूप से सरकार बदलते ही, जो काम हमने सैंक्शन किये बांधों के, एनिकट्स के, उन कामों को टेंडर होने के बावजूद भी उस स्थिति के अन्दर रोक दिया। तो निश्चित रूप से मैं माननीय सदस्यों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यह हमारे सीनियर आफिसर्स की एक कमेटी बनाकर उस कमेटी में ले जाएंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): शिलान्यास किये गये हैं वे। वर्क आर्डर हो गया, टेंडर हो गया और शिलान्यास भी आपने किया। रहन का नाका बांध (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हां, तो यह (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जिसकी मैं कह रहा हूं, शिलान्यास का पत्थर भी आपका लगा हुआ है। मेरा यह कहना है, टेंडर भी हो गये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): शिलान्यास के पत्थर भी लग गये और टेंडर भी हो गये, ये सारी चीजें हो गईं पर राजनीतिक रूप से जो रोक दिये गये हैं, उनके लिए कमेटी बनाकर, वह कमेटी उसके ऊपर निर्णय देगी, उस पर विचार करके हम कार्यवाही करेंगे।

इसी प्रकार से एक कोट बांध है कोई, शाकम्भरी के पास में, उदयपुरवाटी में, उसकी भी मरम्मत की आवश्यकता होगी। वह भी करवाई जाएगी। केकड़ी के अन्दर रांधेड़ा और देव गांव में भी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर हर माननीय सदस्य चिन्ता प्रकट कर रहे थे कि पानी टेल पर नहीं पहुंचता है, हम जानते हैं पुराने टाइम से कि अगर हमारे गांव में भी तालाब होता है तो टेल पर पानी पहुंचाने में बहुत जोर आता है, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की पहली

(श्री सांवर लाल)

प्राथमिकता होगी, इस बार टेल तक पानी पहुंचाने की। इसके लिए चाहे मोगे दुरुस्त करने हों, और कोई कार्यवाही करनी हो, डि-सिल्टिंग करनी हो, जो भी करने की जरूरत होगी, अधिकारियों को हम पाबन्द करेंगे, व्यक्तिगत जिम्मेदारी डालेंगे कि आपने अगर यह काम नहीं किया तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ कार्यवाही होगी।

पुराने जमाने में कोई धोरे कच्चे ही बनते थे 99 परसेंट, पक्का धोरा तो बड़ा आश्चर्य से देखा जाता है। आज आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर और बड़े-बड़े सिस्टमों के अन्दर धोरे पक्के बन रहे हैं, यह भी खुशी की बात है। उसके बावजूद भी अगर पक्के धोरों में पानी नहीं जाता है तो निश्चित रूप से हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

अभी हमारे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने लिफ्टों के बारे में चिन्ता की। निश्चित रूप से यह चिन्ता का विषय है। बहुत लम्बा समय होने के बावजूद भी लिफ्टों पर कई प्रकार की समस्याएं हैं। जिस ढंग से उनमें इर्रिगेशन होना चाहिए, वह होता नहीं है। जब लाइट की और अन्य, इनकी पूरी व्यवस्था नहीं है, तो इस बारे में भी यह माननीया मुख्य मंत्रीजी की जानकारी में लाकर, निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में जो निर्णय होगा, वह करने का हम प्रयास करेंगे।

इसी प्रकार, यह माही की जो डिस्ट्रिब्यूटरी नहरें हैं, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, इनको भी देखेंगे कि किस योजना के तहत लेकर इनकी मरम्मत करवायी जा सकती है। इस बारे में भी विचार करेंगे। हाई-लेवल कैनाल का, पहले भी हमारे टाइम में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसको प्राथमिकता से लिया और काफी कार्यवाही की है। इसको आगे बढ़ाते हुए जो आवश्यक होगा, वह किया जाएगा।

जो भी माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार प्रकट किये, निश्चित रूप से मैं उनको देखकर, उनके सुझावों के अनुसार कार्यवाही करूंगा। अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल का जिक्र किया है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसकी लाइनिंग का जो अधूरा काम है, चक-बंदी का अधूरा काम है, उसको भी हम प्रायोरिटी से लेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने की डिमांड है और उस डिमांड के हिसाब से इर्रिगेशन और पानी रोकने के लिए हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी प्राथमिकता से इस बारे में विचार कर रही हैं। फार वाटर कंसेप्ट के

(श्री सांवर लाल)

तहत माही-चम्बल बेसिन में माइक्रो-इर्रिगेशन टैंक, एक चैक-डैम के निर्माण हेतु पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा चुका है। 35 कार्यों में से 10 कार्य पूर्ण हो गये हैं और 25 कार्य प्रगति पर चल रहे हैं।

राज्य से बाहर बह कर जा रहे वर्षा के जल के उपयोग हेतु नदियों को आपस में जोड़ने के लिए इंटर-बेसिन जल अपवर्तन परियोजनाओं की प्लानिंग, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी के जमाने की यह योजना है और इस योजना में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अभी के जो प्रधान मंत्रीजी हैं, उन्होंने भी इस पर जोर दिया और हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसमें लागू करना प्रारम्भ किया है। मैं उनका बहुत-बहुत तह दिल से स्वागत करना चाहता हूं।

जयपुर एवं अजमेर की भविष्य की 25 वर्षों की मांग के मध्यनजर चित्तौड़ जिले की ब्राह्मणी नदी पर बांध निर्माण कर सुरंग एवं नहर द्वारा बनास नदी में जल अपवर्तन करने की परिकल्पना एवं डी.पी.आर. बनाने की घोषणा,

(20.00 बजे)

यह भी नदियों को जोड़ने वाला एक बहुत बढ़िया कदम है। ब्राह्मणी नदी से और उधर बेगूं से पानी बहकर चला जाता है, उस पानी को बनास में डालेंगे। इस आने वाले समय में लोगों को पीने के पानी का संकट नहीं हो, इस बारे में यह पहल माननीय मुख्य मंत्रीजी की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां शहर को बाढ़ से बचाने के लिये 56 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। इसकी डी.पी.आर. बनाने का कार्य, 28.41 लाख रुपये स्वीकृत कर, मैसर्स एन.के. बिल्डकान द्वारा सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। माह अगस्त में डी.पी.आर. बनाकर निविदा सितम्बर में जारी कर दी जाएगी। यह मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस बात की भी चिन्ता प्रकट की कि हमारे इस महकमे के अन्दर जे.ईएन. की बहुत कमी है और जे.ईएन. नहीं हैं तो सारा काम अटक जाता है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 314 कनिष्ठ अभियन्ताओं की भर्ती अतिशीघ्र, कोई प्रक्रिया अपनाकर, निश्चित रूप से हम नियमित रूप से करेंगे।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, भूजल वृद्धि हेतु 80 करोड़ के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, माननीय अध्यक्ष महोदय, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर से पानी जगह-जगह पर रुकता है। जो लोकल किसान होते हैं, उनको भी इसका

(श्री सांवर लाल)

फायदा मिलता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के पूर्व के कार्यकाल में भी पांच वर्षों में 300-400 करोड़ के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए और इस साल 80 करोड़ रुपये के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इस बजट में लिये हैं। तो निश्चित रूप से इससे किसानों को और लोकल चार्जिंग सिस्टम में भी इसका फायदा मिलेगा।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर 173 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। लघु सिंचाई योजनाएं, समर सरोवर, अलवर; उमापाल, उदयपुर; रोहिणी, उदयपुर को पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा, जहां आवश्यक होगा, वहां पर प्रायोरिटी से लघु सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृतियां जारी की जाएंगी।

माही परियोजना के नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ के प्रावधान की घोषणा करता हूं।

नीम सागर सिंचाई परियोजना की नहरों के सुदृढ़ीकरण हेतु पांच करोड़ एवं जवाई के सुदृढ़ीकरण हेतु साढ़े पांच करोड़ रुपये रखे गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर हमारे यहां की महत्वपूर्ण परियोजना है। हमारे जिले, जहां पर बरसात भी कम होती है, नहर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इंदिरा गांधी नहर की प्रथम चरण की नहरों की सफाई, मरम्मत के साथ-साथ ही अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के अन्दर तैयार होगी। इसके बाद में यह काम शुरू करवाएंगे।

हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या के समाधान...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बजट में तीन वर्ष कहा है, अब आप उसको तीन महीने का समय बता रहे हैं ना? उनके भाषण में तीन वर्ष हैं। मैंने तो यह निवेदन किया था कि दिसम्बर, 2015 तक पूरा कर लें।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): तीन का आंकड़ा ठीक है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आप तीन महीने में कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): तीन का आंकड़ा सही है, शुभ है, इसलिए बोल दिया।

हनुमानगढ़ जिले में सेम की समस्या के समाधान हेतु विशेषज्ञों की टीम बनाकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। माननीय अध्यक्ष

(श्री सांवर लाल)

महोदय, सेम की समस्या हनुमानगढ़ जिले में बहुत है। पानी जमीन के अन्दर नहीं जाता, जमीन खराब हो जाती है। मुख्य मंत्रीजी इस बारे में बहुत चिन्तित हैं और उन्होंने एक विशेषज्ञों की टीम बनाकर लगायी है, जो दो-ढाई महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद इसके निदान के लिए प्रयास किये जाएंगे।

भाखड़ा प्रणाली की शेष 374 किलोमीटर नहर को पक्का करने की परियोजना एवं इंदिरा नहर के द्वितीय चरण, कंवरसेन लिफ्ट के पुनरूद्धार की परियोजना हेतु डी.पी.आर. तैयार की जाएगी। भाखड़ा सिस्टम की जो नहर है, वह पक्की होने के बाद में, अध्यक्ष महोदय, डबल एरिया, पानी, आधे पानी की बचत होगी। निश्चित रूप से किसानों को फायदा मिलेगा।

लम्बे अर्से से लम्बित काश्तकारों की मांग को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय चरण की सभी लिफ्ट परियोजनाओं में 1,500 करोड़ रुपये की लागत से फव्वारा पद्धति का विकास 3.2 लाख हेक्टेयर में किया जाएगा।

इंदिरा गांधी की 50 क्यूसेक से अधिक मुख्य नहर से निकलने वाली नहरों में स्काडा का एक आउटस्टेशन स्थापित किया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर की समानान्तर सड़कों को रखरखाव हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किया जाएगा। डि-सिल्टिंग का कार्य, रबी की फसल की बुवाई से पहले निकलवा दी जाएगी।

एक लाख 13 हजार 420 हेक्टेयर में 451 करोड़ की लागत से पक्के खालों के निर्माण हेतु डी.पी.आर. बनाई जाएगी।

गंगनहर, सिद्धमुख-नोहर, भाखड़ा, अमरसिंह सब-ब्रांच के शेष रहे खालों का निर्माण करवाया जाएगा। इस हेतु गंगनहर परियोजना में 44 हजार हेक्टेयर, 185 करोड़ रुपये की लागत से पक्के खालों के निर्माण हेतु डी.पी.आर. बनाई जाएगी। इसी तरह से, सिद्धमुख-नोहर सिंचाई योजना 23,842 हेक्टेयर में 115 करोड़ की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य अमरसिंह सब-ब्रांच परियोजना में 11,720 हेक्टेयर में 55 करोड़ की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य; भाखड़ा नहर प्रणाली में, जहां नहरें पक्की बन चुकी हैं, उसके कमांड से सम्बन्धित घोषणाएं।

चम्बल कमांड से सम्बन्धित घोषणाएं – चम्बल परियोजना की दायीं मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण के लिये 75 करोड़ रुपये की लागत से इस वर्ष प्रारम्भ किये जाएंगे।

चम्बल सिंचित क्षेत्र, बारां जिले में अन्ता तहसील के अन्तर्गत 13 पक्के

(श्री सांवर लाल)

धोरों का निर्माण। यह अन्ता के आस-पास की ग्राम पंचायतें हैं, उस एरिये की हैं। चम्बल सिंचित क्षेत्र में चम्बल नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के कार्य रिवैम्पिंग परियोजना के अन्तर्गत 365 करोड़ की लागत के इस वर्ष प्रारम्भ किये जाएंगे।

नर्मदा नहर परियोजना की लागत 2,481 करोड़; लाभान्वित जिले। जालौर, बाड़मेर; सी सी ए 2.46 लाख हैक्टेयर; पूर्ण होने की तिथि मार्च, 2015;

वर्ष 2014-15 हेतु मुख्य लक्ष्य- 50 हजार हैक्टेयर में फव्वारा पद्धति चालू करना प्रस्तावित करता हूं। परियोजना में शेष 685 जल उपभोक्ता संगठनों का गठन किया जाएगा। परियोजना में शेष 685 डिग्गियों का निर्माण, चालू वर्ष में 275 करोड़ इस योजना पर व्यय किये जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने चम्बल में भी लिफ्ट सिस्टम, यह भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि लिफ्ट सिस्टम का इर्रिगेशन, चम्बल एरिये में भी सर्वप्रथम माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने कार्यकाल में ही प्रारम्भ करवाया था और काफी एरिये के किसान, जो वंचित थे, जहां पानी नहीं जाता था, उस लिफ्ट से पानी जाने के बाद में उनके खेतों में भी फसल लहलहा रही है।

मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने मांग की है, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी से बात करके इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से समाधान का रास्ता निकले, इस बात का प्रयास हम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के जमाने में पानी बड़ा सीमित है और सीमित पानी का आप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, इसके लिए निश्चित रूप से हम हमारा ड्रिप इर्रिगेशन, इनकी तरफ ज्यादातर ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। आज सतही जल के अलावा, इर्रिगेशन का जो मुख्य स्रोत है, कुएं भी है, कुएं, ट्यूबवेल, इनसे भी काफी बड़ा एरिया सिंचित होता है और इनकी लागत भी बहुत आती है, इसके बावजूद भी किसान अपने खेत में पैदा करके अपने बच्चों को पालना चाहता है। इसलिये व्यवस्था के लिए, चाहे कितना ही पैसा लगे, वह कोशिश करता है। इसलिए अब समय आएगा, निश्चित रूप से प्रायोरिटी के साथ इनको कनेक्शन, वगैरह देने की जो व्यवस्था है, उसमें भी जो स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इर्रिगेशन से जो प्राथमिकता देगा, उसको प्रायोरिटी मिलेगी।

(श्री सांवर लाल)

आई.जी.एन.पी. की मरम्मत कार्य हेतु जो डी.पी.आर. बनेगी, वह डी.पी.आर. ढाई महीने में बनेगी और बचे हुए समय में, सरकार के कार्यकाल में कार्य प्रारम्भ कर के मरम्मत करवाने की सरकार व्यवस्था करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है, हमारा काफी पानी है, जितना हमारे राजस्थान में है उससे ज्यादा इन्टर-स्टेट समझौतों के माध्यम से आता है। मैं पक्ष और प्रतिपक्ष, सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस बारे में सब का सहयोग मिलना चाहिए कि राजस्थान के हित में, अपने हक का जो पानी है, समझौते से जो पानी मिलना है, वह पानी मिले। अगर वह पानी लम्बे समय तक नहीं मिलेगा तो पानी के लड़ाई-झगड़े होते हैं उससे क्लेश पैदा होता है और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान करें। हम को भारत सरकार के पास जाना, या जहां भी जाने की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से जाकर इस समस्या का समाधान करा कर, राजस्थान के किसानों को उनके हिस्से के पानी की व्यवस्था करवायी जायेगी।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी यह जो समय है, इस वर्ष का जो बजट है, इस बजट का अधिकतम पैसा लगे, वह कन्जूम हो और लोगों को इर्रिगेशन के क्षेत्र में फायदा मिले, इस दिशा में आप सबका...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माही के लिए सर्वे होगा? (व्यवधान) माही बजाज का जो पानी आयेगा, उसका सर्वे होगा, सर? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हां, वह करवा देंगे न चालू, यह बता दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): करा देंगे जी। करा देंगे जी। क्यों चिंता करते हो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): राजसमन्द के लिए पानी के लिए हमने आपके 24 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये हैं। (व्यवधान)

बाकी सभी माननीय सदस्यों की जो मांगें हैं, जिन्होंने जो-जो बात सदन में कही है, मैं उनके भाषण की प्रति निकलवा कर, एक-एक को पढ़ कर, सारों के पास में, उसके ऊपर अमल कर, क्या कार्यवाही की गयी है, मैं आपके पास भिजवाऊंगा। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हमारी एक और डिमांड माननीय मंत्रीजी को पहुंचाना चाह रहे हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

देवास थर्ड एंड फोर्थ का जो पानी का सर्वे हो रहा है, उसमें उदयपुर का हो रहा है। उसमें राजससमन्द को जोड़ा जाए। मात्र इतनी सी डिमांड है। सर्वे में अगर आयेगा कि वह पानी आ सकता है तो करवाएं आप, नहीं तो मत करवाएं। एट लीस्ट सर्वे तो करवाएं।

श्री ओटाराम (सिरोही): सिरोही को भी जोड़ा जाए।

एक माननीय सदस्य: सिवाना, सिवाना में...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हो जायेगा, साहब, सिवाना में क्या बात कर रहे हो?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): मंत्रीजी, मेरा एक निवेदन सुन लो। बीसलपुर कैचमेंट एरिया की वजह से पूरे मेवाड़ में ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि पानी का जोइश्यू है, बड़ा सेंसिटिव इश्यू है और मैं आपके हक का जो होगा, निश्चित रूप से वह करवाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। (व्यवधान) जो-जो व्यवस्था हो सकती है, वह कराने की कोशिश करेंगे और निश्चित रूप से मुख्य मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बैठिये न। जवाब तो देने दो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): और जो भी इश्यूज अगर होंगे, उनमें माननीया मुख्य मंत्रीजी से डिस्कशन करके, उनसे बात करके, आपकी समस्याओं का समाधान करवाने का हम प्रयास करेंगे।

निश्चित रूप से पानी के बारे में जैसे आप चिंता कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, सब कर रहे हैं। इस दुनिया के अन्दर भी कई लोग लगे हुए हैं जो यही रोजाना रिसर्च करते हैं कि कम से कम पानी से कैसे प्यास बुझे, कम से कम पानी से खेती कैसे हो। तो ये सारी चीजें हैं। दुनिया लगी हुई है, विद्वान लगे हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। आप अपने जमाने में कभी सोचते थे क्या कि बोतल में पानी मिलेगा, लोगबाग कल्पना किया करते थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से यही अनुरोध करूंगा, निश्चित रूप से आपके जो कंस्ट्रक्टिव एप्रोच के सुझाव सारे के सारे आये हैं, उन पर विचार कर के कार्यवाही होगी। आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय ,मांग पारित की जाए।

मांग का पारण

मांग संख्या 46 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 – सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,80,33,25,000/- (उनतीस अरब अस्सी करोड़ तैंतीस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.16 बजे शनिवार, दिनांक 26 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण

198. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

कार्मिक विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 14 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 दिनांक 31 जुलाई, 2009 को जारी किया गया।

परन्तु रिट याचिका संख्या 12810/2009 जी. शर्मा बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 12 अक्टूबर, 2009 एवं 4 नवम्बर, 2009 के द्वारा अधिकतम आरक्षण 50 प्रतिशत तक रखने के निर्देश एवं माननीय न्यायालय में लम्बित याचिका संख्या 13491/09, कै. गुरविन्दर सिंह, याचिका संख्या 13884/09 आल इण्डिया इक्विलिटी फोरम बनाम राज्य सरकार की रिट याचिकाओं में अन्तिम निर्णय दिनांक 22 दिसम्बर, 2010 के आदेशों के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका।

डी बी पीआईएल रिट याचिका संख्या 520/2013 मुकेश सोलंकी बनाम राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4 मार्च, 2013 से 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण पर स्थगन है।

वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

मनरेगा में पोखर/तालाब बनाने के मानदण्ड

200. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत पोखर/तालाब बनाये जाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में मनरेगा योजना के अन्तर्गत जिला अलवर में किस-किस पंचायत में पोखर/तालाब बनाए गये एवं उन पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से ऐसे कितने पोखर/तालाब हैं जिनमें पानी का भराव नहीं है? पानी का भराव नहीं होने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मनरेगा योजनान्तर्गत पोखर/तालाब निर्माण किये जाने हेतु ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर इसे पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर से अनुमोदित कराया जाता है एवं प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप कार्य का मौका निरीक्षण कर कार्य की तकनीकी उपयोगिता का आंकलन किया जाता है। मुख्य तकनीकी मापदण्ड विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 में ''जलाशय'' के शीर्षक से वर्णित है। सम्बन्धित प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) अलवर जिले में गत 5 वर्षों में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कुल 3422 पोखर/तालाब बनाये गये एवं उन पर कुल 13007.83 लाख रु. व्यय किये गये हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

क्र.सं.	पंचायत समिति	पोखर/तालाबों की संख्या	कुल व्यय राशि
1	बहरोड़	101	109.19
2	बानसूर	158	598.87
3	कठूमर	409	1492.20
4	मुण्डावर	157	536.39
5	कोटकासिम	178	277.11
6	नीमराणा	121	372.68
7	राजगढ़	572	2306.05
8	लक्ष्मणगढ़	205	795.60
9	किशनगढ़बास	266	1333.04
10	रामगढ़	201	957.48
11	रैणी	351	1668.69
12	थानागाजी	461	1765.57
13	तिजारा	109	342.42
14	उमरैण	133	452.54
	योग	**3422**	**13007.83**

ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में लगभग 1670 पोखर/तालाब में मानसून के आगमन पर पानी का भराव प्रारम्भ हो गया है। पोखर/तालाब में पानी का भराव बरसात की निरन्तरता पर निर्भर करता है। मानसून उपरान्त पानी लगभग 3-4 माह तक पोखर/तालाबों में रहता है।

पिछले 1-2 वर्षो में मानसून के दौरान कम वर्षा होने से भराव कम रहा है एवं भरे हुए पानी के लगातार उपयोग तथा गर्मी से वाष्पीकृत हो जाने के कारण से वर्तमान में कुछ पोखर/तालाब खाली हैं।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा में विज्ञान संकाय की स्थापना

201. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अर्जुन लाल)

(1) जिला जोधपुर में राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा एवं राजकीय बालिका महाविद्यालय, पीपाड़ शहर में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक वर्ग के किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कब-कब स्वीकृत किये गये? पदों की संवर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त दोनों महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा में विज्ञान संवर्ग के विद्यार्थियों की उपलब्धता को देखते हुए उक्त महाविद्यालय में विज्ञान संवर्ग खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा एवं राजकीय महिला महाविद्यालय, पीपाड़ शहर में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक वर्ग के पद कब से स्वीकृत हैं, की सूचना परिशिष्ठ-'अ' पर संलग्न है।

(2) किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं, की सूचना परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। व्याख्याताओं के 1118 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को माह फरवरी, 2014 में भिजवाई जा चुकी है। चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

गैर शैक्षणिक पदों को स्थानान्तरण से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त एवं डी.पी.सी. आयोजित करते समय भरा जा सकेगा।

(4) जी नहीं। वर्तमान में बिलाड़ा उपखण्ड में स्थित 06 निजी महाविद्यालयों में से 01 निजी महाविद्यालय ग्रामोदय महाविद्यालय, बिलाड़ा में इसी शिक्षा सत्र में विज्ञान संकाय खोले जाने की स्वीकृति दी गई है।

निकटवर्ती उपखण्ड पीपाड़ सिटी में जो कि बिलाड़ा से लगभग 35 किमी. दूरी पर स्थित है, वहां पर निजी महाविद्यालय, गोकुल बाबू स्नातक महाविद्यालय में विज्ञान संकाय उपलब्ध है, जिसमें वर्तमान में मात्र 08 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

ऐसी स्थिति में बिलाड़ा के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

स्वीकृत पदों की सूचना

क्र. सं.	**नाम महाविद्यालय**	**स्वीकृत शैक्षणिक पद संवर्गवार**	**स्वीकृत अशैक्षणिक पद संवर्गवार**	**स्वीकृति का दिनांक (शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद)**
01	राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा	प्राचार्य-01	कार्यालय अधीक्षक-01	29.07.2013
		व्याख्याता-07	सहायक लेखाधिकारी-01	29.07.2013
		पुस्तकालयाध्यक्ष-01	सूचना सहायक-01	29.07.2013
		शारीरिक शिक्षक-01	वरिष्ठ लिपिक-02	29.07.2013
		—	कनिष्ठ लिपिक-03	29.07.2013
		—	प्रयोगशाला सहायक-01	29.07.2013
		—	प्रयोगशाला वाहक-01	29.07.2013
		—	बुक लिफ्टर-01	29.07.2013
		—	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-03	29.07.2013

क्र. सं.	**नाम महाविद्यालय**	**स्वीकृत शैक्षणिक पद संवर्गवार**	**स्वीकृत अशैक्षणिक पद संवर्गवार**	**स्वीकृति का दिनांक (शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद)**
02	राजकीय महाविद्यालय, पीपाड़ शहर	प्राचार्य-01	लेखाकार-01	23.07.1997
		उपाचार्य-01	वरिष्ठ लिपिक-01	23.07.1997
		व्याख्याता-05	कनिष्ठ लिपिक-02	23.07.1997
		पुस्तकालयाध्यक्ष-01	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-03	23.07.1997
		शारीरिक शिक्षक-01	—	23.07.1997

परिशिष्ट "ब"

रिक्त पदों की सूचना

राजकीय महाविद्यालय, बिलाड़ा में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों सम्बन्धी सूची

पद का नाम	रिक्त पद	कब से	विशेष विवरण
1-प्राचार्य	-	-	01 कार्यव्यवस्थार्थ
2-व्याख्याता	02	दि. 29.08.13 से	05 कार्यव्यवस्थार्थ
3-सहायक लेखाधिकारी	01	दि. 29.08.13 से	
4-पी.टी.आई.	01	दि. 29.08.13 से	
5-लाइब्रेरियन-	01	दि. 29.08.13 से	
6-प्रशासनिकअधिकारी (कार्या. अधी.)-	01	दि. 29.08.13 से	
7-सूचना सहायक-	01	दि. 29.08.13 से	
8-लिपिक ग्रेड-I (वरिष्ठ लिपिक)-	01	दि. 29.08.13 से	
9-लिपिक ग्रेड-II (कनिष्ठ लिपिक)-	03	दि. 29.08.13 से	
10-प्र.शा. सहायक-	—	-	01 कार्यव्यवस्थार्थ
11-प्र.शा. वाहक-	01	दि. 29.08.13 से	
12-बुक लिफ्टर-	01	दि. 29.08.13 से	
13-च.श्रे. कर्मचारी	03	दि. 29.08.13 से	

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कालेज शिक्षा, राज., जयपुर

राजकीय महिला महाविद्यालय, पीपाड़ शहर में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों सम्बन्धी

पद का नाम	रिक्त पद	कब से
1-व्याख्याता-	02	दि. 12.09.13/25.02.14 से
2-लेखाकार-	01	दि. 02.09.11 से
3-पी.टी.आई.-	01	दि. 07/1997 से
4-लिपिक ग्रेड-I (वरिष्ठ लिपिक)-	01	दि. 30.06.12 से
5-लिपिक ग्रेड-II (कनिष्ठ लिपिक)-	01	दि. 08.12.10 से

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कालेज शिक्षा, राज., जयपुर

प्रश्न संख्या-202

(स्थगित)

प्रदेश में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलों का वितरण

203. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलें किस योजना के अन्तर्गत वितरित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त योजना से लाभान्वित करने हेतु क्या पात्रताएं निश्चित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना में वर्तमान में निर्धारित एक लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा संख्या 56 के तहत ऐसे विशेष योग्यजनों हेतु जो ट्राई-साइकिल चलाने में सक्षम हों और जिनकी पारिवारिक आय 1.00 लाख रुपये वार्षिक तक हो, मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराने की घोषणा करते हुये इस हेतु राशि रुपये 5 करोड़ का प्रावधान रखते हुये एक हजार विशेष योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। उक्त बजट घोषणा की पालना में 1000 पात्र विशेष

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

योग्यजनों को मोटराइज्ड ट्राइ-साइकिल उपलब्ध करवाई जा चुकी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति के सम्बन्ध में जारी गाइड लाइन संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाये जाने सम्बन्धी कोई योजना संचालित नहीं है। उक्त घोषणा में लाभान्वित होने वाले विशेष योग्यजनों हेतु जारी की गई पात्रता का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ में उल्लेखित है।

(3) बजट घोषणा के तहत केवल एक हजार विशेष योग्यजनों को ही उक्त मोटराइज्ड ट्राइ-साइकिल वितरित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी पालना में एक हजार मोटराइज्ड ट्राई-साइकिलों का वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त मोटराइज्ड ट्राइ-साइकिल उपलब्ध करवाये जाने की कोई योजना संचालित नहीं है। उक्त 1000 मोटराइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध करवाये जाने की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित आय सीमा रुपये 1.00 लाख से बढाकर रुपये 2.50 लाख किया गया था, जिस हेतु आदेश क्रमांक 17595 दिनांक 1.1.2013 के द्वारा जारी संशोधित गाइड लाइन की प्रति संलग्न परिशिष्ट अ-1 पर उपलब्ध है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

निवाई में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण

204. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में किस-किस सहकारी समिति के सदस्यों को ऋण वितरण किया गया व किन-किन सदस्यों को ऋण वितरण नहीं किया?

(2) क्या यह सही है कि डोडवाड़ी एवं झिराना में केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा ऋण वितरण नहीं किया गया?

(3) पीपलू तहसील में किन-किन सहकारी समितियों को ऋण वितरण किया गया एवं किन-किन सहकारी समितियों को ऋण से वंचित रखा गया? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निवाई विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में 41 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 16221 सदस्यों को 2863.33 लाख रुपये का ऋण वितरण किया जा चुका है, जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2014-15 में 4 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण वितरण नहीं हुआ है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) डोडवाड़ी और झिराना में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है। डोडवाड़ी और झिराना में ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं।

(3) पीपलू तहसील में डोडवाड़ी और झिराना सहित समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में ऋण वितरण किया जा चुका है। पीपलू तहसील में कोई भी सहकारी समिति ऐसी नहीं है जहां ऋण वितरण नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-1

दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., टोंक

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	नाम समिति	सदस्य संख्या	वितरित राशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	निवाई-पीपलू	सन्देडा जी.एस.एस.	531	88.24
2		पीपलू जी.एस.एस.	318	64.25
3		पांसरोटिया जी.एस.एस.	401	75.54
4		रानोली जी.एस.एस.	678	132.92
5		जौला जी.एस.एस.	440	87.86
6		बोरखण्डी जी.एस.एस.	352	55.62
7		नानेर जी.एस.एस.	549	124.24
8		बगड़ी जी.एस.एस.	449	86.94
9		डोडवाड़ी जी.एस.एस.	533	107.98
10		केदारनाथ जी.एस.एस. (झिराना)	67	14.30
11		डारडातुर्की जी.एस.एस.	57	17.90

1	2	3	4	5
12		लोहरवाड़ा जी.एस.एस.	599	75.75
13		बनवाड़ा जी.एस.एस.	487	58.13
14		बगड़वा जी.एस.एस.	1144	160.01
15		नाथड़ी जी.एस.एस.	451	63.86
16		कठमाना जी.एस.एस.	951	152.42
17		चौगाई जी.एस.एस.	540	89.90
18		काशीपुरा जी.एस.एस.	196	29.11
19		दहलोद जी.एस.एस.	374	61.52
20		लक्ष्मी जी.एस.एस. धतूरी	351	63.49
21		खिड़गी जी.एस.एस.	235	35.73
22		ढाणी जुगलपुरा जी.एस.एस.	184	39.34
23		सिरस जी.एस.एस.	324	54.37
24		झिलाई जी.एस.एस.	263	50.61
25		रजवास जी.एस.एस.	301	54.82
26		नोहटा जी.एस.एस.	289	52.07
27		दुर्गाचैनपुरा जी.एस.एस.	375	69.01
28		नवज्योति जी.एस.एस. जामडोली	253	48.17
29		गुन्सी जी.एस.एस.	555	101.41
30		चनानी जी.एस.एस.	386	79.93
31		तुर्किया जी.एस.एस.	253	48.50
32		करेडाबुजुर्ग जी.एस.एस.	304	53.84
33		हिंगोनिया जी.एस.एस.	107	18.02
34		सींदडा जी.एस.एस.	373	72.80
35		विष्णु पलेई जी.एस.एस.	317	63.08

1	2	3	4	5
36		वनस्थली जी.एस.एस.	348	67.23
37		खण्डदेवत जी.एस.एस.	333	54.97
38		राहोली जी.एस.एस.	231	44.67
39		डांगस्थल जी.एस.एस.	295	58.30
40		चतुर्भुजपुरा जी.एस.एस.	476	88.05
41		सुनारा जी.एस.एस.	551	98.43

परिशिष्ट-2

दी सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., टोंक

क्र. सं.	विधानसभा क्षेत्र	समितियों का नाम जिनमें वर्ष 2014-15 में ऋण वितरण नहीं हुआ	ऋण वितरण नहीं होने के कारण (समितिवार)
1	निवाई-पीपलू	बहड़ जी.एस.एस.	फण्ड का अभाव
2		खण्डवा जी.एस.एस.	फण्ड का अभाव
3		दतवास जी.एस.एस.	फण्ड का अभाव
4		सिरोही जी.एस.एस.	ऋण वितरण साख सीमा स्वीकृति हेतु विलम्ब से प्राप्त

प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थाओं में मिड-डे मील लागू करने की योजना

205. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार निजी शिक्षण संस्थानों (विद्यालयों) में मिड-डे मिल योजना के द्वारा विद्यार्थियों के लिये भोजन की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(मास्टर मामन सिंह यादव)

(3) क्या सरकार विद्यार्थी मित्रों एवं अन्य संविदा कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार मिड-डे मील राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय, राजकीय अनुदानित, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र, ए.आई.ई. सेंटर (Alternative and Innovative Centre), नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत संचालित विशेष विद्यालय एवं मदरसों में ही दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(2) सरकार समस्त राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है।

पेयजल व्यवस्था विहीन राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से वर्ष 2014-15 में उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। इस हेतु पेयजल व्यवस्था विहीन विद्यालयों की सूची जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को पत्र क्रमांक 165 दिनांक 21.03.2014 द्वारा प्रेषित कर दी गई है।

(3) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में वर्तमान में कार्यरत विद्यार्थी मित्रों एवं संविदा कर्मियों से सम्बन्धित प्रकरण मंत्रीमंडलीय समिति के सम्मुख विचाराधीन है।

राजकीय महाविद्यालय सिकराय (दौसा) हेतु भूमि का आबंटन

206. श्रीमती गीता वर्मा (सिकराय) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिकराय के गांव सिकराय में राजकीय महाविद्यालय कब खोला गया? महाविद्यालय भवन निर्माण हेतु कितनी भूमि किस खसरा नम्बर व किस ग्राम पंचायत के किस गांव में आबंटित की गयी? भवन निर्माण हेतु किस योजना के तहत व किस मद से कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय हेतु विभिन्न श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये ? श्रेणीवार कितने पदों पर पद स्थापन किया जा चुका है व

(श्रीमती गीता वर्मा)

कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर पदस्थापन कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त महाविद्यालय में किस-किस संकाय में शिक्षण व्यवस्था चालू की गई है? क्या सरकार भविष्य में अन्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिकराय में वर्ष 2013-14 में राजकीय महाविद्यालय खोला गया।

ग्राम पंचायत सिकराय के गांव सिकराय में खसरा 59 रकबा 119-16 चरागाह में से 08 बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है।

विभाग की वार्षिक योजना वर्ष 2014-15 में आयोजना मद के अन्तर्गत उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 50.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, सिकराय में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

प्राचार्य का रिक्त पद डी.पी.सी. से चयनोपरान्त भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर भिजवाई जा चुकी है। आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

गैर शैक्षणिक पदों को स्थानान्तरण पर से प्रतिबन्ध हटने के उपरान्त एवं डी.पी.सी. आयोजित करते समय भरा जा सकेगा।

(3) उक्त महाविद्यालय में वर्ष 2013-14 में कला संकाय में शिक्षण व्यवस्था चालू की गई है।

भविष्य में वित्तीय संसाधनों एवं अन्य विभिन्न कारकों को मध्यनजर रखते हुए अन्य संकाय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) पंचायत समिति सिकराय में एक राजकीय आई.टी.आई. वर्ष 2012-13 से स्वीकृत है, इसकी कक्षाएं भवन निर्मित होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राजकीय आई.टी.आई., दौसा में वर्ष 2013-14 से एक ट्रेड डीजल मैकेनिक के साथ संचालित है।

राजकीय पालिटेक्निक इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले जाने का

(उच्च शिक्षा मंत्री)

प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि प्रदेश में कुल उपलब्ध प्रवेश स्थानों के विरुद्ध लगभग 45 प्रतिशत प्रवेश स्थान रिक्त है।

परिशिष्ट "अ"

राजकीय महाविद्यालय, सिकराय में विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों सम्बन्धी सूची

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदों के विरुद्ध कार्यरत	रिक्त पद
1.	प्राचार्य	01	—	01
2.	व्याख्याता	07	05	02
3.	सहायक लेखाधिकारी	01	—	01
4.	पी.टी.आई.	01	—	01
5.	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	—	01
6.	प्रशासनिक अधिकारी (कार्यालय अधीक्षक)	01	—	01
7.	सूचना सहायक	01	—	01
8.	लिपिक ग्रेड-I (वरिष्ठ लिपिक)	01	—	01
9.	लिपिक ग्रेड-II (कनिष्ठ लिपिक)	03	—	03
10.	प्रयोगशाला सहायक	01	—	01
11.	प्रयोगशाला वाहक	01	—	01
12.	बुक लिफ्टर	01	—	01
13.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	03	01	02
	योग	**23**	**06**	**17**

जायल में उचित मूल्य की दुकानों से राशन सामग्री का वितरण

207. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां पर किस-किस नाम से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से 2013 तक उचित मूल्यों की दुकानों में कितने गबन के प्रकरण पाए गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की पटल पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में प्रतिमाह कितनी-कितनी राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है? विवरण सदन की पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में उचित मूल्य की दुकानों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में वर्ष 2008 से 2013 तक राशन सामग्री वितरण में गम्भीर अनियमितता बरत गबन पाये जाने पर दर्ज विभागीय प्रकरणों एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में प्रतिमाह निम्नानुसार राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है :-

क्र. सं.	विवरण	वितरण की जाने वाली मात्रा
1.	गेहूं - खाद्य सुरक्षा योजना अन्त्योदय सहित	13731 क्विंटल
2.	केरोसीन	234200 लीटर

नोट:-

1. खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र परिवारों को 5 किग्रा. प्रति यूनिट प्रतिमाह तथा अन्त्योदय परिवारों को 35 किग्रा. प्रति परिवार प्रतिमाह खाद्यान्न (गेहूं) का वितरण किया जा रहा है।

2. गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को छोड़कर शेष समस्त राशनकार्डधारी परिवारों को केरोसीन का 3 लीटर प्रति राशनकार्ड से प्रतिमाह वितरण किया जा रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

3. चीनी का वितरण बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को 500 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह की दर से किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में राजकीय बालिका छात्रावास की स्थापना

208. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में वर्तमान में कितने राजकीय बालिका छात्रावास स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अलवर जिला मुख्यालय पर सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए एक राजकीय बालिका छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अलवर में ऐसे किसी छात्रावास की मंजूरी गत पांच वर्ष में की गई है जिनमें किसी जाति या वर्ग विशेष के छात्र/छात्राओं को ही प्रवेश दिया जावेगा? यदि हां, तो कहां? नाम व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्तमान में विभाग द्वारा 6 विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय राजकीय बालिका छात्रावास स्वीकृत/संचालित हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। अलवर जिला मुख्यालय पर वर्तमान में 4 बालिका (दो विद्यालय स्तरीय एवं दो महाविद्यालय स्तरीय) छात्रावास संचालित हैं, जिनमें सभी वर्ग की बालिकाओं के आवास का प्रावधान किया हुआ है। सरकार अलवर जिला मुख्यालय पर सरकारी बालिका छात्रावास खोलने का विचार नहीं रखती है। क्योंकि नवीन छात्रावास खोले जाने हेतु वर्तमान में अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं है।

अलवर जिले में संचालित बालिका छात्रावासों का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजकीय देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, अलवर (विशेष पिछड़ा वर्ग) वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, अलवर मुख्यालय (अनुसूचित जाति) वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत किये गये हैं इसके अतिरिक्त राज्य

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

सरकार की वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 347 के अन्तर्गत आर्थिक पिछड़ा वर्ग के परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए तक है, के लिए अलवर जिला मुख्यालय पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, स्वीकृत किया गया है। उक्त छात्रावास वर्ष 2013-14 में संचालित नहीं किया जा सका। नई सरकार के गठन के पश्चात् पिछली सरकार के 6 माह पुरानी घोषणाओं का मंत्रीमण्डल उपसमिति द्वारा रिव्यू किया जाने का निर्णय लिया जाने पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी योजनाओं का भी रिव्यू किया गया। मंत्रीपरिषद् की आज्ञा संख्या 90/2014 द्वारा निर्णय लिया गया। तदनुसार प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया जा चुका है। मंत्रीपरिषद् के निर्णय की प्रति परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "अ"

अलवर जिले में स्वीकृत/संचालित राजकीय बालिका छात्रावासों का विवरण

क्र. सं.	छात्रावास का नाम	वर्ग	स्वीकृत क्षमता	लाभान्वितों की संख्या (वर्ष 2013-14)
1	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, अलवर	अनु. जाति	50	50
2	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, किशनगढ़ बास, अलवर	अनु.जनजाति	40	37
3	राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास, मुण्डावर, अलवर	अनु. जनजाति	35	35
4	राजकीय देवनारायण बालिका छात्रावास, अलवर	विशेष पिछडा वर्ग	50	50
5	राजकीय देवनारायण महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, अलवर	विशेष पिछडा वर्ग	75	0
6	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास, अलवर	अनु. जाति	75	20
	योग		**325**	**192**

परिशिष्ट-ब

राजस्थान सरकार
मंत्रिपरिषद की आज्ञा
90/2014

दिनांक 17 जून, 2014 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन क्रमांक : एफ 8(2)254/ एससीएसपी/सान्याअवि/मुं.मं.उ.स./3523 दिनांक 06 जून, 2014 पर विचार-विमर्श कर ज्ञापन में अंकित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में वित्तीय वर्ष 2013-14 व वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. **आर्थिक पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी योजनाएं :**- आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) से सामान्य जातियों के लिए विशेष पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं व वर्तमान में कार्य प्रग्रति पर है और जिन कार्यों की स्वीकृति जारी की जा चुकी है उनको पूरा किये जाने तथा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में प्राप्त आवेदनों पत्रों में भुगतान किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वर्ष 2014-15 में सम्पूर्ण योजना की समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. **अन्य पिछड़ा वर्ग सम्बन्धी योजनाएं—**अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC के विद्यार्थियों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति (Post Metric Scholarship) की इस वर्ष क्रियान्विति जारी रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
3. **अन्त जातीय विवाह योजना**—बजट घोषणा वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत अन्तर जातीय विवाह योजना की क्रियान्विति जारी रखे जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
4. **सम्बल ग्राम विकास योजना**—वित्तीय वर्ष 2013-14 में सम्बल ग्राम विकास योजनान्तर्गत राज्य के 1000 सम्बल ग्रामों को चयनित कर अनुसूचित जाति की बस्तियों में आधारभूत संरचना के निर्माण के अतिरिक्त स्वास्थ्य, पेयजल एवं सेनिटेशन के स्वीकृत कार्य व जिनका कार्य प्रगति पर है, को पूर्ण किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए वर्ष 2014-15 में योजना की समीक्षा कर सही रूप से क्रियान्विति किये जाने का निर्णय लिया गया।
5. **पेंशन योजना**—पेंशन योजनान्तर्गत राजस्थान सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था, विधवा, परियक्ता/तलाकशुदा पेंशन नियम, 2013 व राजस्थान सामाजिक सुरक्षा व विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 में जरूरतममंद व पात्र व्यक्तियों को लक्षित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा सत्यापन तथा इस योजना का पुन: निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव)

अरबन का-आपरेटिव बैंक अजमेर में वित्तीय अनियमितता की जांच

209. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. अजमेर में कितने खाता धारक/निवेशक पंजीकृत हैं और उनकी कुल कितनी राशि विभिन्न खातों के माध्यम से जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दी अरबन को. बैंक अजमेर में बैंक संचालक मण्डल को वित्तीय अनियमितताओं के कारण सरकार द्वारा भंग कर प्रशासक नियुक्त किया है? यदि हां, तो प्रशासक द्वारा दोषी ऋणियों से वसूली हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दोषी ऋणियों से वसूली हेतु उनकी सम्पत्ति नीलाम करने की कार्यवाही अमल में लाई गई है? यदि हां, तो किस-किस दोषी ऋणि की सम्पत्ति कब-कब, किस स्थान पर नीलाम की गई? कितनी सम्पत्तियां नीलाम हुईं व उस नीलामी से कितनी राशि वसूली गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि दी अरबन का-आपरेटिव बैंक अजमेर पर भारतीय रिजव बैंक द्वारा लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है? यदि हां, तो कब से व उक्त बैंक के लेन-देन पर लगे प्रतिबंध को हटाने हेतु वर्ष 2011 से 30 जून, 2014 तक कितने जन-प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को पत्र लिखे गये? पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अरबन का-आपरेटिव बैंक की दिनांक 30 जून, 2014 तक कितनी देन दारियां हैं व बैंक की जमा पूंजी कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या बैंक के संचालक मण्डल के अध्यक्ष पदों पर काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रकरण सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से व किस-किस पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त बैंक में ऐसे कितने ऋणी हैं जिन्होंने ऋण चुकाने के बजाय सहकारिता न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालयों में स्थगन आदेश ले रखे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या यह सही है कि पूर्व में प्रबंधक संचालक मण्डल अथवा

(श्रीमती अनिता भदेल)

अध्यक्षों पर बीस करोड़ सैंतालीस लाख रुपये की राशि के गबन का आरोप सहकारिता विभाग अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरोपित किया गया है?

(9) क्या सरकार उपरोक्त बैंक के खाता धारकों को राहत देने के लिए उन्हें घाटे की राशि समान अनुपात में कम करके लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(10) क्या सरकार इसके संचालन हेतु घाटे की राशि बिना ब्याज के इस बैंक को उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अरबन का-आपरेटिव बैंक लि. अजमेर में 22755 खाता धारक हैं, जिनकी विभिन्न खातों के माध्यम से कुल जमाऐं दिनांक 31.03.14 को 83.80 करोड रुपये है।

(2) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26/02/2010 से उक्त बैंक में प्रशासक नियुक्त किया गया। प्रशासक द्वारा ऋण चुकाने में दोषी ऋणियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 एवं 100 के तहत प्रक्रियानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां। प्रशासकीय कार्यकाल में कुल 40 व्यक्तियों के विरुद्ध नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई गयी। इनमें से 15 ऋणियों द्वारा नीलामी से पूर्व सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी गयी तथा एक ऋणी की रहनशुदा संपत्ति को विक्रय कर रु. 1035623/- राशि वसूल की गयी। 14 ऋणियों से आंशिक वसूली हुई तथा 5 ऋणियों ने नीलामी पर माननीय उच्च न्यायालय से एवं 2 ऋणियों ने माननीय सहकारिता मंत्री राजस्थान से स्थगन आदेश जारी है। शेष की नीलामी कार्यवाही वर्तमान में चल रही है। जिन दोषी ऋणियों की संपत्ति नीलाम करने की कार्यवाही की गई, उनका विवरण व वसूली राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) जी हां। बैंक पर दिनांक 29.10.2011 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 माह के लिये लेन-देन पर प्रतिबन्ध लगाया गया था जिसे निरन्तर बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में प्रतिबन्ध दिनांक 28.10.2014 तक लागू है। प्रतिबन्ध को हटाने हेतु वर्ष 2011 से अब तक जनप्रतिनिधियों द्वारा सहकारिता विभाग को लिखे गये पत्रों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सहकारिता राज्य मंत्री)

(5) अरबन बैंक की दिनांक 31.03.14 को देनदारी 83.80 करोड़ रुपये है। जिन पर बैंक द्वारा नियमानुसार ब्याज देय है। बैंक की जमा पूंजी 59.94 करोड़ रुपये है।

(6) वर्तमान में बैंक में प्रशासक नियुक्त है। बैंक के पूर्व संचालक मण्डल के अध्यक्ष श्री राजकुमार अरोड़ा के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 57(2) में न्यायालय उपरजिस्ट्रार सहकारी समितियां अजमेर में 2047.53 लाख रुपये एवं 7.15 लाख रुपये राशि के दो प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

(7) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 ऋणियों, न्यायालय सहकारिता मंत्री द्वारा 2 ऋणियों की नीलामी पर स्थगन आदेश जारी है। जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(8) जी हां। बैंक के अध्यक्ष श्री राजकुमार अरोड़ा के विरुद्ध गबन के 2 प्रकरण राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 57(2) में प्रक्रियाधीन है। जिनकी राशि 2047.53 लाख रुपये एवं 7.15 लाख रुपये कुल योग 2054.68 लाख रुपये है।

(9) उक्त बैंक में राज्य सरकार की भागीदारी नहीं है। खाताधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानानुसार राहत दिलाए जाने का प्रयास किया जायेगा।

(10) जी नहीं। उक्त बैंक में राज्य सरकार की भागीदारी नहीं है तथा खाताधारकों की जमाराशि निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारण्टी बीमा निगम लि. (डीआईसीजीसी) के द्वारा बीमित होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर जिले में नई पंचायतों का पुनर्गठन

210. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2009 से मई, 2014 तक नई ग्राम पंचायतों के गठन व पुनर्गठन के प्रस्ताव सरकार द्वारा मांगे गये हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले में नई ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कहां-कहां के? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबू सिंह)

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायतों के वार्ड/ग्राम पंचायतें/पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र/जिला परिषद् सदस्य क्षेत्र/पंचायत समिति व जिला परिषद् क्षेत्र का नवीन गठन अथवा पुनर्गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पंचायतों के पुनर्गठन के लिये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मरूस्थलीय क्षेत्रों हेतु सामान्य क्षेत्रों से आधी जनसंख्या का प्रावधान करने व पुनर्गठन नियमों में शिथिलता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वार्ड पंच, उप-सरपंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद् सदस्य, उप प्रधान, प्रधान, उप-प्रमुख व जिला प्रमुखों को वित्तीय स्वीकृति एवं उनके अधिकार बढ़ाने व पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास को और अधिक सशक्त बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय पत्र क्रमांक 2110 दिनांक 07.08.2009 के द्वारा सभी जिला कलक्टर्स से नई ग्राम पंचायतों के गठन व पुनर्गठन के प्रस्ताव मांगे गये थे। पत्र की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-क)

(2) जी नही।

(3) जी हां। पंचायत सस्थाओं के आम चुनाव से पूर्व ग्राम पंचायतों के वार्ड/ग्राम पंचायतें/पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र/जिला परिषद सदस्य क्षेत्र/पंचायत समिति व जिला परिषद क्षेत्र के पुनर्गठन पर विचार किया जावेगा।

(4) जी हां। मंत्रिमण्डल आज्ञा सख्या 39/2014 की पालना में दिनांक 04.03.2014 को गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा प्रस्तावित मानदण्डों के आधार पर पंचायतों को पुनर्गठन/पुर्नसीमांकन एवं नवसृजन के प्रस्ताव तैयार कर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-101 की कार्यवाही कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने हेतु सभी जिला कलक्टर को विभागीय पत्र क्रमांक 715 दिनांक 11.7.2014 के द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पंचायतों के पुनर्गठन हेतु शिथिलता प्रदान की गई है। जारी किये गये पत्र की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-ख)

(पंचायती राज मंत्री)

(5) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं राजस्थान पंचायती राज नियम में समुचित अधिकार प्रदत्त है ।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

फलौदी के भवनविहीन विद्यालय

211. श्री पब्बाराम (फलौदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भूमि उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है? उक्त में से कितने विद्यालय भूमि विहीन अथवा अपर्याप्त भवन अथवा किराये के भवन में संचालित हैं? उक्त विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता कब तक सुनिश्चित कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भूमि उपलब्धता की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न हैं। उक्त में से 37 राजकीय विद्यालय भूमि विहीन हैं तथा 4 राजकीय विद्यालय किराये के भवन में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 116 राजकीय विद्यालय ऐसे विद्यालय हैं जिनमें आर.टी.ई. के तहत अतिरिक्त कक्षा कक्ष की आवश्यकता होने के कारण अपर्याप्त भवन हैं।

उक्त विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में संचालित राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में मूलभूत सुविधा की उपलब्धता का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत विगत वर्षों में विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षाकक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय, पेयजल सुविधा व चारदीवारी निर्माण के कार्य सम्पादित कराये गये हैं। जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2014-15 अन्तर्गत जोधपुर जिले हेतु स्वीकृत कार्यों में से निम्न निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। विद्यालय भवन 6, बालिका शौचालय 3, अतिरिक्त कक्षाकक्ष 10, पानी टांका 1 आदि।

आर.टी.ई. मापदण्डानुसार शेष सुविधाएं सर्व शिक्षा अभियान की आगामी वर्षो की कार्ययोजनाओं में भारत सरकार से अनुमोदित होने वाले लक्ष्यों की सीमा में मार्च, 2018 तक उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों से ट्रान्सपोर्ट कार्य का हस्तान्तरण

212. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्व में एफ.सी.आई. डीपो से उचित मूल्य की दुकानों तक होल सेल ट्रान्सपोर्ट का कार्य क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किया जाता रहा है? यदि हां, तो अब निगम बनाकर ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य उन्हें स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। भारतीय खाद्य निगम से उचित मूल्य की दुकानों तक ट्रान्सपोर्टेशन का कार्य क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा किया जाता रहा है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

दिनांक 28.04.2011 को थोक विक्रेता नियुक्ति का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि. को दे दिया गया था, आदेश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। परन्तु आदेश दिनांक 27.09.2013 द्वारा थोक विक्रेता नियुक्ति का कार्य राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि. से खाद्य विभाग (मुख्यालय) ने वापस ले लिया है तथा राजस्थान राज्य खाद्य और आपूर्ति निगम लि., जयपुर को राज्य स्तरीय थोक विक्रेता रखा गया, आदेश की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लि. में ट्रासंपोर्टेशन का कार्य स्थानान्तरित करने का कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नियंत्रित वस्तुओं का समय पर उठाव एवं आपूर्ति की जाकर आबंटित मात्रा लैप्स होने से रोका जाना तथा मूल्य नियंत्रण में सहयोग किया जाना था, पत्र दिनांक 23.02.2010 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। वर्तमान में राज्यभर में केवल बारां जिले के लिए राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम थोक विक्रेता है, शेष सभी जिलों में नियुक्त 183 थोक विक्रेताओं में अधिकांश सहकारी समितियां हैं। सूची परिशिष्ट 4 पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

चौहटन के संबल योजना में अधिसूचित गांव

213. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति वर्ग के बाहुल्य वाले गांवों के लिये संचालित की गई संबल योजना में चौहटन विधान सभा क्षेत्र के कितने गांव अधिसूचित किये गये हैं?

(2) उक्त गांवों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिये इस योजना से कितना बजट जारी किया गया और उसकी वास्तविक उपादेयता क्या रही है?

(3) क्या जारी बजट से अनुसूचित जाति वर्ग ही लाभान्वित हो रहा है अथवा गांव के अन्य सार्वजनिक कार्यों पर इसका व्यय किया गया है?

(4) क्या यह सही है कि इस बजट से इन गांवों में अनुसूचित जाति बाहुल्य मौहल्लों में विकास कार्य नहीं करवा अन्यत्र कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी समीक्षा की है? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति वर्ग के बाहुल्य वाले गांवों के लिए संचालित की गई सम्बल योजना में बाड़मेर जिले की चौहटन विधान सभा क्षेत्र के वर्ष 2013-14 में बजट घोषणा संख्या 87 के क्रम में 22 गांव अधिसूचित किये गये हैं।

(2) उक्त 22 गांवों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए योजना में 110.00 लाख रुपये का बजट जारी किया गया। गांव की कुल जनसंख्या में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले इन संबल गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, विस्तार व निर्माण से योजना की उपादेयता रही।

(3) जी हां। योजनान्तर्गत जारी बजट से अनुसूचित जाति वर्ग लाभान्वित हो रहा है। अधिसूचित गांवों के अन्य सार्वजनिक कार्यों पर इसका व्यय नहीं किया गया है।

(4) वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 87 के क्रम में विधान सभा क्षेत्र चौहटन के लिए 9 कार्यों के लिए जारी वित्तीय स्वीकृति राशि 70.00 लाख रुपये एवं 125 कार्यों के लिए जारी प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में योजना एवं बजट घोषणा के विपरीत स्वीकृतियां जारी किये जाने के तथ्य विभाग के ध्यान में आने पर विभागीय समीक्षा के पश्चात जिला कलक्टर बाड़मेर को योजना एवं बजट घोषणा के विपरीत जारी स्वीकृतियों को निरस्त करने तथा पुन: प्रभावी समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं।

स्वीकृत कार्यों का परिशिष्ट-1 संलग्न है।

जिला कलक्टर बाड़मेर से समीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात परीक्षण कर सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि कर्जे माफ करने की पात्रता में शिकायतें

214. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में गत पांच वर्षों में किसानों के कृषि कर्जे माफ किये गये हैं? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में माफ किये गये कृषि कर्जों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार को कृषि कर्जे की प्रक्रिया व पात्रता सम्बन्धी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो शिकायतों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

(3) क्या सरकार कृषि कर्जा माफी में अनियमितता बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किनके विरुद्ध क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2008 में ऋण माफी/ऋण राहत योजना लागू की गई थी। राज्य के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 1.11 लाख किसानों को 294.89 करोड़ रुपये की ऋण माफी और 0.54 लाख किसानों को 97.44 करोड रुपये की ऋण राहत मिली। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों व ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 3.80 करोड किसानों को राशि 573.43 करोड़ रुपये की माफी व 2.84 लाख किसानों को 380.07 करोड़ रुपये की ऋण राहत मिली।

(2) कृषि कर्ज माफी की प्रक्रिया व पात्रता बाबत ऋण माफी/ऋण राहत योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवेदनाएं केन्द्रीय सहकारी बैकों के स्तर पर प्राप्त हुई हैं जिसका निष्पादन सम्बन्धित बैंकों द्वारा किया गया है। कैग की रिपोर्ट की अनुपालना में नाबार्ड द्वारा राज्य के 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैकों में ऋण माफी/ऋण राहत योजना 2008 के समस्त ऋण खातों की पुनर्सत्यापन कान्करेन्ट आडिटर/चार्टेड अकाउन्टेंट के माध्यम से करवाया गया। उक्त पुनर्सत्यापन में 611 प्रकरणों में 157.59 लाख रुपये अपात्र राशि प्राप्त करनी पायी गयी। जिसका भुगतान नाबार्ड के माध्यम से भारत सरकार को किया गया। इस पुनर्सत्यापन में 121 मामलों में 33.07 लाख रुपये का लाभ कम दिया जाना पाया गया व 3992 पात्र मामलों में राशि 689.71 लाख रुपये का लाभ नहीं दिया जाना पाया गया। केन्द्रीय सहकारी बैकों के पुनर्सत्यापन कार्य में 13299 मामलों में राशि 18.48 करोड़ रुपये अपात्र राशि प्राप्त करनी पायी गयी, जो भारत सरकार को नाबार्ड के माध्यम से लौटायी गयी। पुनर्सत्यापन में 267 कृषकों को पात्रता से 20.36 लाख रुपये का लाभ कम दिया जाना पाया गया व 2044 पात्र मामलों में 193.27 लाख रुपये का लाभ नहीं दिया जाना पाया गया।

(3) कृषि ऋण माफी/ऋण राहत योजना में अनियमितता बरतने वाले दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही और कार्यवाही की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

लालसोट में उचित मूल्य की संचालित दुकानें

234. **डा. किरोड़ी लाल** (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां संचालित हैं? दुकानदार के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ उचित मूल्य की दुकानों को एटेच भी किया हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008 से जून 2014 तक उचित मूल्य की दुकानों में गबन/अनियमितताओं की कुल कितनी शिकायतें पाई गईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी क्रय-विक्रय सहकारी समितियों/महिला सहकारी समितियों को FDS के लाइसेंस दे रखें हैं, जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं व उन पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में संचालित उचित मूल्य की दुकानों की सूची नाम सहित परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि लालसोट विधान सभा क्षेत्र की पांच उचित मूल्य दुकानों को एटैच किया हुआ है, जिनकी सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में वर्ष 2008 से जून, 2014 तक जिन -जिन उचित मूल्य की दुकानों में गबन/अनियमितताओं की शिकायतें पाई गईं, उनकी सूची एवं की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र लालसोट में जिन क्रय-विक्रय सहकारी समितियों/महिला सहकारी समितियों को पी.डी.एस. का लाईसेन्स दे रखा है, उनकी सूची परिशिष्ट-घ पर एवं जिनकी शिकायतें प्राप्त हुईं, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-ड पर संलग्न है।

(सूचियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत केरोसीन आबंटन

235. **श्री भवानी सिंह राजावत** (लाडपुरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री भवानी सिंह राजावत)

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिमाह कितना केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य को आबंटित किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा जिलों में केरोसीन आबंटन किस आधार पर कितना किया जा रहा है? माह अप्रैल, 2010 से जून, 2014 तक का माहवार/जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार द्वारा जिलेवार आबंटन के विरुद्ध तेल कम्पनियों द्वारा जिलेवार कितना केरोसीन विभिन्न कम्पनियों को वितरण हेतु जारी किया गया है? माह अप्रैल, 2010 से जून, 2014 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि थोक डीलरों को केरोसीन उठाव हेतु निकटतम टर्मिनल के होते हुये भी अन्य जिलों में अपनी कम्पनी के टर्मिनल पर केरोसीन लेने हेतु जाना पड़ता है? यदि हां, तो इस परिवहन की राशि का भार किसको उठाना पड़ रहा है?

(4) क्या सरकार केरोसीन परिवहन व्यवस्था में सुधार कर उपभोक्ता को अतिरिक्त भार से बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्तमान में द्वितीय त्रैमास (जुलाई-सितम्बर, 2014) हेतु 42396 के.एल. केरोसीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य को आबंटित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जिलों में निम्न आधार पर केरोसीन आबंटन किया जाता है :-

1. घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता को - शून्य

2. बिना गैस कनेक्शनधारी समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं एवं अपने निवास स्थान से दूर अध्ययनरत छात्रों को 03 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है।

माह अप्रैल, 2010 से जून, 2014 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त आबंटन के विरुद्ध जिलों को किये गये आबंटन का माहवार एवं जिलावार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जिलों को जितना केरोसीन आबंटन किया जाता है वह तीनों आयल कम्पनियों में HISTORICAL के आधार पर बांट दिया

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

जाता है। माह अप्रेल,2010 से जून,2014 तक के कम्पनीवार आबंटन की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। यह सही है कि थोक डीलरों को केरोसीन उठाव हेतु निकटतम टर्मिनल के होते हुए भी अन्य जिलों में अपनी कम्पनी के टर्मिनल/डिपो पर जब कभी कम्पनी के टर्मिनल/डिपो में केरोसीन खत्म हो जाता है और सप्लाई आने में देरी की संभावना होती है, केरोसीन लेने हेतु जाना पड़ता है। इस परिवहन की राशि का भार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(4) परिवहन व्यवस्था में अतिरिक्त परिवहन का भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ता है तथा केरोसीन परिवहन व्यवस्था में सुधार हेतु राज्य स्तरीय समन्वयक, राजस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार इण्डियन आयल कार्पोरेशन, मोहनपुरा, जयपुर में एक नया टर्मिनल वर्ष 2014 के अन्त तक आरम्भ करने जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संविदा पर कार्यरत प्रेरकों का नियमितीकरण

236. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार संविदा पर कार्यरत प्रेरकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। प्रेरकों को भारत सरकार द्वारा संचालित "साक्षर भारत कार्यक्रम" के अन्तर्गत मानदेय के आधार अनुबंध पर रखा जाता है। अत: इन्हें नियमित किये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

प्रश्न संख्या-237

(स्थगित)

अलवर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

238. श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर जिले में कुल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कहां-

(श्री जयराम जाटव)

कहां पर संचालित व किस-किस विद्यालय में कौनस-कौनसी संकाय संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर जिले में कुल 269 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयों एवं इनमें संचालित संकायों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में तकनीकी विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में अनियमितताएं

239. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु परीक्षार्थियों से 1000 रुपये की राशि ली जा रही है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उत्तर पुस्तिका के अवलोकन की समय सीमा केवल 10 मिनट ही निर्धारित है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि 1000 रुपये की भारी राशि लेकर केवल 10 मिनट का समय अवलोकन हेतु देना तार्किक है? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा 200 रुपये की फीस निर्धारित की गई है? यदि हां, तो अवलोकन हेतु 1000 रुपये की राशि क्यों?

(4) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा व्यवस्थाओं एवं प्रश्न पत्र तैयार करने में अनेकों खामियों, परीक्षा मूल्यांकन में असीमित अनियमितताएं और परीक्षा परिणाम में अत्यधिक विलम्ब होने के उपरान्त भी

(श्रीमती अनिता भदेल)

सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही कारित क्यों नहीं की गई? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि आर.टी.यू. के गलत परिणाम के कारण अजमेर इंजीनियरिंग कालेज बडल्या में अध्ययनरत छात्र सुजीत ने 17 फरवरी, 2012 को आत्महत्या कर ली थी? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त विश्वविद्यालय की समस्त कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मंडल द्वारा पारित प्रावधान के तहत परीक्षार्थियों से उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन हेतु 1000/- रुपये का शुल्क निर्धारित है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) सामान्यत: छात्र को अवलोकन हेतु 10 मिनट का समय प्रदान किया जाता है। इस प्रक्रिया में छात्र द्वारा अंक गणना व किसी प्रश्न की जांच न होने के बारे में ही आक्षेप प्राप्त किये जाते हैं, जिसके लिए यह समय पर्याप्त है। विशेष परिस्थितियों में छात्र के अनुसार अतिरिक्त समय भी दिया जाता है।

(3) जी नहीं। पुनर्मूल्यांकन के लिए रुपये 250.00 का शुल्क निर्धारित है। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। यह उत्तर पुस्तिका अवलोकन से सर्वथा पृथक् प्रक्रिया है।

(4) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित समय में परीक्षा परिणाम घोषित किये जा रहे हैं। इस वर्ष का परिणाम 20 जून, 2014 को मात्र 25 दिवस में घोषित किया गया है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्न पत्र/मूल्यांकन में अनियमितता पाये जाने पर परीक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

(5) प्रकरण में आदर्श नगर पुलिस थाना अजमेर द्वारा तफतीस में पाये गये तथ्य निम्नानुसार है:-

''छात्र सुजीत कुमार द्वारा परीक्षा में बैक के कारण फांसी का फंदा

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

लगाने से मृत्यु हुई उनकी मृत्यु में और कोई शक शुभा नहीं है।'' इसमें गलत परीक्षा परिणाम की कोई पुष्टि नही हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में कनिष्ठ अनुदेशकों का स्थायीकरण

240. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 24 कनिष्ठ अनुदेशकों (नान इंजीनियरिंग) के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों का वर्ष 1992 से 2013 तक सेवा वृद्धि की जा रही है, इनकी 22 वर्ष की सेवा होने के उपरान्त भी इन्हें अभी स्थायी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनकी वेतन वृद्धि की छठे वेतन आयोग के मुताबिक नहीं कर पांचवे वेतन आयोग के हिसाब से की जा रही है? यदि हां तो, इनको छठे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिए जाने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इनको अन्य राज्य कर्मियों के मुताबिक स्थायी करने के साथ छठे वेतन आयोग का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में तदर्थ आधार पर नियुक्त 24 कनिष्ठ अनुदेशकों (नान इंजीनियरिंग) की सेवा वृद्धि दिनांक 30.06.1999 तक की गई है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 8.7.2009 के तहत नियुक्ति के समय वांछित योग्यताएं पूर्ण नहीं करने के कारण स्थायी नहीं किया गया है।

(2) सेवाएं नियमित नहीं होने के कारण छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है।

(3) नियमों में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है।

मालपुरा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ

241. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा-टोडारायसिंह के

(श्री कन्हैया लाल)

प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को तथा विभिन्न श्रेणी की पेंशन की मासिक दर क्या है?

(2) वर्तमान में प्रत्येक पंचायत नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न पेंशन योजना में कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं व इनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

(3) सरकार द्वारा सभी पात्र वृद्ध, विधवा एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिलवाने एवं नये आवेदन प्राप्त करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

(4) क्या सभी लाभान्वित व्यक्तियों को पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितनी पेंशन राशि का भुगतान किया गया ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा टोडारायसिंह में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में वृद्धावस्था पेंशन के 25657, विधवा पेंशन के 4368 एवं विशेष योग्यजन पेंशन के 1940 पेंशनरों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पेंशन की मासिक दर निम्नानुसार है :

1. 75 वर्ष एवं अधिक आयु के सभी श्रेणियों के पेंशनरों को रुपये 750/- प्रतिमाह।
2. 75 वर्ष से कम आयु के सभी श्रेणियों के पेंशनरों को रुपये 500/- प्रतिमाह।
3. 8 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर को रुपये 250/- प्रतिमाह।

(2) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा टोडारायसिंह में वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्र में विभिन्न पेंशन योजनाओं में कोई आवेदन पत्र लम्बित नहीं है।

(3) पेंशन स्वीकृति सतत प्रक्रिया है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र का आवेदक, जिस तहसील/उप तहसील में निवास कर रहा है, उस तहसील/उप

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

तहसील के तहसीलदार/नायब तहसीलदार या विकास अधिकारी (पंचायत समिति) को तथा शहरी क्षेत्र का आवेदक सम्बन्धित नगर निकाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशासी अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। समय-समय पर विशेष शिविर आयोजित कर पेंशन आवेदन प्राप्त किये जाकर पेंशन स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मालपुरा टोडारायसिंह में सामान्यत: सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान मासिक आधार पर किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में पेंशन की विभिन्न श्रेणी यथा वृद्धावस्था, विधवा एवं विशेष योग्यजन (राष्ट्रीय एवं राज्य की मिलाकर) में लाभार्थियों को भुगतान की गई पेंशन राशि का माहवार एवं पंचायत/नगरपालिका वार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

घाटोल में विधवा महिलाओं की बालिका के विवाह हेतु देय आर्थिक सहायता

242. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में विधवा महिलाओं को अपनी लड़कियों का विवाह कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र घाटोल व पीपलखूंट पंचायत समिति में वर्ष 2008 से 2013 तक कितनी विधवा महिलाओं को अपनी लड़कियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान की गई व प्रत्येक महिला को कितनी-कितनी राशि दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करती है? यदि हां, तो उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र घाटोल की 71 ग्राम पंचायतों में किन-किन विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है? पंचायत वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर सहायता योजनान्तर्गत वर्ष 2008 से 2013 तक पंचायत समिति घाटोल में 34 विधवा महिलाओं को उनकी लड़कियों की शादी हेतु सहायता प्रदान की गई है। प्रत्येक महिला को दस-दस हजार रुपये की राशि दी गई है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री)

पंचायत समिति पीपलखूंट में वर्ष 2008 से लेकर 2013 तक 7 विधवा महिलाओं की लड़कियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। प्रत्येक महिला को दस-दस हजार रुपये की राशि दी गई है।

(2) जी हां। परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

घाटोल विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति घाटोल एवं पीपलखूंट में 2008 से 2013 तक विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह में सहायता दी गयी है सूची जिन्हें वर्ष 2008 से 2013 तक विधवा पुत्री विवाह में सहायता दी गयी है

क्र. सं.	नाम विधवा मय पति का नाम	ग्राम पंचायत	राशि
1	**2**	**3**	**4**
	वर्ष 2008-09		
1	नर्बदा/नाथू	सैनावास	10000
2	लाला/हिरजी	खैरवाड़ा	10000
3	राजूडी/दरीया	विरपूरा	10000
4	रकमा/देवीलाल	देवलीया शक्तावत	10000
5	पुष्पा कंवर/नारायण	नरवाली	10000
6	चम्पा/गम्भीरा भोई	मोटा गांव	10000
7	नानी/नगला अहारी	खेरीयापाड़ा	10000
8	हिरकी/देवाय यादव	चन्दुजी का गढ़ा	10000
9	नागरी/शंकरलाल	रूजीया	10000
10	समलु/गोतम	माही डैम	10000
11	धुली/हलिया	गनोड़ा	10000
12	रकमी/गौतम	बादला पाड़ा	10000
13	बबली/बाबुलाल	पिपलावाड़ा	10000

1	2	3	4
14	हंसकुवर/शंकरसिंह	करगचिया	10000
15	सन्तोष/जयन्ति	घाटोल	20000 दो पुत्रियों के विवाह में
16	रमणलाल/बदिया चरपोटा	गनोड़ा	10000
		वर्ष 2009-10	
1	अमरी/भेरिया	कान्जी का गढ़ा	10000
2	कुरी/हिम्मतलाल	हेगजी का खेड़ा	10000
3	गमीरा/बदजी	मंगला पाड़ा	10000
4	सन्ता/लक्ष्मण	भूगडा	10000
5	अन्तरी/कुशाला	बडलिया डागल	10000
6	देवली गजानन्द	रेलपाड़ा पीपलखूंट	10000
		वर्ष 2010-11	
1	इन्दर देवी कलाल/प्रभुलाल	घाटोल	10000
2	प्यारी/भाणजी	सागवेली पडोली	10000
3	भूरी/रूपेंग	कराणा लोहा घाटोल	10000
4	चन्द्रकान्ता/शंकर पंचाल	खमेरा	10000
5	दिपीका/कालु एस.सी.	गनाड़ा	10000
6	परता/जीवणा	कुवानिया	10000
		वर्ष 2011-12	
1	सुरज/चोखा जी बुनकर	देलवाड़ा	10000
2	मणि/हरजी	बोदलापाड़ा	10000
3	पारी/लोमेश	बडलिया घाटोल	10000

1	2	3	4
वर्ष 2012-13			
1	सविता/नारायण	गटिया बडलिया	10000
2	सुगणा/गुलाबजी एससी	सेनावासा घाटोल	10000
वर्ष 2013-14			
1	काउडी/रामेंग	लखेरिया कानजी का गढ़ा घाटोल	10000

पीपलखूंट पंचायत समिति

क्र. सं.	वर्ष	नाम लाभार्थी	राशि
1	2010-11	श्रीमती मीरा/श्री रकमा मीणा, मु. पावटीपाड़ा पो. पीपलखूंट	10000/-
2	2011-12	श्रीमती लाडडी/श्री मोहन निनामा	10000/-
		श्रीमती धुली/श्री वसीया भील, मु. उगमापाड़ा पो. पीपलखूंट	10000/-
3	2012-13	श्रीमती गंगा बाई मीणा/श्री वेलिया मीणा, मु. तेलया पो. कनाड तह. पीपलखूंट	10000/-
		श्रीमती नर्बदा/श्री मोहन मीणा, मु. खरवाडा ग्रा. प. पृथ्वीपुरा तह. पीपलखूंट	10000/-
		श्रीमती वेस्ती/श्री धरमा मीणा मु. पावटीपाड़ा पो. तह. पीपलखूंट	10000/-
4	2013-14	श्रीमती कान्ता बाई/श्री तोलिया मीणा, मु. सोवनिया तह. पीपलखूंट	10000/-

वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में कोई-कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: उक्त वर्षों की सूचना शून्य है।

सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
बांसवाड़ा (राज.)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रतिनियुक्त कार्मिक

243. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अन्य विभागों के कितने कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं? नामवार एवं विभागवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रतिनियुक्त कार्मिकों को वेतन विभाग से दिया जा रहा है तथा वह किस मद से दिया जा रहा है, ये यहां कितने समय से कार्यरत हैं और किस कार्य को कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विभाग में किन-किन जिलों में किस-किस कार्य के कार्मिकों की आवश्यकता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा नये पदों का सृजन किया गया अथवा रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये कोई प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग में संविदा आधार/ठेका आधारित पद्धति पर कार्मिक कार्यरत हैं? यदि हां, तो किस-किस कार्य हेतु किस-किस जिले में उन्हें रखा गया? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। विभाग के सभी जिलों में पद रिक्त हैं, सूची परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है। कार्यालय के कार्य हेतु टंकण कार्य/डाटा कार्य/निरीक्षण कार्य/लेखा सम्बन्धी कार्य/मोनोटरिंग आदि कार्य के सम्पादित करने के लिये राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कार्मिकों की आवश्यकता है।

(4) जी हां। विभाग में रिक्त पदों को भरे जाने हेतु सम्बन्धित विभाग (आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार विभाग निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें विभाग, निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार विभाग, कार्मिक विभाग एवं निदेशक, शिक्षा विभाग) को लिखा गया। (पत्रों की प्रति संलग्न है) परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(5) जी नही।

(सूचियां व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में मुख्य मंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से लाभान्वित काश्तकार

244. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में मुख्य मंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना कब प्रारम्भ की गई थी और इसके क्या उद्देश्य रखे गये थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में कितने काश्तकारों को कितना-कितना अनुदान दिया गया? वर्षवार/जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में किन-किन काश्तकारों को कितना-कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में मुख्य मंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना वर्ष 2012-13 की बजट घोषणा की अनुपालना में वर्ष 2012-13 में प्रारम्भ की गई, जिसको वर्ष 2013-14 हेतु निरन्तर रखा गया। इस योजना का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं से फसली ऋण प्राप्त करने वाले किसानों को ऋण का समय पर अथवा समय पूर्व चुकारा करने पर शून्य प्रतिशत पर ऋण उपलब्ध कराना था।

(2) उक्त योजना वर्ष 2011-12 में प्रभावी नहीं होने के कारण प्रावधान शून्य था। वर्ष 2012-13 में मूल प्रावधान 0.01 लाख और संशोधित प्रावधान 16250 लाख रखा गया। वर्ष 2013-14 में मूल प्रावधान 16798.61 लाख का रखा गया था जिसे संशोधित कर 26288 लाख किया गया।

(3) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में निम्नानुसार अनुदान दिया गया है।

(राशि रुपये में)

वर्ष	संख्या	राशि
2012-13	2887054	217,37,81,017.00
2013-14	2482234	230,83,29,140.00

(सहकारिता राज्य मंत्री)

वर्षवार बैंकवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में जिन काश्तकारों को योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया गया, की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीगंगानगर जिले में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण हेतु कार्य योजना

245. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर जिले में विभाग के माध्यम से शून्य प्रतिशत ब्याज पर कितने किसानों को ऋण उपलब्ध करवाया गया एवं कितने किसान इससे वंचित रहे एवं कितनी-कितनी राशि का वितरण किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सभी किसानों को समान रूप से ऋण उपलब्ध करवाया गया है? यदि नहीं, तो भविष्य में सभी किसानों को समान रूप से ऋण उपलब्ध करवाने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में श्रीगंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋण की राशि, ऋणी किसानों की संख्या एवं जिन किसानों को ऋण उपलब्ध नहीं हुआ, की सूची निम्नानुसार है:-

वर्ष	कृषक संख्या	वितरित ऋण राशि	ऋण प्राप्त नहीं हुआ उन किसानों की संख्या
2012-13	77320	852.90 करोड	15345
2013-14	82408	1152.34 करोड	18063

(2) बैंक द्वारा समय-समय पर बैंक मुख्यावास पर कैम्प आयोजित कर उपलब्ध फण्ड्स/लक्ष्य अनुसार ऋण वितरण किया गया है। जिसमें सभी किसानों को ऋण पात्रता के आधार पर ऋण दिया गया है। भविष्य में शीर्ष सहकारी बैंक जयपुर से लक्ष्य एवं फण्ड्स उपलब्ध होने पर समान रूप से ऋण उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भर्ती हेतु नियम

246. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कर्मचारियों के पदों के निर्धारण और भर्ती के कोई नियम हैं? यदि हां, तो समितियों द्वारा इन नियमों की पालना की जा रही है अथवा नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कर्मचारी की नियुक्ति एवं वेतन निर्धारण में समितियां स्वतंत्र हैं या किन्हीं निर्देशों की पालना की अपेक्षा रखती हैं? क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्पष्ट नियमों का निर्धारण कर एकरूपता लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पैक्स/लैम्पस चयन, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें 2008 (यथा संशोधित) से ग्राम सेवा सहकारी समितियों हेतु पदों के निर्धारण और भर्ती के नियम निर्धारित हैं। नियमित रूप से कर्मचारी नियुक्त करने हेतु ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इन नियमों की पालना की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम (संशोधित 2009) के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों को स्वायत्तता प्राप्त है। रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 39 के अन्तर्गत इन समितियों के कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें निर्धारित करने सम्बन्धी नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं तथा वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा एकरूपता के दृष्टिकोण से परिपत्र जारी किए गये हैं, जिसकी पालना किये जाने की समितियों से अपेक्षा की जाती है। वर्तमान नियम प्रदेश की सभी समितियों हेतु समान रूप से लागू है।

परिशिष्ट-1

क्र. सं.	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा जारी नियमों की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा पालना की जा रही है अथवा नहीं
1	2	3
1	अजमेर	पालना की जा रही है।
2	अलवर	पूर्णतया पालना नही की जा रही है।
3	बांसवाड़ा	पालना की जा रही है।
4	बारां	पालना की जा रही है।
5	बाड़मेर	पालना की जा रही है।
6	भरतपुर	पालना नहीं की जा रही है।
7	भीलवाड़ा	पालना नहीं की जा रही है।
8	बीकानेर	पालना की जा रही है।
9	बून्दी	आंशिक पालना की जा रही है।
10	चित्तौड़गढ़	पालना की जा रही है।
11	चूरू	पालना की जा रही है।
12	दौसा	पालना की जा रही है।
13	डूंगरपुर	पालना की जा रही है।
14	गंगानगर	आंशिक पालना की जा रही है।
15	हनुमानगढ़	पालना की जा रही है।
16	जयपुर	पालना की जा रही है।
17	जैसलमेर	पालना की जा रही है।
18	जालौर	पालना की जा रही है।
19	झालावाड़	पालना की जा रही है।
20	झुंझुनूं	पालना की जा रही है।

1	2	3
21	जोधपुर	पालना की जा रही है।
22	कोटा	पालना की जा रही है।
23	नागौर	पालना नहीं की जा रही है।
24	पाली	पालना की जा रही है।
25	सवाई माधोपुर	पालना की जा रही है।
26	सीकर	पालना की जा रही है।
27	सिरोही	पालना की जा रही है।
28	टोंक	पालना नहीं की जा रही है।
29	उदयपुर	पालना की जा रही है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. भीलवाड़ा के अन्तर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों का अंकेक्षण

247. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या सहकारिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा और उसके अन्तर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लैम्स इत्यादि में से कितनी समितियां अभी सक्रिय व कितनी निष्क्रिय हैं और कितनी अवसायन में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन बैंक एवं समितियों का आखिरी अंकेक्षण कब-कब कराया गया है? तिथि सहित समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन में आर्थिक अनियमितताओं, गबन, घोटालों के कितने अंकेक्षण पैरा सामने आये हैं और उनमें से कितनों का निस्तारण कर दिया गया है? बैंक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आखिरी अंकेक्षण से पूर्व की अंकेक्षण प्रतिवेदन में कितने अंकेक्षण पैरा बिना निस्तारण के अब तक चले आ रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, भीलवाड़ा और इसके अन्तर्गत

(सहकारिता राज्य मंत्री)
आने वाली कुल 356 ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लैम्पस में से 350 ग्राम सेवा सहकारी समितियां सक्रिय हैं एवं 6 ग्राम सेवा सहकारी समितियां अवसायन में है। निष्क्रिय ग्राम सेवा सहकारी समितियां "शून्य" हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बैंक एवं समितियों के आखिरी आडिट सम्बन्धी तारीख सहित समितिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) बैंक एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों की प्राप्त ऑडिट रिपोर्टस में आर्थिक अनियमितताओं, गबन, घोटालों का कोई आडिट पैरा नहीं है। इसलिये ऐसे आडिट पैराओं के निस्तारण की सूचना शून्य है। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) बैंक तथा समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आखिरी ऑडिट से पूर्व के वर्ष की ऑडिट रिपोर्टस के क्रमश: 126 तथा 2948 ऑडिट पैरा बिना निस्तारण के अब तक चले आ रहे हैं। बिना निस्तारण के अब तक चले आ रहे पैराओं की सोसायटीवार सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाड़मेर जिले में जनता जल योजना से पेयजल आपूर्ति

248. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा बाड़मेर में वर्तमान में जनता जल योजना के तहत कितने नलकूपों एवं ओपनवेलों से पेयजल आपूर्ति की जा रही है एवं कितने बन्द पडे हैं? ग्राम पंचायतवार मय योजना के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा जनता जल योजना के तहत संचालित अधिकांश नलकूप एवं ओपनवेल मोटर खराब होने, विद्युत बिल के भुगतान नहीं करने अथवा कार्यरत स्टाफ को वेतन नहीं देने के कारण बन्द हैं?

(3) क्या सरकार पेयजल की अति महत्वपूर्ण उक्त योजना के सुचारु संचालन एवं जनहित में वापस पंचायतों से जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के अधीन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बाडमेर में वर्तमान में जनता जल योजना अन्तर्गत पंचायत समिति बाड़मेर में 40 एवं सिणधरी में 2 कुल 42 नलकूप एवं ओपनवेल संचालित है। वर्तमान में उक्त समस्त योजनाएं चालू हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। जिला बाड़मेर में कुल 409 जनता जल योजनाएं संचालित है। जिनमें से वर्तमान में केवल 1 पंचायत समिति शिव की ग्राम पंचायत स्वामी का गांव की ओपनवेल के पाइप खराब होने से अस्थाई रूप से बन्द है। शेष 408 योजनाएं चालू हैं।

(3) जी नहीं। पेयजल की अति महत्वपूर्ण उक्त योजनाओं को सुचारु संचालन एवं जनहित में पंचायतों द्वारा ही संचालित की जावेगी।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय जिला परिषद बाड़मेर

जन. स्वा. अभि. विभाग खण्ड बाड़मेर में जनता जल योजना के तहत संचालित परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	नाम जनता जल योजना	ग्राम पंचायत का नाम	पंचायत समिति	वर्तमान में योजना चालू है या नहीं यदि नहीं तो विवरण देवें
1	2	3	4	5
1	AATI	AATI	Barmer	चालू
2	BALERA OW	BALERA	Barmer	चालू
3	RABA RIYONKA TALA	BARMER AGOR	Barmer	चालू
4	BOLA OLD OW	BOLA	Barmer	चालू
5	TIRSINGRI TUABVEL	BOLA	Barmer	चालू
6	BOLA TU ABVEL	BOLA	Barmer	चालू

1	2	3	4	5
7	BOOT	BOOTH JAITAMAL	Barmer	चालू
8	LUNU KHURD	CHULI	Barmer	चालू
9	SOKHARU	DUDABERI	Barmer	चालू
10	BANKANA	GARAL	Barmer	चालू
11	SUTHARO KI BASTI	GARAL	Barmer	चालू
12	JOGESHWAR KUA	GARAL	Barmer	चालू
13	GARAL OW II	GARAL	Barmer	चालू
14	BRHAMANO KA TALA	GARAL	Barmer	चालू
15	GARAL	GARAL	Barmer	चालू
16	SUTHARO KA KAUA	HATHITALA	Barmer	चालू
17	DUNGERO KA TALA	HATHITALA	Barmer	चालू
18	DEEPANIYON KI DHANI	HATHITALA	Barmer	चालू
19	JANDUO KI NADI I	HATHITALA	Barmer	चालू
20	CHANDANIYON KI DHANI	HATHITALA	Barmer	चालू
21	RAMDERIYA OW I	HATHITALA	Barmer	चालू
22	RAMDERIYA OW II	HATHITALA	Barmer	चालू
23	JANDUO KI NADI II	HATHITALA	Barmer	चालू
24	HATHITALA	HATHITALA	Barmer	चालू
25	ANDE KA TALA	JAKHADO KI DHANI	Barmer	चालू
26	FUSANIYON KA TALA	JAKHADO KI DHANI	Barmer	चालू
27	JAKHARO KI DHANI	JAKHADO KI DHANI	Barmer	चालू
28	SARANO KI DHANI	JAKHADO KI DHANI	Barmer	चालू

1	2	3	4	5
29	POSALIYA	JAKHADO KI DHANI	Barmer	चालू
30	JASAI	JASAI	Barmer	चालू
31	ASADA KI BERI	JASAI	Barmer	चालू
32	SANSIYO KA TALA	MAHABAR	Barmer	चालू
33	MARUDI	MARUDI	Barmer	चालू
34	CHOKHONIYON KI DHANI	NAND	Barmer	चालू
35	SHIV BHAKHARI	NAND	Barmer	चालू
36	JANIYAWAS	NAND	Barmer	चालू
37	KARNONI SARNO KI DHANI	SANAWARA	Barmer	चालू
38	SURA CHARNANA OW	SURA CHARNAN	Barmer	चालू
39	SURA JAGIR OW	SURA CHARNAN	Barmer	चालू
40	SAUYO KA TALA	UNDKHA	Barmer	चालू
41	Smo Ki Dhani	Kudasa	Sindhari	चालू
42	Jataneey Ki Dhani	Kudasa	Sindhari	चालू

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बाड़मेर

पीपलाज ग्राम पंचायत का अंकेक्षण सर्वे

249. श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत पीपलाज का वर्ष 2005 से 2010 तक अंकेक्षण सर्वे हुआ है और 2005 से 2010 के पंचायती दस्तावेज ग्राम पंचायत में उपलब्ध हैं या नहीं? यदि उपलब्ध हैं तो क्या ग्राम पंचायत में सूचना के अधिकार में 25000/- रुपये की पेनल्टी नहीं देने पर जुर्माना लगा है? यदि नहीं, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

ग्राम पंचायत पीपलाज की वर्ष 2005-06 की आडिट हो चुकी है। वर्ष

(पंचायती राज मंत्री)

2006 से 2010 तक की आडिट होना बकाया है। वर्ष 2005 से 2010 का रिकार्ड ग्राम पंचायत पीपलाज में ही उपलब्ध है। तत्कालीन ग्राम सेवक श्री माणकचन्द हिनोनिया से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना चाही गई, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने पर राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिकतम राशि रु. 25000/- का जुर्माना किया गया। जिसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम सेवक श्री हिनोनिया से की जाकर राज्य सूचना आयोग को दिनांक 13.03.2013 को जमा करवा दी गई है। तत्कालीन ग्राम सेवक श्री माणकचन्द हिनोनिया की दिनांक 10.07.2013 को मृत्यु हो चुकी है।

बारां जिले में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा

250. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में माह फरवरी, एवं मार्च, 2014 में ओलावृष्टि से कितने किसानों की कितनी फसलों का नुकसान हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा किसानों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मुआवजे का निर्धारण किस प्रकार किया गया? क्या यह किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने एवं नई फसल लगाने हेतु पर्याप्त हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार मुआवजे की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं नहीं, तो क्यों?

(4) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां में कितने किसानों को कितना-कितना नुकसान हुआ और कितना मुआवजा दिया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह फरवरी एवं मार्च, 2014 में ओलावृष्टि से 197489 किसानों की फसलों में 162322 हैक्टेयर में नुकसान हुआ। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) फसल खराबे से प्रभावित पात्र किसानों को कृषि आदान अनुदान के भुगतान हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ मानदण्डानुसार 10970.69 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसडीआरएफ मानदण्डानुसार कृषि आदान अनुदान का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर मानदण्डों की समीक्षा कर राशि में वृद्धि की जाती है। वर्ष 2013 में राशि में वृद्धि की गई है। मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां में 26600 किसानों का 26672 हैक्टे. में नुकसान हुआ और राशि रुपये 1339.15 लाख का कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया गया है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में खरीफ की फसलों के नुकसान हेतु अनुदान

251. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार प्रदेश में गत वर्ष किसानों की खरीफ फसलों को नुकसान होने के कारण कृषि अनुदान राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं कितना-कितना और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले के बिलाडा एवं पीपाड़शहर तहसील के ग्रामों में खरीफ फसलों का नुकसान होने के कारण किसानों को कृषि अनुदान राशि का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो कब-कब व कितनी राशि? एवं नहीं, तो क्यों? विवरण ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जोधपुर जिले के बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर तहसील में रबी की फसलों पर बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, शीतलहर के प्रभाव से नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितना प्रतिशत एवं नुकसान की भरपाई के लिए क्या सरकार उन काश्तकार सदस्यों को जिन्होंने अल्पकालीन ऋण ले रखा है, उनको कन्वर्जन करने का (रियायती जमा समयावधि बढाने) विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। एसडीआरएफ मानदण्डानुसार कृषि आदान अनुदान के भुगतान हेतु राशि का आबंटन किया जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। खरीफ फसल में खराबे से प्रभावित पात्र किसानों को

(आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री)

एसडीआरएफ मानदण्डों के अनुसार बिलाड़ा तहसील में 35884 कृषकों को राशि रुपये 16,90,18,745 का कृषि आदान अनुदान एवं तहसील पीपाड़ शहर में 37577 कृषकों को राशि रुपये 15,17,98,715 का कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया गया है। ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। पीपाड़ शहर के दो गांवों कोसाणा एवं साथिन के 574 किसानों का 302 हेक्टे. में 50 से 74 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। अल्पकालीन ऋण को कन्वर्जन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई के अकालग्रस्त घोषित ग्राम

252. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2009 से 2013 तक किन-किन गांवों को अभावग्रस्त/अकालग्रस्त घोषित किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गांवों में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के कहां-कहां कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण रहे तथा अब कब तक अपूर्ण कार्य पूर्ण कर दिए जायेंगे?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्ष 2009 से 2013 तक अभावग्रस्त/अकालग्रस्त घोषित गांवों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त गांवों में कहां-कहां कितनी-कितनी राशि के कार्य कराये गये विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों में लिपिकों के रिक्त पद

253. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों एवं ग्रामीण विकास अभिकरणों में बड़ी संख्या में लिपिकों का अभाव है? यदि हां, तो क्यों एवं नहीं, तो जिलेवार पंचायतों, पंचायत समितियों जिला परिषदों एवं ग्रामीण विकास अभिकरणों में स्वीकृत रिक्त व कार्यरत लिपिकों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विगत 10 वर्षों से जिला परिषदों एवं ग्रामीण विकास अभिकरणों में स्वीकृत पदों की संख्या में योजनाओं, कार्यों एवं बढ़ते भार के बावजूद भी वृद्धि नहीं की गई है? क्या सरकार जिला परिषदों एवं ग्रामीण विकास अभिकरणों, पंचायत समितियों, इत्यादि में स्वीकृत पदों की संख्या को पूनर्मूल्यांकित कर नवीन सिरे से कार्यभार के अनुसार पद सृजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्ववती सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर नियमित पदों को भी अस्थायी एवं संविदा कर्मचारियों से ही भरा है? क्या सरकार नियमित पदों पर स्थायी नियुक्ति करने हेतु भर्ती की कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में बोनस अंकों के विवाद के प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसके कारण कनिष्ठ लिपिक भर्ती लम्बित है । मा. उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही कनिष्ठ लिपिक भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की जा कर पद भरे जा सकेंगे।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-2013 में जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल संचालन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मनरेगा योजना में निम्न पद सृजित किये गये हैं-

1. सहायक कार्यक्रम अधिकारी 249
2. कनिष्ठ अभियन्ता 2061
3. समन्वयक 148
4. अकाउन्ट असिस्टेंट 1870

(पंचायती राज मंत्री)

5. कम्प्यूटर अनुदेशक 459

6. कनिष्ठ लिपिक 21748

7. सहायक कर्मचारी 498

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा मनरेगा योजना में जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों में स्वीक़त पदों के विरुद्ध भर्ती की प्रक्रिया आरम्भ की गई थी परन्तु बोनस अंकों के विवाद के कारण प्रकरण मा. उच्चतम न्यायालय में विचारधीन होने के कारण रूकी हुई है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय उपरांत नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

श्रीमाधोपुर में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

254. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में कौन-कौनसी केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में कौन-कौन से कार्य संचालित किये जा रहे हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनान्तर्गत गत 5 वर्षों में केन्द्र से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उसमें प्रदेश का कितना हिस्सा था तथा उनमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं निम्नानुसार हैं :-

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

3. इन्टीग्रेटेड वाटरशैड मैनेजमैन्ट प्रोग्राम

4. इंदिरा आवास योजना

(2) विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में संचालित योजनावार कार्यों की सूची परिशिष्ट-1. पर संलग्न है।

(3) विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में गत 5 वर्षो में केन्द्र से प्राप्त राशि एवं व्यय राशि का योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :-

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	योजना	प्राप्त राशि	व्यय राशि	प्राप्त राशि का केन्द्रीयांश	प्राप्त राशि का राज्यांश
1	महानरेगा	3344.37	2300.46	3009.93	334.44
2	एमपीएलएडी	188.81	155.40	188.81	0.00
3	इंदिरा आवास योजना	500.30	481.85	375.22	125.07
4	आईडब्ल्यूएमपी	448.41	475.81	403.57	44.84
	योग	**4481.89**	**3413.52**	**3977.53**	**504.35**

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नैनवां पंचायत समिति (बूंदी) में स्वीकृत कार्य

255. श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नैनवां, जिला-बूंदी में वर्तमान में दिनांक 30 जून, 2014 को प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुल कितने स्वीकृत कार्य संचालित हैं? प्रत्येक कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रत्येक पंचायत में अधूरे रहे बंद कार्यों के कार्य का नाम, स्वीकृति दिनांक, स्वीकृत राशि एवं व्यय की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति नैनवां, जिला बून्दी में वर्तमान में दिनांक 30 जून, 2014 को ग्रामीण विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं में कुल 119 कार्य चल रहे हैं। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) पंचायतों में अधूरे रहे बंद 7 कार्यों की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण व सूचना पुस्तकालय में रखे गये)

उपखण्ड मुख्यालय बायतू (बाड़मेर) में राजकीय महाविद्यालय

256. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कैलाश चौधरी)

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड मुख्यालय बायतू में राजकीय महाविद्यालय नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां के विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए दूर जाना पड़ता है और छात्राओं को महाविद्यालय के अभाव में अध्ययन बीच में ही छोड़ने को मजबूर होना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र के निर्धन विद्यार्थियों हेतु उच्च अध्ययन के लिए उपखण्ड मुख्यालय बायतू में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) बजट घोषणा वर्ष 2014-15 में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्य के बायतू जिला बाड़मेर में नया महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। बायतू में महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बहरोड़ (अलवर) में संचालित स्नातकोत्तर महाविद्यालय

257. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ (अलवर) में कितने निजी स्नातक व स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समस्त महाविद्यालय यू.जी.सी. के मानदण्डों के अनुरूप हैं? यदि हां, तो उक्त महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं के नाम, पते एवं शैक्षणिक योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त में से कतिपय महाविद्यालयों में बी.एड. एवं एस.टी.सी. की कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं? यदि हां, तो क्या यह यू.जी.सी. के मानदण्डों के अनुरूप हैं? यदि नहीं, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ (अलवर) में निजी क्षेत्र में 14 स्नातक एवं 2 स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित हैं। नामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी निजी महाविद्यालय की पालिसी गाइड लाइन के अनुसार उक्त महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाते

(उच्च शिक्षा मंत्री)

हैं, उसके उपरान्त महाविद्यालय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा ही इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। उक्त महाविद्यालयों में कार्यरत व्याख्याताओं के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। निरीक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उक्त महाविद्यालयों में बी.एड. एवं एस.टी.सी. कक्षाएं संचालित नहीं की जाती है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में पीएच.डी. की उपाधि

258. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) व **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह अप्रैल, 2014 में जगदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में एक छात्रा को उसके द्वारा थीसिस जमा कराने के दस दिन के भीतर ही पीएच.डी. की उपाधि दी गई है? यदि हां, तो किस छात्रा को किसके द्वारा एवं किन आधारों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने के लिए क्या निर्धारित प्रक्रिया है एवं सामान्य एक शोधार्थी के थीसिस प्रस्तुत करने पर कितनी समयावधि उसकी जांच कर निर्णय लेने में निकल जाती है?

(3) उक्त विश्वविद्यालय द्वारा अब तक कितने शोधार्थियों को पीएच.डी. उपाधि प्रदत्त की गई है एवं उनमें से किन-किन के द्वारा प्रस्तुत थीसिस की विशेषज्ञों से जांच करवाकर एक माह के भीतर पीएच.डी. उपाधि दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में उक्त विश्वविद्यालय में किन-किन शोधार्थियों की थीसिस कब से प्रक्रियाधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उपरोक्त गम्भीर प्रकरण में दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। विश्वविद्यालय की शोध छात्रा, प्रियंका भारती को उसके द्वारा थीसिस जमा कराने के दस दिन के अन्दर विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी. की उपाधि प्रदान की गई है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

छात्रा प्रियंका भारती द्वारा दिनांक 16.04.2014 को शोध प्रबन्ध, शोध सार एवं सी.डी. जमा करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। दिनांक 21.04.2014 को कुलपति द्वारा दो बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति की गई। दिनांक 22.04.2014 को शोध प्रबन्ध, शोध सार एवं सी.डी. परीक्षकों/शोध निर्देशक को प्रेषित किये गये। दिनांक 24.04.2014 को बाह्य परीक्षक द्वारा कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिनांक 26.04.2014 को मौखिक परीक्षा (Viva) हुई व छात्रा को डिग्री प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

विश्वविद्यालय के शोध नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पीएच.डी. की उपाधि प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय के शोध नियम बने हुए हैं जिसके अन्तर्गत सामान्य शोधार्थी को पंजीयन तिथि से 24 माह से पूर्व तथा एम.फिल. (संस्कृत) अथवा तत्समकक्ष संस्कृत परीक्षा उत्तीर्ण शोधार्थी को 18 माह से पूर्व शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। दो वर्ष उपरान्त थीसिस प्रस्तुत किये जाने के बाद इसे जांच हेतु विशेषज्ञों के पास भेजा जाता है जो दो माह के भीतर कभी भी अपनी परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुलपति द्वारा मनोनीत परीक्षकों द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाती है व इसके उपरान्त प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा अब तक 96 शोधार्थियों को पी.एचडी. उपाधि प्रदान की गई है। इनमें से केवल एक शोधार्थी, प्रियंका भारती को ही एक माह में उपाधि प्रदान की गई है।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा कुल 17 शोधार्थियों की थीसिस प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(5) विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि हेतु निर्धारित नियम में थीसिस जमा कराने के उपरान्त विशेषज्ञों द्वारा अधिकतम दो माह की अवधि में परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान है। शोधार्थी प्रियंका भारती के प्रकरण में पीएच.डी. उपाधि विश्वविद्यालय के शोध नियमों के अन्तर्गत ही प्रदान की गई है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटपूतली में मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यों पर व्यय राशि

259. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक में मनरेगा योजनान्तर्गत कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के करवाये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में मनरेगा योजनान्तर्गत चालीस प्रतिशत मैटेरियल कम्पोनेंट एवं साठ प्रतिशत लेबर कम्पोनेंट के तहत कितनी धनराशि व्यय की गयी एवं इससे कौन-कौन से कार्य करवाये गये तथा कितनी राशि का मैटेरियल काम में लिया गया? वर्षवार एवं कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों एवं उन पर व्यय की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त अवधि में कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार है। इस अवधि के दौरान कार्यवार श्रम एवं सामग्री पर किये गये व्यय का विवरण भी परिशिष्ट-1 पर वर्णित है। वर्ष 2011-12 में श्रम मद में 136.29 लाख एवं सामग्री मद में 162.13 लाख, 2012-13 में श्रम मद में 110.29 लाख एवं सामग्री मद में 199.38 लाख तथा वर्ष 2013-14 में श्रम मद में 85.65 लाख तथा सामग्री मद में 11.34 लाख का व्यय किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनरेगा योजनान्तर्गत महिलाओं को रोजगार हेतु विशेष प्रावधान

260. श्री हीरालाल नागर (सांगोद) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा मनरेगा के अन्तर्गत महिलाओं को रोजगार देने के लिए कोई विशेष प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2009 से 2014 तक कितनी-कितनी राशि किन-किन योजनाओं पर आबंटित की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नरेगा के अन्तर्गत वर्षवार आबंटित राशि एवं किये गये व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(4) क्या यह सही है कि कराये गये कार्यों में 60:40 के अनुपात का पालन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार मस्टररोल में दर्शाये गये सभी बिन्दुओं का स्थलीय भौतिक परीक्षण करवाने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या जाब कार्ड की मांग के आधार पर ही राशि का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो वह जाब कार्ड धारक किन-किन ग्राम पंचायतों के हैं तथा जिन जाब कार्डधारकों से कार्य करवाया गया है क्या उन्हें नियमित भुगतान किया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? क्या सरकार भौतिक सत्यापन करवाकर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के बिन्दु संख्या 15 में प्रावधान है कि "महिलाओं को इस तरह प्राथमिकता दी जायेगी कि कम से कम एक तिहाई फायदा प्राप्त करने वालों में ऐसी महिलाएं होंगी, जो रजिस्ट्रीकृत हैं और कार्य के लिए जिन्होंने अनुरोध किया है। एकल महिला और नि:शक्त व्यक्ति की भागीदारी को बढावा देने के लिए प्रयास किये जायेंगे।

तत्सम्बन्धी प्रावधान परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत, रोजगार गारंटी योजना, अमृता देवी विश्नोई देवी योजना, बारां जिले की सहरिया एवं खैरूआ तथा उदयपुर जिले की कथौडी जनजाति परिवारों को 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने, वर्ष 2013-14 में 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार दिये जाने, 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन राशि दिये जाने तथा परिसम्पति निर्माण निधि हेतु राशि का आबंटन किया गया है। वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक योजनान्तर्गत सी.ए. रिपोर्ट/एमआईएस के अनुसार आबंटन का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2008-09 से 2013-14 तक आबंटित धन का विवरण परिशिष्ट-2 पर एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के बिन्दु संख्या 20 में प्रावधान है कि "ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये सभी कार्य के लिए कुशल और अर्द्धकुशल कर्मकारों के पारिश्रमिक सहित भौतिक घटकों की लागत

(ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री)

40 प्रतिशत से अधिक नही होगी। ग्राम पंचायत से भिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा किये गये काम के लिए, ब्लाक या मध्यवर्ती स्तर पर कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों के पारिश्रमिक सहित समस्त भौतिक घटक 40 प्रतिशत से अधिक नही होगी"। अत: योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों में प्रत्येक कार्य पर व्यय का अनुपात 60:40 रखा जाना अनिवार्य नहीं है।

अधिनियम के उक्त प्रावधानों के अनुरूप मस्टररोल में दर्शाये गये सभी बिन्दुओं का स्थलीय भौतिक परीक्षण करवाने की आवश्यकता नहीं है।

(5) जी नहीं। योजनान्तर्गत धन का आबंटन जाबकार्ड के अनुरूप नहीं होकर रोजगार की मांग के अनुरूप किया जाता है। जाबकार्डधारक राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित है। जिन जाबकार्डधारकों ने योजनान्तर्गत कार्य किया है, को यथा सम्भव नियमित भुगतान किया गया है। कुछ प्रकरणों में भुगतान में विलम्ब भी हुआ है। विलम्बित भुगतान का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

सभी प्रकरणों का भौतिक सत्यापन व्यवहारिक नही होने के कारण, कराया जाना विचारणीय नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा जिले में कार्यरत मनरेगा श्रमिकों को भुगतान

261. श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास [रोजगार गारंटी योजना] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2012-13 व 2013-14 में कुल कितने श्रमिक मनरेगा में कार्यरत रहे? तहसील व ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मनरेगा श्रमिकों को कार्य के बदले कितने समय में भुगतान का प्रावधान है?

(3) उक्त मनरेगा में जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2012-13 व 2013-14 में सभी श्रमिकों को तय समय में भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2012-13 व 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत रहे श्रमिकों की पंचायतवार, तहसीलवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत श्रमिकों को कार्य के पखवाडा समाप्ति के पश्चात 15 दिवस में भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं होने के मुख्य रूप से निम्न कारण रहे हैं :-

1. तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण समय पर माप नही होना,
2. पंचायत समिति स्तर पर इन्टरनेट की स्पीड कम होने, सर्वर की स्पीड कम होने के कारण एमआईएस पर फीडिंग में विलम्ब होना,
3. नरेगा साफ्ट में तकनीकी समस्या के कारण एमआईएस फीडिंग में विलम्ब,
4. कार्य पर विवाद होने, शिकायत होने आदि के कारण जांच आदि के कारण विलम्ब,

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के विवादित एवं जांच प्रकरणों को छोड़ते हुए समस्त भुगतान किये जा चुके हैं।

(4) भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए सरकार द्वारा विलम्बित भुगतान की स्थिति में श्रमिक को मुआवजा दिलाये जाने का प्रावधान किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है एवं यह प्रावधान सरकार के विचाराधीन है कि विलम्बित भुगतान हेतु देय मुआवजे की राशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से ही वसूल की जावे। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 25 के तहत कार्यवाही करते हुए रु. 1000/- तक की शास्ति भी लगायी जाकर वसूल की गयी है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

(स्थगित प्रश्न)

(दिनांक 16 जुलाई, 2014)

मिड-डे मील के अन्तर्गत संविदाकर्मियों को देय सुविधाएं

43. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने मिड-डे मील योजनान्तर्गत संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रखी है? यदि हां, तो इन कर्मचारियों को कितना मानदेय/भत्ता दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों को अवकाश चिकित्सा व अन्य सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार लम्बे समय से कार्यरत कार्यकर्ताओं को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत संविदा पर किसी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-194 की प्रति)

परिशिष्ट-अ

राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम-2012

नियम 4. छात्रावास की स्थापना के लिये प्रतिमान :

1. छात्रावास कक्षा 6 से 10+2 व स्नातक/स्नातकोत्तर (अकादमिक/व्यवसायिक) पाठ्यक्रमों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के प्रयोजनार्थ ही स्थापित किये जा सकेंगे।
2. विद्यालय स्तर के नवीन छात्रावास कम से कम 50 की क्षमता के होंगे तथा महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास 75 की क्षमता के होंगे। किन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार द्वारा 75 से कम क्षमता के महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास स्थापित किए जा सकेंगे।
3. छात्रावास खोले जाने का प्रस्ताव जिला अधिकारी के माध्यम से निदेशक/आयुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा तथा उनके माध्यम से परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
4. तहसील/पंचायत समिति मुख्यालय से नीचे के स्तर पर कोई छात्रावास नहीं खोला जायेगा। उसके पश्चात् 20,000 की जनसंख्या तथा ऐसे मुख्यालय जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित हों, पर छात्रावास स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त ऐसी ग्राम पंचायत मुख्यालय जिसके आसपास कम से कम 5 माध्यमिक स्तर के विद्यालय हों, पर भी छात्रावास की आवश्यकतानुसार स्थापना की जा सकेगी।
5. नवीन छात्रावास के खोले जाने के प्रस्ताव कभी भी प्राप्त किये जा सकते हैं परन्तु इन प्रस्तावों के स्वीकृत होने पर स्वीकृति की तिथि के पश्चात् आने वाले जुलाई माह से ही छात्रावास को प्रारम्भ किया जा सकेगा। नवीन छात्रावास भवन का संचालन राजकीय भवन निर्माण के उपरांत ही किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार की सहमति के उपरांत किराये के भवन में अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए किराये के उपयुक्त भवन में केवल विद्यालय स्तरीय छात्रावास ही संचालित किये जा सकेंगे।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के किसानों को अपने क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

2. विधान सभा क्षेत्र भीम में सिंचाई हेतु गोपाल सागर, भीम बांध, कुकड़ा, तखतरेल, बरार बांध, नीमगढ़ बांध एवं अन्य सभी बांधों के नहरों की मरम्मत कराई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

3. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में तालाबों एवं बांधों का सुदृढ़ीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कड़ाणा बैंक वाटर से लिफ्ट लगाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में नये बांधों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अमरपुरा बांध में लिफ्ट द्वारा पास की पंचायतों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

7. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के "जवाई बांध पुनर्भरण योजना" को शीघ्र पूरा करवाकर, सिंचाई सुविधा बढ़वाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी) :

8. बूंदी पंचायत समिति के लतारिया (गरड़दा) बांध का पुन: निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला) :

9. बी.डी. एवं के.जे.डी. नहरों का पुन: सर्वे करवाकर बेड लेवल ठीक करवाकर अंतिम छोर पर पानी पहुंचानेके सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की सभी नहरों की मरम्मत एवं डिसिल्टिंग का कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की अनूपगढ़ शाखा के टेल की नहरों (के.जे.डी. एवं बी.डी., के.वाई.डी.) पर सिंचाई व पेयजल का पूरा पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रमेश (सपोटरा) :

12. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में डांग क्षेत्र में एनीकट बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में खोह सिंचाई परियोजना का कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा के कालीसिंध बांध की नहरों की लाइन के कार्य में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

15. ग्राम पंचायत गुरदह पंचायत समिति सपोटरा में नई एम.आई.पी. लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. करणपुर-दोहरी लघु सिंचाई परियोजना में C.W.C. के आक्षेपों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

17. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये एनिकटों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम खिरजां तिबना से बोलनाडी तक नदी तट बंधाई कार्य स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह (ब्यावर) :

19. राजस्थान में गंगा एवं जमुना नदी का पानी राजस्थान के अजमेर जिले में लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

20. चित्तौड़गढ़ में संगम महादेव स्थल पर मिनी बांध का निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

21. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर का अधूरा कार्य पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

22. विधान सभा क्षेत्र सोजत में पूर्व की तरह सिंचाई हेतु पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. सरदार समंद बांध की लीज पर दी गई भूमि पर व नयागांव बांध के कमाण्ड एरिया में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

24. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में टेलों पर पानी निर्धारित मात्रा से काफी कम पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

25. विधान सभा क्षेत्र गंगापुर के गंगापुर सिटी में लघु सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

26. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में होकर गुजरने वाली लूणी नदी, जोजरी नदी, मिठड़ी नदी, चौपड़ा फीडर की नदियों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बांधों से निकलने वाली जीर्णशीर्ण नहरों की मरम्मत नहीं होने से किसानों को खेतों में नहरी पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

28. बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध से निकलने वाली नहरों पर बनी पुलियाओं के टूटने से ग्रामीण मार्गों पर आवागमन ठप हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. बिलाड़ा में जसवंत सागर बांध के पेटे में खुदे हुए ट्यूबवैल एवं ओपन वैल को उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद ढकने का कार्य विभाग द्वारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. लूणी नदी के उदगम स्थल आनासागर (अजमेर) से जसवंत सागर बांध बिलाड़ा तक लूणी नदी के पेटे में बने ट्यूबवैल/ओपनवेल/एनिकटों/तालाबों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बन्द नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

31. अन्तरराज्यीय जल समझौतों के अनुसार राज्य के हिस्से का पर्याप्त पानी लेने हेतु प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. राज्य की नदियों एवं बड़े बांधों को आपस में जोड़ने के लिए वृहत योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

33. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्रामों में एनिकट एवं बांध बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

34. प्रदेश की नदियों को जोड़ने और पुनर्जीवित करने की योजना में जोधपुर की जोजरी और लूणी नदी को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में सिंचाई की प्रचलित पद्धतियों को आधुनिक जलसंरक्षण की सिंचाई पद्धतियों से प्रतिस्थापित करने हेतु विशेष त्वरित एवं ठोस प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. पड़ोसी राज्यों के साथ हुए विभिन्न समझौतों के अनुरूप प्रदेश की हिस्सेदारी के जल में कटौती के प्रकरणों पर प्रदेश सरकार की ओर से ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. प्रदेश के नहरी सिंचित क्षेत्रों की जल रिसाव के वाटर लोगिंग, सफाई आदि समस्याओं के निदान हेतु क्रमिक रूप से नहरों के ओपन फ्लो को पाइप लाइन से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश के नदी, नालों, नहरों, तालाबों, बांधों एवं एनिकट्स की सुरक्षा, केचमेंट एरिया से अतिक्रमण स्थाई रूप से हटाने और नियमित एवं समुचित रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

39. विधान सभा क्षेत्र निवाई की सीमा के नजदीक निर्माणाधीन ईसरदा बांध का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र निवाई में शहोदरा बांध से सर्वेशुदा नई नहर निकलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश वर्मा (बगरू) :

41. विधान सभा क्षेत्र बगरू के रामचन्द्रपुरा बांध की मोरी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

42. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के बड़े-बड़े तालाबों को पक्का करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा के समय पहाड़ों से व्यर्थ बहने

वाले पानी के संरक्षण के लिए छोटे-छोटे चेक डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) :

45. चम्बल कमांड क्षेत्र का सिंचित रकबा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

46. विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) को प्रथम चरण में ही इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को पेयजल से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

47. विधान सभा क्षेत्र बेगूं में चम्बल से पानी लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) :

48. विभाग के बांधों को ग्राम पंचायतों को सुपुर्द करने से बांधों की स्थिति खराब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

49. कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना को खण्डेला क्षेत्र तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

50. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम को चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के टोडाभीम एवं नादौती में सिंचाई विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के समस्त बांधों को सिंचाई विभाग के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में गम्भीर नदी में सिद्ध की डूंगरी पर एनिकट एवं भोपर गांव के पास वाले दोनों एनिकटों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में आने वाले बांधों की नहरों की सफाई एवं मरम्मत कार्य कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

55. बनास नदी पर निर्मित एनिकट राशमी व गेगपुरा को एनिकट-कम-काजवे बनाने की स्वीकृति एवं मोरपगा (सिंहाना) बनास नदी के अपूर्ण एनिकट को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र कपासन में मातृकूण्डिया बांध से डिण्डोली फीडर के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सिंहपुर तालाब व विरोली तालाब की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र कपासन में सोमी, डिण्डोली, भूपालसागर,धमाणा, कपासन बांध, सांवरिया सरोवर, गणेशपुरा तालाब एवं नहरों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

59. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित लिफ्ट कैनाल के साथ-साथ बनी सड़कों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की जम्भेश्वर लिफ्ट केनाल के पम्पींग स्टेशन 4 से 7 की विद्युत लाइनों को पुन: लगाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

61. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पीने के पानी से वंचित भूमि पर खेती करने वाले किसानों को कुओं की स्वीकृति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में अधूरी पड़ी माही नहरों का सर्वे कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र घाटोल की जर्जर (दायीं) मुख्य नहर एवं छोटी माही नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) :

64. जालौर, सिरोही एवं बाड़मेर में माही नदी का पानी लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

65. विधान सभा क्षेत्र धोद में पानी का जलस्तर लगातार गिरने से कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना को धोद तक लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

66. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जाखम बांध से आस-पास के गांवों को पीने के पानी के लिए पानी की लाइन को जोड़ने के लिए सर्वे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के वाघन बांध के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के वाघन बांध की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. जाखम बांध का पानी सिंचाई के लिए लिफ्ट योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन) :

70. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के गांवों को सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए माइनरों को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की चाखन सिंचाई योजना में नहरों को पक्का करवाकर परियोजना को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की बायीं मुख्य नहर का कमाण्ड एरिया उतराना, गेंडोली और फोलाई पंचायतों के गांव तक सिंचाई की दृष्टि से लागू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में मेज नदी पर खटकड़ (बूंदी) से लाखेरी तक एनिकट बनाकर जलस्तर को ऊंचा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

74. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में माढणां एवं मंगलपुर गांव के पास बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खूदरोठ गांव के पास एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम शिवदानसिंहपुरा के पास एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खापरीया गांव में एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. बहरोड़ तहसील डार्कजोन घोषित होने से चम्बल का पानी बहरोड़ में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

79. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में जैसलमेर जिले के अन्तिम छोर के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

80. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

81. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की सभी क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत व नहरों से अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

82. भदेसर के कन्नौज में गंगारिया तालाब के पानी को कन्नोज तालाब पर लाने व भराव क्षमता बढ़ाने एवं जीर्णोद्धार कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. भदेसर के ऐतिहासिक हमेर सागर तालाब का शिकार बाड़ी का जीर्णोद्धार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

कु. जगत सिंह (कामां) :

84. गुडगांवा नहर हेतु बजट राशि स्वीकृत कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

85. विधान सभा क्षेत्र लूणी में बहने वाली जोजरी नदी पर पुलिया बनाने एवं इसमें बहने वाले गन्दे पानी को पर्यावरण सुरक्षा हेतु रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए फव्वारा पद्धति को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. इन्दिरा गांधी नहर की सुरक्षा व उसमें बहने वाले पानी की चोरी को रोकने हेतु माकूल व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र लूणी के विभिन्न क्षेत्रों के गांवों में बरसाती पानी को रोकने हेतु एनिकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

89. विधान सभा क्षेत्र आहौर के 22 ग्रामों को जवाई नहर से कृषकों को नहरी पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

90. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी की सैपऊ माइनर को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

91. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान के हिस्से में मरम्मत तथा साफ-सफाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नोहर फीडर, अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख परियोजना का डी-सिल्टिंग तथा मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र नोहर में सिंचाई सुविधा से वंचित गांवों को सिंचाई से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से निकलने वाली साहवा परियोजना में अधूरी पड़ी सुई ब्रांच का निर्माण कार्य पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. हनुमानगढ़ जिले के रावतसर सिंचाई खण्ड के अधीन के.के.एस.एम.के. एवं आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. नहर के अधीन भगवान, ढण्ढेला एवं मेघाना माइनर की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

96. यमुना के पानी में राजस्थान के हिस्से का पानी हरियाणा से बावल कैनाल से किशनगढ़ बास तक पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)

97. झालावाड़ जिले के बोरदा, पंचायत हरीगढ़ में तालाब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की वृहत परवन सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) :

99. अजमेर के प्राचीन जल स्रोतों की देखरेख के अभाव में जीर्ण-क्षीर्ण होने व अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. बूढा पुष्कर तालाब के कैंचमेंट क्षेत्र में आये अवरोधों एवं अतिक्रमणों को दूर करने एवं तालाब में पानी की आवक हेतु समुचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. अजमेर की पाल बीछला झील के संरक्षण हेतु नो कन्सट्रक्शन जोन घोषित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. अजमेर स्थित आनासागर झील के पानी में गन्दे नालों के बहकर आने वाली गन्दगी एवं बदबू से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. अजमेर शहर में स्थित डिग्गी तालाब में गन्दगी की भरमार एवं उसके पानी को अवैध रूप से दोहन करने की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (करणपुर) :

104. विधान क्षेत्र करणपुर में AIBP योजना में नहरों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. पंजाब से राज्य को मिलने वाले सिंचाई के पानी की मात्रा को मापने के लिए स्कोडा सिस्टम लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. गंगनहर की एच नहर की आरडी 20 से 60 को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. पंजाब के फिरोजपुर फीडर का निर्माण 0 से 45 आर डी बीकानेर कैनाल की सफाई कराने एवं खालों के निर्माण हेतु CAD विभाग से NOC की अनिवार्यता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. भाखडा ब्यास मैनेजमेन्ट बोर्ड में राजस्थान का प्रतिनिधि न होने के कारण राज्य को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

109. विधान सभा क्षेत्र मावली के तालाब भरने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

110. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में लम्बित व रूकी हुई सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में रातई परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की सेमली फाटक, नारायण खेड़ा व देवरी तालाब जैसी लघु सिंचाई परियोजनाओं के नहरी तंत्र से टेल तक पानी पहुंचाने हेतु नहरी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जय नारायण पूनियां (तारानगर) :

113. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के सिंचाई से वंचित गांवों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से जोड़कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र तारानगर के सिंचाई वाले क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु पक्के खालों का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

115. इंदिरा गांधी नहर के जैसलमेर जिले में नहरों पर कच्चे खालों का पक्का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र बायतू के गांवों में नर्मदा नहर परियोजना का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

117. सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नहर की सीमा क्षेत्र से बाहर सिंचाई विभाग द्वारा तोड़े गये ट्यूबवैलों, मकानों एवं नष्ट की गयी फसलों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र भादरा की सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली एवं अमरसिंह सब ब्रांच सिस्टम में हरियाणा से पूरा पानी लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र भादरा की सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली से वंचित डाबडी, मौजाना एवं रतनपुरा ग्राम की शेष रही भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़कर सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र भादरा की सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली पर कई माइनरों पर बकाया हैड रेग्यूलैटर एवं क्रास रेग्यूलैटर स्वीकृत करवाकर निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सिंचाई से वंचित 14 गांवों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट सिंचाई परियोजना से जोड़कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

122. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को प्रशिक्षण देकर बूंद-बूंद एवं ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों को इजरायली पद्धति की जानकारी देकर बूंद-बूंद सिंचाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

124. नई सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति में बाधक B.C. रेशो (बेनीफिट, कोस्ट) के कानून से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

125. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के बांधों को पंचायत को देने की बजाय सिंचाई विभाग को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के हंस सरोवर बांध में मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों का गन्दा पानी आने से रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

127. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई की पंचायत गादरवाड़ा गुजरान के भैरू मन्दिर के पास नवीन एनिकट निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के रेहडिया बांध निर्माण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

129. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के साबरमती बेसिन (कोटड़ा) से सुरंग बनवाकर पानी जवाई बांध में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

130. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में निर्मित लिफ्ट कैनाल की शिल्ट निकालकर फव्वारा पद्धति से कृषि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा) :

131. भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध की सिंचित भूमि का आबादी में परिवर्तित होने से सिंचाई के पानी को कम करके पेयजल का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

132. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ताकली सिंचाई परियोजना में पदस्थापित कर्मियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के राम सागर बांध (रावंठा) का सर्वे करवाकर सिंचाई परियोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में ताकली सिंचाई परियोजना से वंचित रहे किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध करवाने के लिए गांधीसागर बांध पर

सिंचाई परियोजना स्वीकृत कर पानी पहुंचानेके सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में आहू नदी पर सिंचाई परियोजना एवं फावा के तालाब का सर्वे करवाकर सिंचाई परियोजना स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. कोटा लाडपुरा पंचायत समिति में बसे गांवों की असिंचित जमीन को चम्बल के पानी से सिंचित करने हेतु सिंचाई परियोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कुंजीलाल (बामनवास) :

137. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जीवद नदी में एनिकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली में ठील बांध पर जाने वाली कैनाल के लीकेज को रोकने के लिये नहर को सीमेन्टेड किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के आंकोदा बांध की भराव क्षमता को बढ़ाने के लिये बांध की ऊंचाई बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की वन्द मोटा सागर बांध की ऊंचाई 2 फुट बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लादूराम (गुढामालानी) :

141. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के अनकमाण्ड खसरों को नर्मदा नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी में वर्षाकाल में नर्मदा नहर से व्यर्थ बहकर समुद्र में जाने वाले अतिरिक्त पानी का संग्रहण करने हेतु ग्राम पीपराली में रिजर्व वाटर (संग्रहण क्षेत्र) बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र गुढामालानी के गांवों को नर्मदा नहर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए नई वितरिका स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

144. 30 वर्षों से लम्बित अकावद परवन वृहद सिंचाई परियोजना बारां की स्वीकृति में आ रही बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शेरगढ़ माइक्रो डैम की ऊंचाई एक मीटर बढ़ाने एवं शील्ड निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. शेरगढ़ माइक्रो डैम की माइनरों की मरम्मत व सफाई करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र बारां अटरू की पार्वती पिकअप माइक्रोडैम की सील्ड हटाकर भराव क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

148. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना कई स्थानों से टूटने से उसकी मरम्मत कराने एवं सेवन घास पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

149. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के हेमावास, एन्दला व बाला की ढाणी बांध की भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

150. इन्दिरा गांधी नहर की शिल्ट की सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. राज्य में लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. इन्दिरा गांधी नहर के मुख्य फीडर की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. यमुना नदी के जल को झुझुनूं एवं चूरू जिले में लाने के लिए कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) :

154. परबतसर कस्बे में इन्दिरा गांधी नहर का पानी शीघ्र पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) :

155. इन्दिरा गांधी नहर का नाम बदलकर राजस्थान नहर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. चम्बल नदी का पानी अलवर जिले में लाने हेतु शीघ्र कार्यवाही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ एवं जिला अलवर में मां यमुना नदी का पानी लाने की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

158. कंवरसेन लिफ्ट में मल्कीसर लिफ्ट पर विद्युत की सम्पूर्ण व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. कंवरसेन लिफ्ट कैनाल पर किसानों को अपनी बस्तियों में भी मोघों (outlet) से पानी उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

160. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई क्षमता में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में खालों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में किसानों को बारी-बारी से सिंचाई का पानी न मिलने पर विभाग की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर) :

163. इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं सरहिन्द फीडर की डिसिल्टिंग कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में गंगनहर व भाखड़ा प्रणाली के रेगूलेशन प्रक्रिया को पूर्व की तरह रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं में कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों पर भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. सरहिन्द फीडर की बुर्जी सं. "0" हैड पर पुरानी भाखड़ा नहर के माध्यम से हरियाणा राज्य में राजस्थान का पानी रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

167. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली सभी माइनरों के टेल तक किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के अनूपगढ़ शाखा में छह माह का एक साथ रेग्यूलेशन जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली माइनरों में सिल्ट निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ शाखा से निकलने वाली एम.डी., एच.डी.डी., जे.एम. एवं के.डी. जी.एम. माइनरों के बेड लेवल सही करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

171. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु नांगल ढहर कस्बा पोंख, भाटीवाड़, गुड़ाढहर, ककराना, चंवरा, जहाज, मावता व मणकसास तथा मोधपुरा में पेयजल स्कीम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में निर्मित कोट बांध की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ाने व नीचे से 2 मीटर सिल्ट की सफाई कर उसकी भराव क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की कटाली नदी को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के नागल, गुडा, जहाज मावता एवं खो-मणकसास आदि में बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

176. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की सिद्धमुख नहर परियोजना से जुडे 14 गांवों में खाले, नाले, मोरी एवं चकबंदी कर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) (नदबई) :

177. अजान बंध से पिचूना बंध वाया बारहमाफी के बीच में पड़ने वाली पुलियाओं एवं सड़कों की मरम्मत, चौड़ाईकरण एवं गेटों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

178. पांचना बांध से भरतपुर के हिस्से का पानी दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. प्रदेश के बांधों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य पुन: सिंचाई विभाग के अधीन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. गुडगांवा कैनाल एक्सटेन्शन से नदबई क्षेत्र को अधिक से अधिक लाभान्वित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. श्यौराना (सेबर) की पुलिया की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण तथा बहरावली बांध (रूपवास) का मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

182. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बुचार बांध की बनी नहरों को नष्ट कर खेतों में मिलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में सिंचाई हेतु बने बांधों से सिंचाई न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर स्थित जवानपुरा धाबाई में निर्मित बांध के निकासी क्षेत्र में अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर छितोली बांध के भराव क्षेत्र में कृषि कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर जवानपुरा बांध से निकली नहर पर अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

187. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की सभी नहरों, माइनरों व मोघों से पर्याप्त पानी दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के किसानों को वरियता के क्रम से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ बरिधवाल हैड से 243RD से 415 हैड तक मुख्य नहर में वरियता क्रम लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

190. इंदिरा गांधी नहर की 243 RD बरिधवाल हैड से अनूपगढ़ शाखा की सेम निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के भाखड़ा की नहरों से शिल्ट निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) :

192. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के ग्राम कुआरियां के बाण्डी नाले को आबंटित करने एवं जीतावास पंचायत में बनास नदी पर एनिकट सह सेतुपथ (काजवे) निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. राजसमन्द झील की पाल की मरम्मत करने, झील में मत्स्याखेट पर पूर्ण निषेध एवं झील के चारों ओर वर्तुल सड़क (रिंग रोड) बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

194. राजसमन्द नहर संरचना के आधुनिकरण, सुदृढ़ीकरण करने एवं इसे नगरीय क्षेत्र से बाहर निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

195. राजसमन्द जिले के खारी संभरक (फीडर) के सुदृढ़ीकरण, सेवापथ निर्माण एवं नियमित स्वच्छता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. राजसमन्द झील में जल आवक बढ़ाने के लिए देवास तृतीय एवं चतुर्थ चरण से जल परावर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

197. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में विभाग के एनिकट निर्माण के लिए वन विभाग से समय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बड़ी नदियों से खेतों का कटाव रोकने के लिए नदी की सीमा पर बाढ़ बचाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बड़ी नदियों के अन्दर 3 से 5 कि.मी. की दूरी पर जमीन की 5-7 मीटर अन्दर खोद (Base Slow) बनाकर काली मिट्टी या पोलीथीन सीट डालकर जमीन के अन्दर बहने वाले पानी को रोककर कुओं का जलस्तर बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

200. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में विभाग के रिक्त पद भरने एवं बड़े-बड़े बांधों की सुरक्षा के लिए मेट या मिस्त्री के पद पर नियुक्ति देकर बांध की सुरक्षा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में एनिकट निर्माण की अनुमति के लिए प्रदेश स्तर पर T.A.C. कमेटी से अनुमोदन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

202. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में स्थित सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन को पक्का कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के पांचना बांध से गम्भीर नदी के रास्ते विश्व प्रसिद्ध घना पक्षी विहार को पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. यमुना जल समझौते के अनुसार भरतपुर के हिस्से का पानी दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

205. 1995-96 में भरतपुर में आई भीषण बाढ़ से टूटे हुए चिकसाना बांध के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. गुडगांव कैनाल द्वारा मोती झील टेल तक सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा)

207. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में सिंचाई व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

209. इन्दिरा गांधी नहर से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

210. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में अनुदानित वृहत स्तर की टंकी बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में बड़ा डैम बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद)

212. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में काली सिंध नदी में भराव क्षमता से भी अधिक मात्रा में वर्षा जल के उफान का सर्वे करवाकर डाइवर्जन चेनल का निर्माण करते हुए सावन-भादो डैम में पानी डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में नदियों के किनारे बसे गांवों में वर्षा के अधिक बहाव से कटाव को रोकने के लिए प्रोटेक्शन वाल बनाने हेतु स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर योजना में शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के ब्रह्मा, नालोडी, हरिपुरा एवं बडौद पुलिया एनिकट की भराव क्षमता के आधार पर ऊंचाई बढ़ाते हुये गांवों के लिये शुद्ध पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पोकल्या खाल को डाइवर्जन चेनल में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. झालावाड़ जिले के भवरांसा बांध कालीसिंध सिंचाई परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

217. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के चवाडिया एनिकट का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ढारिया बांध के नवीनीकरण की स्वीकृति होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में फुलाद बांध की नहरों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के जीणडावास बांध का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

221. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम खजुरा में लघु परियोजना का सर्वे करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ क्षेत्र में नान कमांड में गांव हवारून्डी में एनिकट स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

223. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के माही बांध की हाई कैनाल का सर्वे करवाकर कुशलगढ़ सज्जनगढ़ क्षेत्र में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

224. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में नान कमांड क्षेत्र में लघु परियोजना का सर्वे करवाकर आम लोगों को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर)

225. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में मेवाड़ा सिंचाई परियोजना की दायीं व बायीं नहरों का निर्माण गुजरात की सीमा तक पूर्ण कराने तथा टूटी नहर की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित मेवाड़ा बांध की ऊंचाई दो मीटर बढ़ाने व लिफ्ट के माध्यम से सूखे क्षेत्र को सिंचित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में सभी नदियों व नालों का सर्वे करवाकर बांध व एनिकटों के निर्माण हेतु तकमिने बनाकर स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

228. डूंगरपुर जिले में सोम फीडर का सुदृढीकरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

229. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में झापादर बांध का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

230. करौली जिले की चम्बल से पांचना बांध में पानी लिफ्ट कर जगर बांध तक पानी पहुंचाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र करौली में स्थापित पांचना लिफ्ट परियोजना को गत तीन वर्षो से चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

232. विधान सभा क्षेत्र महुवा के महुवा शहर के लिए बाणगंगा नदी में पांच नए बोरवेल खोदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र महुवा के बेहड़ा जगरामपुर बांध के मेज व नहर की सफाई कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

234. विधान सभा क्षेत्र महुवा के हुडला, बालाहेड़ी, महुवा, मण्डावर, सलेमपुर एवं पावटा में S.R. टैंक बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र महुवा के ग्राम हुडला के बांध में आ रही नहर की सफाई एवं मेज बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र महुवा के मण्डावर में पांच नए बोर वेल खोदने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

237. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के मगरीवाड़ा रामचन्द्रजी कुशमा के बीच रोजवा नाला पर एनीकट बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के पीथापुराल व सुलीवा के बीच पूर्व में बना बांध, क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

239. प्रदेश में बरसात के समय पर बहकर जाने वाले पानी को रोकने के लिए चैक डैम एवं एनिकट बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की निर्माणाधीन भैसासिंह परियोजना के कार्य में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र रेवदर सुकली लवाडा बांध की नहरों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

242. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की गजनेर कोलायत बांगड़सर लिफ्ट व इनसे सम्बन्धित माइनरों पर पानी लिफ्ट करने के लिए लगाई गई मोटरों के रोजाना खराब होने से किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

243. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में पंजाब से प्रदूषित व औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक पानी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

245. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में शिल्ट निकालने का कार्य समय पर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के अंतिम छोर पर बैठे किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

247. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घग्घर नदी के पानी को संचित करने के लिए डैम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

248. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सिंचाई हेतु इन्दिरा गांधी नहर का पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

249. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के मैली बांध, गुडाडायवर्जन बाजुडा बांध, बुनारी बांध एवं पिपलून बांध पर मरम्मत कार्य एवं बांधों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के ग्रामों में भाखरड़ा बैल्ट में सिंचाई कराने हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिवाना तहसील तक सिंचाई हेतु नर्मदा का पानी लाने की योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के गोयणा भाकर (सिणधरी) में नवीन बांध बनाने की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

253. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के उपखण्ड मुख्यालय पर विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धनसिंह रावत (बांसवाड़ा) :

254. माही परियोजना से लिफ्ट योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

255. माही परियोजना की R.M.C. एवं L.M.C. कैनाल के सब माइनरों का पानी टेल तक नहीं पहुंचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

256. माही बजाज सागर परियोजना से ऊपर हाई लेवल कैनाल का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

257. माही परियोजना की दोनों नहरें R.M.C. एवं L.M.C. और उनकी सब माइनरों में पानी के सीपेज की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

258. माही परियोजना की R.M.C. एवं L.M.C. कैनाल के सुदृढ़ीकरण समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (आसपुर) :

259. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सोमकमला आम्बा डैम की 40 वर्ष पूर्व बनी नहरों का नवीनीकरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

260. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के ग्राम मांडवा-खापड़ा में नये तालाब एवं एनिकट नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र आसपुर की ग्राम पंचायत डोंजा में एनीकट नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

263. विधान सभा क्षेत्र आसपुर के निठाउवा पाल में जाखम नदी पर बड़ा एनिकट निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

264. विधान सभा क्षेत्र टोंक में सिंचाई हेतु ईसरदा बांध बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र टोंक में बनास नदी के पुराने झंजर पुल पर एनिकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओटाराम (सिरोही) :

266. विधान सभा क्षेत्र सिरोही में बांधों में पानी की आवक में आ रहे अवरोधकों को हटाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

267. इंदिरा गांधी नहर से प्रदेश में अन्य सिंचाई परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

268. नागौर जिले को इन्दिरा गांधी नहर से सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र खींवसर व जिला नागौर में सिंचाई के लिये अनुदानित वृहद डिग्गियां बनाकर सिंचाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

270. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में पानी की आवक के स्थानों पर छोटे डैम बनाकर सिंचाई की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

271. इंदिरा गांधी नहर में पंजाब द्वारा छोड़े गये फैक्ट्रियों के अवसाद एवं रासायनिक पदार्थों को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

272. इन्दिरा गांधी नहर में पंजाब से प्रदूषित व गन्दा पानी मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

273. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में होने वाले नये निर्माण एवं मेन्टीनेन्स

के कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान देकर अच्छी गुणवत्ता व समय पर कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में हरिके पतन से मसीता वाली हैड तक मुख्य नहर की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

275. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के मुख्य नहर के हैडों की मरम्मत एवं ब्रांचों वितरिकाओं, माइनर व सब माइनर के सभी हैंडों की समय रहते मरम्मत का कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

276. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के चकों में भविष्य में अनकमांड जमीन जो किसानों द्वारा मुरब्बा नं. में कमाण्ड होती है, उसका सर्वे करवाकर कमांड घोषित करके किसानों को उसके कमांड जमीन के अनुसार पूरा पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

277. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में तकनीकी अधिकारियों एवं अन्य विभागीय कर्मचारियों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

278. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की कोलायत, गजनेर एवं बांगड़सर लिफ्ट के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के किसानों को नहर का पानी दिलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

279. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक अधिकारियों व जन-प्रतिनिधियों द्वारा हनुमानगढ़ एवं जैसलमेर के स्थान पर बीकानेर सम्भाग मुख्यालय में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

280. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की माइनर टेलों पर GB, PS, MK, FF मोघे का पूरा क्यूसिक पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आने वाली माइनरों की सफाई करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3A

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर माननीय सदस्य श्री सुरेश सिंह रावत द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया)

1. अजमेर जिले को इन्दिरा गांधी नहर से जोड़ा जाए ताकि अजमेर जिले के किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध हो सके।
2. तीर्थराज पुष्कर झील में पानी आवक के फीडरों का काम अधूरा पड़ा है। आपसे निवेदन है कि अधूरे पड़े फीडरों का काम शीघ्र कर उनको चालू कराने की अति आवश्यकता है।
3. बूढा पुष्कर झील को भरने के लिए अतिशीघ्र फीडरों का निर्माण कराया जाए।
4. आनासागर में आने वाले पानी को आनासागर भरने के बाद कायड के फूल सागर में डाला जाए। कायड़ के फूल सागर में पानी डालने व कायड़ के तालाब के भरने से लाखों किसानों को फायदा होगा। कायड़ से लेकर नागौर के नावा तक के सैकड़ों गांवों के पानी का जल स्तर ऊपर आ जाएगा और अजमेर शहर की जनता बाढ़ से भी बच जाएगी। आनासागर भरने के बाद अजमेर शहर पर बाढ़ का खतरा रहता है।
5. पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में आने वाले तमाम तालाबों की मरम्मत की जाए और तालाबों में पानी आने वाले रास्ते को अतिशीघ्र दुरुस्त किया जाये ताकि तालाब भर सकें।
6. ग्राम बड़ल्या के तालाब में पानी पहुंचाने वाले फीडर की खुदाई की जाये ताकि तालाब में पानी पहुंच सके।

परिशिष्ट-3B

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या 46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित) पर माननीय सदसय श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' द्वारा सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया

1	जल संसाधन विभाग	घोसुण्डा बांध का पानी घोसुण्डा तालाब में डाला जावे। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
2	जल संसाधन विभाग	आंवलहेड़ा बस्सी बांध का पानी आंवलहेड़ा तक पहुंचाने की व्यवस्था। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
3	जल संसाधन विभाग	बोदियाना देवड़ाजी मंदिर के पास तालाब निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
4	जल संसाधन विभाग	केलझर घाटी में एनिकट निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
5	जल संसाधन विभाग	पालछां सांकेडा बांध निर्माण (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
6	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	भैरू सिंहजी का खेडा श्याम दासजी के मकान के पास पानी की टंकी। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
7	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	ग्राम नगरी में पेयजल 01 लाख लीटर एसएलआर टंकी माहेश्वरी पंचायत नोहरा। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
8	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	बिलिया पेयजल के लिए 01लाख एसएलआर टंकी। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
9	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	नाहरगढ़ मय टंकी पूरे गांव में पेयजल व्यवस्था। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
10	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	गिलूण्ड में पानी की सप्लाई हेतु बड़ी टंकी व पाइप लाइन बदलने हेतु। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)

11	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	घटियावली पानी की बड़ी टंकी पेयजल योजना में गणेश चौक के पास। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
12	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पारलिया पेयजल के लिए पानी की टंकी व पाइप लाइन का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
13	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	बिलोदा पेयजल टंकी का निर्माण मय पाइप लाइन का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
14	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	कंथारीया पेयजल टंकी का निर्माण मय पाइप लाइन का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
15	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	ओरडी पेयजल टंकी का निर्माण मय पाइप लाइन का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
16	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	खोर पानी की टंकी का निर्माण करवाया जावे। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
17	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	बराडा पानी टंकी का निर्माण करवाया जावे। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
18	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	लक्ष्मीपुरा पानी की टंकी का निर्माण करवाया जावे। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
19	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	महाराज की नेतावल पेयजल व्यवस्था पूर्व में है उसका नवीनीकरण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
20	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सज्जनपुरा पेयजल योजना में ट्यूबवेल पाइप लाइन वितरण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
21	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	शिवगढ़ चन्द्रपुरा पेयजल योजना। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)

22	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पारोली पानी की टंकी का निर्माण करवाया जावे। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
23	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	कश्मोर पेयजल टंकी का निर्माण मय पाइप लाइन का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
24	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	ओड़न्द ग्रामीण पेयजल योजना को जनसंख्या 1500 के आधार मानते हुए जनता जल योजना में जोड़ा जाये। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
25	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	गाडरी का खेड़ा पानी की टंकी का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
26	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सेमलपुरा गांव में पानी की बड़ी टंकी निर्माण, पाइप लाइन। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
27	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	मानपुरा टंकी निर्माण व पाइप लाइन मोटर सहित। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
28	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	अभयपुर 50 हजार लीटर पानी की टंकी। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
29	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पचुण्डल पेयजल व्यवस्था हेतु पाइप लाइन। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
30	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	गोपालपुरा जलदाय विभाग की बड़ी पानी की टंकी एवं पाइप लाइन। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
31	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	डूंगाजी का खेड़ा पानी की टंकी व पाइप लाइन। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
32	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	लाखा का खेड़ा पानी की टंकी व पाइप लाइन। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
33	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	जयसिंहपुरा ट्यूबवेल, पाइप लाइन व टंकी। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)

34	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	पाल तालाब को सार्वजनिक व सिलिंग योजना में लेकर पेयजल उपलब्ध कराना। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
35	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	दुवावा 20 हजार लीटर की टंकी। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
36	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	नलदा पानी की टंकी, पाइप लाइन व बोर। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
37	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	चन्दनपुरा बड़ी पानी की टंकी का निर्माण (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
38	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सहनवा बड़ी पानी की टंकी एवं पाइप लाइन। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
39	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सिसादिया का सांवता पेयजल के लिये ट्यूबवेल व पाइप लाइन कार्य। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
40	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	रैदास कालोनी से पुरोहितों का सांवता तक पाइप लाइन, ट्यूबवेल, बोर, मोटर। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	बड़ोदिया पेयजल के लिये व्यवस्थित योजना। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
42	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	माताजी की पाण्डोली, महाराज की नेतावल पेयजल टंकी का निर्माण मय पाइप लाइन का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)
43	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	मादंलदा पेयजल टंकी का निर्माण मय पाइप लाइन का निर्माण। (चित्तौड़गढ़ पं. स.)

सदस्यवार-सूची

शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या

नाम	पृष्ठ संख्या